

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं
द्वारा वर्ष 2014-15 तक
की राजस्व हिस्सेदारी



संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2017 की संख्या 11

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं
द्वारा वर्ष 2014-15 तक
की राजस्व हिस्सेदारी

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2017 की संख्या 11

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
कार्यकारी सार		xi
अध्याय I: प्रस्तावना		
राजस्व शेयरिंग व्यवस्था और इसकी मुख्य विशेषताएं	1.1	1
विभिन्न लाइसेंसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा	1.2	3
लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए राजस्व रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं	1.3	5
संग्रहीत राजस्व हिस्सेदारी	1.4	6
लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था	1.5	7
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	7
लेखापरीक्षा पद्धति	1.7	9
लेखापरीक्षा मानदंड	1.8	9
आभार	1.9	10
अध्याय II: मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड द्वारा शेयर किया गया राजस्व		
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय	2.1	11
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस	2.1.1	11
बी ए एल/बी एच एल को आवंटित स्पेक्ट्रम	2.1.2	12
बी ए एल/बी एच एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान किया गया राजस्व शेयर	2.1.3	13
बी ए एल/बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2	13
प्री पेड सेवाओं के लिये डीलर्स/ग्राहकों को कमीशन/ऑफर/डिस्काउंट से सम्बन्धित राजस्व को निवलीकरण करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2.1	14
पोस्ट-पेड अभिदाताओं को प्रदान की गयी छूटों के निवलीकरण के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2.2	17
अन्य आपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2.3	18

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार आपरेटरों से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2.4	19
बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग	2.2.5	20
जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना	2.2.6	23
ग्लोबल आपरेशन्स (बी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखांकित राजस्व को जी आर/ए जी आर में न लेना	2.2.7	24
बी ए एल/बी एच एल द्वारा लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में न लेना	2.2.8	26
निवेश की बिक्री से आय को ए जी आर में न लेना	2.2.9	27
बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिए विविध आय पर विचार नहीं किया जाना	2.2.10	28
राजस्व अंश के भुगतान हेतु बी ए एल द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ की आय को ए जी आर में शामिल नहीं करना	2.2.11	29
ए जी आर को ज्ञात करने के लिए बी ए एल/बी एच एल द्वारा बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को जी आर से अनियमित रूप से घटाना	2.2.12	30
एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर की गणना के लिए बैण्डविड्थ की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना	2.2.13	32
पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को शामिल नहीं करना	2.2.14	32
बी ए एल द्वारा अवसंरचना प्रदाता (आई पी-1) सेवाओं के अन्तर्गत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिए शामिल नहीं करना	2.2.15	34
एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज	2.2.16	34
राजस्व एवं लाइसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरणी)	2.3	35
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/बी ए एल की प्रतिक्रिया	2.4	36
अध्याय III: वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व		
मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा	3.1	37
वोडाफोन समूह द्वारा लिये गये लाइसेंस	3.1.1	37
वोडाफोन ग्रुप द्वारा लिये गये स्पेक्ट्रम	3.1.2	37
वोडाफोन ग्रुप द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती, समेकित सकल राजस्व और भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी	3.1.3	38
वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा राजस्व कम दिखाया जाना	3.2	39

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
राजस्व से सम्बन्धित डीलर को पेश की गई छूट/मार्जिन और उपभोक्ताओं को दी गई फ्री ऐयर टाइम के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व को कम दर्शाया जाना	3.2.1	39
अन्य ऑपरेटरों को दिये गये/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक रियायत को घटाने के कारण रोमिंग राजस्व कम दिखाना	3.2.2	42
अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त इनफ्रास्ट्रक्चर (संरचना) साझेदारी के राजस्व को कम बताया जाना	3.2.3	43
फोरेक्स लाभ पर विचार नहीं करना	3.2.4	45
ब्याज आय को राजस्व साझेदारी हेतु शामिल नहीं किया जाना	3.2.5	46
लाभांश आय को शामिल न किया जाना	3.2.6	46
राजस्व साझेदारी के लिये स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को शामिल न किया जाना	3.2.7	47
राजस्व साझेदारी हेतु विविध आय को शामिल न किया जाना	3.2.8	48
ए जी आर की गणना के लिये जी आर से बटटे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती का दावा	3.2.9	49
वोडाफोन लाइसेन्सी कम्पनियों द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों को पैसिव संरचना परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण शून्य मूल्य पर किया जाना	3.2.10	50
राजस्व साझेदारी के कम भुगतान पर ब्याज	3.2.11	53
राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (ए जी आर विवरणी) में खुलासा	3.3	53
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/वी आई एल की प्रतिक्रिया	3.4	54
अध्याय IV: आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) द्वारा राजस्व हिस्सेदारी		
आई सी एल की संक्षिप्त रूपरेखा	4.1	55
आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) को प्रदत्त लाइसेंस	4.1.1	55
आई सी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम	4.1.2	55
आई सी एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व (जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा भुगतान किया गया राजस्व शेयर	4.1.3	56
आई सी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग	4.2	57
प्री पेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व का निवल (नेट-ऑफ) करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	4.2.1	57
पोस्ट पेड राजस्व को निवल करने के कारण राजस्व को कम बताना	4.2.2	60
रोमिंग राजस्व का नेटिंग ऑफ	4.2.3	61
अवसंरचना शेयरिंग राजस्व पर विचार न करना	4.2.4	62

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
आइडिया (एन एल डी) व आइडिया (एल एस ए) के मध्य स्वच शेरिंग से प्राप्त राजस्व का जी आर/ए जी आर के लिये विचार न करना	4.2.5	63
आई सी एल द्वारा अव्यवहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये परिसम्पत्तियों से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल करने के लिए विचार न करना	4.2.6	64
जी आर/ए जी आर हेतु फोरेक्स गेन के राजस्व की कम रिपोर्टिंग	4.2.7	65
राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरणी) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में प्रतिवेदित किया गया	4.3	66
जी आर/ए जी आर के लिए व्यय की आय पर विचार न करना	4.3.1	66
जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु निवेश की बिक्री से लाभ का विचार न करना	4.3.2	67
जी आर/ए जी आर में समावेशन हेतु विविध राजस्व का विचार न करना	4.3.3	67
अचल सम्पत्ति की बिक्री में लाभ से आय का जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना	4.3.4	68
अन्य मामलों के कारण राजस्व शेयर का कम/गैर-भुगतान	4.4	69
बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के कारण अस्वीकार्य कटौती	4.4.1	69
एल एफ व एस यू सी के कम/ गैर-भुगतान पर ब्याज	4.4.2	69
यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत अनुलग्नक III में अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करना	4.4.3	70
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/आई सी एल की प्रतिक्रिया	4.5	71
अध्याय- V: रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी		
रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा	5.1	73
आर सी एल एवं आर टी एल के द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम	5.1.1	73
आर सी एल तथा आर टी एल के द्वारा भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी तथा बताया गया राजस्व	5.1.2	75
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	5.2	75
यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत गतिविधियों से अर्जित राजस्व को आई एस पी लाइसेंस को पास ऑन कर राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान से बचना	5.2.1	75
सकल राजस्व से संबंधित व्यय का निवलीकरण	5.3	83
आर सी एल/आर टी एल द्वारा प्रीपेड राजस्व को फ्री एयरटाइम से समायोजन के बाद बुक किया जाना	5.3.1	84

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
कमीशन/छूट का समंजन के कारण आर सी एल के प्रीपेड राजस्व को कम बताना	5.3.2	84
राजस्व शेयर हेतु प्रस्तावित नहीं की गई आय	5.4	86
राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गई ब्याज आय	5.4.1	86
राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गयी अन्य आय	5.4.2	87
फोरेक्स लाभ से आय	5.4.3	88
पट्टे पर दिये गये बैंडविडथ से प्राप्त राजस्व एस यू सी के लिए विचार नहीं करना	5.4.4	89
राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों (ए जी आर विवरणों) में प्रकटीकरण	5.5	90
कम भुगतान किए गए राजस्व शेयर पर ब्याज	5.6	91
डी ओ टी की प्रतिक्रिया	5.7	91
अध्याय- VI: एयरसेल ग्रुप (डिजिनेट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेलुलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व		
एयरसेल ग्रुप की संक्षिप्त रूपरेखा	6.1	93
एयरसेल ग्रुप को प्रदत्त लाइसेंस	6.1.1	93
एयरसेल ग्रुप को आवंटित स्पेक्ट्रम	6.1.2	93
सकल राजस्व (जी आर), समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी	6.1.3	94
एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग	6.2	95
वितरकों/विक्रेताओं/फ्रेन्चाइजियों को दिये गये प्राथमिक कमीशन को घटाने (नेटिंग आफ) के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना	6.2.1	95
ग्राहकों को दिये गये ऑफर/छूट/रिबेट के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना	6.2.2	97
अन्य दूरसंचार आपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना	6.2.3	101
जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को विचारित न करना	6.2.4	103
कारपोरेट लेखा में लेखांकित वी ए एस/विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व को विचारित न करना	6.2.5	104
राजस्व व एल एफ (ए जी आर विवरणी) विवरणियों में राजस्व कम दिखाये गये यद्यपि बही खातों में रिपोर्ट किये गये	6.3	105
जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज आय का विचार नहीं किया जाना	6.3.1	105
निवेश से आय को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना	6.3.2	106
जी आर/ए जी आर हेतु अन्य विविध आय का विचार न किया जाना	6.3.3	106
राजस्व साझेदारी की गणना हेतु सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना	6.3.4	108
अन्य मामले	6.4	108
“बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों” की राशि से जी आर/ए जी आर को कम बताना	6.4.1	108

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
एयरसेल कम्पनी के पैसिव अवसंरचना व्यवसाय को मंदी मूल्य पर चेन्नई नेटवर्क अवसंरचना लिमिटेड (सी एन आई एल) को अंतरण	6.4.2	109
एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज	6.5	110
यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अन्तर्गत आवश्यक विस्तृत विवरण जमा नहीं करना	6.6	110
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/एयरसेल की प्रतिक्रिया	6.7	112
अध्याय – VII : मेसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड व मेसर्स श्याम इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व		
एस एस टी एल व एस आई एस एल की संक्षिप्त रूपरेखा	7.1	113
एस एस टी एल व एस आई एस एल को प्रदान किये गये लाइसेंस	7.1.1	113
एस एस टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम	7.1.2	114
प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व एवं एस एस टी एल द्वारा राजस्व के शेयर का भुगतान	7.1.3	115
एस एस टी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग करना	7.2	115
कमीशन/छूट/माफी/फ्री एयरटाइम से संबंधित राजस्व को समायोजित करने के कारण राजस्व कम बताया जाना	7.2.1	116
जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से राजस्व की कम रिपोर्टिंग	7.2.2	117
राजस्व एवं एल एफ की विवरणियों (ए जी आर विवरणी) में राजस्व की कम रिपोर्टिंग यद्यपि बही-खातों में प्रतिवेदित किया गया	7.3	119
ए जी आर में अन्य आय पर विचार न किया जाना	7.3.1	119
एस यू सी की गणना करने हेतु कुछ राजस्व को शामिल न करना	7.3.2	120
एल एफ और एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज	7.4	121
एस एस टी एल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों के सम्बन्ध में लाइसेंस अनुबंध का पालन न करना	7.5	121
डी ओ टी/एस एस टी एल का लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर उत्तर	7.6	124
अनुलग्नक		
अनुलग्नक संख्या	अध्याय संख्या	पृष्ठ संख्या
2.01 से 2.18	अध्याय II	125
3.01 से 3.14	अध्याय III	142
4.01 से 4.14	अध्याय IV	155
5.01 से 5.12	अध्याय V	169
6.01 से 6.12	अध्याय VI	192
7.01 से 7.10	अध्याय VII	204
	शब्दावली	219

प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने छह निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आधारभूत लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 तथा भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया, का कार्य शुरू किया है।

तदनुसार लेखापरीक्षा द्वारा दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई कि पी एस पी द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार के साथ पी एस पी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार सरकार के साथ साझा किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी का प्रारूप (मॉडल)

नई दूरसंचार नीति (एन टी पी-99) जो कि अप्रैल 1999 से प्रभाव में आई ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी मॉडल की शुरुआत की। इस पद्धति में दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के कुछ प्रतिशत को वार्षिक लाइसेंस फीस (एल एफ) के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। इस के साथ ही मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों को उनको आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों (एस यू सी) का भी भुगतान करना होता था। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस अनुबंध ने लाइसेंस कम्पनी के जी आर के सभी तत्वों को परिभाषित किया तथा ए जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंधों में उल्लेखित निश्चित कटौतियों की स्वीकृति के उपरान्त की जानी थी। सरकार को देय राजस्व हिस्सेदारी के आकलन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत नियुक्त उनके लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सेवा प्रदाताओं के वार्षिक लेखाओं पर भरोसा किया गया।

2. निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए राजस्व साझेदारी की सत्यता पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा लेखापरीक्षा

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के रूप में भारत सरकार के साथ साझा किया गया राजस्व, भारत की समेकित निधि का एक भाग होता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण एवं सही साझेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, सरकार के द्वारा नवम्बर 2002 में प्रचालित भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम, 2002 में भारत के सी ए जी द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा संधारित समस्त लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समर्थकारी प्रावधान निहित हैं। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किए गए राजस्व की एक रिपोर्ट मार्च 2016 में सी ए जी ने संसद के समक्ष प्रस्तुत की और वह रिपोर्ट वर्तमान में लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। वर्तमान प्रतिवेदन छः ऑपरेटरों के लेखा अभिलेखों के सत्यापन के बाद सामने आए लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रस्तुत करता है जिनमें से पांच पहले चरण में शामिल किए गए थे। प्रतिवेदन में शामिल नये ऑपरेटरों को छोड़कर पुराने ऑपरेटरों का आवृत क्षेत्र 2010-11 से 2014-15 के लेखा वर्षों का था तथा नए ऑपरेटरों का समाहित क्षेत्र वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिये था।

3. प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय एवं परिशिष्ट हैं। अध्याय I दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) में लाइसेंस फीस एवं एस यू सी को संग्रहित करने की व्यवस्था एवं उनका अन्तिम निर्धारण तथा राजस्व साझेदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है। यह लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं

कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डालता है। ऑपरेटरों के क्रमानुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय II से VII में दिये गये हैं।

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

(i) सभी पी एस पी द्वारा अपने वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाइजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम करके बताया जाना

निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाइजियों इत्यादि की नियुक्ति करते हैं तथा उनको कमीशन/रियायतों आदि का भुगतान करते हैं। सभी निजी सेवा प्रदाताओं ने, जिनके लेखाओं का सत्यापन किया गया, वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाइजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत आदि की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम किया है। तथापि अलग-अलग दूरसंचार प्रदाताओं ने इन सभी लेन-देन को विभिन्न तरीकों से लेखा में शामिल किया है। जबकि एयरटेल, वोडाफोन एंड एस एस टी एल ने कमीशन/रियायत इत्यादि की राशि को राजस्व में नामें प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में बुक किया है, वहीं रिलायंस, आईडिया एवं एयरसेल ने रियायतों/कमीशन को छोड़ने (नेटिंग आफ) के बाद राजस्व को बुक किया है।

जी आर/ए जी आर की रिपोर्टिंग हेतु राजस्व को छोड़ देना (नेटिंग आफ) अथवा कम कर देना लाइसेंस समझौते में वर्णित शर्तों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाइजियों को भुगतान किया गया कमीशन/रियायत व्यापार व्यय प्रकृति के (विपणन व्यय) थे। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व से छोड़ी गयी (नेटिंग आफ) रियायत/कमीशन की निकाली गई राशि की गणना ₹ 16862.22 करोड़ की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 1394.89 करोड़ एवं ₹ 842.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1(अ), 3.2.1(अ), 4.2.1 (अ), 5.3.2, 6.2.1, 7.2.1)

(ii) सभी पी एस पी द्वारा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी प्रमोशनल योजनाओं की राशि से जी आर/ए जी आर को कम करके बताया जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड ग्राहकों को विभिन्न अवसरों पर फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम (एफ टी टी/एफ ए टी) जैसे कई ऑफर उपलब्ध कराते हैं जो कि आधारभूत रूप से विभिन्न नामों के अधीन प्रमोशनल योजनाएं हैं। यूनीफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) अनुबंधों में प्रावधान है कि ऑपरेटर सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाएँगे तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाएँगे। यह देखा गया है कि पी एस पी द्वारा दिये गये प्रमोशनलों को राजस्व के रूप में नहीं लिया गया था।

एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल एवं एस एस टी एल के बही खातों में ग्राहकों को दिए गए प्रमोशनल फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत नामें प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में लेखांकित की गई थी। परन्तु रिलायंस के लेखों से इस प्रकार की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि कम्पनी ने प्रमोशनल फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम को वित्तीय प्रणाली एवं बही खातों में दर्शाए बिना ही बिलिंग चक्र से निकाल दिया है।

चूँकि यू ए एस एल अनुबंधों के अनुसार ऐसे प्रोमेशनल आफर व्यापार व्यय की प्रकृति के होते हैं भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर हेतु इन प्रस्तावों को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने इस प्रकरण में जी आर/ए जी आर में ₹ 7049.61 करोड़ की कम आँकी गई राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 587.70 करोड़ एवं ₹ 370.00 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1(ब), 3.2.1(ब), 4.2.1(ब), 6.2.2, 7.2.1)

(iii) पोस्ट पेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जी आर/ए जी आर का कम दर्शाया जाना

यह पाया गया था कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल द्वारा पोस्ट पेड ग्राहकों को ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान से ज्यादा दिया गया रियायत/वेवर, जो कि व्यापार व्यय की प्रकृति का था उनके लेखों में राजस्व से घटा दिया गया था। यह प्रथा लाइसेंस अनुबन्ध के विचलन में थी जिसमें यह बताया गया था कि राजस्व को सम्बन्धित खर्च के घटाये बगैर दर्शाना है। इस विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनियों ने जी आर/ए जी आर ₹ 417.60 करोड़ कम बताया जिसके फलस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 34.21 करोड़ एवं ₹ 17.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.2 एवं 4.2.2)

(iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया जाना

रोमिंग सेवाओं के लिए निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आपरेटरों के साथ व्यवस्था है। यह देखा गया कि एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया ने इन आपरेटरों के लेखा में भुगतान/जमा किए गए इन्टर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट को रोमिंग राजस्व से निकाला/घटा दिया। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था का होना दोनों आपरेटरों के बीच आपसी अनुबंध का मामला है तथा रोमिंग के लिए तय प्रभारों से ऊपर दी जा रही छूट दोनों आपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने वाली सम्पूर्ण व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के हैं और इसलिये लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार इनकी राजस्व से कटौती अनुमत नहीं की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने इस पर राजस्व शेयर की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में ₹ 889.85 करोड़ की कम दर्शायी गई राशि की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 76.20 करोड़ एवं ₹ 48.19 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.3, 3.2.2, 4.2.3)

(v) अवसंरचना की भागीदारी से राजस्व को घटाकर (नेटिंग) जी आर/ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों में प्रावधान है कि जी आर में अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होगा। निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी पैसिव अवसंरचना (पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर) की भागीदारी के लिए व्यवस्था है। लेखापरीक्षा ने

पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से राजस्व में नहीं लिया गया, इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यय में क्रेडिट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व भागीदारी के उद्देश्य के लिये जी आर/ए जी आर की गणना के लिए अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राजस्व को कम बताया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण पर जी आर/ए जी आर में ₹ 1090.07 करोड़ की कम दर्शाई गई राशि की गणना की गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 87.17 करोड़ एवं ₹ 55.25 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4, 3.2.3, 4.2.4, 6.2.3)

(vi) फोरेक्स लाभ का जी आर में कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर का कम बताया जाना

जी आर की परिभाषा के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ भी जी आर का घटक होना चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी सेवा प्रदाताओं ने फोरेक्स लाभ को या तो पूर्णतः छोड़ दिया अथवा आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर में शामिल किया। सभी पी एस पी के जी आर में फोरेक्स लाभ छोड़ने की राशि ₹ 2174.19 करोड़ आँकी गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 176.54 करोड़ एवं ₹ 78.15 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.5, 3.2.4, 4.2.7, 5.4.3, 6.2.4, 7.2.2)

(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम का बताया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को देय राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि निजी सेवा प्रदाताओं ने या तो जी आर/ए जी आर में ब्याज से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया अथवा ब्याज से प्राप्त आय को आंशिक रूप से शामिल किया जिससे देय राजस्व हिस्सेदारी का कम भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पी एस पी द्वारा ₹ 10207.46 करोड़ कम राजस्व बताया गया, परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 880.19 करोड़ एवं ₹ 467.99 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6, 3.2.5, 4.3.1, 5.4.1, 6.3.1, 7.3.1)

(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, आइडिया, एवं एयरसेल ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए निवेशों से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने जी आर/ए जी आर में निवेशों से प्राप्त आय को समावेशन न

करने की राशि की गणना ₹ 5276.24 करोड़ की जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 424.27 करोड़ एवं ₹ 235.71 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.9, 4.3.2, 6.3.2)

(ix) अपनी सहायक कम्पनी के साथ एक व्यवस्था के द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) द्वारा राजस्व की साझेदारी के भुगतान को टालना

आर सी एल, एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यू ए एस) लाइसेंसी का, श्रेणी "अ" की आई एस पी लाइसेंसधारक उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के साथ अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाओं (वी ए एस) को प्रदान करने तथा विपणन उत्पादों को बेचने हेतु एक अनुबन्ध था। आर सी एल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये आर सी आई एल एक बिलिंग व संग्रहण अभिकर्ता भी था। आर सी एल ग्राहकों द्वारा ली गई इंटरनेट सेवाएँ जिसमें डोंगल सेवाएँ भी शामिल हैं, आर सी आई एल द्वारा अपने आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई थीं एवं आर सी एल द्वारा एक्सेस प्रदान किया गया। आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच अनुबंधों के अनुसार मूल्य वर्द्धित सेवाओं (वी ए एस), कार्लर रिंग बैंक ट्यून्स, आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा ली गई इंटरनेट सेवाएँ आदि जैसी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल के लेखा बही में शामिल किया गया तथा कुल राजस्व का केवल एक भाग आर सी एल को दिया गया। इसके अतिरिक्त हैंडसेटों, सिम कार्डों के विक्रय से अर्जित राजस्व एवं ग्राहकों से प्राप्त इंस्टालेशन प्रभार को भी आर सी आई एल के लेखा में दर्ज किया गया, जबकि यह राजस्व आर सी एल की जी आर में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार जो राजस्व यू ए एस लाइसेंस धारक का राजस्व होना चाहिये था वह आईएसपी लाइसेंस धारक के खातों में दर्ज था। चूँकि इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंसधारियों को नाम-मात्र की लाइसेंस फीस का भुगतान करना था, हमने देखा कि आर सी एल ने आर सी आई एल के साथ व्यवस्था से आर सी आई एल को राजस्व पास किया और राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान को बचाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आर सी एल ने अपनी सहायक कम्पनी (आर सी आई एल) के साथ ऐसी व्यवस्था के कारण ₹ 3050.10 करोड़ की राशि को अपनी जी आर/ए जी आर में कम बताया जिसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के क्रमशः ₹ 247.51 करोड़ एवं ₹ 109.31 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 5.2.1 (अ) से 5.2.1 (य))

(x) अचल सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ और विविध राजस्व के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया जाना

लाइसेंस अनुबंध में राजस्व की परिभाषा बताती है कि जी आर में विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद इत्यादि को घटाये बिना शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी सेवा प्रदाताओं ने स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर विविध आय जैसे लाभ को जी आर में शामिल नहीं किया जिसके कारण जी आर कम बताया गया। कुल जी आर ₹ 2131.60 करोड़ कम बताया गया परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 172.94 करोड़ एवं ₹ 81.55 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.10, 2.2.11, 3.2.7, 3.2.8, 4.3.3, 4.3.4, 5.4.2, 6.3.3, 6.3.4, 7.3.1)

(xi) जी आर में लाभांश आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निजी सेवा प्रदाताओं की जी आर में लाभांश आय घटक को भी शामिल किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 में एयरटेल, वोडाफोन और एयरसेल द्वारा बताये गए जी आर में उपार्जित लाभांश आय को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार लाइसेंस अनुबंधों के विचलन के कारण उक्त पीएसपी का जीआर ₹ 4531.12 करोड़ कम बताया गया। इस चूक के कारण लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 367.98 करोड़ और ₹ 219.63 का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.8, 3.2.6, 7.3.1)

(xii) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया जाना

लाइसेंस अनुबंध में सेवा प्रदाताओं के ए जी आर को निकालने के लिए जी आर से कटौती के लिए केवल राजस्व के तीन मद ही अनुमत है। बट्टे खातों में शामिल अप्राप्य ऋणों को ए जी आर निकालने के लिए जी आर से कटौती दावा मान्य नहीं है। फिर भी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एवं एयरसेल ने ए जी आर निकालने के लिए जी आर से बट्टे खातों में शामिल अप्राप्य ऋणों की कटौती का दावा किया है। ऐसी कटौतियों की राशि ₹ 1984.65 करोड़ निकलती है जिससे लाइसेंस फीस एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 175.34 करोड़ एवं ₹ 105.12 करोड़, का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.12, 3.2.9, 4.4.1, 6.4.1)

(xiii) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों के संदर्भ में, बैंडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल एवं रिलायंस ने एस यू सी की गणना करने के लिए बैंडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना में शामिल नहीं किया, जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाले निजी सेवा प्रदाताओं ने हालाँकि इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया था। एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में शामिल नहीं की गई राजस्व की राशि ₹ 2671.02 करोड़ निकलती है तथा इससे एस यू सी का ₹ 131.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.13, 5.4.4, 7.3.2)

(xiv) लाइसेंस शर्तों का अनुपालन

दूरसंचार विभाग के साथ लाइसेंस अनुबंध के अनुसार लाइसेंस धारी ऑपरेटर के सकल राजस्व में राजस्व से सम्बन्धित व्यय के किसी भी समायोजन को प्रतिबंधित करता है तथा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिये लेखों को तैयार करने के मापदण्ड लाइसेंस अनुबंध में दिये गये हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षण में लिये गये सभी छः ऑपरेटरों ने लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों का पालन नहीं किया है जिसके कारण सरकार के साथ राजस्व की साझेदारी के लिये जी आर की गणना कम बतायी गयी। यद्यपि जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा

प्रमाणित किया कि खाते लाइसेंस अनुबंधों के दिशा-निर्देशों/मानदंडों के अनुसार तैयार किये गये थे और कम्पनियों ने दूरसंचार विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जी आर को लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप बताया। यू ए एस एल अनुबंध में जी आर की गणना के लिए विनिर्देशों से दूर इन ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत कथन केवल एक असावधान दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। दूरसंचार विभाग ने अपनी ओर से ऐसे कोई भी अग्रसक्रिय कदम नहीं उठाये हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाइसेंसधारियों ने अपना राजस्व लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार घोषित किया है।

5. लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में आयी राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण :

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है :-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	आईडिया	रिलायंस	एयरसेल	एस एस टी एल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाइजियों को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से समायोजित (नेटेट ऑफ) राजस्व	462.01	351.77	285.95	155.10	125.31	14.75
राजस्व हिस्सेदारी के लिए ग्राहकों को दिये गये प्रमोशनल फ्री एयर टाइम को राजस्व के रूप में नहीं लिया गया	195.17		234.65	-		11.23
पोस्ट पेड ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेट ऑफ)	20.01	116.66*	14.20	-	29.99*	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट का रोमिंग राजस्व से समायोजन (नेटेट ऑफ)	40.32	24.92	10.96	-	-	-
समायोजित (नेटेट ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	19.75	27.75	34.92	-	4.75	-
फोरेक्स लाभ का गैर-समावेशन	42.65	13.55	21.30	60.37	38.12	0.55
ब्याज आय का कम/गैर- समावेशन	47.13	525.48	24.30	170.65	91.03	21.60
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	368.95	-	48.02	-	7.3	-
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में दर्ज राजस्व	-	-	-	247.51	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	35.09	54.49	2.78	75.89	4.5	0.19
लाभांश आय का गैर-समावेशन	181.67	186.31	-	-	-	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये अशोध्द्य ऋण के मद में अयोग्य कटौती	117.74	44.48	9.09	-	4.03	-
अन्य मुद्दे	46.63	-	22.75	-	164.95	-
कुल	1577.12	1345.41	708.92	709.52	469.98	48.32

* प्री-पेड एवं पोस्ट पेड ग्राहकों को दिये प्रमोशनल फ्री एयर टाइम/वेवर/छूट की अलग-अलग गणना नहीं की जा सकी।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एस यू सी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	आईडिया	रिलायंस	एयरसेल	एस एस टी एल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाइजियों को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से समायोजित (नेटेट ऑफ) राजस्व	312.85	213.52	174.92	77.44	59.02	4.30
राजस्व हिस्सेदारी के लिए ग्राहकों को दिये गये प्रमोशनल फ्री ऐयर टाइम को राजस्व के रूप में नहीं लिया गया	133.33		147.44	-		3.34
पोस्ट पेड ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेट ऑफ)	8.39	70.95	8.81	-	14.94	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से समायोजन (नेटेट ऑफ)	26.86	15.00	6.33	-	-	-
समायोजित (नेटेट ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	13.23	16.12	24.03	-	1.87	-
फोरेक्स लाभ का गैर-समावेशन	22.25	6.58	10.97	28.38	9.82	0.15
ब्याज आय का कम/गैर-समावेशन	25.50	307.67	13.19	75.72	40.37	5.54
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	205.76	-	26.70	-	3.25	-
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में दर्ज राजस्व	-	-	-	109.31	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	13.21	30.49	1.64	34.34	1.82	0.05
लाभांश आय का गैर-समावेशन	98.98	120.65	-	-	-	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण के कारण अयोग्य कटौती	72.20	26.56	6.21	-	0.15	-
एल एफ के लिये ए जी आर राजस्व में शामिल किया परन्तु एस यू सी के लिये नहीं	92.56	-	-	37.97	-	0.91
अन्य मुद्दे	0	-	7.13	-	69.63	-
कुल	1025.12	807.54	427.37	363.16	200.87	14.29

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उन पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है:-

	एल एफ, एस यू सी और ब्याज का कम/गैर-भुगतान (₹ करोड़ में)						
	भारती एयरटेल	वोडाफोन	आईडिया	रियांस	एयरसेल	एस एस टी एल	कुल
लाइसेंस फीस (एल एफ)	1577.12	1345.41	708.92	709.52	469.98	48.32	4859.27
एस यू सी	1025.12	807.54	427.37	363.16	200.87	14.29	2838.35
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी)	2602.24	2152.95	1136.29	1072.68	670.85	62.61	7697.62
ब्याज	1245.91	1178.84	657.88	839.09	555.80	54.10	4531.62
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी + ब्याज)	3848.15	3331.79	1794.17	1911.77	1226.65	116.71	12229.24

संक्षेप में, लेखापरीक्षा द्वारा छः निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन ने दर्शाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 (एस एस टी एल को छोड़कर अन्य पाँच ऑपरेटरों के लिये अवधि 2006-07 से 2014-15 है) की अवधि के लिये ₹ 61064.56 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया एवं फलस्वरूप भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी के ₹ 7697.62 करोड़ का कम भुगतान हुआ। कम भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी पर ब्याज मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 4531.62 करोड़ था।

6. लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दूरसंचार विभाग एवं निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया

राजस्व हिस्सेदारी पर छः चयनित पीएसपी के लेखापरीक्षा प्रेक्षण दूरसंचार विभाग को माह अगस्त/सितम्बर 2016 में भेजे गये तथा साथ ही प्रतिलिपि सम्बन्धित पीएसपी को पृष्ठांकित की गई। निजी सेवा प्रदाताओं ने अपने जवाब दूरसंचार विभाग को भेजे जिसकी प्रतिलिपियाँ लेखापरीक्षा को भी प्रस्तुत की गई। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर मंत्रालय एवं निजी सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया क्रमशः फरवरी 2017 व सितम्बर 2016 में प्राप्त हुई। इस प्रतिवेदन में उसको उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 राजस्व शेयरिंग व्यवस्था और इसकी मुख्य विशेषताएं

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 से प्रभाव में आयी, ने भारतीय टेलीकाम सेक्टर में राजस्व शेयरिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की। इस व्यवस्था के तहत दूर संचार सेवा प्रदाताओं को, जो दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रखते थे, दूरसंचार सेवाओं अर्थात् यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस (यू ए एस), नेशनल लांग डिस्टेंस (एन एल डी) सेवाएं, इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आई एल डी) सेवाएं, वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सेवा और इंटरनेट सर्विसेस, को प्रदान करने के लिए सरकार को वार्षिक लाइसेंस फीस के रूप में समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करना है। राजस्व शेयर के भुगतान के लिए सकल राजस्व (जी आर) और ए जी आर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और सेवा प्रदाताओं के मध्य समझौते में परिभाषित है। जबकि भुगतान योग्य लाइसेंस फीस (एल एफ) की दर को सेवा के प्रकार और सेवा क्षेत्र¹ की कैटेगरी, जहां सेवा 2012-13 तक दी गयी थी, से सम्बन्धित किया गया था, 1 अप्रैल 2013 से सेवा क्षेत्र की कैटेगरी से निरपेक्ष, सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस की एक समान दर प्रारम्भ की गयी थी।

निम्नलिखित तालिका, सेवाओं की कैटेगरी और लाइसेंस फीस के प्रतिशतता को दर्शाती है:

तालिका-1.1

लाइसेंस का प्रकार	सेवा क्षेत्र की कैटेगरी	सेवा क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13		2013-14 एवं 2014-15
					01.04.12 से 30.06.12	01.07.12 से 31.03.13	
यू ए एस	ए	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तमिलनाडु (चैन्नई सहित), आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र	10	8	10	9	8
	बी	हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पू), उत्तर प्रदेश (प), पश्चिम बंगाल			8	8	
	सी	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, नार्थ ईस्ट, उड़ीसा			6	7	
एन एल डी	सम्पूर्ण भारत						
आई एल डी	सम्पूर्ण भारत						
वी एस ए टी	सभी सेवा क्षेत्र						
आई एस पी-आई टी	सभी सेवा क्षेत्र						
आई एस पी	सभी सेवा क्षेत्र		₹1 मात्र	₹1 मात्र	4		

¹ देश को 23 सेवा क्षेत्रों जिसमें 19 दूरसंचार परिमण्डल एवं 4 मैट्रो परिमण्डल हैं, में विभाजित किया गया था। बाद में चैन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में विलय (सितम्बर 2005) कर लिया गया था जिससे सेवा क्षेत्रों की संख्या 22 हो गई।

लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंसधारियों को, जो मोबाइल (वायरलैस) सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना है। एस यू सी दरें आपरेटरों को आवंटित फ्रीक्वेंसी बैंड और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की मात्रा से जोड़ी गयी हैं। वर्ष 2010 तक, डी ओ टी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रशासनिक आवंटन का अनुसरण किया जहाँ

- सेवा प्रदाता जो जी एस एम सर्विस तथा सी डी एम ए सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक थे, को क्रमशः 2 x 4.4 मेगाहर्टज और 2 x 2.5 मेगाहर्टज का स्टार्ट अप स्पैक्ट्रम दिया गया।
- स्टार्ट अप स्पैक्ट्रम के अलग अतिरिक्त आवंटन, अभिदाता के आधार से जोड़ा था।

परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2012 के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक आवंटन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी और डी ओ टी ने स्पैक्ट्रम नीलामी की एक व्यवस्था शुरू की जिसका अन्य बातों के बीच उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के लिए बाजार आधारित मूल्य प्राप्त करना था।

ग्राहक एक्सेस स्पैक्ट्रम के लिए एस यू सी दरें फरवरी 2010 में बढ़ाकर संशोधित की गयी थीं जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.2		
स्पैक्ट्रम की मात्रा		ए जी आर ² के प्रतिशत के रूप में स्पैक्ट्रम प्रभार
जी एस एम (3जी सहित)	सी डी एम ए	
2 x 4.4 मेगाहर्टज तक	2 x 5.0 मेगाहर्टज तक	3
2 x 6.2 मेगाहर्टज तक	2 x 6.25 मेगाहर्टज तक	4
2 x 8.2 मेगाहर्टज तक	2 x 7.5 मेगाहर्टज तक	5
2 x 10.2 मेगाहर्टज तक	2 x 10.0 मेगाहर्टज तक	6
2 x 12.2 मेगाहर्टज तक	2 x 12.5 मेगाहर्टज तक	7
2 x 15.2 मेगाहर्टज तक	2 x 15.0 मेगाहर्टज तक	8

हालाँकि इस दर को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इस आधार पर कि डी ओ टी ने एकतरफा दरें बढ़ाई हैं जो लोकहित में नहीं हैं, चुनौती दी थी। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

यह संशोधित दरें वहां लागू है जहां टी एस पी ने नीलामी में 3जी स्पैक्ट्रम प्राप्त किया था। फरवरी 2014 की नीलामी के द्वारा 1800 मेगाहर्टज और 900 बैंड में प्राप्त स्पैक्ट्रम के लिए एस यू सी प्रभार ए जी आर के 5 प्रतिशत की दर से भारित किया जाना था। नीलामी के तहत प्राप्त किये गये स्पैक्ट्रम तथा 900 मेगाहर्टज और 1800 मेगाहर्टज बैंड के मौजूदा स्पैक्ट्रम के संयोजन के प्रकरणों में भारित

² सभी आपरेटरों द्वारा स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार का समान रूप में भुगतान नहीं किया गया है, परन्तु नीलामी व्यवस्था से प्राप्त किये गये स्पैक्ट्रम पर स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार, डी ओ टी के आदेशों के अनुसार भुगतान किये जा रहे हैं।

औसत दर से गणना की जानी थी। 2010 में नीलामी के जरिए प्राप्त 2300 मेगाहर्टज बैंड में बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये एस यू सी ए जी आर के एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

मुख्य स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त, माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम,³ सेलुलर आपरेटरों को आवंटित किये गये। माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार की दर डी ओ टी द्वारा 3 नवम्बर 2006 से संशोधित की गयी थी। संशोधन को जी एस एम आपरेटरों द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी कि डी ओ टी ने दरों को एकतरफा बढ़ा दिया है जो कि लोकहित में नहीं है। मामला न्यायाधीन है।

1.2 विभिन्न लाइसेंसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य हुआ समझौता, दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिये नियम व शर्तों का नियमन करता है। लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा एक लाइसेंसी सेवा से सूचित ए जी आर के एक मान्य प्रतिशत की दर पर डी ओ टी को एक वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। डी ओ टी द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों में सकल राजस्व (जी आर), कटौतियां और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा निम्न प्रकार है:

अ) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) और यूनिफाइड लाइसेंस (यू एल)- जी आर तथा ए जी आर की गणना हेतु अनुमत्य कटौतियां यू ए एस एल समझौते के क्लॉज 19 में परिभाषित है। क्लॉज 19.1 के अनुसार जी आर में स्थापना शुल्क, विलम्ब शुल्क, हैण्ड सेट की बिक्री से आय, (या कोई अन्य टर्मिनल यंत्र आदि), ब्याज, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन शुल्क, रोमिंग शुल्क के रूप में राजस्व, अनुमत्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरिंग से राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना सम्मिलित होगा।

आगे, अनुबन्ध के क्लॉज 19.2 के अनुसार ए जी आर ज्ञात करने के लिए जी आर में से निम्न को बाहर रखा जायेगा -

- i. भारत के अन्दर अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किये गये पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पी एस टी एन) से सम्बन्धित काल चार्ज (एक्सेस चार्ज);
- ii. अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार प्रदाताओं को वास्तव में स्थानान्तरित किया गया रोमिंग राजस्व, और
- iii. यदि जी आर में सेवा कर एवं बिक्री कर के घटक सम्मिलित हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर और बिक्री कर।

³ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो तरंगों को प्रयोग करते हुए सूचना को भेजने की तकनीकी को सन्दर्भित करता है। मोबाइल बैकहॉल के साथ साथ बैकबोन नेटवर्क में प्वाइंट टु प्वाइंट (पी टी पी) रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर एफ) सम्बन्ध प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, मोबाइल संचार में विस्तृत रूप से प्रयोग की गयी है। मोबाइल बैकहॉल, नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का वह भाग है जो एक्सेस और कोर नेटवर्क का प्रयोग, विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित विभिन्न नोड्स को इंटरकनेक्ट करने में किया जाता है। विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के लिये बैकबोन नेटवर्क उपयोग किया जाता है।

ब) नेशनल लांग डिस्टेंस (एन एल डी)-एन एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर को एन एल डी अनुबंध के क्लॉज 31 के अनुलग्नक-II में परिभाषित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि “राजस्व के प्रतिशत को लाइसेंस शुल्क के रूप में लगाने के लिए राजस्व का अर्थ लाइसेंसी को लाइसेंस के अन्तर्गत एन एल डी सेवा प्रदान करके प्राप्त हुआ कुल सकल उपार्जित राजस्व आय जिसमें अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं से एवं अवसंरचना के लीज पर देने से, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त हुआ राजस्व, शामिल होगा तथा इसमें से अन्य सेवा प्रदाताओं जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसी का एन एल डी नेटवर्क काल वहन के लिए अन्तः सम्बन्ध है, को देय पास थ्रू प्रकृति के घटक भाग को घटाया जायेगा।”

स) इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस- आई एल डी सेवाओं के लिए जी आर में, जैसा कि आई एल डी अनुबंध के क्लॉज 36 के तहत परिभाषा और व्याख्या में परिभाषित किया गया है, “सामान की आपूर्ति, प्रदान की गयी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की लीजिंग, अन्य के द्वारा इसके संसाधनों का प्रयोग, आवेदन शुल्क, स्थापना शुल्क, काल चार्ज, विलम्ब शुल्क, यंत्रों की बिक्री से आय (या कोई टर्मिनल उपकरण एक्सेसरी सहित), हैण्ड सेट, बैण्डविड्थ, मूल्य वर्धित सेवा से आय, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन चार्ज, किराये पर लिए गये इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के लिए कोई लीज या किराया शुल्क आदि, और अन्य विविध मद ब्याज, लाभांश आदि सहित, व्यय की सम्बन्धित मद आदि का समायोजन किये बिना संग्रहीत राजस्व शामिल होगा।

लाइसेंस फीस के आरोपण के उद्देश्य से ए जी आर का अर्थ, निम्न द्वारा कम किया गया जी आर होगा:

- i. काल वहन के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किये गये काल चार्ज (एक्सेस चार्ज)।
- ii. यदि सकल राजस्व में सेवा कर और बिक्री कर के घटक सम्मिलित किये गये हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा को प्रदान करने के लिए सेवा कर और बिक्री कर।

द) इंटरनेट सेवाएं-लाइसेंस अनुबंध में इंटरनेट सेवाओं जिसमें इंटरनेट टेलिफोनी (आई एस पी-आई टी) भी शामिल है, हेतु जी आर को परिभाषित किया गया है कि “जी आर में, इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट कन्टेंट सेवा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, टर्मिनल यंत्रों की बिक्री से आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व, कोई अन्य व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना शामिल होगा।

ए जी आर निकालने के उद्देश्य से, जी आर से निम्नलिखित को बाहर रखा जायेगा।

- (i) इंटरनेट एक्सेस से प्राप्त प्रभार, इंटरनेट कन्टेंट एवं इंटरनेट एक्सेस से सम्बन्धित स्थापना प्रभार।
- (ii) यदि सकल राजस्व में सेवा कर और बिक्री कर के घटक सम्मिलित किये गये हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा को प्रदान करने के लिए सेवा कर और बिक्री कर।

इ) वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी-सैट)-वी सैट लाइसेंस अनुबंध में विनिर्दिष्ट जी आर की परिभाषा के अनुसार “सकल राजस्व के अन्तर्गत, लाइसेंसी को सामान आपूर्ति करने, सेवाएं प्रदान करने,

अवसंरचना को लीज/किराये पर देने, इसके संसाधनों का अन्य के द्वारा प्रयोग करने, आवेदन शुल्क, प्रतिस्थापना प्रभार, काल दरों, बिलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री से आय (या किसी टर्मिनल उपकरणों एक्सेसरीज सहित), वी सैट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, वार्षिक रख रखाव संविदा/वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा से प्राप्त शुल्क, मूल्य वर्धित सेवाओं से प्राप्त हुई आय, पूरक सेवाओं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन प्रभार आदि एवं अन्य विविध मद ब्याज, लाभांश सहित, के नाम पर प्राप्त समस्त राजस्व व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किए बिना शामिल होगा”।

लाइसेंस फीस आरोपण के उद्देश्य से राजस्व के प्रतिशत के रूप में राजस्व में इस लाइसेंस के तहत वी सैट सेवा प्रदान करने से लाइसेंसी को उपार्जित सकल कुल राजस्व शामिल होगा किन्तु निम्न को बाहर रखा जायेगा:-

- (i) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसधारक का नेटवर्क डाटा वहन करने के लिए अन्तः सम्बन्धित है, को किये गये पास थ्रू प्रकृति के प्रभार का वास्तविक भुगतान।
- (ii) सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर, यदि सकल राजस्व में सेवाकर का घटक शामिल है।

1.3 लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए राजस्व रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं

दूरसंचार विभाग एवं सेवा प्रदाताओं के बीच हुआ अनुबन्ध, लाइसेंसी कम्पनियों को लेखों को तैयार करने एवं रिपोर्टिंग करने के तथा सरकार को लाइसेंस फीस भुगतान करने के तरीके का मानक निर्धारित करता है। प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनी द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गणना किये गये देय राजस्व एवं देय लाइसेंस फीस की लेखापरीक्षा कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 224 (1 अप्रैल 2014 से लागू कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 139) के अन्तर्गत नियुक्त उसके लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है तथा इसके साथ एक प्रतिवेदन, जिसमें कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया हो कि विवरण लाइसेंस अनुबन्ध में वर्णित मानक/दिशा निर्देश के अनुसार तैयार किया गया है, संलग्न होना चाहिए। यह मानक अनुबन्ध में सम्मिलित महत्वपूर्ण आवश्यक घटक थे यह सुनिश्चित करने के लिये कि लाइसेंसी कम्पनियों ने अपना राजस्व लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रतिवेदित किया है एवं भिन्नता, यदि कोई हो, पूरी तरह से बतायी जायेगी।

लेखों को तैयार करने एवं देय लाइसेंस फीस के भुगतान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं:


तालिका - 1.3

प्रावधान
➤ लाइसेंसधारी कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अलग से खाते रखे जाने चाहिए।
➤ राजस्व एवं देय लाइसेंस शुल्क की गणना एक निर्धारित विवरणी (ए जी आर विवरणी) में दर्शाना चाहिए एवं इसकी लेखापरीक्षा कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 की धारा 224/139 के अन्तर्गत नियुक्त लाइसेंसी के लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए।

<p>➤ राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को लेखे में नहीं लिया जायेगा।</p>
<p>➤ कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का अंतिम समायोजन लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जी आर आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।</p>
<p>➤ सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए एवं छूट/रिबेट के ब्यौरे को अलग से बताया जाना चाहिए।</p> <p>➤ बिल किया गया सेवाकर एवं बिक्री कर जिसको कि संग्रह किया गया एवं सरकार को जमा किया गया, अलग से दिखाया जायेगा।</p> <p>➤ बिक्री को सकल दिखाना है तथा दी गयी छूट/रिबेट के ब्यौरे एवं बिक्री विवरणी को अलग से दिखाना है।</p> <p>➤ सम्बन्धित खर्चों के समायोजन के बिना ब्याज एवं लाभांश से हुई आय को अलग से दिखाना है।</p> <p>➤ आय के मदवार ब्यौरे जिनको सम्बन्धित खर्च में से घटा दिया गया है।</p> <p>➤ रोमिंग प्रभार में, प्रचालकवार प्राप्त एवं देय राशि, प्राप्त एवं अदा किये गये रोमिंग कमीशन एवं अन्य प्रचालकों से प्राप्त/स्थानान्तरित किये गये अन्य परिवर्ती प्रभारों को, दर्शाना चाहिए।</p>
<p>➤ तिमाही विवरणी में प्रदर्शित आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा में प्रदर्शित आंकड़ों के मध्य समाधान को, प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाये।</p>
<p>➤ लाइसेंस प्रदाता यदि इस मत पर पहुंचे कि प्रस्तुत की गयी विवरणियां या लेखे सही नहीं हैं या भ्रामक हैं तो वे लाइसेंसी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर लेखापरीक्षक नियुक्त कर लाइसेंसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश जारी कर सकते हैं एवं इन लेखापरीक्षकों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो कि कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 की धारा 227/143 के अन्तर्गत कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पास होता है। लाइसेंस प्रदाता, लाइसेंसी कम्पनी के लेखाओं/अभिलेखों की “विशेष लेखापरीक्षा” भी करवा सकते हैं।</p>
<p>➤ लाइसेंस फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किश्तों में देय होगा। इस फीस का भुगतान वास्तविक राजस्व के आधार पर किया जायेगा (उपार्जन के आधार पर)</p>
<p>➤ निर्धारित अवधि के बाद देय लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेण्डिंग दर (पी एल आर) से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगेगा।</p>
<p>➤ ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होगी और माह का एक अंश ब्याज की गणना हेतु पूरा माह माना जायेगा। माह अंग्रेजी कलेंडर का माह माना जायेगा।</p>

1.4 संग्रहीत राजस्व हिस्सेदारी

डी ओ टी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में संग्रहीत किये गये राजस्व हिस्सेदारी का विवरण नीचे दिया गया है:



1.5. लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था

डी ओ टी ने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी के संग्रहण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है :

तालिका- 1.4

प्रक्रिया	सम्बन्धित कार्यालय
➤ लाइसेंस फीस एवं स्पैक्ट्रम चार्ज का संग्रहण	एल एस ए में नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) कार्यालय
➤ ए जी आर हेतु जी आर से कटौती के लिए पी एस पी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण दस्तावेजों का सत्यापन	सी सी ए कार्यालय
➤ ऑपरेटर के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं और सी सी ए द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी का अभिकलन और डिमांड नोट जारी करना	डी ओ टी का लाइसेंस फाइनेंस विंग
➤ एस यू सी का अभिकलन	डी ओ टी/सी सी ए कार्यालयों का डब्ल्यू पी एफ विंग

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2014-15 में छ:⁴ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के आधारभूत लेखीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य क्रिया जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 और भारत के दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम 2002, के नियम 5 (ii) के अधीन समादेशित है, जो कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष भारत के


⁴ मै. भारती एयरटेल लिमिटेड और इसकी अनुषंगी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, मै. वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ, मै. रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी मै. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, मै. आईडिया सेल्युलर लिमिटेड और इसकी अनुषंगी आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, मै. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मै. टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड तथा मै. एयरसेल लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड एवं डिशनेट वायरलेस लिमिटेड

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संघ सरकार (संचार एवं आई टी सेक्टर) के 2016 के प्रतिवेदन संख्या 4 में प्रदर्शित हुए थे।


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2016 में पूर्व में लेखापरीक्षित पाँच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी कम्पनी मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के अलावा) के आधारभूत लेखीय अभिलेख तथा दस्तावेजों का 2010-11 से 2014-15 तक के चार वर्षों के लेखाओं को समाहित करते हुए तथा मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड के संबंध में 2006-07 से 2014-15 तक की अवधि को समाहित करते हुए सत्यापन किया। यह सत्यापन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 और भारत के दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम 2002, के नियम 5 (ii) के अधीन दिये गए समादेश के अनुरूप था जो कि भारत के मामनीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया।

इस प्रतिवेदन में उपरोक्त सभी ऑपरेटरों के 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लेखाओं को शामिल किया गया और मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस के प्रकरण में लेखापरीक्षा का क्षेत्र वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक था। इस प्रतिवेदन में चुने गये ऑपरेटरों की भारत के दूरसंचार मार्केट में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत के करीब थी।

ऑपरेटरों की मार्केट हिस्सेदारी और उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:



स्रोत: टी आर ए आई



टिप्पणी: लेखापरीक्षा में एसएसटीएल के सभी नौ वर्षों के जी आर को शामिल किया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

सभी आपरेटरों ने अपनी वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाइनेंशियल अथवा एस ए पी) के सामान्य बही खाता (जनरल लेज़र) पूछताछ माड्यूल लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए। लेखापरीक्षा ने लेखा कोड जो लाइसेंस अनुबन्ध के अनुरूप सकल राजस्व एवं राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से कटौतियों से सम्बन्धित थे, तथा लेखापरीक्षा में सकल राजस्व के प्रस्तुतीकरण हेतु अपना लेखा तैयार करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आपरेटरों द्वारा किए गए अनुपालन का परीक्षण नमूना जाँच के आधार पर की। लाइसेंस ने ए जी आर विवरण पत्रों तथा सेवा राजस्व, अन्य आय एवं लाभ हानि खातों की वित्तीय आय का समाशोधन जो ट्रायल बैलेंस (टी बी) से उचित प्रकार से से मिलाया गया था, उपलब्ध कराया। अतिरिक्त आकड़ें, सूचना और स्पष्टीकरण, आवश्यकता पड़ने पर लेखापरीक्षा पूछताछ के माध्यम से एवं संबंधित प्रचालको के साथ विचार-विमर्श करके प्राप्त किए गए।

सभी आपरेटरों के साथ निकास बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें प्रारंभिक निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपरेटर अनुसार प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दूरसंचार विभाग तथा इसकी अग्रिम प्रति संबंधित आपरेटरों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार/प्रतिक्रिया जानने के लिए जारी की गईं। यह रिपोर्ट आपरेटरों एवं मंत्रालय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए प्रमुख मानदंड हैं:

- समय समय पर संशोधित किए गए लाइसेंस अनुबन्ध के प्रावधान
- लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रहण पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

1.9 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में दूरसंचार विभाग एवं सभी छह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबंधन के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।

अध्याय-II

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड द्वारा शेयर किया गया राजस्व

2.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय

भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल), जो पूर्व में भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी वी एल) से जानी जाती थी, पहली प्राइवेट दूरसंचार कम्पनियों में से एक थी जिसे नवम्बर 1994 में सेलुलर सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे (तत्कालीन इकाई “भारती सेलुलर लिमिटेड” को लाइसेंस जारी किया गया था)। जनवरी 2000 तक बी ए एल के पास केवल दो सी एम टी एस लाइसेंस थे। वर्ष 2004 तक सभी 23 एल एस ए में लाइसेंसों के साथ कम्पनी की अखिल भारतीय उपस्थिति थी। बी ए एल अखिल भारतीय सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी एस पी) था। कम्पनी का टर्न ओवर भी लगातार बढ़ा। बी ए एल ने 2006 से भारतीय प्राइवेट दूरसंचार क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखी।

2.1.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

बी ए एल को नवम्बर 1994¹ में दिल्ली के मेट्रो लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) तथा बाद में दिसम्बर 1995 में हिमाचल प्रदेश एल एस ए के लिये सेलुलर सेवायें प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिये गये थे।

बी ए एल ने आगे निम्न वर्णित सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किये:

तालिका 2.1

अवधि	प्राप्त लाइसेंस का विवरण
1999-2002	तीन कम्पनियों ² के अधिग्रहण द्वारा पांच सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2001	आठ ³ सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2004	छह ⁴ सेवा क्षेत्रों में यू ए एस एल लाइसेंस

बी ए एल की सहायक कम्पनी मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड (बी एच एल) ने 2004 में पूर्वोत्तर और राजस्थान सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किये। इस प्रकार वर्ष 2004 तक समस्त 23 एल एस ए में लाइसेंसों के साथ बी ए एल/बी एच एल की अखिल भारतीय उपस्थिति थी।

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बी ए एल और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्राप्त अन्य लाइसेंस का विवरण निम्नवत् दिया गया है:

¹ लाइसेंस पूर्व इकाई जिसका उस समय नाम “भारतीय सेलुलर लिमिटेड” था को जारी किया गया था।

² जे टी मोबाईल (पंजाब, ऐ पी, कर्नाटक), स्काई सेल (चैन्नई) एवं स्पाइस सेल (कोलकाता)

³ उ प्र (पश्चिम), महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, केरल, मुम्बई, म प्र, व तमिलनाडु

⁴ उडीसा, जे एण्ड के, बिहार, उ प्र (पूर्व), पश्चिम बंगाल व असम

तालिका 2.2

क्रमांक	सेवाएं	टिप्पणी
1	एन एल डी	भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
2	आई एल डी	भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
3	आई एस पी-आई टी	भारती बी टी इंटरनेट लिमिटेड जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया।
4	वी सैट	मेसर्स विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस की समाप्ति पर, सितम्बर 2014 में यह यू एल में परिवर्तित किया गया।
5	आई एस पी	मेसर्स भारती एक्वानेट लिमिटेड (बी ए क्यू एल) जिसका बी ए एल में विलय हुआ, को मूल लाइसेंस जारी किया गया। लाइसेंस की समाप्ति पर, मार्च 2014 से इसे यू एल में परिवर्तित कर दिया गया था।

2.1.2 बी ए एल/बी एच एल को आवंटित स्पेक्ट्रम

बी ए एल/बी एच एल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) आपरेटर हैं। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 900, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में मेन रेडियो स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव एक्सेस और बैकबोन स्पेक्ट्रम का एल एस ए अनुसार विवरण निम्नवत् था:

तालिका 2.3

क्र.स.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम
			(मेगाहर्ट्ज में) ⁵	
1	आंध्र प्रदेश	23.80	224	56
2	असम	12.45	112	112
3	बिहार	14.20	168	112
4	तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	19.20	336	112
5	दिल्ली	18.00	336	112
6	गुजरात	6.20	224	112
7	हरियाणा	6.20	168	56
8	हिमाचल प्रदेश	21.40	112	112
9	जम्मू और कश्मीर	13.80	112	112
10	कर्नाटक	23.80	280	56

⁵ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

11	केरल	11.20	224	56
12	कोलकाता	12.00	280	0
13	मध्य प्रदेश	12.00	224	56
14	महाराष्ट्र	8.20	280	112
15	मुम्बई	25.20	448	0
16	ओडिशा	13.00	112	112
17	पंजाब	16.00	180	56
18	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7.20	180	112
19	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11.20	224	56
20	पश्चिम बंगाल	15.60	112	112
21	नार्थ ईस्ट	18.20	112	56
22	राजस्थान	21.40	224	56

उपरोक्त के अतिरिक्त 2010 में हुई नीलामी प्रक्रिया के द्वारा कम्पनी ने चार एल एस ए नामतः कर्नाटक, कोलकाता, महाराष्ट्र और पंजाब में 20 मेगाहर्ट्ज बी डब्लु ए स्पैक्ट्रम (2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में) प्राप्त किये।

2.1.3 बी ए एल/बी एच एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान किया गया राजस्व शेयर

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर की एक निश्चित प्रतिशतता पर लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार तिमाही आधार पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। बी ए एल/बी एच एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बताया गया सकल राजस्व, कटौतियां, समायोजित सकल राजस्व और राजस्व शेयर (एल एफ और एस यू सी) निम्नलिखित हैं:-

तालिका 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक आधार (करोड़ में)	जी आर	कटौतिया	ए जी आर	ए जी आर का जी आर से प्रतिशत	भुगतान किया गया राजस्व शेयर
						(एल एफ+एस यू सी)
2010-11	16.70	48,923	14,962	33,961	69.42%	3,674
2011-12	18.60	53,910	16,860	37,050	68.73%	4,723
2012-13	19.29	60,400	20,730	39,670	65.68%	4,830
2013-14	21.03	66,902	22,010	44,892	67.10%	5,631
2014-15	23.10	73,296	20,807	52,489	71.61%	6,471
कुल		3,03,431	95,369	2,08,062		25,329

2.2 बी ए एल/बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, व्यय इत्यादि की सम्बन्धित मद के बिना किसी समायोजन के, जी आर, इसमें बताये गये सभी प्रकार के राजस्व सहित होगा, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल एवं छूट/रिबेट के विवरण को अलग दिखाया जायेगा।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

बी ए एल/बी एच एल के अभिलेखों/बही खातों (वाउचर, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि लेखो, बैलेंस शीट आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबन्ध के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसे आगे के पैराओं में लाया गया है:

2.2.1 प्री पेड सेवाओं के लिये डीलर्स/ग्राहकों के कमीशन/ऑफर/ डिस्काउंट से सम्बन्धित राजस्व को निवलीकरण करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि-

- प्री-प्रेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टों को दिये गये मार्जिन/कमीशन का निवलीकरण (नेट आफ) किया गया था।
- ग्राहकों को दिए गए प्रस्ताव अर्थात् ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), ग्राहकों को फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड्स/सिम, ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर, ग्राहकों को फुल टॉक टाइम ऑफर, ग्राहकों को दिए गए समायोजन ऑफर, आदि को प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से समायोजित कर दिया गया था।

मदवार विवरण निम्नवत प्रस्तुत है-

अ) मार्जिन/कमीशन

बी ए एल/बी एच एल, चैनल बिक्री पार्टनर/एजेन्ट्स/फ्रेंचाइजी/डीलर्स/वितरक आदि के माध्यम से प्री पेड सेगमेंट में अनेक उत्पाद/सेवाओं की बिक्री करती है जिसके लिये उन्हें मार्जिन/कमीशन का भुगतान होता है। ऐसे मार्जिन/कमीशन आदि लाइसेंसी के लिए खर्च की प्रकृति का होता है।

बी ए एल/बी एच एल के वित्तीय वर्ष 2010-11 में 2014-15 के लिए लेखो और ओरेकल फाइनेंशियल से प्राप्त सम्बन्धित सार की समीक्षा में यह पाया गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी/एजेन्टो/डीलर्स को भुगतान की गयी ₹ 5579.23 करोड़ की कमीशन/मार्जिन की राशि प्री पेड सेवाओं के राजस्व शीर्ष को डेबिट की गयी थी जो प्री-पेड राजस्व के निवलीकरण में परिणत हुई। यह उनके द्वारा कंट्रोलर आफ कम्प्यूनिकेशन एकाउंट (सी सी ए)/डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम (डी ओ टी) को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणों में लिये गये वास्तविक राजस्व की कमी में परिणित हुआ। चूंकि वितरकों/फ्रेंचाइजी/एजेन्टो/डीलर्स को भुगतान किये गये मार्जिन/कमीशन की प्रकृति खर्च की है, राजस्व के साथ ऐसे खर्च का निवलीकरण लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5579.23 करोड़ (अनुलग्नक-2.01) के जी आर की कम रिपोर्टिंग हुई।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि –

- कम्पनी व वितरकों के मध्य संबंध, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के आधार पर था और तदनुसार वितरकों से राशि प्राप्त होने पर कम्पनी को ऐसे वितरकों के साथ लेन-देन का लेखांकन उसी प्रकार करना आवश्यक था।
- टीडीसैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा है कि “हमारे विचार में “सकल राजस्व” की परिभाषा से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि लाइसेंस धारक को सेवा के

लिये थोक मूल्य को इसके एम आर पी से कम निर्धारण करने से रोका जा सके। कसौटी यह है कि वास्तविक लेन-देन कैसे हुआ है। यदि बिक्री व बीजक एम आर पी पर हैं तथा कोई छूट अलग से दी गई है, तो क्लॉज 19.1 के अनुसार लाभ व हानि खाते में ऐसी छूट कटौती योग्य नहीं है चाहे वह लाभ व हानि खाते में कटौती के निवलीकरण के बाद दर्ज राजस्व है। दूसरी तरफ, यदि बिक्री नियत/सहमत मूल्य पर होती है, बिल उस सहमत मूल्य पर बनाया गया है और तदनुसार लाभ व हानि लेखे में राजस्व के अन्तर्गत किसी प्रकार की छूट को घटाये बिना दर्ज है, तो वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा एवं एम आर पी व इसके बिक्री मूल्य में अंतर “सकल राजस्व” में नहीं जोड़ा जा सकता है”।

- लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी मार्जिन में से प्राथमिक कमीशन में दिखायी गयी कॉन्ट्रा प्रविष्टियों की राशि ₹ 0.96 करोड़ को हटाया जाना आवश्यक है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- बी ए एल अंततः सेवायें प्रदान कर रहा है और यदि बी ए एल द्वारा कार्ड्स सीधे ग्राहक को बेचे गये होते तो प्रदान की गयी सेवा के पूरे मूल्य के लिए राजस्व को लेखाबद्ध किया जा सकता था और बिक्री खर्चों को व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जा सकता था। इसी समानता पर वितरकों को दी गयी छूट/कमीशन बाजार खर्च की प्रकृति की होगी और इस प्रकार राजस्व से घटायी नहीं जानी चाहिए। यह क्लॉज 19.1 की शर्त के अनुसार है। पुनः लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि अन्ततः ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का दायित्व वितरकों का न होकर बी ए एल/बी एच एल का है।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलर्स को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन बाजार खर्चों की प्रकृति का है, और इस प्रकार राजस्व के साथ ऐसे खर्चों का समायोजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।
- आगे ₹ 0.96 करोड़ की कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनरल लेजर के साथ-साथ जनरल वाउचर स्पष्टतः दर्शाता है कि कथित प्रविष्टियां प्राथमिक कमीशन की वापसी की प्रविष्टियां न होकर “राजस्व प्रविष्टियां जनवरी-13” है।

इस प्रकार प्री-पेड सेवाओं से कमीशन/मार्जिन की ₹ 5579.23 करोड़ राशि के निवलीकरण की परिणति जी आर/ए जी आर के कम दिखाने और भारत सरकार को लाइसेंस फीस व स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के क्रमशः ₹ 462.01 करोड़ और ₹ 312.85 करोड़ कम भुगतान के रूप में हुई (अनुलग्नक-2.01)।

ब) ग्राहको/डीलर्स को ऑफर/छूट/रिबेट

बी ए एल/बी एच एल अपने ग्राहको/डीलर्स को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन ऑफर, फुल टॉक टॉइम (एफ टी टी) आदि का प्रस्ताव देता है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए जी एल के सार की समीक्षा और ओरेकल फाइनेंशियल से प्राप्त जनरल वाउचरों (जेवी) के सत्यापन से पता चला कि ग्राहको को दिये गये प्रोत्साहन ऑफर (एफ ए टी, प्रोमो/प्रमोशनल ऑफर, एफ टी टी, आई एन समायोजन, अन्य एअर टाइम समायोजन, अग्रिम हिट आदि विवरण के अन्तर्गत) के मूल्य

₹ 2385.35 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था। क्योंकि ग्राहकों को फ्री एअर टाइम जैसे ऑफर, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग है, इसलिये ऐसे ऑफर/छूट/रिबेट की कीमत खर्च की प्रकृति की थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार सेवा राजस्व को बिना किसी समायोजन के सकल के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्री-पेड राजस्व से एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि की कटौती की परिणति वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में एल एफ/एस यू सी के उद्देश्य से, ₹ 2385.35 करोड़ के कम राजस्व की रिपोर्टिंग के रूप में हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:-

- कम्पनी अनेक प्रमोशनल और सम्बन्ध बनाने वाली योजनाएं ऑफर करती है जिसमें ग्राहकों को बिना अतिरिक्त प्रभार के अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाता था और ये अतिरिक्त टॉक टाइम टैरिफ में अन्तर्निहित होता था जो कि ग्राहकों को इसे खरीदते समय पता होता था। एफ ए टी, योजनाबद्ध छूट की प्रकृति का, और ट्राई को प्रस्तुत किये गये टैरिफ प्लान का भाग था। यह ग्राहकों को अग्रिम में दिया जाता था और ऐसी अभिकल्पित राशि लाइसेंस फीस का विषय नहीं हो सकती है। आगे, ए एस-9 के अनुसार "राजस्व, नकद का सकल अन्तः प्रवाह है, यह उद्यमी की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री, सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्य योग्य अथवा प्रतिफल है, और"
- डी ओ टी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मत रखा कि "ट्राई में दी गयी मूल्य सूची में दर्शायी गयी सभी छूट हटाई गयी है" जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (अगस्त 2011) में अभिलेखित थी। इस सम्बन्ध में टी डी सेट के अप्रैल 2015 के निर्णय को भी उद्धृत किया गया था।
- लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर में से, जी एल कोड 3132005 में ₹ 20.60 करोड़ की राशि के समायोजन/आंशिक प्राविष्टियों पर विचार/समायोजन किया जाना आवश्यक है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि पर कम बताये गये राजस्व को संशोधित कर ₹ 2364.74 करोड़ कर दिया गया है। जहाँ तक अन्य मामले हैं, प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- प्रबंधन ने स्वीकार किया है कि ये प्रमोशनल और सम्बन्ध बनाने वाली योजनाएं हैं जिसमें ग्राहकों को अतिरिक्त टॉक टाइम प्रदान किया जाता है। क्योंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने की सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग थी, इसलिए ये खर्च की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्च की सम्बन्धित मदों के लिए समायोजन अनुमत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, टैरिफ के अनुसार प्रस्तावित एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि तथा जो ग्राहकों/ऐजेंटों को प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तावित किये गये, का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकन का प्रश्न नहीं उठा रहा है बल्कि यह मत रखता है कि एअर टाइम निःशुल्क वस्तु नहीं है, यह एक मूलभूत मूल्य रखती थी और एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर देकर, लाइसेंसधारक इनको खर्च के रूप में दर्ज करने बजाय राजस्व को छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी से बचा जा रहा है।

- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर से एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि के कारण प्री-पेड राजस्व का निवलीकरण लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, प्री-पेड सेवाओं से ₹ 2364.74 करोड़ की राशि के ऑफर/एफ टी टी/एफ ए टी आदि के निवलीकरण का परिणाम, जी आर/ए जी आर को कम दिखाने और भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 195.17 करोड़ और ₹ 133.33 करोड़, कम भुगतान के रूप में फलित हुआ (अनुलग्नक-2.02) ।

2.2.2 पोस्ट-पेड अभिदाताओं को प्रदान की गयी छूटों के निवलीकरण के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये कम्पनी के ए जी आर विवरण और वित्तीय विवरण के बीच राजस्व के समाधान विवरण की जाँच से यह पाया गया कि ए जी आर ज्ञात करने लिए पोस्ट पेड सेवाओं से संबंधित “वेवर आन अकाउन्ट आफ गुडविल जेसचर” के व्यय शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किये गये ₹ 243.43 करोड़, जी आर से आरम्भ में ही घटाये गये थे।

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, जी आर की परिभाषा में, किसी सम्बन्धित खर्च के निवलीकरण के बिना सेवाओं से प्राप्त समस्त राजस्व सम्मिलित है। इस प्रकार जी आर से “वेवर आन अकाउन्ट आफ गुडविल जेसचर” को घटाना लाइसेंस अनुबन्ध का उल्लंघन था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) गया कि गुडविल की माफी (₹ 243.34 करोड़) ग्राहक को बनाये रखने के लिए डिस्काउंट की प्रकृति का ऑफर था और क्योंकि कम्पनी द्वारा बिना किसी धन प्राप्ति के ये लाभ ग्राहकों को दिये गये थे इसलिए ऐसी माफी/छूट को राजस्व से निवलीकरण किया जाना चाहिए ताकि राजस्व को वास्तविक प्राप्त मूल्य से प्रतिबंधित किया जा सके।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबन्ध के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी की तैयारी के मानकों के अनुसार सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि), सकल दर्शाया जायेगा तथा डिस्काउंट/रिबेट के विवरण पृथक निर्दिष्ट किये जायेंगे। यह इंगित करता है कि सेवा राजस्व सकल में दर्शाया जाना चाहिये। तथापि वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करते समय प्रबन्धन ने डिस्काउंट/रिबेट का निवलीकरण किया जो कि लाइसेंस अनुबन्ध के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन ने स्वीकार किया है कि गुडविल माफी ग्राहक बनाए रखने के लिए दी गई छूट की प्रकृति की थीं। चूंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग था, इसलिए वे खर्च की प्रकृति के थे और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्चों से सम्बन्धित मदों के लिये समायोजन अनुमत्य नहीं था। अतः इन्हें वापस जी आर में जोड़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार पोस्ट-पेड अभिदाताओं के संदर्भ में ₹ 243.34 करोड़ की राशि की माफी का निवलीकरण जी आर/ए जी आर कम बताये जाने तथा भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी के क्रमशः ₹ 20.01 करोड़ और ₹ 8.39 करोड़ के कम भुगतान में परिणीत हुआ (अनुलग्नक-2.03) ।

2.2.3 अन्य आपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वॉल्यूम डिस्काउंट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यापार जो कि बहु इकाईयों अथवा अधिक मात्रा में सामान/सेवा खरीदते हैं, के लिये एक वित्तीय प्रोत्साहन है। दूरसंचार परिदृश्य में, प्रचालकों के मध्य रोमिंग अनुबन्ध, जहाँ एक विशेष सेवा प्रदाता के ग्राहकों द्वारा “सेलर्स” नेटवर्क का थोक में उपयोग किया जाता है, छूट देने के लिए प्रावधान करते हैं। छूट की परस्पर अनुमति प्रोत्साहन के शुद्ध भुगतान के रूप में परिणित होती है।

रोमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिये बी ए एल एवं बी एच एल के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ अनुबन्ध हैं और रोमिंग अनुबन्ध, बी ए एल/बी एच एल नेटवर्क के थोक प्रयोग के लिए वॉल्यूम डिस्काउंट प्रदान करते हैं। बी ए एल/बी एच एल के ओरेकल फाइनेशियल से प्राप्त डाटा सार की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में इन आपरेटरों को भुगतान की गई इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट, राजस्व शीर्षों को डेबिट की गयी/से घटायी गयी थी।

अन्य ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था, दो आपरेटरों के मध्य आपसी अनुबन्ध का मामला था और दो आपरेटरों के मध्य व्यवसाय बढ़ोतरी के लिए वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार, ये छूट खर्च की प्रकृति की थी और इसलिये लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए था।

बी ए एल/बी एच एल से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में ₹ 467.77 करोड़ की राशि रोमिंग राजस्व को डेबिट की गयी थी जो कि लाइसेंस अनुबन्ध का उल्लंघन था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:-

- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग लेन-देन, सहमत वॉल्यूम आधारित छूट की प्रकृति के थे। अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व, व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौतों के आधार पर प्राप्त किया जाता था। आगे, ऑपरेटर वॉल्यूम डिस्काउंट पर आधारित किसी भी प्रकार की कार्यपद्धति पर उनके मध्य प्रदान किए जाने वाले ट्रैफिक के वॉल्यूम पर सहमत होते हैं। यह व्यापार/वॉल्यूम छूट की प्रकृति का है तथा इसे खर्च के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- इंडियन अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड ए एस-9 के अनुसार “दी गयी व्यापार छूट और वॉल्यूम रिवेट राजस्व निर्धारण करने में घटायी जानी चाहिए”। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड आई ए एस-18 के अनुसार “लेन-देन से उत्पन्न राजस्व, साधारणतः इकाई और खरीदार या उपयोगकर्ता के मध्य निर्धारित होता है जो व्यापार छूट की राशि और वॉल्यूम डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त या प्राप्त योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर आगणित किया जाता है।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- सहमत प्रभारों से ऊपर छूट, व्यवसाय में बढ़ोतरी की समग्र वाणिज्यिक रणनीति की भाग थी और इस प्रकार ये छूट खर्च की प्रकृति की थी।

- आगे, जैसा कि प्रबंधन ने ए एस-9/आई ए एस-18 के अनुसार राजस्व को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में कहा है, लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा लेखांकन की अपनायी गयी पद्धति को चुनौती नहीं दे रहा है लेकिन लाइसेंस फीस के उद्देश्य से लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित खर्चों को समायोजित किये बिना राजस्व को "सकल" में लिया जाना है।

इस प्रकार, इंटरनेशनल रोमिंग प्रचालको के सम्बन्ध में ₹467.77 करोड़ की आई ओ टी छूट का निवलीकरण जी आर/ए जी आर में कमी और एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹40.32 करोड़ और ₹26.86 करोड़ के कम भुगतान में परिणित हुआ (अनुलग्नक 2.04)।

2.2.4 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार आपरेटरों से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में, बिना किसी खर्च इत्यादि की सम्बंधित मद का समायोजन किये, अवसंरचना की अनुमन्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व और अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा।

बी ए एल/बी एच एल के स्वामित्व वाले दूरसंचार अवसंरचना (टावर, नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किये जा रहे थे। बी ए एल/बी एच एल ने अवसंरचना (सेल साइट) के साझा के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ अनुबंध किये। अन्य ऑपरेटरों के साथ हुए समझौतों के अनुसार, अन्य ऑपरेटरों से वसूली योग्य साइट शेयरिंग प्रभार, साइटों की कैपेक्स⁶ कीमत के एक प्रतिशत और बी ए एल/बी एच एल द्वारा खर्च की गयी ओपेक्स⁷ कीमत पर आधारित थे। कैपेक्स राजस्व में रूम/शेल्टर, एअर कण्डीशनिंग, डीजल जनरेटर सेट, ए एम एफ पैनल, ए सी/डी सी पावर प्लांट, ट्रांसमिशन रैक, स्टैबिलाइजर, बैटरी, अन्य इलैक्ट्रिकल टावर्स आदि की वसूली सम्मिलित है और ओपेक्स की कीमत में आवर्ती प्रकृति के खर्च जैसे ईंधन, सुरक्षा, पावर आदि सम्मिलित है।

बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये लेखों की समीक्षा से पाया गया कि अवसंरचना शेयरिंग के कारण किराया राजस्व का एक भाग जबकि अवसंरचना शेयरिंग के लिए संचालित राजस्व शीर्षों में दर्ज किया गया था, किराया राजस्व का कुछ भाग ईंधन, पावर, अनुरक्षण, सुरक्षा आदि सम्बन्धी राजस्व सहित, सम्बन्धित व्यय शीर्षों से निवलीकृत किया गया था। इसका जी आर/ए जी आर पर विपरीत प्रभाव था, क्योंकि अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्त योग्य साइट शेयरिंग राजस्व के रूप में ₹ 246.44 करोड़ की राशि को व्यय खाता कोड में क्रेडिट किया गया था। लाइसेंस अनुबंध, राजस्व से सम्बन्धित खर्चों के किसी समायोजन के लिए प्रावधान नहीं करता है। चूंकि यह अवसंरचना शेयरिंग का राजस्व है इसलिए इस राशि को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिए जी आर/ए जी आर में लिया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

- "साइट शेयरिंग के लिए प्रतिफल" के दो तत्व हैं-

⁶ पूंजीगत खर्च

⁷ संचालन खर्च

- (क) ओपेक्स प्रतिपूर्ति- वाणिज्यिक पावर, ईंधन (डीजल), सुरक्षा और ए एम सी, जो व्यय किये गये वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे, सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट किये गये थे।
- (ख) कैपेक्स वसूली- यह राशि जो कि किराये की प्रकृति की थी, भारती एयरटेल ने “इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इनकम” के अन्तर्गत ली थी और यह घटक, एल एफ के अन्तर्गत है और इस आय पर कम्पनी एल एफ का विधिवत भुगतान कर रही थी।
- टी डी सेट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा कि “सुविधा के उपयोग हेतु किया गया भुगतान राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए था और खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति का भुगतान तथा जो बीजक में अलग से दर्शाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता बशर्ते कि यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज न किया गया हो”।

निम्नलिखित कारणों से प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है:

- लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जी आर में, व्यय की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना, अवसंरचना के अनुमत्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं और लाइसेंस अनुबन्ध अवसंरचना के शेयरिंग के कारण कैपेक्स और ओपेक्स राजस्व के मध्य भेद नहीं करता है। अतः खर्चों के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का समायोजन अनुमत्य नहीं है।
- आगे लाइसेंस अनुबन्ध केवल तीन अनुमत्य कटौतियों की अनुमति देता है और ऐसी कोई कटौतियां (अर्थात अवसंरचना शेयरिंग की कीमत की प्रतिपूर्ति के कारण) अनुमत्य नहीं थीं।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि खर्चों के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का समायोजन, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।
- लेखापरीक्षा का मत है कि ईंधन खर्चों, सुरक्षा खर्चों, मरम्मत व अनुरक्षण खर्चों एवं विद्युत प्रभार से राजस्व प्रतिपूर्ति नहीं था क्योंकि वे खर्च किये ही जाने थे चाहे टावर शेयर किये गये थे या नहीं। वास्तव में, खर्चों की शेयरिंग से, कम्पनी अतिरिक्त आय से लाभान्वित हुयी थी।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लागत से अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्त योग्य साइट शेयरिंग राजस्व का समायोजन, ₹ 246.44 करोड़ की जी आर/ए जी आर में कमी तथा बी ए एल/बी एच एल द्वारा भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 19.75 करोड़ और ₹ 13.23 करोड़ के कम भुगतान में परिणित हुआ (अनुलग्नक-2.05)।

2.2.5 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, जी आर में कोई भी अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा। बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के जी एल की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 528.31 करोड़ की राशि को फोरेक्स लेन-देन पर प्राप्त लाभ के रूप में दर्ज किया गया था (अनुलग्नक-2.06)। तथापि ए जी आर के लिए समाधान/मैपिंग के सत्यापन से पता चला कि फोरेक्स

पर अर्जित राजस्व को डी ओ टी को भुगतान किये जाने वाले राजस्व शेयर के उद्देश्य से, जी आर/ए जी आर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ओरेकल फाइनेंशियल पद्धति से प्राप्त की गई रिपोर्ट से निकाले गये डाटा से उपर्युक्त प्राप्त लाभ की गणना, उस विशेष मद के वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करती क्योंकि कम्पनी प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों के मूल्य को पुनः आगणित करती है तथा परिपक्व मदे प्राप्त लाभों के अन्तर्गत लेखांकित की जाती हैं और अपरिपक्व मदे अप्राप्त लाभ के अन्तर्गत रहती हैं। इस प्रकार, उस वर्ष में एक विशेष मद का प्राप्त लाभ, मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद के लाभ/हानि का, अप्राप्त मद में लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के न मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नहीं कर सका। आपरेटरों को प्रत्येक मद के लाभ की इसके प्रारम्भिक मूल्य के लेखांकन के सन्दर्भ में गणना करनी चाहिए और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- कम्पनी अपने विदेशी मुद्रा दायित्वों को, लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर दर्ज करती है और माह के अन्त में ए एस-11 के अनुसार लागू विनिमय दर पर पुनः लेखित करती है। ऐसा पुनः लेखन, लाभ या हानि में परिणीत होता है और दायित्वों की अदायगी के समय, कम्पनी सांकेतिक लाभ या हानि को पुनः वापस लेखित करती है तथा ऐसी प्राप्त लाभ या हानि को दर्ज करती है।
- **फोरेक्स लाभ राजस्व नहीं था:** राजस्व की पहचान पर एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 9 के अनुसार, विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, विशिष्ट रूप से राजस्व की परिभाषा से हटाया गया है।
- **फोरेक्स लाभ सांकेतिक था:** प्राप्त किया गया फोरेक्स कुछ नहीं अपितु एक समग्र व्यवसायिक जोखिम था जो प्रत्येक कम्पनी विदेशी मुद्रा लेन-देन में मान लेती है। दायित्वो/ऋणों में कमी/वृद्धि के कारण ऐसे सांकेतिक लाभ/हानि को, प्रचालन से राजस्व नहीं माना जा सकता है और जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- **फोरेक्स लाभ व हानि परिवर्तनशील व ज्ञात करने योग्य नहीं थी:** राजस्व आधार (ए जी आर) की परिभाषा पर ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशें कहती हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न राजस्व/लाभ, एल एफ व एस यू सी की गणना के उद्देश्य से ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये। टीडीसेट (अगस्त 2007) का भी फोरेक्स लाभ/हानि पर मत, ट्राई से भिन्न नहीं था।
- **दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं:** सांकेतिक विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव आकस्मिक था जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यवसाय पर था तथा दूरसंचार व्यवसाय के लिये विशेष व अनोखा नहीं था। ए जी आर मामले में, ट्राई की दिनांक 13 सितम्बर 2006 की सिफारिशों के अनुसार फोरेक्स दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था।
- कम्पनी ने टी डी सेट के निर्णय (अगस्त 2007) के अनुपालन में ए जी आर विवरणी तैयार की थी और तदनुसार फोरेक्स लाभ को सकल राजस्व में सम्मिलित नहीं किया।

- ए जी आर की परिभाषा पर ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशों कहती है कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न राजस्व/लाभ, ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिए।
- जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पहले दौर के लेखापरीक्षा के दौरान फोरेक्स के तिमाही लाभ पर विचार किया गया था, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान फोरेक्स के उतार-चढ़ावों के सभी लाभों को विचार में लिया जा चुका है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, जी आर में कोई भी अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा और लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी प्रासंगिक लाभ, जी आर में लिया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये व्यापारिक तरीके अपना रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार “लाभ/हानि” की गणना, सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को लेखे में लेने व दो भिन्न तारीखों के मध्य व्यापार सम्पत्तियों का मिलान करने के बाद की जानी है। लेखांकन के व्यापारिक तरीके में, विनिमय भिन्नताओं के परिणामस्वरूप फोरेक्स लाभ (राजस्व)/हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त लाभ पर ही विचार किया है।
- बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई गयी लेखांकन पद्धति के अनुसार भी भुगतान अथवा दायित्वों के परिवर्तन से उत्पन्न परिणामी विदेशी मुद्रा विनिमय भिन्नताये, उसी वर्ष में आय या व्यय मानी जाती हैं, जिस वर्ष में वे उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त कम्पनी अपने वित्तीय विवरण में विनियम भिन्नताओं (शुद्ध आधार पर) को रिपोर्ट कर रही थी।
- उत्तर में संदर्भित टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 और ट्राई की दिनांक 13 सितम्बर 2006 की सिफारिशों की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 जिसमें कहा गया है कि “ट्राई तथा ट्रिब्युनल को लाइसेंस अनुबन्ध में ए जी आर की परिभाषा की वैधता पर निर्णय करने और राजस्व की कुछ मदों को हटाने, जो लाइसेंस प्रदान करने वाले और लाइसेंसधारी के मध्य लाइसेंस अनुबन्ध में ए जी आर की परिभाषा में सम्मिलित थे, को हटाने का कोई अधिकार नहीं है”, के आलोक में कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ, दूरसंचार आपरेटरों हेतु दूरसंचार गतिविधियों के लिए प्रासंगिक है।
- ट्राई की दिनांक 6 जनवरी 2015 की सिफारिशों जो उत्तर में संदर्भित है, को डी ओ टी ने अन्ततः स्वीकार नहीं किया है।
- व्यक्तिगत लेन-देनों से उत्पन्न फोरेक्स लाभ/हानि को मिलाया नहीं जा सकता है। आगे, व्यक्तिगत अनुबन्धों की क्रियाविधि के आधार पर फोरेक्स लाभ/हानि में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार हानि को निवलीकृत नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को सम्मिलित न किया जाना, जी आर/ए जी आर को ₹ 528.31 करोड़ कम दर्शाये जाने में परिणित हुआ।

परिणामस्वरूप, बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ व एस यू सी की क्रमशः ₹ 42.65 करोड़ और ₹ 22.25 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया था (अनुलग्नक-2.06)।

2.2.6 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार राजस्व, शेयर के भुगतान के उद्देश्य से ब्याज के रूप में राजस्व, जी आर में सम्मिलित होगा। बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि बी ए एल/बी एच एल के लेखों में लेखांकित ब्याज आय को जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से नहीं लिया गया था।

बी ए एल/बी एच एल के लेखों में, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लीज/बाण्ड/अनिवेश पर ब्याज से आय के ₹ 193.32 करोड़ लेखांकित किये गये थे तथा अनुषंगियों/सहायक कम्पनियों/जेवी/सम्बन्धित पार्टियों को प्रदान किये गये ऋण एवं अग्रिमों से ब्याज के ₹ 395.32 करोड़ लेखांकित किये गये थे। यद्यपि लाइसेंस अनुबन्ध में लाइसेंस फीस के उद्देश्य से ब्याज की आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करने का प्रावधान है किन्तु बी ए एल/बी एच एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अर्जित की गयी ब्याज की आय को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया था।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2016) कि:

- केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न आय पर ही लाइसेंस फीस भुगतान योग्य है और कारपोरेट कार्यालय के खातों में सम्मिलित आय कम्पनी द्वारा अधिशेष निधि/उधार निधि के परिनियोजन से अर्जित की गयी थी जिस पर पहले ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया जा चुका था।
- कम्पनी ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के प्रभाव में ए जी आर विवरणी तैयार की हैं और डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था तथा मामला अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित था।
- बी एच एल द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज आय-प्राप्त ब्याज (जी एल कोड 3418012) का ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज ए जी आर में लिया गया है और डेबिट/कान्ट्रा/समायोजन की ₹ 0.12 करोड़ की प्रविष्टियां (जी एल कोड 341802) को अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि ये समायोजन प्रविष्टियां हैं।
- अन्य कार्पोरेट कोड अर्थात् बी यू कोड 192 व 201 से सम्बन्धित ₹ 1.12 करोड़ के अभिशेष विचारित नहीं किये गये।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के उपरान्त लीज/बाण्ड/अनिवेश पर ब्याज की कम दिखायी गयी आय, बी एच एल द्वारा ए जी आर में लिये गये ₹ 3.91 करोड़ और ₹ 0.12 करोड़ की कान्ट्रा प्रविष्टियों को हटाने के पश्चात् संशोधित करके ₹ 189.29 करोड़ कर दी गयी है। सहायक कम्पनियों/एसोसिएट्स कम्पनियों/जेवी/संबन्धित पार्टियों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों के ब्याज की कम दर्शायी गई राशि भी संशोधित करके ₹ 394.20 करोड़ कर दी गयी है। जहां तक अन्य मामले हैं, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि:-

- राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में ब्याज आय को सम्मिलित करने हेतु लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर की परिभाषा स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है।

- माननीय उच्चतम न्यायाल के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के बाद टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, ब्याज को जी आर में सम्मिलित न किया जाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर, ₹ 583.49 करोड़ कम दर्शाया गया है। ब्याज आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव, एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 47.13 करोड़ और ₹ 25.50 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.07 एवं 2.08)।

2.2.7 ग्लोबल आपरेशनस (बी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखांकित राजस्व को जी आर/ए जी आर में न लेना

भारती एयरटेल लिमिटेड ने बी आई एल जी ओ ब्रांड नाम से यू एस ए में अपनी शाखा स्थापित की थी जो कि ट्रैफिक के केंद्र वाहक एवं बी ए एल (आइ एल डी डिविजन) और पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी आपरेटरों के मध्य द्विपक्षीय अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक की अदला-बदली करती है। बी आइ एल जी ओ स्विच, बाहरी ट्रैफिक जो यू एस ए में अन्य ऑपरेटरों से उत्पन्न होता है, को विश्व में कहीं भी पहुंचाने के लिए बी ए एल-आई एल डी नेटवर्क को हस्तान्तरित करता है जिसके लिए बी आई एल जी ओ विदेशी दूरसंचार आपरेटरों को जारी किये गये बिलों की राशि का पांच प्रतिशत अपने पास रखता है तथा 95 प्रतिशत बी ए एल-आई एल डी को स्थानान्तरित करता है। यू एस ए में समाप्त होने वाले काल ट्रैफिक के लिए – बी आई एल जी ओ स्विच बी ए एल - आई एल डी से काल ट्रैफिक को हैंडिल करता है और उसे यू एस ए में अन्य आपरेटरों को हस्तान्तरित करता है। इस सेवा के लिए बी आई एल जी ओ, बी ए एल-आई एल डी को बी आई एल जी ओ द्वारा विदेशी आपरेटरों को भुगतान योग्य राशि के 105 प्रतिशत की दर से चार्ज करता है तथा पांच प्रतिशत अपने पास रखता है। बी ए एल, बी आई एल जी ओ के अन्तर्गत ग्लोबल आपरेशन से सम्बन्धित आय/व्यय के लेखांकन के लिए एक अलग ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में दर्ज किये गये सेवा राजस्व/एक्सेस प्रभार निम्न थे:

तालिका 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सेवा राजस्व	कुल एक्सेस प्रभार	एक्सेस प्रभार (मार्जिन) के उपर अधिक राजस्व
2010-11	464.89	442.00	22.89
2011-12	679.33	645.84	33.49
2012-13	841.06	799.57	41.48
2013-14	1089.55	1035.90	53.65
2014-15	890.04	846.32	43.72
कुल	3964.87	3769.63	195.23

बी आई एल जी ओ, बी ए एल द्वारा अपने आई एल डी ट्रैफिक के प्रबंधन हेतु बनाई गई मात्र एक तकनीकी व्यवस्था थी तथा यह बी ए एल था जिसने भारतीय प्राधिकारियों से आई एल डी लाइसेंस प्राप्त किया था, इसलिए बी आई एल जी ओ के खातों में दर्ज लेन-देन, बी ए एल के आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक का भाग थे और बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित थे। क्योंकि

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार जी आर की परिभाषा में, व्यय की सम्बन्धित मद का समंजन किये बिना लाइसेंसधारक को उपार्जित समस्त राजस्व, सम्मिलित है इसलिए बी आई एल जी ओ की सेवाओं से उपार्जित ₹ 195.23 करोड़ का राजस्व बी ए एल के आई एल डी ए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि-

- बी आई एल जी ओ को यू एस में बी ए एल द्वारा स्थापित किया गया था और यू एस ए के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा जारी कम्युनिकेशन एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त किया गया था जो ट्रैफिक के केन्द्र वाहक एवं भारती एअरटेल और पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी आपरेटरों के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्धों से उत्पन्न ट्रैफिक की अदला-बदली करता है।
- बी आई एल जी ओ, गेटवे स्टेशन (प्वाइंट ऑफ प्रिजेस) के रूप में विदेशी जमीन (यू एस ए) पर संचालित हो रहा था जिसके लिए लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी थी न कि भारतीय प्राधिकारियों से और इसकी यू एस ए कर व नियामक परिदृश्य में अलग पहचान थी।
- बी आई एल जी ओ द्वारा रोकी जाने वाली पांच प्रतिशत की राशि, यू एस ए के कर व नियामक कानूनों के अनुसार कर योग्य थी। इसलिए बी आई एल जी ओ के खातों में दर्ज राजस्व और एक्सेस प्रभार, एल एफ के लिए जी आर/ए जी आर में नहीं लिये जाने चाहिए क्योंकि लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से ली गई थी।
- ए जी आर मामले में टीडी सैट का दिनांक 23 अप्रैल 2015 का निर्णय कहता है कि “राजस्व, यू एस ए में परिचालित लाइसेंस से उत्पन्न होता है न कि डी ओ टी द्वारा जारी किये गये लाइसेंस से और इस प्रकार यह राजस्व तब तक ए जी आर का भाग नहीं होगा जब तक डी ओ टी यह स्थापित नहीं कर देता कि यू एस ए और भारत के मध्य कम्पनी के परिचालन हेतु तकनीकी, प्रबन्धकीय और वित्तीय अंतर्ग्रथित अन्तःसम्बन्ध हैं।”
- कम्पनी ने डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था और यह माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील में लम्बित था।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- बी आई एल जी ओ की स्थापना, बी ए एल द्वारा अपने आई एल डी ट्रैफिक के प्रबन्धन के लिए मात्र एक तकनीकी व्यवस्था के रूप में की गयी और बी ए एल द्वारा भारतीय प्राधिकारियों से आई एल डी लाइसेंस प्राप्त किया गया था। बी ए एल, बी आई एल जी ओ के नाम से दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर रहा था और यह अलग विधिक इकाई नहीं थी। यहां तक कि बी आई एल जी ओ के लेखों में दर्ज लेन-देन, बी ए एल के आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक के भाग थे और बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेख करना उचित है कि बी ए एल ने बी आई एल जी ओ के ट्रायल बैलेंस में बुक एक्सेस प्रभारों को आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत राजस्व शेयर हेतु प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त जी आर की परिभाषा के अनुसार व्यय की सम्बन्धित मद का समंजन किये

बिना समस्त उपाजित राजस्व इसमें सम्मिलित होगा। इस प्रकार बी आई एल जी ओ का राजस्व जी आर में शामिल होना चाहिए।

- लेखापरीक्षा, यू एस ए में कर और नियामक कानूनों के अनुसार बी आई एल जी ओ द्वारा रखी गयी पांच प्रतिशत की राशि पर कर देयता का विवाद नहीं करता बल्कि प्रतिवाद यह है कि चूंकि यह बी ए एल की आय को दर्शाता है इसलिए यह आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत शेयर योग्य राजस्व का भाग होना चाहिए।
- जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय/केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन था, लेखापरीक्षा का मत है कि बी आई एल जी ओ के राजस्व को जी आर में न लेना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

तदनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बी ए एल का आई एल डी ए जी आर ₹ 195.23 करोड़ से कम दिखाया गया जो कि बी ए एल के आई एल डी लाइसेंस हेतु एल एफ की गणना के लिए वापस ए जी आर में जोड़ा जाना चाहिए। बी आई एल जी ओ के राजस्व को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव ₹ 13.97 करोड़ की लाइसेंस फीस के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.09)।

2.2.8 बी ए एल/बी एच एल द्वारा लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में न लेना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार सभी सेवा राजस्व, विविध राजस्व और लाभांश सहित अन्य आय, व्यय आदि की सम्बन्धित मद को समायोजित किये बिना, सकल राजस्व में सम्मिलित होगा। जी एल की समीक्षा से पता चला कि बी ए एल की सहायक और अन्य निवेश से लाभांश के रूप में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान प्राप्त आय ₹ 2265.08 करोड़ की थी। इसे लाइसेंस फीस के उद्देश्य से सम्बन्धित वर्षों में जी आर में शामिल नहीं किया गया था जो कि लाइसेंस अनुबन्ध का उल्लंघन है।

इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के दौरान बी एच एल द्वारा प्राप्त और लेखांकित ₹ 0.43 करोड़ की लाभांश आय को एल एफ के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार यद्यपि कि लाइसेंस अनुबन्ध में स्पष्ट है कि लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में लिया जायेगा, ₹ 2265.51 करोड़ की प्राप्त लाभांश आय को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिए जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- लाभांश आय किसी लाइसेंस गतिविधि पर आरोपित नहीं हो सकती और लाइसेंस गतिविधि से संग्रहीत आय का भाग नहीं होती है क्योंकि कारपोरेट आय (लाभांश), कोष क्रिया से उत्पन्न होती है जो कि लाइसेंस सेवाओं से अलग और भिन्न गतिविधि है और किसी विशेष सेवा क्षेत्र जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, से संबंधित करने योग्य नहीं है। एल एफ केवल उस आय पर भुगतान योग्य है जो उन गतिविधियों से उत्पन्न होती है जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह एल एफ को दो बार प्रभारित करने का मामला है क्योंकि आय, अधिशेष निधि

के निवेश पर संग्रहीत है जो लाइसेंस राजस्व से उत्पन्न हुई है जिस पर पहले ही एल एफ का भुगतान किया जा चुका है।

- कम्पनी ने ए जी आर की गणना के लिए राजस्व के घटकों पर टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के अनुसार ए जी आर के विवरणी तैयार किये थे और तदनुसार कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के वर्षों के लिए लाभांश आय को नहीं लिया था। कम्पनी ने डी ओ टी से प्राप्त डिमाण्ड का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया था और यह माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील में लम्बित है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध जी आर/ए जी आर में ब्याज, लाभांश और कोई अन्य विविध राजस्व को शामिल करने के लिए स्पष्टतया निर्धारित करता है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 से टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय खारिज हो गया था और जबकि मामला केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाभांश को जी आर में शामिल न करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये, लाभांश आय को शामिल न करने से जी आर/ए जी आर ₹ 2265.51 करोड़ से कम दिखाया गया। लाभांश आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹ 181.67 करोड़ और ₹ 98.98 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.10)।

2.2.9 निवेश की बिक्री से आय को ए जी आर में न लेना

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं पर ब्याज, लाभांश आदि सहित संग्रहीत राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय आदि की सम्बन्धित मद को समायोजित किये बिना, सकल राजस्व में शामिल होगा। पुनः राजस्व और लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) के विवरण की मद संख्या 4 जो कि यू ए एस एल अनुबंध का एक अनिवार्य भाग है, "निवेश से आय" को प्रदर्शित करता है।

बी ए एल/बी एच एल के वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए खातों और ओरेकल फाइनेशियल से प्राप्त डाटा सार की समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कम्पनी ने निवेश की बिक्री से प्राप्त ₹ 4636.34 करोड़ की आय को अपने खातों में दर्ज किया था किन्तु इसे जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था जिसकी परिणति सरकार को भुगतान योग्य राजस्व शेयर के कम भुगतान के रूप में हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- कारपोरेट आय, कोष आय से उत्पन्न हुई है जो कम्पनी की लाइसेंस गतिविधियों से अलग और भिन्न थी और ए जी आर का भाग नहीं है। कोष आय को किसी विशेष सेवा क्षेत्र पर आरोपित नहीं किया जा सकता और चूंकि कारपोरेट आय अधिशेष निधि के निवेश पर उपार्जित थी जो

लाइसेंस राजस्व से प्रचालन की कीमत के निवलीकरण के बाद उत्पन्न हुई जिस पर एल एफ का पहले ही भुगतान किया जा चुका था।

- टी डी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा कि “एक कम्पनी में विनिवेश का लाभ तब तक ए जी आर का भाग नहीं हो सकता जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि उसकी भागीदारी कम्पनी के स्टॉक इन ट्रेड में थी”। क्योंकि कम्पनी, शेयर और स्टॉक ट्रेडिंग के व्यवसाय में नहीं है इसलिए यह एल एफ और डब्लू पी सी का विषय नहीं होगा। ए जी आर विवरणी, टी डी सैट के ए जी आर घटकों पर अगस्त 2007 के निर्णय के अनुपालन में तैयार की गई थी और इस पर डी ओ टी से प्राप्त मांग का केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में विरोध किया गया है।
- बी ए एल और बी एच एल (कान्ट्रा और डेबिट-क्रेडिट के समायोजन के बाद) के लिए निवेश की बिक्री से सम्बन्धित अन्तिम राशि क्रमशः ₹ 4056.62 करोड़ और ₹ 552.45 करोड़ वित्तीय विवरणी में बतायी गयी है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, निवेशों की बिक्री से कम बतायी गयी आय को संशोधित कर ₹ 4609.07 करोड़ (₹ 4056.62 करोड़-बी ए एल और ₹ 552.45 करोड़-बी एच एल) किया गया। जहां तक अन्य मामले हैं, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर/ए जी आर के लिए “निवेश से आय” को शामिल किये जाने का प्रावधान है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2011 में टीडी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को खारिज कर दिया है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय/केरल और त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि “निवेश से आय” को जी आर में न लेना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार बी ए एल/बी एच एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए निवेश की बिक्री से आय के ₹ 4609.07 करोड़ को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया था। निवेशों की बिक्री से आय को जी आर/ए जी आर में न लेने का प्रभाव एल एफ और एस यू सी के क्रमशः ₹ 368.95 करोड़ और ₹ 205.76 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ (अनुलग्नक-2.11)।

2.2.10 बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिए विविध आय पर विचार नहीं किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित मदों में किये गये खर्चे इत्यादि को घटाये बिना ब्याज के मद में राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल किये जायेंगे। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ए जी आर विवरणी एवं डाटा/अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विविध आय में शामिल किये गये अन्य आय को ए जी आर के लिए आंशिक रूप से शामिल किया गया। विविध आय यथा, अवसंरचना नेटवर्क शेयरिंग, कबाड़ की बिक्री, प्रबंधन सहायता सेवा, विविध प्राप्ति /आय, ब्लैकबेरी की बिक्री के लाभ का अंश, लीज किराया इत्यादि की राशि ₹ 403.98 करोड़ (बी ए एल- ₹ 392.86 करोड़ एवं बी एच एल- ₹ 11.12 करोड़) को एल एफ के भुगतान हेतु शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया (सितम्बर 2016) गया कि:

- विविध आय में कबाड़ की बिक्री, प्रबंधन सहायता सेवा एवं वापस किया गया दायित्व शामिल है। यह पूँजीगत प्राप्ति की प्रकृति का है तथा इसे सामान्य व्यापारिक सम्यवहार में राजस्व नहीं कहा जा सकता है। यह गैर- लाइसेंस क्रिया कलाप से अर्जित आय है।
- कम्पनी ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार ए जी आर विवरण तैयार किया है।
- कम्पनी ने केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष डी ओ टी से प्राप्त माँग का विरोध किया है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किये गये अपील में लंबित है।
- ए जी आर के लिये विविध आय की ₹ 9.06 करोड़ की राशि को लिया गया है, ₹ 403.98 करोड़ में वापस लिखा गया दायित्व, सेनवेट की वापसी का लेखांकन एवं कानूना/समायोजन लेखांकन से सम्बन्धित ₹ 12.90 करोड़ की राशि को शामिल किया गया है जिसको अलग करने की आवश्यकता है।

कम्पनी के उत्तर के सत्यापन के बाद, विविध आय की राशि को संशोधित कर ₹ 382.02 करोड़ कर दिया गया है। जहाँ तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि-

- राजस्व शेयर की गणना के लिए लाइसेंस अनुबंध यह प्राविधानित करता है कि जी आर में विविध आय शामिल किये जाने चाहिए।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा टीडीसैट के अगस्त 2007 के निर्णय को खारिज कर दिया गया (अक्टूबर 2011)।
- जबकि केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर में विविध आय को शामिल नहीं किया जाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

विविध आय की ₹ 382.02 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने के परिणामस्वरूप एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 30.48 करोड़ तथा ₹ 10.46 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 2.12)।

2.2.11 राजस्व अंश के भुगतान हेतु बी ए एल द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ की आय को ए जी आर में शामिल नहीं करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व से संबंधित मदों में किये गये खर्चे इत्यादि को घटाये बिना ब्याज के मद में राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल किये जायेंगे। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के बी ए एल/बी एच एल के बही खातों की संविधा से प्रकट हुआ कि जी आर/ए जी आर के लिए, परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ की ₹ 57.33 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

- यह राजस्व, पूंजीगत राजस्व की प्रकृति का था तथा यह लाइसेंस की क्रिया-कलापों से अर्जित नहीं किया गया था और इसलिए एल एफ की गणना के लिए ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- जी आर की गणना सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों एवं लेखांकन मानकों के अनुसार की जानी चाहिए तथा प्राप्तियों, जो कि पूंजीगत प्रकृति की हैं, को एल एफ के लिए सम्भवतः राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
- राजस्व से परिसम्पत्तियां बनायी गयी हैं जिस पर एल एफ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और जबकि परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए नुकसान को एल एफ के उद्देश्य से ए जी आर से घटाने की अनुमति नहीं है, परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को इस प्रकार की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ के राजस्व को ए जी आर के लिए शामिल नहीं किया गया था।

बी ए एल प्रबंधन का तर्क अमान्य है क्योंकि-

- लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस क्रिया-कलाप एवं गैर-लाइसेंस क्रिया-कलाप में कोई भेद नहीं करता है। लाइसेंस अनुबंध में दिये गये जी आर की परिभाषा के अनुसार, जी आर में सम्बन्धित मदों में किये गये खर्चों का समायोजन किये बिना, लाइसेंसी को संग्रहीत हो रहे सभी राजस्व को शामिल करना चाहिए तथा कम्पनी वर्ष 2006-07 में ए जी आर में लिए जाने के लिए इसे शामिल कर चुकी थी।
- दिनांक 30 अगस्त 2007 का टी डी सैट का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद अप्रभावी एवं शून्य हो गया है।

अतः कम्पनी के लेखा पुस्तकों में लेखांकित अचल सम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ की ₹ 57.34 करोड़ की आय को राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल न किये जाने का परिणाम एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.61 करोड़ एवं ₹ 2.75 करोड़ का कम भुगतान था (अनुलग्नक-2.13)।

2.2.12 ए जी आर को ज्ञात करने के लिए बी ए एल/बी एच एल द्वारा बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को जी आर से अनियमित रूप से घटाना

यू ए एस एल अनुबंध, समायोजित सकल राजस्व की गणना के लिए जी आर से केवल तीन मदों को घटाने के लिए प्राविधानित करता है यथा, भारत में अन्य सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया पी एस टी एन से सम्बन्धित काल चार्ज, वास्तविक रूप से दिया गया रोमिंग राजस्व एवं सरकार को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया सेवाकर/बिक्रीकर।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए बी ए एल/बी एच एल द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेख की समीक्षा में प्रकट हुआ कि कम्पनी द्वारा “बट्टेखाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों” की ₹ 1313.38 करोड़ की लेखांकित राशि, लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, ए जी आर की गणना के लिए जी आर से घटा दी गयी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि-

- अशोध्‍य ऋणों का आशय उस राशि से है जिसे सेवा प्रदाता, अभिदाता से वसूल नहीं करता है/संचालकों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है और इसलिए अशोध्‍य ऋण ऐसा राजस्व है जो कम्पनी द्वारा वसूल नहीं किया गया है।
- ए एस-9 के अनुसार राजस्व में अपनी लेखाओं में इकाई द्वारा केवल प्राप्त किया गया और प्राप्त योग्‍य आर्थिक लाभ का सकल अन्तःप्रवाह शामिल होता है तथा ए एस-9 के अनुसार राजस्व को केवल तब माना जाना चाहिए जब उसका “अन्तिम संग्रहण का अनुमान किया जाना अतर्कसंगत न हो”।
- आधारभूत सिद्धांत है कि लाइसेंस फीस प्राप्त की गयी राजस्व, प्राप्त किये जाने योग्‍य राजस्व पर ही देय होना चाहिए और चूंकि वसूल न होने योग्‍य अशोध्‍य ऋण को बट्टेखाते में डाल दिया गया है, इसे राजस्व का भाग नहीं माना जाना चाहिए।
- 30 अगस्त 2007 के टी डी सैट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए “बट्टेखाते में डाले गये अशोध्‍य ऋणों” को जी आर से घटाया गया था।
- केरल एवं त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष डी ओ टी से प्राप्त मांग का विरोध किया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किये गये अपील में लंबित है।

कम्पनी का उत्तर अमान्य है क्योंकि-

- ए जी आर की गणना के लिये जी आर से अशोध्‍य ऋणों को घटाये जाने के लिए लाइसेंस अनुबंध प्राविधानित नहीं करता है।
- जबकि लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकित किये जाने पर कोई प्रश्न नहीं उठाती है, इसका तर्क है कि राजस्व की कोई राशि जो गैर-वसूली योग्‍य हो जाती है उसे अशोध्‍य ऋण के रूप में माना जाता है जो कि लाभ-हानि खाते में प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के रूप में होती है।
- दिनांक 30 अगस्त 2007 का टी डी सैट का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद अप्रभावी एवं शून्य हो गया है।
- जबकि मामला केरल तथा त्रिपुरा के माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है, “बट्टेखाते में डाला गया अशोध्‍य ऋण” एक व्यय था और इस लिए जी आर से घटाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

अतः बट्टेखाते में डाले गये अशोध्‍य ऋणों की ₹ 1313.38 करोड़ की राशि तथा कम्पनी द्वारा डी ओ टी को देय राजस्व शेयर की गणना के लिए ए जी आर को ज्ञात करने के लिए जी आर से घटाये जाने के फलस्वरूप एल एफ एवं एस यू सी के क्रमशः ₹ 117.74 करोड़ तथा ₹ 72.20 करोड़ के कम भुगतान में परिणामित हुआ (अनुलग्नक-2.14)।

2.2.13 एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर की गणना के लिए बैंडविड्थ की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना

यू ए एस एल अनुबंध के क्लॉज 20.4 में सन्दर्भित अपेन्डिक्स II के अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व की विवरणी तथा लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) का प्रारूप, लाइसेंस अनुबंध का एक अभिन्न भाग है। विवरणी में मद 1 अ “वायरलाइन ग्राहकों से राजस्व” को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है तथा मद 8 “बैंडविड्थ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामलों, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से राजस्व” को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है।

स्पेक्ट्रम यूसेस चार्ज (एस यू सी) हेतु ए जी आर की गणना के लिए वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में लाइसेंस फीस की गणना हेतु बैंडविड्थ/लिंक की बिक्री से ₹ 1577.42 करोड़ का राजस्व लिया गया था लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की गणना हेतु नहीं लिया गया जो लाइसेंस अनुबंध के प्राविधानों से विचलन था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि डी ओ टी ने एक सिद्धांत बनाया है जिसके अनुसार वायर लाइन राजस्व पर कोई स्पेक्ट्रम प्रभार नहीं लगाया जायेगा। आगे, यह भी कहा गया कि लाइसेंस अनुबंध के ए जी आर विवरणी के प्रारूप में सामान्य राजस्व मदों को बांटने में एक विसंगति है क्योंकि सम्बन्धित ग्रुप में वायर लाइन एवं वायरलेस का अलग सब ग्रुप नहीं रखा गया है।

प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध क्लॉज 18.3 के अनुसार स्पेक्ट्रम प्रभार के लिए केवल वायर लाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को ही हटाना है। जैसा कि ए जी आर विवरणी में दिया गया है, वायर लाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व मद 1अ में रखा गया है तथा बैंडविड्थ के बिक्री/लीज लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से प्राप्त राजस्व मद 8 में रखा गया है। अतः बैंडविड्थ की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व वायर लाइन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से भिन्न है। इस प्रकार, उपरोक्त राजस्व को भी स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

अतः बैंडविड्थ की बिक्री/लीज, लिंक इत्यादि से प्राप्त राजस्व की राशि ₹ 1577.42 करोड़ को एस यू सी की गणना के लिए ए जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, कम्पनी के द्वारा कथित राजस्व पर एस यू सी की ₹ 92.56 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-2.15)।

2.2.14 पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को शामिल नहीं करना

सेटकॉम ब्राडबैंड इक्विपमेंट लिमिटेड (एस बी ई एल) जो बी ए एल की एक सहायक कम्पनी थी, का 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में विलय हो गया। विलय के वर्ष में एस बी ई एल का एक अलग लाभ-हानि लेखा एवं तुलन पत्र (बैलेंस सीट) बनाया गया तथा लाइसेंस फीस के लिए एस बी ई एल के राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2007-08 एवं अगले वर्षों के लिए पूर्व एस बी ई एल के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को लेखाबद्ध करने के लिए दो ट्रायल बैलेंस क्रमशः 321 एवं 903 संधारित किए गये हैं।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ट्रायल बैलेंस, वित्तीय विवरणियों एवं मैपिंग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में ट्रायल बैलेंस संख्या 321 एवं 903 में ₹ 59.72 करोड़ की राशि बैंडविड्थ प्रभार, स्थापना प्रभार, इत्यादि के साथ ही साथ विदेशी/घरेलू कम्पनियों को

हार्डवेयर की बिक्री के नाम पर लेखाबद्ध की गयी है। तथापि, इस राजस्व को उस अवधि में किसी भी सेगमेंट के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए नहीं लिया गया था। चूंकि लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत जी आर की परिभाषा के अनुसार उक्त राशि बी ए एल राजस्व का एक भाग है, उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- एस बी ई एल को एक अलग विधिक इकाई के रूप में निगमित किया गया था तथा बी ए एल में इसके विलय से पूर्व यह ऐसे क्रिया-कलापों यथा टेलीकाम/वी सैट उपकरणों के व्यापार एवं वी सैट स्थापना के लिए टर्नकी परियोजनाओं में लगी हुई थी जो टेलीकाम लाइसेंस के अन्तर्गत शासित नहीं थीं।
- बी ए एल के अन्तर्गत सेटकाम ने विलय के बाद क्रिया-कलापों को उसी तरह से जारी रखा जैसा कि विलय के पूर्व किया जा रहा था तथा बी ए एल के लेखाओं में सेटकाम के द्वारा किये जा रहे क्रिया कलापों के लिए लेखाओं को शामिल किया गया जिसके लिए लेखाओं की अलग पुस्तकें रखी जा रही थीं।
- सेटकाम के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप, बी ए एल की इकाईयों द्वारा प्रदान की जा रही टेलीकाम सेवाओं से सम्बन्धित नहीं है।
- विलय से इकाई की संरचना बदल गयी परन्तु इसके द्वारा किये जा रहे लेन-देनों की प्रकृति नहीं बदली। ऐसे क्रियाकलाप जो लाइसेंस के क्रियाकलाप नहीं थे, विलय के बाद भी टेलीकाम सेवाओं के अन्तर्गत नहीं हो सकते हैं। अतः केवल इस कारण से कि दो कम्पनियों का विलय हो गया है इससे एक गैर टेलीकाम क्रियाकलाप, टेलीकाम क्रियाकलाप नहीं बन जाता है, और इस प्रकार इसे एल एफ के अन्तर्गत नहीं लाया जाय। विलय के बाद इसका व्यापार (जो कि गैर-टेलीकाम की प्रकृति का है) बी ए एल द्वारा किया जा रहा था। अतः कम्पनी ऐसी क्रिया-कलापों/लेन-देनों पर जो सैटकाम द्वारा किया जा रहा था, एल एफ के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- ₹ 0.32 करोड़ की राशि को हटाने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्राप्त नहीं की गयी विदेशी मुद्रा विनियम के लाभ से सम्बन्धित है।

उत्तर के सत्यापन के बाद सैटकाम द्वारा कम दर्शायी गयी राजस्व की राशि को संशोधित कर के ₹ 59.40 करोड़ कर दिया गया है। जहां तक दूसरे मुद्दे हैं, प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1 अक्टूबर 2005 से पहले एस बी ई एल एक अलग विधिक इकाई थी और इसे उसके क्रियाकलाप के लिए जो मुख्य रूप से वी सैट उपकरणों से सम्बन्धित था, भारत सरकार से कोई लाइसेंस नहीं मिला था। तथापि 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में इसका विलय हो गया तथा बही खातों में जो लेन-देन दर्ज किया गया वह दर्शाता है कि लेखांकित राजस्व टेलीकाम सेवाओं बैडविड्थ प्रभार, आई आर यू प्रभार, स्थापना प्रभार, डाटा सेवाएं, उपकरणों का किराया, विदेशी/घरेलू टेलीकाम कम्पनियों को हार्डवेयर की बिक्री इत्यादि से है और लाइसेंस अनुबंध के अनुसार यह आय जी आर की गणना के लिए शामिल की जानी चाहिए।

₹ 59.40 करोड़ के राजस्व के गैर-समावेशन के कारण एल एफ (वी सैट) के कम भुगतान का परिणाम ₹ 3.57 करोड़ था (अनुलग्नक-2.16) ।

2.2.15 बी ए एल द्वारा अवसंरचना प्रदाता (आई पी)-1 सेवाओं के अन्तर्गत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिए शामिल नहीं करना

बी ए एल ने टेलीकाम लाइसेंसियों को अवसंरचना सेवा यथा, डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस तथा टावर लीज/किराया/बिक्री के आधार पर प्रदान करने के लिए डी ओ टी से अवसंरचना प्रदाता 1(आई पी 1) का पंजीयन प्राप्त किया था। बी ए एल ने आई पी 1 सेवाओं के लेन-देन को दर्ज करने के लिए अलग ट्रायल बैलेस (टी बी) बनाये। आई पी 1 के अंतर्गत दर्ज राजस्व में सेवा राजस्व, ब्याज की आय एवं अन्य आय शामिल होते हैं जो कि बी ए एल के लाभ-हानि लेखों का एक भाग है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में आई पी 1 के अन्तर्गत ₹ 1073.12 करोड़ की राशि राजस्व के रूप में दर्ज की गयी थी। उपरोक्त राशि में ₹ 0.07 करोड़ की विविध आय की राशि भी उस अवधि में सेवा राजस्व की ₹ 1073.05 करोड़ की राशि के साथ शामिल की गयी। आगे, यह भी देखा गया था कि उपरोक्त राजस्व में से ₹ 669.98 करोड़ की राशि, बी ए एल के एन एल डी सेगमेंट का राजस्व था।

चूंकि आई पी 1 राजस्व में शामिल किया गया एन एल डी डिविजन का राजस्व एल एफ के लिए विचारित नहीं किया जाना था, आई पी 1 सेवा के शेष राजस्व ₹ 403.14 करोड़ को एल एफ के लिए शामिल किया जाना चाहिए था जिसे कि बी ए एल द्वारा नहीं लिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि आई पी 1 पंजीयन का लाइसेंस अनुबंध एवं उसके अन्तर्गत की जा रही क्रियाकलाप से कोई लेना-देना नहीं था। आई पी 1 पंजीयन, भारत में निगमित किसी भी कम्पनी को टेलीकाम सेवा प्रदाता को पैसिव अवसंरचना को स्थापित एवं उपलब्ध कराने के लिए अधिकार देता है तथा वर्तमान नीति के अनुसार आई पी 1 पंजीयन रखने वाली कम्पनियों पर कोई एल एफ नहीं लगाया जाता था। इन सेवाओं से हुई आय को अलग लेखांकित किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अन्य लाइसेंस के आय से अन्तर करने के लिए अलग ट्रायल बैलेन्स बनाया गया।

लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है आई पी 1 राजस्व में सम्मिलित एन एल डी डिविजन के राजस्व पर एल एफ देय नहीं है परन्तु इसका मत है कि आई एस पी डिविजन तथा अन्य आपरेटरों की आय को एन एल डी अनुबंध के अनुलग्नक-II के क्लॉज 31 के अनुसार राजस्व शेयर के लिए शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार, एल एफ की गणना के लिए ₹ 403.14 करोड़ की राशि ए जी आर में शामिल की जानी चाहिए थी। आई पी 1 राजस्व को शामिल न किये जाने के कारण एल एफ (एन एल डी) के कम भुगतान का परिणाम ₹ 29.09 करोड़ था (अनुलग्नक-2.17)

2.2.16 एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 2.2.1 से 2.2.15 तक) में एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर-भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 1577.12 करोड़ एवं ₹ 1025.12 करोड़ थी। इस एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर-भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 1245.91 करोड़ है (अनुलग्नक-2.18)। ब्याज की गणना, लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित की गयी दरें जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्टेट बैंक आफ इन्डिया के प्राइम लेडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी, पर आधारित थी तथा विचारित अवधि

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर है।

2.3 राजस्व एवं लाइसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरणी)

यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में लाइसेंस के निश्चित क्रियाकलाप से प्राप्त राजस्व को लाइसेंसी द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए अलग से एवं विशिष्ट मानक का वर्णन किया गया है। मानक विनिर्दिष्ट करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों/राजस्व एवं लाइसेंस फीस की विवरणी में निम्नलिखित दिखाये जायें:

- छूट/रिबेट के दर्शाये गये अलग-अलग विवरण के साथ सकल राजस्व (बिल योग्य राशि/सेवा से) तथा साथ ही,
- मदवार ऐसी आय का विवरण जिसे सम्बन्धित खर्च से समायोजित कर दिया गया है।
- संग्रहीत राजस्व की ऐसी श्रेणी जिसकी राशि कुल संग्रहीत राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक है, उसे अलग से दिखाया जायेगा तथा किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- बिल किया गया, प्राप्त किया गया तथा सरकार को जमा किया गया सेवाकर अलग से दिखाया जायेगा।
- बिल किया गया, प्राप्त किया गया तथा सरकार को जमा किया गया बिक्रीकर अलग से दिखाया जायेगा।
- ब्याज की आय एवं लाभांश को बिना सम्बन्धित खर्च के समायोजन के लाभ-हानि लेखों में आय के अन्तर्गत अलग से दिखाया जायेगा।

बी ए एल/बी एच एल की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय उपरोक्त मानकों में से कुछ का विचार नहीं किया गया था। जैसा की प्रतिवेदन में दर्शाया गया है राजस्व को कम दिखाये जाने के उदाहरणों से यह निश्चित होता है कि बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान के लिए निश्चित किया गया राजस्व पूरी तरह से लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नहीं था, न ही लेखाओं को तैयार किया जाने में पूरी तरह से डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया था। दोनों इकाइयों के वार्षिक लेखाओं में यद्यपि डी ओ टी द्वारा निर्देशित सूचनाओं को समान्यतया दिया जा रहा था परन्तु ए जी आर विवरणी के साथ प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में महत्वपूर्ण डाटा जो राजस्व के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा निश्चित किए गए सही राजस्व को प्रभावित करता है, नहीं दिया जा रहा था। उदाहरणार्थ सकल राजस्व के साथ छूट/रिबेट के विवरण को अलग से दिखाया जाना, घरेलू तथा बाहरी ग्राहकों के लिए कुल एयरटाइम यूनिट्स का विवरण, बिल न किये जाने वाले नम्बर जिसे अलग से दिखाया जाना था तथा खर्च में क्रेडिट जो ए जी आर की शुद्धता को प्रभावित करती है, इत्यादि को वार्षिक लेखाओं में नहीं दिखाया गया। यद्यपि कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा ही यह सत्यापित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों/मानकों के अनुसार लेखों को तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा किया गया है क्योंकि वे या तो बिलिंग प्रणाली, बही खातों में उपलब्ध है या उनके वार्षिक वित्तीय विवरणियों/बैलेन्स सीट में दर्शाये गये हैं। जबकि प्रबंधन ने उत्तर दिया कि किसी भी आय के मद को

उसके सम्बन्धित खर्चों से समायोजित नहीं किया गया है, यह पाया गया कि कमीशन/मार्जिन/आफर्स, अवसंरचना के साझा करने इत्यादि के मामलों में राजस्व को खर्चों से समायोजित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया।

प्रबंधन ने भी स्वीकार किया कि घरेलू ग्राहकों के बाह्य नेटवर्क के लिए संग्रहीत रोमिंग एयरटाइम प्रभार, घरेलू तथा बाहरी ग्राहकों के लिए कुल एयरटाइम यूनिट्स एवं बिल न किये गये नम्बर, रोके तथा भुगतान किये गये रोमिंग कमीशन (नेटवर्क के अनुसार) को इस तथ्य के कारण कि या तो वे गैर वित्तीय डाटा (एयरटाइम यूनिट्स) हैं या वे सीधे नहीं निकाले जा सके, नहीं दिखाया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा न किये जाने के बावजूद भी डी ओ टी ने उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कभी जोर नहीं दिया। लेखापरीक्षा का यह मत है कि डी ओ टी द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रकटीकरण ऐजेन्सियों को जिन्हें लाइसेंस कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित किये गये जी आर की शुद्धता को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, सत्यापन प्रक्रिया की पूर्णता निश्चित करने में सुविधा देते।

2.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर डी ओ टी/बी ए एल की प्रतिक्रिया

बी ए एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को अगस्त 2016 में डी ओ टी एवं बी ए एल को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। बी ए एल ने एक बार पुनः परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर दिये गये उत्तर (सितम्बर 2016) को दोहराया।

डी ओ टी ने कहा (फरवरी 2017) कि :

- 2002-03 में टी एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की परिभाषा को चुनौती दी गई थी। तबसे दीर्घकालिक मुकदमेबाजी हो रही है और अभी भी जारी है।
- डीओटी, टीएसपी के विरुद्ध वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया है और एस सी के आदेशों के अनुसार विभाग को लाइसेंस अनुबन्ध की अपनी समझ के अनुसार टी एस पी को डिमान्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई थी।
- सी ए जी द्वारा बताए गए अंतिम आकड़ों, लाइसेंस अनुबन्धों के अनुसार तथा डी ओ टी के नीतिगत निर्णयों के आधार पर डिमान्ड जारी की जाएगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया साबित करती है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था एन टी पी-1999 के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी, विभाग इस व्यवस्था के लागू होने के 17 वर्षों के बाद भी अपना देय राजस्व अंश, जैसा लाइसेंस अनुबन्ध में उल्लेखित है, वसूल नहीं कर सका है।

यहां यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब सरकार ने, अप्रैल 2004 से प्रभावी, एल एफ की दर को दो प्रतिशत से समस्त आपरेटरों के लिए कम करने का निर्णय लिया, डी ओ टी ने यह अपेक्षा की थी कि ऐसी कमी आपरेटरों को सरकार के विरुद्ध चुनौतियों को वापस लेने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, एल एफ में की गई कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और आपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा एवं डिमान्ड नोट्स को चुनौती देते हुए सरकार के विरुद्ध मुकदमेबाजी करना जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी ने एल एफ की दर में छूट का लाभ उठाया परन्तु सरकार को इसके बदले में मुकदमेबाजी में अपेक्षित कमी का लाभ नहीं मिला।

अध्याय-III

वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

3.1 मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

वोडाफोन पी एल सी जो कि इंग्लैंड की एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनी थी ने मैसर्स हच्चिसन एस्सार जो कि पूरे भारत में 16 लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्रों में जी एस एम आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रही थी के अधिकतम शेयर अधिग्रहित कर ब्राण्ड वोडाफोन के नाम से भारत में 2007 में सेवा प्रारम्भ की थी। दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (एफ डी आई) को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के 2005 में भारत सरकार के निर्णय ने इस ब्रिटिश कम्पनी की भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक मुख्य व्यवसायी के रूप में उभरने में सहायता की। 2007-08 तक प्रचालक को सात और लाइसेंस आबंटित कर दिये गये जिसने पूरे देश में मौजूद सभी 23 लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों (ला से क्षे) में प्रचालन के साथ कम्पनी ने उपस्थिति दर्ज की। वोडाफोन इण्डिया वायरलेस मोबाइल टेलीफोन सेवायें प्रदान करता है जिसमें वायस/डाटा और सभी उच्च गुणवत्ता, नवीन संचार समाधान सम्मिलित है।

3.1.1 वोडाफोन समूह द्वारा लिये गये लाइसेंस

23 सेवा क्षेत्र में सेवा के लिये लाइसेंस के अतिरिक्त वोडाफोन समूह द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आर् एस पी) लाइसेंस, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) और उसी तरह अन्तराष्ट्रीय लंबी दूरी (आइ एल डी) का लाइसेंस लिये गये हैं।

मुम्बई स्थित वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती वोडाफोन एस्सार लिमिटेड) के मुख्य कारपोरेट कार्यालय व इसके सात सहायक कम्पनियों के संरक्षण में परिमण्डल अनुसार सेवा प्रावधान और सम्बन्धित लेखांकन गतिविधियाँ की जाती है।

3.1.2 वोडाफोन गुप द्वारा लिये गये स्पेक्ट्रम

1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 को कम्पनी को आवंटित एल एस ए अनुसार स्पेक्ट्रम की मात्रा निम्नानुसार है-

तालिका 3.1

क्र. सं.	परिमण्डल का नाम	1.4.2010 तक रखे गये जी एस एम स्पेक्ट्रम (मेगाहर्टज में)	31.3.2015 तक रखे गये जी एस एम स्पेक्ट्रम (मेगाहर्टज में)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम
				(मेगाहर्टज में) ¹	
1	हिमाचल प्रदेश	4.4	5.65	112	56
2	आन्ध्र प्रदेश	6.2	6.8	224	56
3	असम	4.4	6.9	112	56
4	नार्थ ईस्ट	4.4	6.9	112	56
5	उड़ीसा	4.4	6.9	112	56

¹ एक कैरियर = 56 मेगाहर्टज

6	बिहार	4.4	6.9	112	56
7	जम्मू एवं कश्मीर	4.4	6.9	112	56
8	मध्य प्रदेश	4.4	6.9	112	56
9	राजस्थान	6.2	7	180	56
10	पंजाब	6.2	8.05	224	-
11	उत्तर प्रदेश पश्चिम	6.2	8.7	112	56
12	हरियाणा	5	9.9	180	56
13	तमिलनाडु	7.2	12.2	180	112
14	महाराष्ट्र	6.2	12.45	180	112
15	चेन्नई ²	8	13	224	-
16	कर्नाटक	8	13	224	56
17	पश्चिम बंगाल	6.2	13.7	112	112
18	केरल	6.2	14.45	112	112
19	दिल्ली	5	18	392	-
20	उत्तर प्रदेश पूर्व	8.2	18.45	180	112
21	गुजरात	9.8	19.2	224	56
22	मुम्बई	5	24.2	392	-
23	कोलकता	9.8	29.8	224	-

3.1.3 वोडाफोन ग्रुप द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती, समेकित सकल राजस्व और भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं के आकलन पर आधारित प्रत्येक तिमाही को अपनी ए जी आर का निश्चित प्रतिशत लाईसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के रूप में देना आवश्यक है। वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वी आई एल) द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पाँच वर्षों के लिये दर्शाया गया संयुक्त जी आर/ए जी आर और भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर में ए जी आर की प्रतिशतता	भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ +एस यू सी)
2010-11	13.46	29971.54	8912.82	21058.72	70.26	3038.81
2011-12	15.04	36290.66	11336.42	24954.24	68.76	3262.96
2012-13	15.23	40367.11	12900.90	27466.21	68.04	3659.70
2013-14	16.67	45565.90	14083.80	31482.10	69.09	4394.70
2014-15	18.39	46650.36	13709.27	32941.09	70.61	5091.90
कुल		198845.57	60943.21	137902.36	---	19448.07

जैसा कि उपरोक्त से प्रगट है, मार्च 2011 को वोडाफोन का ग्राहक आधार 13.46 करोड़ था, जो 18.95 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ 36.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, मार्च 2015 तक बढ़कर 18.38 करोड़ हो गयी तथा भारती एयरटेल लिमिटेड से पीछे रहते हुए दूसरा स्थान बनाया।

² चेन्नई एवं तमिलनाडु एल एस ए के विलय के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया 31 मार्च 2015 को प्रगति में थी।

3.2 वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा राजस्व कम दिखाया जाना

वी आई एल और इसकी सहायक कम्पनियों के अभिलेखों और लेखाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निम्नलिखित मामलों में इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

3.2.1 राजस्व से सम्बन्धित डीलर को पेश की गई छूट/मार्जिन और उपभोक्ताओं को दी गई फ्री एयर टाइम के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व को कम दर्शाया जाना

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का वी आई एल और इसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया कि –

- वितरकों/एजेन्टों को दी गई रियायतों/मार्जिन को राजस्व से समायोजित किया गया था।
- उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश जैसे कि फ्री एयर टाइम, (एफ ए टी) फ्री आफ कास्ट (एफ ओ सी) टाक टाइम और प्रोत्साहन पेशकश जैसे कि फुल टाक टाइम (एफ टी टी), फुल पे फुल (एफ पी एफ), टाक टाइम, बोनस टाक टाइम व अन्य प्रभारों को राजस्व से समायोजित (सेट ऑफ) किया था।
- क्योंकि प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के लिये अलग से जी एल नहीं रखे गये, इसलिये राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी के कम दर्शाये जाने के प्रभाव को सेवा अनुसार अलग नहीं किया गया।

मदवार व्यौरा निम्नसार है:

अ) रियायत/मार्जिन

लाइसेंसी कम्पनी दूरसंचार सेवाओं को बेचने के लिये कमीशन आधार पर वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरो की नियुक्ति करता है। कम्पनी, कमीशन के बदले रियायती दर पर या अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट के तौर पर अपने वितरकों/फ्रैन्चाइजी/एजेन्टों द्वारा अपने विभिन्न प्री पेड उत्पादों की आपूर्ति अपने उपभोक्ताओं को बेचने के लिये करती है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये वी आई एल और इसकी सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि प्रीपेड उत्पादों जैसे कि रिचार्ज कूपन, ई-टापअप इत्यादि की आपूर्ति वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को रियायती दरों पर या अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर मार्जिन के आधार पर की जो कमीशन के बदले में थी। वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरो को दिये जा रहे छूट/मार्जिन को राजस्व से घटा दिया गया और इसके परिणामरूप, वित्तीय विवरणियों साथ ही साथ दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणी में नेट राजस्व पर विचार किया गया था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये वितरकों/फ्रैन्चाइजी/एजेन्टों/डीलरो को दिये गये ₹ 4196.21 करोड़ के रियायतों/मार्जिन को राजस्व से घटाया गया जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की। क्योंकि वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को दी गई रियायतें/मार्जिन, व्यापारिक व्यय (मार्किटिंग व्यय) की प्रकृति की थी, इसलिये इस प्रकार के व्यय को राजस्व से समायोजित (सेट ऑफ) किया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

उपरोक्त पर वोडाफोन प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि:

- वितरकों/डीलरों/फ्रेन्चाईजी को नियुक्त करने की कम्पनी नीति संगठन की व्यापारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वितरकों के साथ यह व्यवस्था प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार पर है। रियायतें प्राथमिक बिलिंग के समय दी जाती हैं। रियायत को प्रीपेड बिलिंग सिस्टम में समाकृति (कान्फिगर्ड) किया जाता है और रियायत का लेखांकन इसी बिलिंग सिस्टम के इन्टरफेस के द्वारा किया जाता है।
- कम्पनी के अंतः प्रवाह केवल वितरकों द्वारा भुगतान की गई राशि है अर्थात् वितरकों का मूल्य न कि अधिकतम खुदरा मूल्य।
- बिक्री, इनवायस पर लिखे सहमत मूल्य पर होती है और उसे लाभ और हानि लेखों में दर्शाया जाता है। न तो रियायत को व्यय के रूप में दर्शाया जाता था और न ही कोई व्यय राजस्व से अलग (नेटिंग आफ) किया गया था क्योंकि वितरकों की बिलिंग सहमत/वर्णित मूल्य पर होती थी।
- कम्पनी ने टीडी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन निवेदन के साथ अपील दायर की है। डी ओ टी ने टीडी सैट के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये क्रॉस अपील दायर की है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले का अन्तिम निर्णय आने तक वी आई एल, ए जी आर की गणना में रियायतों को शामिल न करने के विधिक सलाह के अधीन है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि—

- वी आई एल अंततः सेवायें प्रदान करती है और यदि कम्पनी उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कार्ड की बिक्री करती तो राजस्व, दी गई सेवाओं के पूरे मूल्य पर लेखांकित की जाती और बिक्री पर हुए व्यय को व्यय के रूप में लेखित किया जाता। इसी समानता के अनुसार वितरकों को दी गई रियायत/कमीशन, मार्केटिंग व्यय होगा और इसलिये इसे राजस्व से नहीं घटाना चाहिये। ऐसा लाइसेंस समझौते के अनुरूप है। आगे लेखापरीक्षा का मत है कि इस प्रकार का लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं को सेवायें प्रदान करने की अन्तिम जिम्मेदारी वी आई एल की है न की वितरकों की।
- जब तक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रेन्चाईजी/डीलरों को दी गई रियायत/मार्जिन, मार्केटिंग प्रकृति का व्यय है और इसलिये इस व्यय को राजस्व से समायोजित किया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध है। लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु लाइसेंस समझौते के तहत राजस्व को सकल रूप में बिना किसी सम्बद्ध मद को घटाये, दर्शाया जाना है।

इस प्रकार रियायतों/मार्जिन को घटाने से जी आर/एजी आर ₹ 4196.21 करोड़ कम दर्शाया गया (अनुलग्नक 3.01)। परिणामस्वरूप, उपरोक्त राजस्व पर कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 351.77 और ₹ 213.52 करोड़ भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.01)।

ब) उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रस्ताव

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आई एल और इसकी सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपभोक्ताओं को दी गई प्रोत्साहन पेशकश को समायोजित करने के लिए कुछ राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत खर्चों के मद यथा, मुफ्त एअर टाईम (एफ ए टी), फ्री आफ कास्ट एअर टाईम, फुल टाक टाईम फुल पे फुल टाक टाईम, बोनस टाक टाईम इत्यादि का डेबिट पाया गया था। उपरोक्त प्रोत्साहन पेशकशों का मूल्य अग्रिम में प्राप्त सेवा राजस्व में डेबिट कर दिया गया और इस प्रकार जी आर/ए जी आर की गणना में शामिल नहीं किया गया।

चूँकि, इस प्रकार की प्रोत्साहन पेशकश कुल मिलाकर व्यापार वृद्धि के लिये अपनायी गयी व्यापारिक/वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा है, इसलिये इस तरह के प्रोत्साहन पेशकश (आफर) का मूल्य व्यय की प्रकृति का था। आगे, लाइसेंस समझौतों की शर्तों के अनुसार सेवा राजस्व को, बिना किसी मद को समायोजित किए, सकल रूप में दर्शाना चाहिये। वोडाफोन द्वारा पुष्टि की गई मदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 3.3

(₹ करोड़ में)

प्रोत्साहन पेशकश की प्रकृति	कम रिपोर्ट की गयी जी आर	टिप्पणी
फ्री ऐयरटाइम (एफ ए टी)/फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) ऐयरटाइम	728.23	अनुलग्नक-3.02
फुल टॉक टाइम (एफ टी टी)/ फुल पे फुल (एफ पी एफ) टॉक टाइम	560.22	अनुलग्नक -3.03
प्रमोशनल टॉक टाइम (पी टी टी)	127.15	अनुलग्नक -3.04
बोनस टॉक टाइम	5.33	अनुलग्नक -3.05
कुल	1420.94	

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2016) कि;

- विभिन्न मार्केटिंग स्कीमों के अनुसार कम्पनी चुनिंदा प्रीपेड उपभोक्ताओं को फुल टाक टाईम की पेशकश देती है। इन स्कीमों के बारे में सामान्यतः ट्राई को सूचना दी जाती है। सभी दूरसंचार कम्पनियाँ इस प्रकार की स्कीम की पेशकश करती हैं। सामान्यतः, यदि उपभोक्ता ₹ 112.36 का रिचार्ज खरीदता है तो उस पर कम्पनी का राजस्व ₹ 100 लिया जाता है और वसूल की गयी सरकार को देय सेवाकर का ₹ 12.36 सेवाकर दायित्व लेखा में क्रेडिट कर दिया गया।
- इसी प्रकार फुल टाक टाईम आफर के संदर्भ में, यदि एक उपभोक्ता ₹ 224.72 का रिचार्ज खरीदता है और उसे ₹ 224.72 का फुल टाक टाईम मिलता है, परन्तु राजस्व केवल ₹ 200 का दर्शाया जाता है और वसूल की गयी सरकार को देय सेवाकर का ₹ 24.72, सेवाकर दायित्व खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

- कम्पनी द्वारा सरकार को जमा कराये गये सेवाकर को समझौते के खण्ड 19.1 के अर्न्तगत ए जी आर की परिभाषा से अलग रखा गया है। शेष बची राशि वह राशि है जो कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवा के बदले में प्राप्त हुई और उस राशि को ही राजस्व में शामिल किया गया है।
- कम्पनी को इस राशि के अलावा कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं होती और खण्ड 19.1 के उल्लंघन में राजस्व से कोई कटौती नहीं की जा रही है। यह व्यवहार ए एस 9 के अनुरूप है।
- प्राप्त राशि पर पेश किया गया टाक टाइम सम्बन्धित नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि को ही लेखों में लिया जाता है और "राजस्व" में सम्मिलित किया जाता है और कोई अतिरिक्त राजस्व कम्पनी को देय/द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखा परीक्षा मत निम्नानुसार है:

- लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकन पर सवाल नहीं उठा रहा है परन्तु यह तर्क देता है कि एअर टाइम मुफ्त की वस्तु नहीं है, इसका आन्तरिक मूल्य है और एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी छूट इत्यादि देकर, लाइसेंसों इन्हें व्यय के रूप में लेखाओं में लेने के बजाय राजस्व को छोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का भुगतान टाला गया।
- टैरिफ के अनुसार दिये गये एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि तथा जो ग्राहकों/एजेन्टों को प्रोस्ताहन के रूप में दिया गया, का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी/पी टी टी/बोनस टाक टाइम को घटाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1420.94 करोड़ का जी आर/ए जी आर कम दर्शाया गया (अनुलग्नक 3.02 से 3.05)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा उपरोक्त राजस्व पर ₹ 116.66 करोड़ और ₹ 70.95 करोड़ का क्रमशः एल एफ और एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.02 से 3.05)।

3.2.2 अन्य ऑपरेटरों को दिये गये/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटरों ट्रैफिक रियायत को घटाने के कारण रोमिंग राजस्व कम दिखाना

वोडाफोन और इसकी सहयोगियों ने रोमिंग के दौरान सेवाएं जारी रखने के लिये अन्य अर्न्तराष्ट्रीय दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ व्यवस्था की है। यह देखा गया कि उन ऑपरेटरों के खातों में भुगतान किये गये/क्रेडिट किये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) रियायतों को राजस्व शीर्ष से घटाया/डेबिट किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय ऑपरेटरों के रोमिंग की व्यवस्था दो ऑपरेटरों के बीच आपसी सहमति का विषय है और रोमिंग पर सहमत प्रभागों से अधिक रियायत देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यापार वृद्धि की रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार, इस प्रकार की रियायतें व्यय के रूप में है और लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 294.53 करोड़ की आई ओ टी रियायतों को, जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की, रोमिंग राजस्व से घटाया (डेबिट) गया था।

उपरोक्त पर वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में बताया कि;

- छूट जो कि क्रेडिट नोट से दी गई है, आय/राजस्व की प्रकृति की नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप किसी रोकड़, प्राप्ति योग्य या अन्य लाभ का अन्तः प्रवाह नहीं हुआ और न ही रियायतों को व्यय माना जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ए एस-9 स्वयं सकल राजस्व की परिभाषा से रियायतों को अलग करता है और इसलिये अनुच्छेद 19-1 के अर्न्तगत रियायतों को राजस्व में सम्मिलित नहीं किया जाना है।
- टी डी सेट ने ए जी आर केस में यह निर्धारित किया कि राजस्व में रियायतों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, इसके विरुद्ध कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन निवेदन के साथ अपील दायर की थी। डी ओ टी ने भी उपरोक्त टी डी सेट के निर्णय के विरुद्ध क्रॉस अपील दायर की है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।
- उपरोक्त पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी के कारण, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज और लाभांश की आय को शामिल न करने के विधिक परामर्श के अधीन है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत निम्नानुसार है:

- रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों पर अलग और उपर से रियायत देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यापार वृद्धि के लिये व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है, इस प्रकार ऐसी रियायतें व्यय की प्रकृति का है। क्योंकि लाइसेन्स अनुबंध समायोजन की अनुमति नहीं देता इसलिये ऐसे खर्च को नहीं घटा सकते इसलिए इसे जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।
- जब कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस फीस के उद्देश्य से, राजस्व को किसी सम्बन्धित मद से समायोजित किये बिना, सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिये जैसा कि लाइसेंस समझौते में आदेशित है।

इस प्रकार आई ओ टी रियायतों को समायोजित किये जाने के परिणामस्वरूप, जी आर/ए जी आर ₹ 294.53 करोड़ कम बताया गया (अनुलग्नक 3.06)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 24.92 करोड़ और ₹ 15 करोड़ भुगतान नहीं हुआ किया गया (अनुलग्नक 3.06)।

3.2.3 अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त इनफ्रॉस्ट्रक्चर (संरचना) साझेदारी के राजस्व को कम बताया जाना

वी आइ एल और उसके सहयोगियों के स्वामित्व वाली दूरसंचार आधारभूत संरचना (टावर, नेटवर्क उपकरण इत्यादि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ शेयर की जा रही थी। वी आइ एल और इसकी सहयोगियों ने अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ संरचना साझेदारी हेतु अनुबंध किये हैं।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये वी आइ एल और इसके सहायक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत संरचना साझेदारी प्रभारों से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि वसूले जाने योग्य/वसूले गये संरचना साझेदारी प्रभार जैसे कि किराया, तेल (डीजल), बिजली, परिचालन और रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि को व्यय शीर्षों से घटाया गया, अतः राजस्व में शामिल नहीं किया गया। जैसा कि वोडाफोन ने पुष्टि की खर्च से घटायी गयी कुल राशि ₹ 381.91 करोड़ थी। राजस्व शेयर के लिये इस राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि;

- कम्पनी ने अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ आधारभूत संरचना सुविधाओं को शेयर करने के लिये व्यवस्थायें की है और इन सुविधाओं के चलाने और रखरखाव में हुए परिचालन व्यय को समानुपात में वहन किया जाता है। परिचालन व्यय के रूप में किये गये वास्तविक व्यय की गणना के बाद, कम्पनी स्वयं और वोडाफोन की सुविधाओं को साझा करने वाली अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच वास्तविक लागत को आपस में बाँट लेती है। यहाँ यह ध्यान देने के लिये प्रासंगिक है कि दूरसंचार प्रचालक, जो कम्पनी के साथ सुविधाओं को शेयर करती है, वह साइटों को चलाने के लिए वास्तविक परिचालन व्यय का समझौते के अनुसार अपना अंश वोडाफोन को भुगतान करती है। कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि साइटों को चलाने के लिये किये गये वास्तविक लागत का एक निश्चित समानुपात है और इसमें कम्पनी का कोई मार्जिन सम्मिलित नहीं था।
- संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर थी और इस प्रकार दूसरे दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए किये गये संचालन के मद में प्राप्त राशि को अवसंरचना सुविधाओं के साझा का राजस्व नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राप्त राशि और कुछ नहीं केवल ऐसे दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए किये गये खर्च का भुगतान भर है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि दूसरे दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त राशि उनके लिए किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति है, उसे कम्पनी द्वारा किये गये खर्च में से घटाया गया।
- अन्य ऑपरेटरों द्वारा केपेक्स के मद में किये गये भुगतान को सकल राजस्व में शामिल किया गया है और उस पर लाइसेंस फीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
- माननीय टीडीसेट का निर्णय है कि प्रतिपूर्तियों को राजस्व में शामिल नहीं किया जाना है और हमारे तथ्यों में प्रतिपूर्तियाँ स्वयं इनवायस से स्पष्ट है। इसलिये अनुच्छेद 19.1 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ राजस्व में शामिल नहीं की जा सकती।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जी आर में अनुमत आधारभूत संरचना साझेदारी का राजस्व, सम्बन्धित व्यय मद से समायोजित किये बिना शामिल है और लाइसेंस विशिष्ट रूप से केपेक्स और ओपेक्स के बीच आधारभूत संरचना साझेदारी राजस्व का भेद नहीं करता। इस प्रकार, आधारभूत संरचना साझेदारी की राजस्व का व्यय से समायोजन की अनुमति नहीं है। डीजल खर्च, सुरक्षा खर्च, मरम्मत और रखरखाव खर्च, बिजली प्रभार से सम्बन्धित राजस्व, प्रतिपूर्ति नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि इन पर व्यय किया ही जाना था चाहे टावरों को साझा किया जाये अथवा नहीं। वास्तव में व्यय को साझा करके, कम्पनी को अतिरिक्त आय का फायदा हुआ है।
- डी ओ टी ने टीडी सेट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है जैसा कि उत्तर में संदर्भित है। जब कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि क्योंकि यू ए एस एल, अनुच्छेद 19.2 के अन्तर्गत अनुमत मदों के अलावा किसी अन्य कटौतियों की अनुमति नहीं देता है, इसलिये आधारभूत संरचना साझेदारी राजस्व में से ओपेक्स कटौती, यू ए एस एल समझौते के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान आधारभूत संरचना साइट साझेदारी राजस्व (किराया, डीजल, बिजली, परिचालन व रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि) को घटाने के फलस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 381.91 करोड़ कम दिखाया गया (अनुलग्नक 3.07)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा इस राजस्व पर एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 27.75 करोड़ और ₹ 16.12 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.07)।

3.2.4 फोरेक्स लाभ पर विचार नहीं करना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आइ एल और इसकी सहायक कम्पनियों के द्वारा प्रदान किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में विनिमय दर परिवर्तन पर वैयक्तिक लेन-देन पर आधारित प्राप्त किया गया लाभ ₹ 169.07 करोड़ था। यह राशि राजस्व शेयर के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई, जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की।

आगे किसी मद के लाभ/हानि की अप्राप्ति के अन्तर्गत माध्यमिक अवधि में लेखाकंन के कारण किसी विशेष मद में उस वर्ष प्राप्त किया गया लाभ वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्ति के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। संचालको को, लेखांकित किये गये मूल मूल्य के सन्दर्भ में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए और जी आर/ए जी आर में कुल फारेक्स लाभ को शामिल करना चाहिए।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि;

- विदेशी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव से प्राप्त राशि काल्पनिक प्रकृति की है एवं राजस्व नहीं है। लेखामानकों के अनुसार अपेक्षित है कि विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से हुए काल्पनिक लाभ या हानि वर्ष के अन्त में लेखांकित किये जाये ताकि बैलेंस शीट की दिनांक पर कम्पनी का लाभ/हानि उचित रूप से दर्शाया जा सके। यह भी दोहराया गया कि लागत अथवा क्रय मदों जैसे कि कन्सलटैन्सी (परामर्श एजेन्सी) पर परिचालन व्यय, उपकरण की खरीद अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये कर्ज के सम्बन्ध में, विदेशी मुद्रा के कारण बदलाव, राजस्व का हिस्सा नहीं है, इस प्रकार परिवर्तन का अन्तिम परिणाम लागत या क्रय मूल्य की वृद्धि अथवा ह्रास में परिणामित होती है और राजस्व से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।
- टीडी सैट ने निर्णय दिया है (अप्रैल 2015) कि फोरेक्स लाभ को ए जी आर में शामिल नहीं करना था। डी ओ टी ने टीडी सैट के इस निर्णय के विरुद्ध चुनौती देते हुये क्रास अपील दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
- इस विषय में लम्बे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक वोडाफोन, ब्याज और लाभांश से प्राप्त राशि को ए जी आर गणना में शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं था। इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.5 में फारेक्स लाभ के वर्णन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या की गयी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2015 के टीडी सैट के निर्णय के विरुद्ध डी ओ टी ने अपील की है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तर्गत निर्णयाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ, राजस्व साझा के लिए गणना की गयी

जी आर का एक भाग होना चाहिए क्योंकि यह यू ए एस एल करार में दिये गये जी आर की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत आती है।

जी आर/ए जी आर की गणना के लिए फोरेक्स लाभ की ₹ 169.07 करोड़ को शामिल न करने के परिणाम स्वरूप कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 13.55 करोड़ और ₹ 6.58 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 3.08)।

3.2.5 ब्याज आय को राजस्व साझेदारी हेतु शामिल नहीं किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आइ एल और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि ₹ 5971.24 करोड़ की ब्याज आय को ए जी आर की गणना में शामिल नहीं किया गया था।

आकड़ों और तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि;

- “समायोजित सकल राजस्व”- (ए जी आर) एक सेवाक्षेत्र में लाइसेंस दूरसंचार परिचालन से सीधे उत्पन्न राजस्व से सम्बन्धित है। लाइसेंस प्रदाता/डी ओ टी ऐसी किसी गतिविधि से उत्पन्न आय का साझा किये जाने का दावा नहीं कर सकती है जो उसके द्वारा दिये गये लाइसेंस के साथ सम्बन्धित नहीं है और न ही उसके अन्तर्गत है और ऐसी गैर-दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित है जिसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।
- वोडाफोन और डी ओ टी द्वारा विभिन्न कानूनी फोरम पर क्रमशः किये गये दावे और काउन्टर दावों के सम्बन्ध में, टीडी सैट ने अपने निर्णय (अप्रैल 2015) में ए जी आर की गणना के लिये ब्याज आय और लाभांश को शामिल करने को कहा है जिसे वोडाफोन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है (सितम्बर 2015)।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज आय और लाभांश शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं था। राजस्व साझा के लिए ब्याज की आय का वर्णन करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.6 में की गयी है।

ब्याज आय शामिल न करने से जी आर/ए जी आर ₹ 5971.24 करोड़ कम दर्शायी गई। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 525.48 करोड़ और ₹ 307.67 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.09)।

3.2.6 लाभांश आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सकल राजस्व में, सम्बन्धित खर्चों इत्यादि की मदों को घटाये बिना सभी सेवा राजस्व, विविध राजस्व एवं लाभांश सम्मिलित करते हुए अन्य आय को, शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभांश आय की ₹ 2265.56 करोड़ की राशि तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि में जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- कम्पनी का मत था कि “समायोजित सकल राजस्व”- (ए जी आर) केवल सेवा क्षेत्र में लाइसेंस युक्त दूरसंचार परिचालनों से उत्पन्न राजस्व से ही सम्बन्धित है। लाइसेंस प्रदाता/डी ओ टी, ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न आय के साझा का दावा नहीं कर सकता जिसका प्रदान किये गये लाइसेंस से न कोई सम्बन्ध है और न ही उसके अन्तर्गत आते हैं और यह गैर दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित है जिसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।
- वोडाफोन और डी ओ टी द्वारा विभिन्न कानूनी फोरम पर क्रमशः विभिन्न अन्तराल में किये गये कानूनी दावे और काऊंटर दावों के सम्बन्ध में, टीडी सैट ने अपने निर्णय (अप्रैल 2015) में चाहा कि ए जी आर की गणना के लिये ब्याज आय और लाभांश शामिल हों, जिसे वोडाफोन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है (सितम्बर 2015)।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज आय और लाभांश को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं था। राजस्व साझा के लिए लाभांश आय का वर्णन करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.8 में की गयी है।

लाभांश आय को शामिल न करने से जी आर/ए जी आर, ₹ 2265.56 करोड़ की राशि से कम दर्शायी गई। परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 186.31 करोड़ और ₹ 120.65 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.10)।

3.2.7 राजस्व साझेदारी के लिये स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को शामिल न किया जाना

लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित खर्चों इत्यादि को घटाये बिना, ब्याज के मद का राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल होंगे। वोडाफोन और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रदान किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि स्थायी परिसम्पत्तियों से हुए ₹ 649.60 करोड़ के लाभ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए शामिल नहीं किया गया।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- वित्तीय विवरणियों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि के शुद्ध (नेट) राशि को वर्ष के दौरान एक शुद्ध (नेट) मद के रूप में दर्शाया जाता है।
- इस प्रकार पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ, पूंजी प्राप्ति का है। पूंजी लाभ एक कृत्रिम आय है।
- “सकल राजस्व” की परिभाषा में केवल राजस्व प्राप्ति ही शामिल होगी न कि पूंजी प्राप्ति और ए एस-9 के पैरा 3(i) में पूंजी लाभ को विशेष रूप से राजस्व की परिधि से बाहर रखा गया है।

- यह भी कहा गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कम्पनी के दृष्टिकोण को सही ठहराया है जिसे डी ओ टी ने दाखिल की गई अपील (सितम्बर 2015) के द्वारा चुनौती दी है और वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ को ए जी आर की गणना में शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

वोडाफोन प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस अनुबंध में राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में विविध राजस्व/आय को शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान है और परिसम्पत्ति/कबाड़ की बिक्री से लाभ विविध राजस्व/आय है। और केवल राजस्व प्राप्तियाँ ही नहीं बल्कि पूंजी से प्राप्तियाँ भी राजस्व साझेदारी की गणना योग्य है जैसे कि ब्याज और लाभांश। इसलिये पूंजी लाभ भी राजस्व साझेदारी की गणना के लिये लिया जाता है।
- टीडी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के संदर्भ में, डी ओ टी द्वारा फैसले के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।

मामला जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्व साझेदारी की गणना हेतु परिसम्पत्तियों/कबाड़ से बिक्री लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये। इस प्रकार, परिसम्पत्तियों/कबाड़ से बिक्री लाभ को शामिल न करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 649.60 करोड़ कम दर्शायी गई। फलस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 53.55 करोड़ और ₹ 29.76 करोड़ भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.11)।

3.2.8 राजस्व साझेदारी हेतु विविध आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित खर्चों इत्यादि को घटाये बिना, ब्याज के मद का राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल होंगे। ए जी आर विवरणियों में यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 में विविध आय की ₹ 13.72 करोड़ की राशि को ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए, प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- लाइसेंस अनुबंध के अर्न्तगत, विविध आय को ए जी आर में जोड़ना आवश्यक नहीं है।
- टीडी सैट ने ए जी आर मामले में कम्पनी का तर्क माना था। आगे, कबाड़ बिक्री, बीमा दावों इत्यादि से प्राप्तियों, जो उपभोक्ता से अथवा दूरसंचार प्रावधानों से संग्रहित नहीं की गई, को ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।
- विविध आय का एल एफ से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह पूँजी प्राप्ति है और इसे सामान्य व्यापार के संचालन में राजस्व नहीं माना जा सकता।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर 2015 को अपील स्वीकार कर ली जिसमें यह कहा गया था कि डी ओ टी किसी माँग को लागू करवाने के लिये कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेगा।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में विविध आय को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

वोडाफोन प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस करार प्राविधानित करता है कि राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर में विविध राजस्व को शामिल किया जाना चाहिये।
- उत्तर में संदर्भित अप्रैल 2015 के टीडी सैट के निर्णय को डी ओ टी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

मामला जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार विविध आय को राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये। विविध आय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 13.72 करोड़ कम दर्शायी गई तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.14 करोड़ और ₹ 0.73 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ (अनुलग्नक-3.12)।

3.2.9 ए जी आर की गणना के लिये जी आर से बटटे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती का दावा

जी आर/ए जी आर की परिभाषा बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों के मद में व्यय की कटौती की अनुमति नहीं देता।

वोडाफोन द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ए जी आर की गणना के लिये बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण की ₹ 507.25 करोड़ की राशि को जी आर से घटा दिया गया था।

तथ्यों और आँकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि:

- लाइसेंस अनुबंध के तहत, अशोध्य ऋण को ए जी आर में शामिल करना आवश्यक नहीं है। लाइसेंस अनुबंध के साथ संलग्न अनुलग्नक-III में विशिष्ट रूप से प्रपत्र दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत विविध शीर्षों (जैसे कि वसूला गया अशोध्य ऋण इत्यादि) के अन्तर्गत “गत वर्षों की वापसियों का ब्यौरा” डेबिट, यदि कोई है तो मद अनुसार दर्शाया जायेगा। वसूले गये अशोध्य ऋणों को राजस्व मानने का प्रश्न उस स्थिति में पैदा होता जहाँ पिछली अवधि में अशोध्य ऋण को राजस्व से कटौती के लिये अनुमत किया गया था। कम्पनी ने वसूले गये अशोध्य ऋणों को ए जी आर में शामिल किया है। अशोध्य ऋण को पुनः शामिल करना, जैसे कि प्रस्तावित है दोबारा प्रभार लगाना होगा जिसकी अनुमति नहीं है। यह भी वर्णन योग्य है कि अशोध्य ऋण वह आय है जो प्राप्त नहीं हुई है तथा इसलिये इसे राजस्व नहीं माना जा सकता और यह राशि काल्पनिक प्रकृति की है।

- जब कि माननीय टीडी सैट ने ए जी आर मामले में यह निर्णय दिया है कि अशोध्य ऋणों को राजस्व में शामिल किया जाना है, कम्पनी ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन के निवेदन के साथ अपील दायर की है। डी ओ टी ने भी टीडी सैट के उक्त निर्णय के विरुद्ध क्रॉस अपील दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को 30 सितम्बर 2015 में स्वीकार कर लिया गया, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि डी ओ टी किसी माँग को लागू करने के लिये कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेगा।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी, भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा दिया गया बयान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामले को देखते हुए, कम्पनी बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को ए जी आर की गणना में शामिल नहीं करने की कानूनी सलाह के अधीन है। यहाँ यह भी वर्णन करना आवश्यक है कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस अनुबंध ए जी आर गणना के लिये अशोध्य ऋण को जी आर से घटाने की अनुमति नहीं देता है।
- कम्पनी ने टीडी सैट के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि बटटे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण एक व्यय था और इसलिए कम्पनी के सकल राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

इस प्रकार, ए जी आर की गणना के लिये अशोध्य ऋणों को जी आर से घटाने के परिणामस्वरूप ए जी आर को ₹ 507.25 करोड़ कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 44.48 करोड़ और ₹ 26.56 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.13) ।

3.2.10 वोडाफोन लाइसेन्सी कम्पनियों द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों को पैसिव संरचना परिसम्पतियों का हस्तांतरण शून्य मूल्य पर किया जाना

वोडाफोन इण्डिया ग्रुप के अन्तर्गत आठ दूरसंचार लाइसेन्सी कम्पनियाँ हैं, नामतः:

- i) वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वी आइ एल) {पहले वोडाफोन एस्सार लिमिटेड} (वी इ एल)
- ii) वोडाफोन मोबाइल सर्विसेस लि0 (वी एम एस एल) {पहले वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेस लि0} (वी ई एम एस एल)
- iii) वोडाफोन ईस्ट लि0 (वी इ एल) {पहले वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि0} (वी इ इ एल)
- iv) वोडाफोन साऊथ लि0 (वी एस एल) {पहले वोडाफोन एस्सार साऊथ लि0} (वी इ एस एल)
- v) वोडाफोन डिजिलिंक लि0 (वी डी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार डिजिलिंक लि0} (वी इ डी एल)

- vi) वोडाफोन सेल्युलर लि0 (वी सी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लि0} (वी इ सी एल)
- vii) वोडाफोन वेस्ट लि0 (वी डब्ल्यू एल) {पहले वोडाफोन एस्सार गुजरात लि0} (वी इ जी एल)
- viii) वोडाफोन स्पेसटेल लि0 (वी एस पी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि0} (वी ई एस पी एल)

अन्तिम सात कम्पनियों पहली कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ हैं। अन्य वी आई एल के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, वोडाफोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 {पहले वोडाफोन एस्सार इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वी इ आइ एल)} कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत 19 जनवरी 2007 को निगमित की गई और 17 जून 2008 को आई पी-1 के रूप में डी ओ टी के द्वारा पंजीकृत हुई।

पहली सात लाइसेन्सी कम्पनियों (हस्तान्तरण कर्ता) की पैसीव अवसरचना (पी आई) परिसम्पतियों का हस्तांतरण वोडाफोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (हस्तान्तरित) को करने के लिये स्कीम आफ अरेंजमेंट (एस ओ ए) विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया और तदनुसार पी आई परिसम्पतियों बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित हो गई। इन पी आई परिसम्पतियों की लेखांकित मूल्य को, हस्तांतरण कर्ता कम्पनियों की लेखा पुस्तकों में समायोजन के लिये व्यय के रूप में लाभ/हानि लेखा में डेबिट कर दिया गया और इन परिसम्पतियों को हस्तांतरित कम्पनी की लेखा पुस्तकों में शून्य कीमत पर दर्शाया गया। हस्तांतरित पी आई परिसम्पतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 3.4

हस्तांतरण करने वाली कम्पनी का नाम	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की तिथि	वर्ष जिसमें हस्तांतरित कम्पनी की लेखा पुस्तकों में हस्तांतरित की गई	हस्तांतरित पी आई परिसम्पतियों की लेखांकित मूल्य (₹ करोड़ में)
वोडाफोन पूर्व लिमिटेड	28 अक्टूबर 2009	2010-11	92.38
वोडाफोन सेलुलर लिमिटेड	17 नवम्बर 2009	2010-11	619.53
वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	17 दिसम्बर 2009	2010-11	97.80
वोडाफोन मोबाईल सर्विस लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	168.82
वोडाफोन साउथ लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	1730.21
वोडाफोन डिजिलिंक लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	985.95
वोडाफोन वेस्ट लिमिटेड	27 अगस्त 2012	2011-12	292.11
		कुल	3986.80

इन परिसम्पतियों को अन्ततः इण्डस टावर लि0 (इंडस) को जो वोडाफोन, एअरटेल और आइडिया की ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी थी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल 2013 को अनुमोदित एस ओ ए के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इण्डस ने इन पी आई परिसम्पतियों को अपनी लेखा पुस्तकों में उचित कीमत पर रिकार्ड किया जिसका ब्यौरा लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं है।

वोडाफोन लाइसेन्सी कम्पनियों द्वारा बिना किसी मूल्य के इसकी सहायक कम्पनियों को पी आई परिसम्पतियों का हस्तांतरण जिसे अन्ततः उचित मूल्य पर एक ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी को हस्तांतरित किया गया (जिसका ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं था), एक दूर का लेनदेन नहीं था। यह वर्णन करना प्रासंगिक होगा कि इण्डस में अन्य भागीदार भारती ऐयरटेल लिमिटेड (बी ए एल) ने इसी प्रकार अपने पी आई परिसम्पतियों को जिनका लेखांकित मूल्य ₹ 5739.60 करोड़ था, अपनी सहायक कम्पनी

{भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी आइ एल)} को 2007-08 की अवधि में शून्य मूल्य पर हस्तांतरित किया था और बी आइ एल ने इन परिसम्पत्तियों को इनके उचित मूल्य ₹ 8235.97 करोड़ (इनके लेखांकित मूल्य से ₹ 1.434 गुणा अधिक) पर अपनी लेखा पुस्तकों में रिकार्ड किया था। शून्य मूल्य पर एअरटेल के पी आइ परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 में टिप्पणी की गई थी।

वोडाफोन द्वारा लेखांकित मूल्य ₹ 3986.80 करोड़ की पी आइ परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण उचित मूल्य के स्थान पर 'शून्य' मूल्य पर किये जाने के परिणामस्वरूप लाभ को छोड़ दिया गया जिसके कारण लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम युसेज प्रभार का भुगतान नहीं हुआ, जिसकी राशि को लेखापरीक्षा द्वारा परिमाणित नहीं किया जा सका।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर में कहा कि:

- यह स्कीम, जो कि सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित थी, वी आई एल ग्रुप की पी आइ परिसम्पत्तियों को उसकी दूसरी सहायक वी आई एल को 1.4.2009 को निर्धारित तिथि को हस्तांतरण करने के लिये प्राविधानित करनी थी।
- इस स्कीम का प्रयोजन वी आई एल ग्रुप के अन्दर विभिन्न व्यापारिक आवश्यकतों को अधिक सुचारू ढंग से चलाने के लिये, पी आइ परिसम्पत्तियों के स्वामित्व की पुनः संरचना थी और इसमें वी आई एल ग्रुप से बाहर किसी अन्य पार्टी के साथ परिसम्पत्तियों और दायित्वों का परिवर्तन शामिल नहीं था और इसलिये हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के किया गया।
- यद्यपि वी आई एल ग्रुप ने परिसम्पत्तियों का मूल्य अपनी लेखा पुस्तकों से बट्टे-खाते में डाल दिया, उन्होने लाइसेंस फीस की गणना करते समय इस बट्टे-खाते के मद में कटौती का दावा नहीं किया।
- सकल राजस्व में केवल राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित है, पूँजी प्राप्तियाँ नहीं।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय तक लम्बित मुकदमेबाजी, भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा दिया गया बयान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामले को देखते हुए, कम्पनी ए जी आर की गणना में परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है। यहाँ पर यह वर्णन अनावश्यक है कि उपरोक्त इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि वोडाफोन लाइसेंसी कम्पनियों का इसकी सहायक कम्पनियों को पी आइ परिसम्पत्तियों का बिना किसी मूल्य पर हस्तांतरण, जिसे बाद में एक ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी (इन्डस टावर्स लि0) को उचित मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया गया, एक दूरी का लेनदेन नहीं था। इन्डस टावर्स लि0 द्वारा लेखांकित मूल्य और लेखा में दर्ज मूल्य का अन्तर, परिसम्पत्ति के हस्तांतरण पर लाभ को छोड़ना था। परिसम्पत्ति हस्तांतरण पर छोड़ा गया लाभ, एल एफ और एस यू सी की गणना में शामिल किया जाना चाहिये।

3.2.11 राजस्व साझेदारी के कम भुगतान पर ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मामलों (पैरा 3.2.1 से 3.2.9) में एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 1345.41 करोड़ ₹ 807.54 करोड़ आगणित किया गया था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 1178.84 करोड़ था (अनुलग्नक-3.14)। ब्याज की गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित दर जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की वर्तमान प्राइम लेन्डिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक है, के आधार पर की गई है और गणना के लिए ली गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज मासिक चक्रवृद्धि आधार पर निकाला गया है।

3.3 राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (ए जी आर विवरणी) में खुलासा

यु ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खण्ड 20.7 में वर्णित है कि वार्षिक वित्तीय लेखा एवं राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (ए जी आर विवरणी) अनुलग्नक में निर्धारित मानक के अनुसार बनाई जायेगी। यु ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस समझौते का अनुलग्नक III वार्षिक वित्तीय विवरणियों को बनाने के लिये मानक के बारे में प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ए जी आर विवरणियों, वार्षिक वित्तीय विवरणियों और सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि इन सभी मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया। विशेषतः, यह प्रगट हुआ कि सेवाकर, बिक्रीकर, रियायत/छूट, वस्तुओं की बिक्री, इन्वेन्टरी, व्यय के विरुद्ध आय को घटाया जाना और बिल नहीं की गई संख्या के सम्बन्ध में मानको का पालन नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि वह अपने लेखाओं पर टिप्पड़ियाँ जो कि सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षित ए जी आर का भाग हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि लागू प्रगटीकरण मानकों से कुछ विचलन है जैसा कि राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी के अनुलग्नक-I के नोट संख्या-5 में दिखाया गया है, जो कि यु ए एस एल अनुबंध 842-1017/2008 ए एस-IV दिनांक 20.10.2008 के अनुलग्नक-III द्वारा अपेक्षित था। तथापि, इसका देय समायोजित सकल राजस्व और लाइसेंस फीस की गणना पर कोई प्रभाव नहीं है।

प्रतिवेदन में उल्लेख किये गये राजस्व को कम दिखाने के मामलों से इसकी पुष्टि होती है कि लाइसेंस फीस के भुगतान हेतु मान्य राजस्व, लाइसेन्स की शर्तों के अनुरूप नहीं था और न ही लेखाओं को पूर्ण रूप से डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बनाया गया था। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- मानको के अनुसार राजस्व को सकल रूप में बिना किसी कटौती के दर्शाया जाना था। परन्तु जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेखित पैराग्राफ से देखा जा सकता है कि रियायतों/कमीशन/माफी, फ्री एअरटाइम इत्यादि को राजस्व से घटा दिया गया और डी ओ टी को प्रकट नहीं किया गया।
- पी एस पी द्वारा संविदा की शर्तों को पालन नहीं करने पर डी ओ टी से प्रतिक्रिया मांगा गया। डी ओ टी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डी ओ टी, सेवा प्रदाता से लाइसेन्स समझौते के अनुलग्नक-III के अर्न्तगत आवश्यक वार्षिक वित्तीय विवरणी की तैयारी सम्बन्धी मानकों के अनुपालन सम्बन्धी

निर्देशों को जारी करने और अनुपालन करवाने में उन वर्षों में असफल रहा, जो महत्वपूर्ण था। परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कम्पनी ने जी आर/ए जी आर को कम दर्शाया और डी ओ टी इसका पता नहीं लगा सकी।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वोडाफोन ग्रुप का जी आर ₹ 198846 करोड़ था, कटौतियों का दावा ₹ 60943 करोड़ था और औसत कटौती का प्रतिशत जी आर का 31 प्रतिशत बनता है। यद्यपि वोडाफोन ग्रुप द्वारा दावा की गयी कटौतियाँ, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों (सी सी ए) द्वारा सत्यापन के अधीन थी, डी ओ टी स्तर पर कम्पनी द्वारा स्वयं घोषणा पर सकल राजस्व का मात्र 69 प्रतिशत पर ही आंकलन किया गया।

यह भी कि एल एफ विंग, लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III के अनुसार जानकारी जो आवश्यक रूप से टी एस पी द्वारा रखी जानी थी, प्राप्त करने में असफल रहा तथा इस जानकारी के अभाव में सत्यापन और आंकलन की प्रक्रिया अप्रभावी हुई।

इस प्रकार, सेवा प्रदाता की राजस्व साझेदारी का पूर्ण सत्यापन और आंकलन उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाता द्वारा दावा किये गये कटौतियों के सत्यापन पर ही केन्द्रित रहा।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/वी आई एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स वी आई एल द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अगस्त 2016 में डी ओ टी और वी आई एल को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रेषित कर दिया गया था। वी आई एल ने परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने उत्तर को एक बार फिर दोहराया (सितम्बर/नवम्बर 2016)। डी ओ टी का उत्तर पैराग्राफ 2.4 में उल्लेखित है।

अध्याय- IV

आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) द्वारा राजस्व हिस्सेदारी

4.1 आई सी एल की संक्षिप्त रूपरेखा

मैसर्स आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) आदित्य बिडला ग्रुप के अन्तर्गत एक कम्पनी है। प्रारम्भ में इसे बिरला कम्यूनिकेशन लिमिटेड के रूप में 1995 में निगमित किया गया था तथा इसने 1996 में मैसर्स ए टी एवं टी कार्पोरेशन से संयुक्त उद्यम के बाद अपना नाम बदलकर मैसर्स बिरला ए टी एवं टी कम्यूनिकेशन लिमिटेड कर दिया। पुनः कम्पनी ने टाटा से आन्ध्र प्रदेश सर्कल लाइसेंस प्राप्त करके 2000 में अपना नाम बदलकर बिरला टाटा ए टी एवं टी (बटाटा) कर दिया। 2002 में, कम्पनी ने अंततः अपना नाम बदलकर आइडिया सेलूलर लिमिटेड कर दिया और ब्रान्ड “आइडिया” प्रारम्भ किया। कम्पनी ने वर्ष 2004 व 2006 के दौरान क्रमशः एस्कोटेल (उत्तर प्रदेश पश्चिम, केरल एवं हरियाणा) तथा एस्कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश पूर्व, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश) को अधिग्रहित किया। कम्पनी ने 2009 में पूरे भारत में इसकी विद्यमानता स्थापित की। 1 मार्च 2010 से स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का विलय आइडिया (पंजाब व कर्नाटक एलएसएज) के साथ हो गया।

4.1.1 आइडिया सेलूलर लिमिटेड (आई सी एल) को प्रदत्त लाइसेंस

आई सी एल के पास 31 मार्च 2015 को 22 सेवा क्षेत्रों में एक्सेस सेवा लाइसेंस थे। इसके पास दो एन एल डी लाइसेंस, एक आई एल डी लाइसेंस, एक आई एस पी लाइसेंस के अलावा आई पी आई पंजीकरण हैं।

4.1.2 आई सी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम

आई सी एल एक जी एस एम ऑपरेटर है जो 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज व 2100 मेगाहर्ट्ज की बहुविध आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम रखता है जिसमें स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड से प्राप्त किये गये तथा इसे क्रमिक बोली द्वारा खुली नीलामी में हासिल किये गये स्पेक्ट्रम की मात्रा भी शामिल है। 31 मार्च 2015 को आइडिया द्वारा धारित संयुक्त रेडियो/माइक्रोवेव, एक्सेस/माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम की लाइसेंस क्षेत्रवार मात्रा निम्नलिखित थी:

तालिका 4.1

क्रम संख्या	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवृत्त मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)	एम डब्लू एक्सेस स्पेक्ट्रम	एम डब्लू बैकबोन स्पेक्ट्रम
			(मेगाहर्ट्ज में) ¹	
1	आन्ध्र प्रदेश	19.00	224	56
2	असम	5.00	112	56
3	बिहार	5.65	112	56
4	दिल्ली	13.60	448	0
5	गुजरात	12.80	168	112
6	हरियाणा	12.20	112	56
7	हिमाचल प्रदेश	9.40	112	56
8	जम्मू एवं कश्मीर	10.00	112	56
9	कर्नाटक (स्पाइस)	11.20	112	56
10	केरल	23.00	168	112
11	कोलकाता	5.00	112	0
12	मध्यप्रदेश	20.00	112	112
13	महाराष्ट्र	23.80	168	112
14	मुम्बई	6.40	168	0
15	उत्तर पूर्व	10.00	112	56
16	उड़ीसा	5.00	112	56
17	पंजाब (स्पाइस)	20.80	112	56
18	राजस्थान	6.20	168	112
19	तमिलनाडु	5.00	112	56
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11.20	168	56
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13.00	168	56
22	पश्चिम बंगाल	6.25	112	56

4.1.3 आई सी एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व (जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा भुगतान किया गया राजस्व शेष

दूरसंचार सेवा प्रदाता के द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर की एक निश्चित प्रतिशतता पर लाइसेंस फीस (एल एफ) व स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एस यू सी) के रूप में तिमाही आधार पर भुगतान करना होता है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अभिदाता बेस सहित आई सी एल द्वारा सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा साझा की गयी राजस्व निम्नलिखित है:

¹ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

तालिका 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिदाता आधार (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को) (करोड़ में)	सकल राजस्व	कटौती	समायोजित सकल राजस्व	लाइसेंस फीस (एल एफ)	स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एस यू सी)
2010-11	8,95	17,859	4,993	12,866	1,108.53	560.36
2011-12	11,27	22,610	6,617	15,993	1,410.03	747.36
2012-13	12,16	26,153	8,138	18,015	1,593.08	857.16
2013-14	13,57	30,964	9,147	21,817	1,785.28	1,033.00
2014-15	15,78	36,797	10,301	26,496	2,167.28	1,258.05
कुल		1,34,383	39,196	95,187	8,064.20	4,455.93

4.2 आई सी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैरा 1.2 में उल्लिखित है, सकल राजस्व सभी प्रकार के राजस्व जैसा उसमें बताया गया है सम्बन्धित व्यय की खर्च के मदों आदि के किसी समायोजन के बिना शामिल होगा तथा जैसा कि पैराग्राफ 1.3 में बताया गया है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कटौती/रिबेट का विवरण अलग दर्शाये जायेंगे।

आई सी एल की लेखा पुस्तकों/अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कम्पनी ने निम्नलिखित मामलों में लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

4.2.1 प्रीपेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व का निबल (नेट-ऑफ) करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह पाया गया कि:

- वितरकों/एजेन्ट को दिये गये कमीशन की प्रकृति के मार्जिन/कमीशन/कटौती को प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से निबल कर दिया गया था।
- अभिदाताओं को दिये गये ऑफर अर्थात् प्रमोशनल एयरटाईम, बोनस टॉक टाईम, प्रमो बकेट, फ्री एयर टाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज फीस, पी सी ओ प्रमोशनल एयर टाईम/रिचार्ज फीस, एडमिन फीस रिफंड-प्रीपेड तथा पी सी ओ एवं निःशुल्क एस एम एस/मिनट्स/कालातीत कार्ड/नॉन-मूविंग कूपन प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से निबल कर दिये गये थे।

मदवार विवरण नीचे दिया गया है:

अ. मार्जिन/कमीशन

लाइसेंस प्राप्त कम्पनी कमीशन आधार पर दूरसंचार सेवायें के विक्रय हेतु वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलर को नियुक्त करती है। कम्पनी वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट को अभिदाताओं को बिक्री हेतु प्रीपेड रिचार्ज कूपन्स/ई-टॉप आप की आपूर्ति करती है तथा उन्हें कमीशन/मार्जिन का भुगतान करती है। लेकिन कम्पनी ने जिस दर पर प्रीपेड सेवाओं के लिये छूट दी थी वह न तो वित्तीय प्रणालियों में थी न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये वितरक अनुबंधों में। उपरोक्त सूचना के अभाव में वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध डाटा का संज्ञान लेते हुए लेखापरीक्षा ने छूट की दर इसके प्रीपेड राजस्व का ₹ 4.34 प्रतिशत निकाली। इस अनुपात को लागू करते हुये, लेखापरीक्षा में सम्मिलित किये गये पाँच वर्षों में निबल की गई राशि ₹ 3417.90 करोड़ अनुमानित थी।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि:

- कम्पनी ने वितरकों को उत्पाद, वितरक मार्जिन समायोजन के बाद की कीमत पर बेचे तथा राजस्व को वितरक से वसूली गई राशि के रूप में माना है।
- ए एस-9 के अनुसार, “नकदी का सकल अन्तर्प्रवाह” वितरक द्वारा भुगतान की गई राशि थी एवं एम आर पी नहीं।
- टी डी सैट ने दिनांक 30 अगस्त 2007 के अपने आदेश में निर्धारित किया कि कम्पनी द्वारा वास्तव में वसूले गये राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के आदेश में भी निर्धारित किया कि वास्तविक बिक्री कीमत ही राजस्व होगी तथा एम आर पी एवं बिक्री कीमत के बीच अन्तर को सकल राजस्व में जोड़ा नहीं जा सकता।
- एम आर पी तथा वितरक के साथ सहमत कीमत के बीच अन्तर व्यापार छूट थी तथा इसे कमीशन नहीं कहा जा सकता था चूंकि वितरक ने इसे अर्जित नहीं किया था।

कम्पनी का उत्तर इस तथ्य पर स्वीकार्य नहीं है कि:

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर में शामिल राजस्व सम्बन्धित खर्च के मद के समायोजन के बिना होगा। इसलिये, सकल राजस्व बताया जाना चाहिये तथा कमीशन/मार्जिन/कटौती व्यय के रूप में अलग से दर्शाई जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2011 को टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय रद्द कर दिया था तथा दूरसंचार विभाग ने टी डी सैट के 23 अप्रैल 2015 के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

उपरोक्त पर विचार करते हुये, कम्पनी का जी आर/ए जी आर ₹ 3417.90 करोड़ रु तक कम बताया गया था जिसके परिणाम में एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 285.95 करोड़ व ₹ 174.92 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.01)।

ब. प्रीपेड राजस्व पर ऑफर्स को निबल करना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये प्रीपेड राजस्व के सम्बंध में आई सी एल की लेखांकन प्रणाली की जाँच में यह देखा गया था कि प्रीपेड अभिदाताओं को प्रमोशनल एयर टाईम, बोनस टॉक टाईम, प्रोमो बकेट, फ्री एयर टाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज फीस, पी सी ओ प्रमोशनल एयर टाईम/रिचार्ज फीस, एडमिन फी रिफंड-प्रीपेड व पी सी ओ तथा निःशुल्क एस एम एस/मिनट्स/कालातीत कार्ड/नॉन मूविंग कूपन की प्रकृति के ऑफर्स दिये गये थे। ₹ 2798.65 करोड़ के इन ऑफर्स के मूल्य की कटौती प्रीपेड राजस्व से की गयीं पाई गई परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर के लिये ऐसे राजस्व की पहचान नहीं की जा सकी।

अभिदाताओं के लिये ऐसे ऑफर्स कारोबार को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा थे और ऐसे ऑफर्स व्यय की प्रकृति के थे। प्रीपेड राजस्व से ऑफर्स को समंजन करने की कम्पनी की कार्यवाही लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- कुछ निश्चित प्रीपेड टैरिफ योजना के मामले में, यदि अभिदाताओं को विशिष्ट रिचार्ज वाउचर्स, मूल्य वर्ग द्वारा रिचार्ज करने पर फ्री एयर टाईम दिया गया था तो इस प्रकार की सभी टैरिफ योजना में राशियां जो वास्तव में अभिदाताओं द्वारा भुगतान की गई अंततः राजस्व के रूप में लेखांकित की गई। ऐसी सभी टैरिफ योजनायें ट्राई के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत थीं।
- चूंकि आई एन के साथ तालमेल बनाये रखने हेतु, फ्री एयर टाईम यूसेज के लिये राजस्व मासिक कट ऑफ में अधिक बताया गया था इसलिए लेजर में डेबिट थे ताकि इसे अभिदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि बराबर लाया जाये।
- कुछ प्रकरणों में आवश्यकता के कारण डेबिट आये क्योंकि कुछ अन्य राजस्व शीर्ष में क्रेडिट दर्शाये जाने चाहिये थे। इस प्रकार अंतर-राजस्व समायोजनाओं का ए जी आर पर कोई प्रभाव नहीं था।
- ए एस 9 के अनुसार राजस्व, उपभोक्ताओं पर लगाये गये प्रभारों द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए तथा वसूल किया गया प्रकृति का होना चाहिए।
- कम्पनी अभिदाताओं को कारोबारी सम्बंधों के निर्माण हेतु विविध प्रमोशनल टैरिफ योजनायें देती है। तथापि, इन योजनाओं में सामान्य घटक यह है कि अतिरिक्त टाक टाईम बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के दिया गया था। ऐसी योजनाएं टैरिफ प्लान का एक भाग थीं तथा अतिरिक्त/प्रमोशनल टाक टाईम टैरिफ में स्वतः ही समाहित था। ऐसा अतिरिक्त/प्रमोशनल टाक टाईम केवल व्यापार डिस्काउंट की प्रकृति का था और इस प्रकार विशेष रिचार्ज वाउचर की बिक्री से वसूली गई शुद्ध दर रियायती थी। यह अनुचित होगा कि निःशुल्क टाक टाईम अथवा अतिरिक्त टाक टाईम पर लाइसेंस फीस, जो कि सांकेतिक है तथा आपरेटरों द्वारा वसूली नहीं गई है, प्रभारित की जाये।
- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने आदेश में निर्धारित किया कि “.....‘सकल राजस्व’ की गणना किये जाने के उद्देश्य से, अन्तर्प्रवाह मद सांकेतिक नहीं अपितु वास्तविक होनी चाहिये।”

इस तथ्य के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि

- अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल ऑफर्स व्यवसाय एवं व्यय की राशि बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा का मत है कि एयरटाईम एक निःशुल्क वस्तु नहीं है, उसका स्वाभाविक मूल्य है तथा एफएटी/एफटीटी/एफओसी आदि देने के कारण लाइसेंस धारक इनको अलग से खर्च के रूप में दर्ज करने के बजाय राजस्व छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एलएफ एवं एसयूसी के भुगतान से बचा गया।
- अंतर-राजस्व समायोजन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं माने गये।
- टैरिफ के अनुसार तथा ग्राहक/एजेन्ट को प्रमोशन के रूप में दिये गये प्रमोशनल एयरटाईम, बोनस टॉकटाईम प्रमो बकेट, फ्री एयरटाईम/फ्लेक्सी रिचार्ज, फ्री टॉक टाईम/रिचार्ज, फीस पी सी ओ प्रमोशनल एयरटाईम/रिचार्ज फीस के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
- दूरसंचार विभाग ने टी डी सैट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि की राशि पर विचार न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 2798.65 करोड से कम बताया गया तथा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 234.65 करोड एवं ₹ 147.44 करोड कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.02)।

4.2.2 पोस्टपेड राजस्व को निबल करने के कारण राजस्व को कम बताना

पोस्टपेड राजस्व के सम्बंध में, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल के लेखांकन प्रणाली की संवीक्षा में यह देखा गया कि राजस्व जी एल कोड समायोजन, वेवर, प्रमोशनल एयर टाईम पी से पी, बहुतायत में एस एम एस, सिम्स बिल्ड टू चैनल, कटौती, बी एस सी एस समायोजन, वी ए एस कटौती आदि का विवरण दर्शाने वाली संख्याओं से डेबिट किये गये थे। अलग से व्यय के रूप में लेखांकित करने के बजाय ये मदें राजस्व से निबल कर दी गई थीं। राजस्व मद से इस प्रकार कुल निबल की गई राशि ₹ 181.27 करोड बनती थी।

ये प्रस्ताव/समायोजन कारोबार बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति के भाग थे और व्यय की प्रकृति के थे। पोस्टपेड राजस्व से उपरोक्त मदों के निवलीकरण की कम्पनी की कार्यवाही लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं थी तथा परिणाम यह हुआ कि सकल राजस्व कम बताये गये।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- राशियाँ जिन्हें ऐसी वेवर (माफी), छूट व रिबेट के कारण बिल में क्रेडिट किया गया कम्पनी की हानियाँ हैं और इसे राजस्व नहीं माना जा सकता। आधारभूत सिद्धांत यह है कि लाइसेंस फीस का भुगतान वसूली योग्य राजस्व पर किया जाना चाहिये तथा यह अनुचित होगा कि ए जी आर की गणना के प्रयोजन हेतु इस प्रकार की राशि को सांकेतिक रूप से जोड़ा जाये।
- कम्पनी सम्बन्धित बहीखातों में गलत प्रभार करने के कारण बाद के बिलों में अभिदाताओं को दिये गये क्रेडिट दर्शाने के आधार का अनुसरण करती है। इन मदों ने “सम्बन्धित मदों के निबल खर्चों” की राशि को नहीं बनाया।

- ए.एस-9 के अनुसार, राजस्व को सामान की बिक्री से प्राप्त रोकड़ अथवा सेवाएँ देने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है। रिबेट तथा माफी के ऐसे प्रकरण में ऐसी कोई वसूली नहीं थी।
- राजस्व शेयर के लिये कुछ कान्ट्रा प्रविष्टियों, समायोजनाओं, कर्मचारियों की बिलिंग में प्रतिवर्ती प्रविष्टियों पर भी लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया गया था।
- टी.डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, 'कटौती, माफी अथवा सदृश्य समायोजन' जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का मत है कि माफी, छूट एवं रिबेट व्यय की मदें थी। टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2011 को खारिज कर दिया था।

उत्तर के आधार पर जी आर/ए जी आर की पुनर्गणना ₹ 174.26 करोड़ हुई तथा इस राशि को राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार नहीं करना एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 14.20 करोड़ एवं ₹ 8.81 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.03)।

4.2.3 रोमिंग राजस्व का नेटिंग ऑफ

रोमिंग राजस्व के सम्बंध में, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये, आई सी एल की लेखांकन प्रणाली की जाँच से पता चला कि राजस्व जी एल कोड इंटर ऑपरेटिव टैरिफ (आई ओ टी) डिस्काउंट के साथ डेबिट किये गये/घटाये गये थे। व्यय के रूप में अलग से लेखांकित करने के बजाय इन मदों को राजस्व से निबल कर दिया गया था। राजस्व से इस प्रकार निबल की गई कुल राशि ₹ 131.73 करोड़ को जी आर/ए जी आर हेतु विचार नहीं किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था रखना दो सम्बन्धित ऑपरेटरों के मध्य आपसी अनुबंध का मामला था और रोमिंग के लिये सहमत प्रभार के अतिरिक्त छूट देना दो ऑपरेटरों के बीच व्यवसाय बढ़ाये जाने वाले समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति की थीं। रोमिंग राजस्व से उपरोक्त कटौती समायोजित करने की कम्पनी की कार्यवाही लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि

- ऐसी कटौतियां मात्रा आधारित हैं तथा कम्पनी के नेटवर्क में उनके अभिदाताओं द्वारा रोमिंग अवधि की मात्रा से जुड़ी हैं। ये कटौती स्लैब आधारित हैं तथा कम्पनी द्वारा अन्य ऑपरेटर से वास्तव में वसूला गया राजस्व, डिस्काउंट देने के बाद है। अतः ऐसी रोमिंग छूट व्यापार डिस्काउंट हैं तथा कम्पनी की व्यापार छूट को घटाकर रोमिंग राजस्व मानने की कार्यवाही निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप थी।
- जब छूट दी गयी उसने रोमिंग राजस्व को कम किया। उसी प्रकार जब प्राप्त की गयी उसने आउट रोमिंग के लिये भुगतान योग्य राशि को कम कर दिया इससे ए जी आर अधिक हो गया।

- यह मत कि ऐसी मात्रा/व्यापार छूट का राजस्व से किया गया निबलीकरण जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिये, गलत तथा लेखांकन मानकों के विरुद्ध था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों से और अधिक छूट देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था; अतएव ऐसी छूट व्यय की प्रकृति की थीं। चूंकि लाइसेंस अनुबंध कोई नेटिंग ऑफ की अनुमति नहीं देता ऐसे खर्च को घटाया नहीं जा सकता तथा इसलिए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

उत्तर के आधार पर, पुनर्गणना में कम बताया गया जी आर/ए जी आर ₹ 127.55 करोड़ आया। परिणामस्वरूप, एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 10.96 करोड़ एवं ₹ 6.33 करोड़ से कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.04)।

4.2.4 अवसंरचना शेयरिंग राजस्व पर विचार न करना

आई सी एल द्वारा धारित दूरसंचार अवसंरचना (टावर, नेटवर्क, उपस्कर आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किये जा रहे थे। आई सी एल ने अवसंरचना शेयरिंग के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ करार किये।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये अवसंरचना शेयरिंग प्रभारों से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की ओरेकल लेखांकन समीक्षा से पता चला कि किराया, ईंधन (डीजल), बिजली, प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण, बीमा, सुरक्षा व निगम कर के मद में वसूल किये गये अवसंरचना शेयरिंग प्रभार ₹ 437.11 करोड़ व्यय शीर्ष से निबल कर दिये गये थे तथा इसीलिये सकल राजस्व में शामिल नहीं किये गये।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- अवसंरचना उपयोग के लिये केपेक्स लागत हेतु प्रभार बीजक में लिखे गये थे तथा पूंजीगत लागत के आधार पर थे। ए एस 9 के अनुसार ये किराया राजस्व थे तथा ए जी आर का भाग हैं।
- व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे व्यय थे जो प्रचालन हेतु स्थल किराया, ईंधन, सुरक्षा, ए एम सी लागत व मरम्मत के लिये किये गये थे तथा जिसकी शेयरिंग पार्टी से आनुपातिक वसूली वास्तविक लागत खर्च पर आधारित की जानी थी। ए एस 29 के पैरा 46 व 47 में उल्लिखित ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति आय नहीं बना सकती।
- प्रचालन व्यय की प्रतिपूर्ति को विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह ऐसा प्रकरण नहीं था जहां कोई राजस्व मर्दे तथा लागत मर्दे निबल किये गये थे तथा राजस्व कम अथवा रिकार्ड नहीं किया गया था। यह एक ऑपरेटर द्वारा प्रचालनात्मक लागत के रूप में लागत की प्रतिपूर्ति का प्रकरण था लेकिन एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा शेयर किया जाना था तथा इसलिये एक ऑपरेटर द्वारा दूसरे ऑपरेटर से शेयर की लागत के इस प्रकार का भुगतान राजस्व नहीं माना जा सकता।

इस तथ्य पर उत्तर मान्य नहीं है कि:

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर से अवसंरचना की अनुमत्य शेयरिंग से प्राप्त राजस्व को व्यय के सम्बन्धित मद को समंजन किये बिना विशेष रूप शामिल करता है तथा लाइसेंस अनुबंध अवसंरचना की शेयरिंग से प्राप्त कैपेक्स एवं ओपेक्स राजस्व के मध्य कोई अंतर नहीं करता है। इसलिए अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का व्यय के विरुद्ध समंजन अनुमत्य नहीं है।
- लेखा परीक्षा का मत है कि डीजल खर्च, सुरक्षा खर्च, प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण खर्च एवं विद्युत प्रभार की ओर से राजस्व प्रतिपूर्ति नहीं होता क्योंकि इन्हें खर्च किया जाना था चाहे टावर शेयर किये गये थे नहीं। वास्तव में, व्यय की साझेदारी कर कम्पनी को अतिरिक्त आय से लाभ हुआ।
- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अवसंरचना की अनुमत्य साझेदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय के संबंधित मद को समंजन किये बिना जी आर में विशेषरूप से शामिल करता है। इसलिये, अवसंरचना साझेदारी से प्राप्त राजस्व का व्यय के विरुद्ध समंजन अनुमत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस अनुबंध केवल तीन अनुज्ञेय कटौती की अनुमति देता है तथा अवसंरचना साझेदारी से संबंधित ऐसी कोई कटौती अनुमत्य नहीं है।

उत्तर के आधार पर, जीआर को कम बताने की संशोधित धनराशि ₹ 403.14 करोड़ थी तथा इस राशि का राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार नहीं करना एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 34.92 करोड़ एवं ₹ 24.03 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.05)।

4.2.5 आइडिया (एन एल डी) व आइडिया (एल एस ए) के मध्य स्विच शेयरिंग से प्राप्त राजस्व का जी आर/ए जी आर के लिये विचार न करना

आइडिया के एक लाइसेंस क्षेत्र/परिमंडल से अन्य क्षेत्र/परिमंडल में कॉल आइडिया एन एल डी लाइसेंसधारक द्वारा पहुंचाई गई थीं। आइडिया यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंसधारक ने एन एल डी लाइसेंसधारक से स्विच साझा किया तथा एन एल डी लाइसेंसधारक ने सम्बन्धित एल एस ए को इसके लिए भुगतान किये।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये ओरेकल वित्तीय प्रणाली की जाँच में यह पाया गया कि आइडिया एन एल डी ने स्विच साझा करने हेतु सभी 22 एल एस ए को ₹ 161.19 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, एल एस ए के स्विच शेयरिंग व्यय के विरुद्ध एन एल डी से प्राप्त भुगतानों का राजस्व के रूप में लेखांकन करने के बजाय क्रेडिट किया। व्यय के विरुद्ध राजस्व का निवलीकरण लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था और उपरोक्त दो वर्षों के लिये आई सी एल के जी आर ₹ 161.19 करोड़ कम बताने में परिणीत हुआ। वर्ष 2012-13 से आगे आइडिया एन एल डी अपने स्विचों का उपयोग कर रहा था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- एन एल डी सेवायें लम्बी दूरी के यातायात की रूटिंग के लिये अन्य एल एस ए के स्विच का उपयोग कर रही थीं। चूंकि इन स्विचों को सम्बन्धित एल एस ए के लेखाबहियों में पूंजीगत किया गया है, सभी अनुरक्षण, मरम्मत एवं ह्रास व्यय भी सम्बन्धित एल एस ए में ही किये गये

एवं स्वयं लेखांकित किये गये। अतः प्रत्येक प्रभाग का उचित लाभ दर्शाने हेतु, ऐसे एल एस ए को स्विच के उपयोग हेतु एन एल डी प्रभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी।

- कम्पनी ने यह भी बताया कि प्रतिपूर्ति को राजस्व नहीं माना जा सकता और यह उल्लेख करना उचित नहीं था कि कम्पनी द्वारा लाइसेंस अनुबंध का कोई उल्लंघन किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर स्वतः कहता है कि एल एस ए को उनके स्विचों के उपयोग करने हेतु एन एल डी द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही थी तथा इसलिए यह अवसंरचना साझेदारी प्रकृति का था। लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर, अवसंरचना की अनुमत्य साझेदारी से प्राप्त राजस्व को किसी सम्बन्धित व्यय के मद को समंजन किये बिना शामिल करता है। इस प्रकार एल एस ए द्वारा एन एल डी शाखा से प्राप्त वास्तविक राशि उनके लेखों में राजस्व के रूप में दर्शाई जानी चाहिए थी तथा जी आर/ए जी आर हेतु विचार में ली जानी थी। एन एल डी प्रभाग से स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व का क्रेडिट के रूप में एल एस ए द्वारा लेखा के व्यय शीर्ष में बुक करना यू ए एस एल अनुबंध के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

अवसंरचना साझेदारी राशि का विचार न करना जीआर/एजीआर का ₹ 161.19 करोड़ कम बताने में तथा एल एफ एवं एस यू सी क्रमशः ₹ 14.67 करोड़ एवं ₹ 7.13 करोड़ के कम भुगतान में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.06)।

4.2.6 आई सी एल द्वारा अव्यवहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये परिसम्पत्तियों से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल करने के लिए विचार न करना

आई सी एल की एन एल डी सेवाओं के सम्बन्ध में पैसिव अवसंरचना (पी आई) से सम्बन्धित ट्रायल बैलैन्स तथा लेखांकन प्रविष्टियों की 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये जाँच में यह पाया गया था कि ₹ 109.24 करोड़ की राशि अव्यवहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) राजस्व के रूप में लेखांकित की गई थी। यह राजस्व विभिन्न अन्य ऑपरेटरों को आई आर यू आधार पर दिये गये ऑप्टिकल फाइबर केबिल (ओ एफ सी) से उपार्जित हो रहा था। तथापि, इस राजस्व को जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि वह अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I पंजीकरण धारित करता था। उल्लेखित राजस्व आई सी एल के पी आई प्रभाग से सम्बन्धित था तथा आई आर यू के अन्तर्गत अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑप्टिकल फाइबर केबिल (ओ एफ सी) की बिक्री से लेखाबद्ध किया गया था। लाइसेंस शर्तों के अनुसार, कम्पनी सभी लाइसेंसों के लिये अलग से लेखा पुस्तकों को बना रही है और तदनुसार आई पी-I लाइसेंस से सम्बन्धित लेन-देन ओरेकल वित्तीय प्रणाली में “पैसिव अवसंरचना डिविजन” नामक अलग लेखा पुस्तकों में लेखित किये जा रहे थे। आई सी एल के लाभ-हानि लेखों को तैयार करने के लिए ऐसा आई आर यू राजस्व, सेवा राजस्व के अन्तर्गत दर्शाया गया था लेकिन चूंकि इस राजस्व पर कोई लाइसेंस फीस लागू नहीं थी अतः यह राजस्व शेयर (एल एफ) के गणना हेतु जी आर/ए जी आर में विचारित नहीं किया गया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए उत्तर मान्य नहीं है कि राजस्व आई आर यू के तहत ओ एफ सी की बिक्री से था तथा इसलिए एन एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत सम्मिलित गतिविधियों के सदृश्य था।

अतएव, आई आर यू राजस्व ₹ 109.24 करोड़ का विचार न किया जाना लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं है तथा जी आर/ए जी आर के कम बताने तथा तदनुसार एलएफ के कम भुगतान ₹ 8.08 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.07)।

4.2.7 जी आर/ए जी आर हेतु फोरेक्स गेन के राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व के सहित होगा। ओरेकल वित्तीय प्रणाली के माध्यम से की गई लेखांकन की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये प्राप्त किया गया विनिमय लाभ ₹ 244.98 करोड़ था। तथापि, कम्पनी ने राजस्व शेयर के भुगतान के लिये गणना किये गये जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, जैसाकि लाइसेंस शर्तों में अपेक्षित था, पर विचार नहीं किया था।

जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2.5 में वर्णित है लेखापरीक्षा प्रत्येक मद की मूल कीमत के अभाव में प्रतिवर्ष प्राप्त लाभ के तहत लेखांकित किये गये मदों का वास्तविक मूल्य नहीं ज्ञात कर सका। ऑपरेटर को लेखों के मूल मूल्य के सन्दर्भ में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए तथा कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

कम्पनी द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर 2016) कि:

- लेखापरीक्षा ने लाइसेंस अनुबंध के खंड 19.1 को यह मानने के लिये संदर्भित किया है कि विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का लाभ जी आर का भाग होना चाहिये। जी आर को परिभाषित करने हेतु खंड 19.1 में प्रयुक्त शब्द मुख्यतः लाइसेंस के वे अर्न्तप्रवाह अर्थात् उन प्रभारों, फीस, प्राप्तियों एवं राजस्व से सम्बन्धित तथा समाहित करते हुए राजस्व हैं तथा वह राजस्व जो प्रतिफल पाने के लिए सेवा एवं वस्तुओं की इनवाइस बनाने में लिया जाता है और जो लाइसेंस के सेवा राजस्व का भाग है।
- दायित्व बुकिंग की तारीख व भुगतान की तारीख में विदेशी मुद्रा दर के अन्तर से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, खंड 19.1 के तहत उल्लिखित सकल राजस्व का भाग नहीं हो सकता।
- देनदारियों के पुनः कथन के कारण पूंजीगत उपकरणों एवं विदेशी मुद्रा ऋण से हुए विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव जो बाजार को मार्क या किसी क्लोजिंग तिथि के अन्त में हेज की गयी क्लोजिंग दर के कारण था, राजस्व नहीं था। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों का सेवा प्रदाता के राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। फोरेक्स उतार चढ़ाव के ए जी आर में प्रभाव को, चाहे उपर या नीचे, अनदेखा करना चाहिये। यह भी कहा गया था कि बताई गई किसी अवधि में विनिमय लाभ तथा विनिमय हानि अलग कर नहीं देखी जा सकती। यदि प्रयुक्त शब्द केवल लाभ था तो गणितीय रूप से हानि को ऋणात्मक लाभ के रूप में दर्ज करना चाहिये।
- राजस्व मान्यता पर लेखा मानक 9 के अनुसार, विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व के सहित होगा तथा लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी प्रासंगिक लाभ जी आर हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये वाणिज्यिक तरीके अपनाती रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार “लाभ/हानि” की गणना सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तिथियों पर व्यापारिक सम्पत्तियों की तुलना करने के बाद की जानी है। लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हुई हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किये गये लाभ पर विचार किया है।
- एएस-9 में केवल यह वर्णित करता है कि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण प्राप्त किये गये अथवा प्राप्त न किये गये लाभ और विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरणी के रूपांतरण से उद्भूत समायोजन राजस्व की परिभाषा में ए एस-9 के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किये गये थे। फोरेक्स गेन से लाभ/हानि का निरूपण ए एस-11 अन्तर्गत शामिल है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, जी आर/ए जी आर में ₹ 244.98 करोड़ की राशि कम बतायी गयी थी और परिणामतः एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 21.30 करोड़ तथा ₹ 10.97 करोड़ से कम हुआ (अनुलग्नक 4.08)।

4.3 राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरणी) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में प्रतिवेदित किया गया

4.3.1 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज की आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान उद्देश्य हेतु जी आर ब्याज से प्राप्त आय को सम्मिलित करके होगा। कारपोरेट तथा एल एस ए के जी एल कोड में ब्याज की आय के सम्बन्ध में ओरेकल प्रणाली के लेखों की 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये जांच से पता चला कि ₹ 298.32 करोड़ रु. की राशि ब्याज आय के रूप में लेखांकित की गई थी लेकिन राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने हेतु जी आर/ए जी आर में इसे शामिल करने के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा ट्रेजरी कार्य से अर्जित आय, दूरसंचार गतिविधियों के अभिदाताओं से उद्भूत नहीं हो रहा थी। कारपोरेट कार्यालय के लेन-देन हेतु कम्पनी द्वारा अलग लेखे बनाये गये थे और जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र में बनाये जा रहे लेखों के साथ ये लेखे सम्मिलित किये गये थे। कम्पनी ने आगे कहा कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुरूप एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान की गणना हेतु यह राशि शामिल नहीं की गई थी।

ब्याज आय को ए जी आर के लिए सम्मिलित न करने का प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरान्त अमान्य हो गया। साथ ही लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा राजस्व भागेदारी में जीआर/एजीआर की गणना हेतु ब्याज आय को सम्मिलित करना प्रदान करती है।

₹ 298.32 करोड़ के राजस्व पर विचार न करना जी आर/ए जी आर को कम बताने तथा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 24.30 करोड़ तथा ₹ 13.19 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.09)।

4.3.2 जी आर/ए जी आर में शामिल करने हेतु निवेश की बिक्री से लाभ का विचार न करना

लइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व लाइसेंस धारक द्वारा दी गई समस्त सेवाओं से उपार्जित राजस्व को जिसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा कोई अन्य विविध राजस्व, सम्बन्धित व्यय की मद आदि के कोई समंजन बिना होगा, सम्मिलित कर होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) के विवरणी की मद संख्या 4 जो कि यू ए एस एल अनुबंध का अविभाज्य भाग थी “निवेश से आय” को प्रतिबिम्बित करती है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि की लिये आई सी एल के वार्षिक लेखों की अनुसूचियों के अवलोकन में यह देखा गया कि निवेश की बिक्री से ₹ 593.25 करोड़ का लाभ दर्शाया गया था। ये आय मुख्यतया म्युच्युल फंडस तथा बांडस में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ हैं। लेकिन, आय को जी आर/एजीआर में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा ट्रेजरी कार्य के माध्यम से अर्जित ये आय, दूरसंचार गतिविधियों के अभिदाताओं से उद्भूत नहीं हो रही थीं। कारपोरेट कार्यालय के लेन-देन के लिये कम्पनी द्वारा अलग से लेखे बनाये गये हैं तथा जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये बनाये जा रहे लेखों के साथ ये लेखे सम्मिलित किये गये हैं। कम्पनी ने यह भी बताया कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुरूप, निवेश की बिक्री से हुए लाभ पर एल एफ व एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया था।

निवेश से आय को जी आर के लिए सम्मिलित न करने का प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरान्त अमान्य हो गया। इसके अतिरिक्त लाइसेंस अनुबंध राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने में निवेश से आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना प्रदान करता है।

निवेश की बिक्री से आय ₹ 593.25 करोड़ पर विचार न करने के परिणामस्वरूप जी आर/एजीआर कम बताया गया तथा तदनुसार एल एफ एवं एस यू सी क्रमशः ₹ 48.02 करोड़ एवं ₹ 26.70 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 4.10)।

4.3.3 जी आर/ए जी आर में समावेशन हेतु विविध राजस्व का विचार न करना

लइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन किये ब्याज, लाभांश तथा कोई अन्य विविध राजस्व के प्राप्त राजस्व को सम्मिलित कर होगा। 2010-11 से

2014-15 की अवधि के लिये वार्षिक लेखों की अनुसूचियों का अवलोकन करने तथा ओरेकल लेखांकन प्रणाली में सम्बन्धित जी एल कोड की जांच से यह पाया गया था कि विविध आय, स्टेल चैक क्रेडिट, विविध प्राप्तियाँ तथा विक्रय राजस्व-सामग्री (इन्वेन्टरी) के अन्तर्गत ₹ 19.39 करोड़ दर्ज किये गये थे।

तथापि, इस राजस्व का भारत सरकार को देय राजस्व शेयर की गणना करने हेतु सकल राजस्व में सम्मिलित करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि विविध आय जैसे स्क़ैप बिक्री, स्टेल चैक क्रेडिट, आदि व्यवसाय के लिए आकस्मिक थे तथा इनका दूरसंचार प्रचालन, जिसके लिये कम्पनी को लाइसेंस दिया गया, से कोई सम्बन्ध नहीं था। कम्पनी ने यह भी बताया कि टी डी सैट ने दिनांक 7 जुलाई 2006 के अपने निर्णय में कहा है कि लाइसेंसयुक्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व पर ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया जायेगा। कम्पनी ने आगे बताया कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, विविध आय ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी आर की परिभाषा यह प्रदान करती है कि राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जी आर में विविध आय का समावेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तथाकथित टी डी सैट के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय ने रद्द कर दिये थे।

राजस्व शेयर के लिये विविध आय पर विचार न करना ₹ 19.39 करोड़ के जीआर/एजीआर कम बताने तथा परिणामतः एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.70 करोड़ एवं ₹ 0.98 करोड़ में परिणीत हुआ (अनुलग्नक 4.11)।

4.3.4 अचल सम्पत्ति की बिक्री में लाभ से आय का जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन किये ब्याज, लाभांश तथा कोई अन्य विविध राजस्व के कारण राजस्व को सम्मिलित कर होगा। आई सी एल द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये डाटा/अभिलेखों की जांच से पता चला कि अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ ₹ 10.22 करोड़ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, “.....अचल सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त राजस्व जो पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति का था तथा बीमा दावे सकल राजस्व का भाग नहीं होने चाहिये.....” और इसलिये लेखापरीक्षा के इस मत को कि अचल सम्पत्ति के विक्रय से लाभ को सकल राजस्व का भाग होना चाहिये, नहीं मानते। कम्पनी ने यह भी बताया कि उसने अचल सम्पत्ति के विक्रय से लाभ/हानि को भली भांति लेखाबद्ध कर दिया था तथा सम्बन्धित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों से संदर्भित की जा सकती थी।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध हिस्सेदारी की गणना करने हेतु विविध राजस्व/आय को जीआर/एजीआर में समावेशित करना प्रदान करते हैं तथा सम्पत्ति/रद्दी (कबाड) की बिक्री पर लाभ विविध राजस्व के रूप में था। इसके अतिरिक्त, टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2011 द्वारा रद्द कर दिया था।

इस राशि का विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 10.22 करोड़ से कम बताये गये तथा तदनुसार एल एफ एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.08 करोड़ एवं ₹ 0.66 करोड़ हुआ (अनुलग्नक 4.12)।

4.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व भोयर का कम/गैर-भुगतान

4.4.1 बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के कारण अस्वीकार्य कटौती

उपरोक्त पैरा 1.2 में उल्लिखित लाइसेंस शर्तों के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण ए जी आर की गणना के लिए जी आर से कटौती के रूप में मान्य नहीं थे।

2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित राजस्व व लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरणी) की लेखापरीक्षित विवरणी की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 15 एल एस ए में जी आर से बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों ₹ 113.68 करोड़ का कटौती के रूप में दावा किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के आधार पर, वार्षिक लेखापरीक्षित ए जी आर तैयार करते समय कम्पनी ने 2013-14 के दौरान 15 एल एस ए के लिये बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की कटौती की थी। तथापि, दूरसंचार विभाग को एल एफ व एस यू सी का भुगतान करते समय कम्पनी ने बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की कटौती नहीं ली थी और इस सीमा तक एल एफ एवं एस यू सी का अधिक भुगतान किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षित ए जी आर में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों का दावा करने से सरकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित एजीआर विवरणी में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों हेतु छूट का दावा किया गया है तथा डी ओ टी का मूल्यांकन लेखापरीक्षित एजीआर विवरणी पर आधारित होगा। तदर्थ रूप में किये गये भुगतान को इस मद के विरुद्ध भुगतान नहीं माना जा सकता।

अतएव, ₹ 113.68 करोड़ की धनराशि जी आर/ए जी आर में कम बताई गई थी जिसके परिणामस्वरूप एल ए एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 9.09 करोड़ एवं ₹ 6.21 करोड़ हुआ (अनुलग्नक 4.13)।

4.4.2 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

उपरोक्त (पैरा 4.2.1 से 4.4.1) में उठाये गये मामलों पर एल एफ व एस यू सी के कम/गैर-भुगतान की गयी राशि क्रमशः ₹ 708.92 करोड़ तथा ₹ 427.37 करोड़ होती है। एल एफ व एस यू सी के इस कम/गैर-भुगतान पर ब्याज ₹ 657.88 करोड़ (अनुलग्नक 4.14) है। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेन्डिंग रेट से 2 प्रतिशत उपर तथा गणना के लिये विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित था ब्याज मासिक आधार चक्रवृद्धि था।

4.4.3 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत अनुलग्नक III में अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खंड 20.7 में व्यवस्था है कि वार्षिक वित्तीय लेखे तथा राजस्व एवं लाइसेंस फीस के विवरणी (ए जी आर विवरणी) अनुलग्नक में निर्धारित मानकों का पालन करते हुये तैयार किये जायेंगे। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुलग्नक III वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए मानकों की व्यवस्था प्रदान करता है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ए जी आर विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा सम्बन्धित लेखांकन अभिलेखों की जांच से यह निर्दिष्ट हुआ कि इन सभी मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। विशेष तौर पर, ऐसा प्रकट हुआ कि सेवा कर, बिक्री कर, डिस्काउंट/रिबेट, सामान की बिक्री, इन्वेन्टरी, व्यय एवं बिना बिल किये नम्बर के विरुद्ध आय के समंजन से सम्बन्धित मानकों का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, कम्पनी द्वारा दिया गया मदवार उत्तर निम्नवत था:

- ओरेकल वित्तीय प्रणाली (ओ एफ एस) में सेवा कर/बिक्री कर दायित्यों तथा संग्रहण हेतु पृथक सामान्य बही खाते बनाये गये हैं।
- सामान की बिक्री होने पर, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्यापार से सम्बन्धित पारिमाणिक विवरण तथा इन्वेन्टरी मूल्य-निर्धारण की लेखांकन नीति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, को वार्षिक वित्तीय विवरणी में पहले ही बता दिया गया था।
- इस मद के सम्बन्ध में कि विक्रय सकल दर्शाया जायेगा तथा अनुमत डिस्काउंट/छूट एवं विक्रय वापसी का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा, कम्पनी ने बताया कि सेवा राजस्व के लिये लेखा ग्रुप, उस ग्रुपिंग में प्रयोजनार्थ सामान्य बही खाता कोड में आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

प्रतिवेदन में दर्शाये गये कम राजस्व के उदाहरण यह पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये पहचाने गये राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही लेखों को तैयार करना दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के पूरी तरह अनुपालन में थे।

उदाहरणार्थ, मानकों के अनुसार राजस्व को सकल रूप में बिना किसी कटौती के दर्शाया जाना था। तथापि, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में वर्णित है से यह देखा जा सकता था कि डिस्काउंट/कमीशन/माफी, निःशुल्क एयरटाईम आदि राजस्व से निबल कर दिये गये थे तथा दूरसंचार विभाग को नहीं बताया गया यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया कि सेवा राजस्व, सम्बन्धित सामान्य बही खाते में आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III जोकि महत्वपूर्ण था, के अन्तर्गत अपेक्षित है, दूरसंचार विभाग, पिछले कुछ वर्षों से सेवा प्रदाताओं को वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने में मानकों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी अनुदेश जारी करने तथा लागू करने में विफल रहा। परिणामतः वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, कम्पनी ने अपने जी आर/ए जी आर कम बताये तथा दूरसंचार विभाग इसका पता नहीं लगा सका।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, आई सी एल का जी आर ₹ 134383 करोड़ था, ₹ 39196 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था तथा औसत कटौती प्रतिशतता जी आर का 29.17 प्रतिशत आती है। यद्यपि आई सी एल द्वारा दावा की गयी कटौतियों नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों (सी सी ए) द्वारा सत्यापन के अधीन थी, दूरसंचार विभाग स्तर पर सकल राजस्व के 70.83 प्रतिशत मात्र का मूल्यांकन केवल कम्पनी द्वारा की गई स्व-घोषणा के आधार पर है।

दूरसंचार विभाग का एल एफ विंग, लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अनुसार टी एस पी द्वारा तैयार की जाने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने में असफल रहा तथा इस डाटा का अभाव सत्यापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया को अप्रभावी कर देगा। इस प्रकार, सेवा प्रदाता के राजस्व शेयर का सम्पूर्ण सत्यापन व मूल्यांकन उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गयी कटौतियों के सत्यापन पर केन्द्रित है।

4.5 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/आई सी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स आई सी एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, दूरसंचार विभाग तथा आई सी एल को सितम्बर 2016 के दौरान उनकी और टिप्पणी करने हेतु भेज दी गई थीं। आई सी एल ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में परिसर लेखापरीक्षा करते समय दिया गया अपना उत्तर एक बार पुनः दोहराया (सितम्बर 2016)। दूरसंचार विभाग का उत्तर पैरा 2.4 में वर्णित जैसा ही है।

अध्याय— V

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी

5.1 रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) और रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (आर टी एल) रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आर कॉम) की दो शाखाएँ हैं जो सम्पूर्ण भारत में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। जहाँ आर टी एल ने सन् 1995 में सात¹ लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) के लिए सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस (सी एम टी एस) लाइसेंस प्राप्त करके जीएसएम सेवा प्रदाता के रूप में कार्य प्रारम्भ किया, आर सी एल, पूर्व में रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड (आर आई सी) ने सर्वप्रथम सन् 1997 में गुजरात में आधारभूत सेवाओं (बेसिक लाइसेंस) के लिए लाइसेंस प्राप्त किए। सन् 2001 में, आर सी एल ने अट्टारह² अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए जिनमें से सभी नवंबर 2003 में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) में परिवर्तित हो गये थे। सितंबर 2004 में आर सी एल ने जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र के लिए भी यू ए एस एल प्राप्त किया जिसने इसका अधिकार क्षेत्र 20 एल एस ए तक विस्तारित कर दिया। आर टी एल ने सन् 2001 में कोलकाता के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त करके अपने प्रचालन में एक और लाइसेंस सेवा क्षेत्र को शामिल किया। इस प्रकार बिहार, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के छह लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में दोनों आर सी एल व आर टी एल के पास लाइसेंस थे।

उपरोक्त बताए गये लाइसेंसों के अतिरिक्त आर सी एल के पास सन् 2002 में अर्जित एन एल डी एवं आई एल डी लाइसेंस भी हैं। जहाँ यह लाइसेंस आर सी एल की दूरसंचार सेवाओं को समर्थित करती है, वहीं इसकी इंटरनेट सेवाएँ रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी, जिसके पास आई एस पी 'ए' लाइसेंस था। आर सी आई एल, आर सी एल के लिए बिलिंग एवं संग्रह करने वाला अभिकर्ता भी है। आई एस पी लाइसेंस की वैधता नवंबर 2013 में समाप्त हो चुकी थी तथा इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट व्यापार को आर सी एल के यू ए एस एल के साथ एक उन्नतिशील व्यवस्था प्रतिष्ठान के आधार पर विलय किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था के लिए डी ओ टी का अनुमोदन प्रतीक्षित था (जून 2016)।

5.1.1 आर सी एल एवं आर टी एल के द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

सन् 2008 में आर सी एल ने जी एस एम स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा आर टी एल को सी डी एम ए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया जिसने इन कंपनियों को दोनों तकनीकों में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया। इन कंपनियों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम नीचे दर्शाया गया है:

¹ असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नार्थ ईस्ट, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

² आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल

तालिका 5.1

आर सी एल				
एल एस ए	तकनीकी		माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव बैंक बोन स्पेक्ट्रम
	जी एस एम	सी डी एम ए		
(मेगाहर्ट्ज में) ³				
आंध्र प्रदेश	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2x5	112	56
बिहार		2 x 5	56	56
गुजरात	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	112
हरियाणा	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
हिमाचल प्रदेश		2 x 2.5	112	56
जम्मू एवं कश्मीर	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 2.5	0	0
कर्नाटक	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	112
केरल	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
मध्य प्रदेश		2 x 5	112	56
महाराष्ट्र	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
ओडिशा		2 x 3.75	112	56
पंजाब	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
राजस्थान	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 3.75	112	56
तमिलनाडु	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	56
उ. प्र. (पश्चिम)	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	56
उ. प्र. (पूर्व)	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	56
पश्चिम बंगाल		2 x 3.75	112	56
कोलकाता		2 x 5	112	0
दिल्ली	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	112	0
मुंबई	2x4.4 मेगाहर्ट्ज	2 x 5	168	0
आर टी एल				
एल एस ए	तकनीकी		एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम	एम डब्ल्यू बैंक बोन स्पेक्ट्रम
	जी एस एम	सी डी एम ए		
(मेगाहर्ट्ज में)				
असम	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज	2 x 2.5	168	56
बिहार	2 x 8 मेगाहर्ट्ज		112	56
हिमाचल प्रदेश	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
कोलकाता	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	
मध्य प्रदेश	2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
नार्थ ईस्ट	2x6.2 मेगाहर्ट्ज	2x2.5	112	56
ओडिशा	2x6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56
पश्चिम बंगाल	2x6.2 मेगाहर्ट्ज		112	56

आर टी एल ने दूरसंचार विभाग द्वारा मार्च 2015 में की गई नीलामी में सात लाइसेंस सेवा क्षेत्रों अर्थात् असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, जिनके लाइसेंस दिसंबर 2015 में खत्म हो रहे थे, के लिए दिसम्बर 2015 में स्पेक्ट्रम खरीदे। नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नलिखित था :

³ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

तालिका 5.2

परिमंडल	900 मेगाहर्ट्ज	1800 मेगाहर्ट्ज
असम	6.2	
बिहार	6.2	1.8
हिमाचल प्रदेश	6.2	
कोलकाता		6.2
मध्य प्रदेश	6.2	
नॉर्थ ईस्ट	6.2	1.8
ओडिशा	6.2	
पश्चिम बंगाल	6.2	1.8

5.1.2. आर सी एल तथा आर टी एल के द्वारा भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी तथा बताया गया राजस्व

तालिका 5.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोक्ता आधार (करोड़ में)	जी आर	कटौतियां	ए जी आर	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2010-11	13.70	17,717.15	6,869.30	10,847.85	61.23	1,167.64
2011-12	15.43	16,692.31	5,934.96	10,757.35	64.45	1,160.05
2012-13	12.42	16,660.36	6,289.02	10,371.33	62.25	1,114.28
2013-14	11.21	17,185.76	6,093.12	11,092.65	64.55	1,215.98
2014-15	11.07	16,460.26	6,221.74	10,238.52	62.2	1,098.50
कुल		84,715.84	31,408.14	53,307.70	62.93	5,756.45

5.2. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किए गये आर सी एल व आर टी एल के ए जी आर विवरणों सहित लेखाकरण अभिलेखों की समीक्षा ने लाइसेंस शर्तों का सही प्रकार से अनुपालन नहीं होने के उदाहरण दर्शाये जिससे सरकार को भुगतान की जाने वाली राजस्व हिस्सेदारी पर असर पड़ा जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

5.2.1 यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत गतिविधियों से अर्जित राजस्व को आई एस पी लाइसेंस को पास ऑन कर राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान से बचना

रिलाइंस कम्प्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर सी आई एल) जो 'ए' कैटेगरी आई एस पी लाइसेंसधारक है आर सी एल की सहायक कंपनी थी। आई एस पी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आर सी आई एल द्वारा देय लाइसेंस फीस केवल एक रूपया (₹ 1) प्रतिवर्ष थी। आर सी आई एल की गतिविधियों में ब्रांड नामों आर कनेक्ट⁴, आर वर्ल्ड⁵, 1234, 2345 तथा एस एम एस कंटेंट सेवाओं के अंतर्गत इंटरनेट, विविध

⁴ आर कनेक्ट—आर सी आई एल द्वारा आर सी एल उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं

एप्लीकेशन, कंटेंट व अन्य सहायक सेवायें उपलब्ध कराना शामिल था। 'आर कनेक्ट' जबकि आर सी एल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी गई इंटरनेट सेवा थी, 'आर वर्ल्ड' एप्लीकेशन एवं कंटेंट जिसमें मोबाइल टीवी, वीडियो, गेम्स, क्रिकेट अपडेट, म्यूजिक एवं रिंग टोन इत्यादि शामिल थी हेतु एकल समाधान स्थल था।

आर सी एल, एक यू ए एस लाइसेंसधारी, का आर सी आई एल के साथ अनुबंध थे जिसके द्वारा आर सी आई एल उपरोक्त सभी सेवाएं आर सी एल के उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा तथा आर सी एल उपरोक्त सेवाओं में सहायतार्थ वांछित एक्सेस सहायता उपलब्ध करायेगी। आर सी एल तथा आर सी आई एल के बीच अनुबंधों के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच 'आर कनेक्ट' सेवाओं तथा एप्लीकेशन एवं कंटेंट सेवाओं ('एस एम एस' एवं 'एम एम एस' आधारित एप्लीकेशन तथा कंटेंट सेवाओं सहित) के लिए राजस्व की हिस्सेदारी करनी थी।

आर सी एल व आर सी आई एल दोनों कंपनियों की लाइसेंस गतिविधियों के संदर्भ में दोनों इकाईयों के लेखाकरण अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि सेवाये जिन्हें आर सी एल के यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत सामान्य गतिविधियाँ होना चाहिए था, को आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था तथा इन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल (आई एस पी लाइसेंसधारी) के लेखा में शामिल किया गया तथा राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया था। आर सी आई एल में लेखांकित राजस्व के संवर्ग, जिसका आर सी एल द्वारा प्रतिवेदित जी आर पर असर पड़ा, की चर्चा नीचे की गई है:

5.2.1 (अ) आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट की मूल्य संवर्द्धन सेवाओं (वैस) के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व का सकल मूल्य

आर सी एल व आर सी आई एल के बीच अनुबंध के अनुसार इंटरनेट, विविध एप्लीकेशन, कंटेंट तथा सहायक सेवाएं आर सी आई एल द्वारा 'आर वर्ल्ड' एवं 'एस एम एस कंटेंट सर्विस' ब्रांड नामों से आर सी एल ग्राहकों को उपलब्ध कराई जायेंगी। अनुबंध में प्रावधान था कि एप्लीकेशन एवं कंटेंट सर्विस के लिए आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा देय अंशदान (सब्सक्रिप्शन) फीस का 25 प्रतिशत तथा ₹ 1 प्रति इवेंट/एंट्री/मैसेज आर सी आई एल द्वारा आर सी एल को भुगतान किया जाना था। तदनुसार आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट सेवाओं के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व (उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व) को आर सी आई एल के लेखा में लेखांकित किये गये थे तथा राजस्व का एक हिस्सा आर सी एल को स्थानान्तरित किया गया था। राजस्व का हिस्सा मुख्यतः आर सी एल द्वारा प्रदान किए गए अवसंरचना सहायता हेतु एक्सेस प्रभार था।

यह देखा गया कि आर सी आई एल द्वारा आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेंट सेवाओं के कारण रिकॉर्ड किये गये राजस्व वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान तेजी से घटे तथा वर्ष 2014-15 में कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं किया गया जबकि आर सी एल के लेखा में सहश्रय राजस्व आर सी आई एल के लेखा में शामिल किए गए राजस्व से अधिक हो गया। रूझान में बदलाव इस मुख्य तथ्य के कारण था कि आर सी आई एल की आई एस पी लाइसेंस 2013 में समाप्त हो गया तथा इसलिए संपूर्ण राजस्व आर सी एल के लेखा में दर्शाया गया था।

⁵ आर वर्ल्ड, 1234, 2345—एप्लीकेशन्स, कन्टेंट तथा अन्य सहायक सेवाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर सी आई एल की लेखाबहियों में आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सेवाओं से ₹ 1036.36 करोड़, को राजस्व के रूप में लेखा किया गया था तथा ₹ 327.28 करोड़ आर सी एल को स्थानान्तरित किया गया था। चूंकि आर सी एल ग्राहकों को आर सी आई एल द्वारा प्रदान की गई सेवायें मूल्यवर्धित सेवाओं (वी ए एस) की प्रकृति के थे, इस मद में उत्पन्न हुआ समस्त राजस्व आर सी एल के सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए था। समस्त राशि के सम्मिलित न करने के कारण, आर सी एल का जी आर 2010-11 एवं 2011-12 दो वर्षों हेतु ₹ 709.59 करोड़ कम बताया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि उसके उपभोक्ताओं ने आर सी एल के साथ-साथ आर सी आई एल दोनों की सेवाओं का लाभ लेने हेतु सहमति देते हुए ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर किए थे। उपभोक्ताओं को वायस सेवाएं आर सी एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी तथा इंटरनेट, कंटेंट एवं डाटा सेवाएं आर सी आई एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। चूंकि डाटा व कंटेंट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा प्रदान की गई थीं, डाटा सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया। एस एम एस कंटेंट के रूप में आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया राजस्व आर सी एल नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कंटेंट उपलब्ध कराने के कारण था। यह भी सूचित किया गया कि कंटेंट सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रावधान में लाइसेंस अथवा पंजीकरण तक की आवश्यकता नहीं होती है। वी ए एस सेवा का विपणन एवं प्रदान कंटेंट प्रदाता/कंटेंट संयोजकों द्वारा "ऑफ डेस्क मॉडल" के संबंध में, जो ट्राई द्वारा स्वीकार किया गया एक सिद्धान्त है, सीधे तौर पर दिया गया। इसके अतिरिक्त बताया गया कि आर सी आई एल के साथ व्यवस्था की ट्राई/डी ओ टी द्वारा भी जांच की गई थी तथा उनके द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किये गये थे।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया:

- आर सी एल व आर सी आई एल के बीच व्यवस्था दो इकाईयों के बीच सेवा एवं लेखाकरण के प्रावधान को सुगम बनाने हेतु थी। सेवा का उपभोग करने वाले उपभोक्ता इसका हिस्सा नहीं थे तथा अतः, आर सी एल द्वारा सी ए एफ पर ग्राहक की सहमति, आर सी आई एल की सेवाओं का उपभोग करने की सहमति, वी ए एस राजस्व को राजस्व हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित नहीं करने का औचित्य नहीं हो सकता है।
- आर सी एल उपभोक्ताओं को कंटेंट वितरण इंटरनेट पर नहीं उपलब्ध था तथा इसलिए यह आई एस पी लाइसेंस के क्षेत्र से परे था।

इस मद में जी आर को कम दर्शाने के कारण आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 57.85 करोड़ एवं ₹ 25.48 करोड़ आई। (अनुलग्नक 5.01)।

5.2.1 (ब) कॉलर रिंग बैंक टोन्स के लिए प्रभार

कालर रिंग बैंक टोन्स (सी आर बी टी) आर सी एल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई मूल्य सर्वाधिकृत सेवा थी। लेकिन सी आर बी टी सेवाओं से वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 की अवधि के ₹ 323.84 करोड़ के राजस्व को आर सी एल के लेखा में बुक नहीं किया गया बल्कि आर सी आई एल के लेखा में लेखांकित किया गया था। चूंकि ये सेवाएं आर सी एल उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई मूल्य सर्वाधिकृत सेवाएं थीं इसलिए इस मद में राजस्व को आर सी एल के जी आर में राजस्व हिस्सेदारी

की गणना हेतु सभी वर्षों में शामिल किया जाना चाहिए था। आई सी एल द्वारा उपरोक्त लेखाकरण उपचार के कारण जी आर का कम बताना ₹ 323.84 करोड़ निकाला गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि:

- कंटेंट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई दूरसंचार लाइसेंस अथवा पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं थी।
- आर सी आई एल अलग विधिक इकाई के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक (स्टैंड अलोन बेसिस) कंटेंट सेवाएं उपलब्ध करा रहा था। एक उपभोक्ता जब ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर करता है तो आर सी एल के साथ साथ आर सी आई एल दोनों की सेवाओं के उपयोग हेतु सहमत होता है। उपभोक्ताओं को वायस सेवाएं आर सी एल द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा इंटरनेट एवं कंटेंट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतः डाटा एवं कंटेंट सेवाओं से प्राप्त राजस्व आर सी आई एल द्वारा बुक किये गये हैं।
- आर सी एल एवं आर सी आई एल ग्राहकों को संबंधित सेवाओं के लिए बीजक जारी कर रहे हैं अर्थात् वायस के लिए आर सी एल तथा डाटा एवं कंटेंट के लिए आर सी आई एल। आर सी आई एल, आर सी एल के लिए बिलिंग व कलेक्शन अभिकर्ता था।
- मोबाइल ऑपरेटर्स की एक्सेस सेवाओं को कंटेंट प्रदाता आपसी अनुबंध के आधार पर पट्टे पर लेते हैं तथा वह ग्राहकों को मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। बिलिंग, कलेक्शन एवं ग्राहक सेवा वी ए एस/कंटेंट प्रदाता के अन्य उत्तरदायित्व हैं। इस प्रकार आर सी आई एल द्वारा वैस सेवाओं का प्रावधान "ऑफ डैक" मॉडल के अंतर्गत आता है।
- ट्राई/डी ओ टी ने भी पूर्व में कंपनी की उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा की है तथा उन्होंने कोई भी विपरीत निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किये हैं।

प्रबंधन का औचित्य पैराग्राफ 5.2.1 (अ) उपरोक्त के अंतर्गत वर्णित समान कारणों से स्वीकार्य नहीं था। उक्त लेखांकन उपचार के कारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिये आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी की कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 26.37 करोड़ तथा ₹ 11.64 करोड़ आयी थी। विवरण **अनुलग्नक 5.02** में है।

5.2.1 (स) आर सी एल की ब्लैकबेरी सेवाओं से राजस्व

आर सी एल के ब्लैकबेरी उपभोक्ताओं द्वारा 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के लिए उपयोग की गयी सेवाओं से प्राप्त राजस्व आर सी आई एल के लेखा में बुक किया देखा गया। चूंकि आर सी एल उपभोक्ताओं को प्रदान की गई ये सेवाएं मूल्य संवर्द्धित सेवाओं की प्रकृति की थीं, अतः इन सेवाओं से प्राप्त आय को आर सी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विचार करना चाहिए था। किन्तु यह देखा गया कि उपरोक्त राजस्व को राजस्व हिस्सेदारी हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसका जी आर ₹ 90.37 करोड़ से कम बताया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि आर सी आई एल के लेखा में बुक किया गया राजस्व ब्लैकबेरी ग्राहकों की इंटरनेट/डाटा सेवाओं से प्राप्त आय थी। इंटरनेट सेवाएं आर सी आई एल ने उपलब्ध करायी थी तथा अतः इससे प्राप्त राजस्व को आर सी आई एल के अंतर्गत बुक किया गया। ब्लैकबेरी ग्राहकों से प्राप्त संपूर्ण वायस राजस्व आर सी एल में बुक किया गया और इन पर लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान किये गये थे। आर सी आई एल अखिल भारतीय आइ एस पी लाइसेंस के साथ पृथक वैधानिक इकाई थी तथा यह आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत आर सी एल की अवसंरचना का उपयोग करते हुए ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही थी। आई एस पी अनुबंध की शर्तों के अनुसार आर सी आई एल, आइ एस पी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधनों को पट्टे अथवा किराये पर ले सकता है। चूंकि राजस्व इंटरनेट एवं डाटा सेवाओं से संबंधित है अतः आर सी आई एल ने उचित रूप से इस राजस्व को अपने बही खातों में शामिल किया है तथा इस राजस्व को आर सी एल के राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यू ए एस एल की शर्तों के अनुसार डाटा सेवाओं का प्रावधान लाइसेंस संबंधी गतिविधियों का हिस्सा था इसलिए लाइसेंस की परिधि में आने वाली गतिविधि से प्राप्त राजस्व लाइसेंसधारी के जी आर का हिस्सा होना चाहिए। यद्यपि आइ एस पी लाइसेंस ने आर सी आई एल को आई एस पी सेवाओं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार सेवाएं पट्टे अथवा किराये पर लेने की अनुमति दी थी तथापि सेवा प्रयोगकर्ता आवश्यक रूप से आर सी एल के ग्राहक थे न कि आर सी आई एल के। अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं देकर एक्सेस लाइसेंसधारी द्वारा जनित राजस्व इसके जी आर का हिस्सा होना चाहिए।

इस प्रकार डाटा/इंटरनेट सेवाओं से जनित राजस्व का राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु शामिल न करना लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके कारण एल एफ का ₹ 7.32 करोड़ तथा एस यू सी का ₹ 3.23 करोड़ से कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.03)।

5.2.1 (द) 'आर कनेक्ट' सेवाओं से राजस्व

रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आर सी एल), एक यू ए एस एल लाइसेंसधारी, ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 'ए' श्रेणी आई एस पी लाइसेंसधारक (अप्रैल 2006) अनुषंगी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर सी आई एल) के साथ आरंभिक 3 वर्षों के लिए अनुबंध किया जो कि बाद में 31.03.2012 तक बढ़ाया गया। अनुबंध के अनुसार, आर सी आई एल को आर सी एल के उपभोक्ताओं को इंटरनेट देना था तथा आर सी एल को एक्सेस प्रभार का भुगतान ₹ 0.16 प्रति मिनट यूसेज की दर से करना था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये अभिलेखों में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ₹ 4179.55 करोड़ के राजस्व को आर कनेक्ट सेवाओं के कारण एण्ड यूजर्स राजस्व (ग्राहकों का राजस्व) के रूप में आर सी आई एल के लेखा में बुक किया गया तथा ₹ 2925.96 करोड़ को आर कनेक्ट के एक्सेस प्रभार के रूप में आर सी एल के लेखा में बुक किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ₹ 612.61 करोड़ के राजस्व को भी आर सी आई एल के लेखा में "आर जी एस एम डाटा एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज" के रूप में, 'वैल्यू एडेड सर्विस डाटा' तथा डोंगल सेवाओं को शुरू करने तथा बंद करने के प्रभारों से प्रशासनिक आय के रूप में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि यू ए एस लाइसेंस के अंतर्गत शामिल सेवायें इंटरनेट सेवाओं को भी शामिल करती है तथा इसलिए आर सी एल ग्राहकों को इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान आर सी एल की लाइसेंस गतिविधि का अंग था। इसीलिए आर सी एल ग्राहकों द्वारा आर कनेक्ट के माध्यम से उपयोग की गई इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त राजस्व को आर सी एल के सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच व्यवस्था, जिसके द्वारा आर सी एल के इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त राजस्व को केवल एक्सेस प्रभारों तक ही सीमित किया गया था, लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके अंतर्गत यू ए एस लाइसेंस से प्राप्त संपूर्ण राजस्व को लाइसेंसधारी प्रचालक द्वारा राजस्व हिस्सेदारी में शामिल करने हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। सम्पूर्ण राजस्व को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर ₹ 1866.20 करोड़ से कम बताया गया।

प्रबंधन ने आर सी एल ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित सी ए एफ की शर्तों तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधनों को पट्टे/लीज पर लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराने वाले आइ एस पी लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान को उद्धृत करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर कनेक्ट सेवाएं आर सी आई एल द्वारा 'ए' कैटेगरी (ऑल इंडिया) आई एस पी लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली डायल अप इंटरनेट सेवाएं हैं। यह लाइसेंस सन् 1998 में जारी किया गया था तथा इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई आई एस पी सेवा हेतु किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान देय नहीं था। आई एस पी अनुबंध के नियमों के अनुसार आर सी आई एल, आई एस पी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधन पट्टे अथवा किराये पर ले सकती हैं।
- ग्राहक अर्जन फार्म (सी ए एफ) पर हस्ताक्षर करके अभिदाता दोनों कंपनियों अर्थात् आर सी एल और आर सी आई एल की सेवाओं को शुरू करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं इसलिए इंटरनेट और डाटा सेवाओं से राजस्व आर सी आई एल से सम्बन्धित हैं।
- चूंकि लाइसेंस प्रदाता ने आई एस पी लाइसेंसधारको को अपने ग्राहकों हेतु एक्सेस प्रदाताओं से एक्सेस बनाने के लिए अनुमति प्रदान की है, इसलिए आवश्यक रूप से इसका अर्थ है कि आई एस पी को एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के साथ अनुबंध करना होगा। इस संबंध में आर सी आई एल एवं आर सी एल के बीच अनुबंध के अनुसार, आर सी आई एल ने अवसंरचना का उपयोग करने के लिए आर सी एल को एक्सेस प्रभार के रूप में 16 पैसे प्रति मिनट की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है। आई एस पी लाइसेंस बगैर-सुविधा आधारित लाइसेंस है तथा अधिकतर सभी आई एस पी एक्सेस प्रदाता की अवसंरचना पर वायरलाइन/वायरलेस अथवा केबल सेवा प्रदाताओं के माध्यमों से कार्य करते हैं। अतः ऐसे राजस्व को एक्सेस प्रदाता के लिए अर्जित राजस्व के रूप में लेखा में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क के उपयोग के लिए एक्सेस प्रदाताओं को केवल एक्सेस प्रभारों का भुगतान होता है जिन्हें आर सी एल के राजस्व में शामिल किया गया है तथा देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
- बताई गई प्रशासकीय आय, आर सी आई एल द्वारा प्रीपेड इंटरनेट ग्राहकों मुख्यतः इंटरनेट डोंगल ग्राहको से अर्जित की गयी थी। आर सी आई एल डायल अप सेवाओं के माध्यम से

इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा था। इंटरनेट सेवाओं के लिए डाटा योजना में प्रशासकीय प्रभारों का निश्चित घटक था, जो कि आर सी आई एल द्वारा बुक किया गया था। प्रशासकीय आय इंटरनेट डाटा प्लान से संबंधित है, इसलिए आर सी आई एल को केवल इस राजस्व को ही दर्ज करना है तथा इसे आर सी एल के राजस्व के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि:

- यू ए एस एल अनुबंध एक्सेस सेवा प्रदाता को इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है। एक आई एस पी लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई इंटरनेट सेवाएं डायल अप सेवाएं हैं जो वायरलाईन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। लेकिन आर सी एल के मोबाइल फोन ग्राहक कंपनी को यू ए एस लाइसेंसधारी के रूप में आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की सामर्थ्य का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। यद्यपि जैसा कि प्रबंधन ने कहा, कि सी ए एफ पर हस्ताक्षर करके ग्राहक आर सी एल व आर सी आई एल दोनों कंपनियों का उपभोक्ता बन जाता है फिर भी, आर सी एल किसी भी तरीके से आर सी आई एल को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके साथ अपना स्पेक्ट्रम साझा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच स्पेक्ट्रम को साझा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए आर सी एल और आर सी आई एल के बीच अनुबंध, जिसने आर सी आई एल को आर सी एल की अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, अधिकतम भौतिक कनेक्टिविटी का उपयोग कर आर सी एल ग्राहकों को केवल डायल-अप इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही हो सकता था।
- चूंकि आर सी आई एल, एक आई एस पी के रूप में आर सी एल की भौतिक अवसंरचना का उपयोग कर केवल डायल-अप कनेक्शनों को उपलब्ध करा सकती थी इसलिए इसकी इंटरनेट आय मोबाइल ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं कर सकती। अतः एण्ड यूजर्स से भी एकत्रित किया गया संपूर्ण राजस्व भी आर सी एल के जी आर में शामिल होना चाहिए। आर सी एल के ए जी आर में दर्शाया गया एक्सेस प्रभार अवसंरचना का उपयोग करने के लिए आर सी आई एल को अनुमति प्रदान करने हेतु प्राप्त किया गया भुगतान था अतः इसको एण्ड यूजर्स राजस्व से बदला नहीं जा सकता है।
- डोंगल, मोबाइल फोन की तरह समान तकनीक का उपयोग कर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है अतः डोंगल सेवाओं का उपयोग कर रहे ग्राहकों से प्राप्त डाटा राजस्व को डायल-अप सेवाओं से प्राप्त राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है तथा इसको आई एस पी लाइसेंस से संबंधित राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रशासकीय प्रभार वास-डाटा से किराया, सेवा शुरू करने/बंद करने के प्रभार इत्यादि के घटक को आर सी एल के जी आर का भाग होना चाहिए।

इस प्रकार आर कनेक्ट सेवाओं से अर्जित राजस्व को आर सी एल द्वारा विचार न करना, इस तथ्य के बावजूद कि इसके वायरलैस ग्राहकों द्वारा सेवाये ली गई थी, यू ए एस अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था जिसके कारण जी आर ₹ 1866.20 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी क्रमशः ₹ 151.07 करोड़ एवं रुपये ₹ 66.79 करोड़ से कम भुगतान किये गये (अनुलग्नक-5.04)।

5.2.1 (य) ग्राहकों के परिसर में फिक्स्ड वायरलेस फोन/टर्मिनल (एफ डब्ल्यू पी/टी) के संस्थापन से राजस्व

फिक्स्ड वायरलेस सेवाओं का प्रावधान करने के लिए टेलिफोन यंत्र/टर्मिनल उपकरण अभिन्न अंग है। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 में परिभाषित किया गया है कि सेवा देने के लिए ग्राहकों से एकत्रित किए गए अन्य अग्रिम प्रभारों एवं उपकरण लगाने से आय जी आर के दायरे में आएगी। लेकिन यह देखा गया कि उपभोक्ताओं परिसरों में एफ डब्ल्यू पी/टी के लगाने हेतु आर सी एल के ग्राहकों से प्राप्त "वापिस न होने योग्य अग्रिम भुगतान" ₹ 23.16 करोड़ को आर सी आई एल के बही खाते में शामिल किया गया था तथा आर सी एल द्वारा जी आर की गणना हेतु विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी आई एल ने एफ डब्ल्यू पी/टी के लगाने एवं पुनः वापस लेने की सेवाएं प्रदान की। एफ डब्ल्यू पी/टी ग्राहकों को बेचे नहीं गए। वे केवल "प्रयोग के लिए" आधार पर दिए गए थे। अतः आर सी आई एल ने एफ डब्ल्यू पी/टी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रभारों को अपने पास रखा तथा आर सी आई एल द्वारा पावती आर सी एल की तरफ से नहीं थी। इसलिए, ऐसे राजस्व को ए जी आर की गणना में शामिल करना सही नहीं था।
- आर सी आई एल ने ग्राहकों के परिसर में उपकरणों के लगाने की सेवाएं प्रदान की जिसके लिए आर सी आई एल ने ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभार प्राप्त किए। इसलिए उपार्जित राजस्व आर सी आई एल से संबंधित था।
- माननीय टीडी सैट ने दिनांक 28 मई 2010 के अपने निर्णय में कहा था कि लगाने के प्रभार उसी व्यक्ति को वापस किये जाने थे जिसने लगाने का कार्य किया अतः यह प्रभार लाइसेंसधारी के ए जी आर के दायरे में नहीं आयेगा।
- दूरसंचार उपकरण लगाना एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। एक यू ए एस लाइसेंसधारी के लिए यह संभव है कि वह यू ए एस लाइसेंस आवश्यक न होने वाली गतिविधियों को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित करें तथा ऐसे मामले में हस्तांतरित सेवाओं से अर्जित राजस्व यू ए एस लाइसेंसधारी की लाइसेंस शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित किया था कि *लाइसेंसधारी के लिए यह विकल्प खुला हुआ है कि वह उन गतिविधियों का उत्तरदायित्व न ले जिनके लिए उन्हें दूरसंचार अधिनियम के अनुच्छेद (4) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन गतिविधियों को किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को हस्तांतरित कर दे।*

प्रबंधन द्वारा दिया गया औचित्य अग्रलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया:

- यू ए एस एल अनुबंध के अनुसार, लाइसेंसधारी का जी आर टर्मिनल उपकरणों (एफ डब्ल्यू पी/टी) के लगाने से प्राप्त राजस्व को शामिल करेगा। यह तथ्य कि एफ डब्ल्यू पी/टी आर सी एल की संपत्ति थे तथा इसने केवल आर सी आई एल से इनकी स्थापना करने के लिए अनुरोध किया था, आर सी एल एवं आर सी आई एल के बीच हुए पत्राचार से स्पष्ट था। आर सी आई एल केवल एक उपकरण लगाने वाली एजेंसी की भूमिका निभा रहा था इसलिए

इसको भुगतान किए गए प्रभार कंपनी हेतु व्यय होने चाहिए। स्थापना राजस्व का शामिल न किया जाना इसका स्थापना व्यय के विरुद्ध समायोजन के समान है।

- प्रबंधन के प्रत्युत्तर में संदर्भित मई 2010 का टीडी सैट का निर्णय दूरसंचार ऑपरेटर्स से संबंधित नहीं था बल्कि यह डायरेक्ट टू होम (डी टी एच-टी वी प्रसारण से संबंधित) ऑपरेटर्स से संबंधित था।
- लेखापरीक्षा यह स्वीकार करता है कि दूरसंचार उपकरण को लगाना एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु लाइसेंस अनुबंध के नियमों के अनुसार उपकरण लगाने हेतु ग्राहकों से एकत्रित किए गए प्रभार जी आर का भाग होने चाहिए। संस्थापन व्यय अर्थात् आर सी आई एल को किया गया भुगतान आर सी एल की लागत होना चाहिए था।

उपरोक्त के कारण आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी पर कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 1.89 करोड़ एवं ₹ 0.84 करोड़ आगणित की गयी (अनुलग्नक 5.05)।

5.2.1 (र) सिम कार्डों का विक्रय मूल्य

ग्राहकों को आपूर्ति किए गए सिम कार्ड मोबाइल दूरसंचार सेवा का अभिन्न अंग है। इसलिये विक्रय किए गए सिम कार्डों का मूल्य दूरसंचार सेवा प्रदाता की जी आर में शामिल होना चाहिए। सिम के विक्रय से आय के महत्व को माननीय उच्चतम न्यायाय ने भी निश्चित करते हुए (अगस्त 2011) यह कहा कि सेलुलर टेलिफोन कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त की गई राशि सेवा कर के आरोपण के लिए कर योग्य मूल्य में शामिल होगी क्योंकि सिम कार्ड प्रदान की गयी सेवाओं से अलग करके स्वतंत्र वस्तु के रूप में कभी नहीं बेचे जाते हैं, जो उस राजस्व को निश्चित करते हैं। किन्तु यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सिम कार्डों के विक्रय के माध्यम से अर्जित ₹ 36.94 करोड़ की राजस्व को आर सी आई एल के राजस्व के रूप में दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आर सी एल का राजस्व इतनी ही राशि तक कम बताया गया जिससे राजस्व शेयर ₹ 4.34 करोड़, जिसमें ₹ 3.01 करोड़ एल एफ के रूप में एवं ₹ 1.33 करोड़ एस यू सी के रूप में था, का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.06)।

आर सी एल अथवा आइ सी आई एल के लेखों में वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए राजस्व की यह जानकारी नहीं मिली तथा प्रबंधन ने यह सूचना नहीं दी कि उन वर्षों में सिम कार्डों के विक्रय से प्राप्त राजस्व को कैसे लेखांकित किया गया है। सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा उपरोक्त अवधि के लिए राजस्व कम दर्शाने का आंकलन नहीं कर सकी।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

5.3 सकल राजस्व से संबंधित व्यय का निवलीकरण

डी ओ टी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार ऑपरेटर्स के सकल राजस्व में स्थापना के प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैंडसेटों की विक्रय राशि (अथवा अन्य टर्मिनल उपकरण इत्यादि), ब्याज के कारण राजस्व, लाभांश, मूल्य संवर्द्धित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, एक्सेस अथवा इंटर-कलेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना की अनुमति योग्य हिस्सेदारी से राजस्व तथा अन्य विविध राजस्व, व्यय इत्यादि की संबंधित मद को समायोजित किए बिना, शामिल होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर सी एल और आर टी एल के बहीखातों में अनेक राजस्व लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए गए सकल राजस्व व्यय से निवल किये गये थे। उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.3.1 आर सी एल/आर टी एल द्वारा प्रीपेड राजस्व को फ्री एयरटाइम से समायोजन के बाद बुक किया जाना

ग्राहकों को प्रदान किया गया फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम को आर सी एल की लेखाकरण प्रणाली में लेखांकित नहीं किया गया तथा ये मिनट्स ऑफ यूसेज (एम ओ यू) बिलिंग चक्र से हटाये गये थे। आर सी एल का यह विचार था कि फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम ग्राहकों को बिना किसी प्रभार के उत्पाद और/अथवा टैरिफ के साथ प्रदान किए गए थे तथा इसलिए मूल्यांकित नहीं किए गये तथा सिस्टम में मूल्य को शामिल नहीं किया गया। चूंकि फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम स्वतः मीडिएशन लेवल⁶ पर स्वतः फिल्टर किए गए थे इसलिए वे सिस्टम में नहीं लिये गये थे तथा इसलिए राजस्व साझेदारी के उद्देश्य हेतु राजस्व के रूप में शामिल करने हेतु विचारित नहीं किये गये।

प्रबंधन ने यह भी कहा (सितम्बर 2016) कि ग्राहकों को ऑफर किये गये फ्री टॉक टाइम/फ्री एयरटाइम/फ्री मिनट्स किसी प्रकार की रियायत अथवा छूट की प्रकृति के नहीं थे। चूंकि फ्री मिनट के द्वारा कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ था इसलिए ये ग्राहकों को जारी किए गए बिलों में शामिल नहीं किये गये थे और इसलिए ए जी आर विवरणियों में शामिल नहीं किये गये।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा मत है कि उपभोक्ता को पेश किया गया एयरटाइम प्राकृतिक संसाधन (आर एफ स्पेक्ट्रम) का उपयोग कर वास्तविक टाकटाईम है। चूंकि सरकार के पास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से उत्पन्न आय में हिस्सा लेने का विधिक दावा होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि कम्पनी द्वारा फ्री टाकटाईम/एयर टाईम का मूल्यांकन किया जाये और दर निर्धारित की जाये। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि फ्री टाकटाईम/एयर टाईम हमेशा केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं दिये जाते बल्कि फ्रैचाइजी/वितरकों को भी छूट/कमीशन के एवज में दिये जाते होंगे जिनका बाद में उनके द्वारा परिशोधन किया गया होगा। ऐसी परिस्थिति में जहां फ्री एयर टाइम/टाक टाईम की कीमत का आंकलन नहीं किया गया लेखापरीक्षा इसके जी आर पर प्रभाव की पुष्टि नहीं कर सका।

5.3.2 कमीशन/छूट का समंजन के कारण आर सी एल के प्रीपेड राजस्व को कम बताना

आर सी एल और आर सी आई एल के साथ हुए विपणन अनुबंध के अनुसार आर सी आई एल, आर सी एल के उत्पाद के विक्रय हेतु एक अभिकर्ता और प्राधिकृत व्यक्ति था। अनुबंध के अनुसार, आर सी एल समय-समय पर सहमत दर पर अपने प्रीपेड वाउचर का आर सी आई एल को विक्रय करेगा तथा आर सी आई एल इन वाउचरों को उसी शुद्ध मूल्य पर अपने वितरकों को बेचेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के आर सी आई एल की लेखा बहियों में यह देखा गया कि आर सी आई एल द्वारा आर सी एल से उनके उत्पाद की बिक्री से प्राप्त छूट/कमीशन की ₹ 1284.27 करोड़ की राशि को बिलिंग आय के रूप में दर्शाया गया जोकि आर सी आई एल द्वारा वितरकों को कमीशन के बदले दिया गया भुगतान था। फिर भी आर सी एल ने प्रीपेड कार्डों की बिक्री पर आर सी आई एल को दिये गये कमीशन/छूट को निवल किया और केवल शुद्ध अर्जित आय को ही, जिसे ए जी आर हेतु विचार किया गया था, राजस्व के रूप में लेखाकरण किया।

⁶ मीडिएशन उपकरण दूरसंचार नेटवर्क (तंत्र) का एक अंश है जो दूरसंचार के तंत्रों के बीच सूचनाओं को प्राप्त करने, परिष्कृत करने, रिफार्मट और अन्य फार्मट में भेजने का कार्य करता है और इसे सामान्यतः बिलिंग और उपभोक्ता केयर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।

आर सी एल द्वारा प्रीपेड उत्पादों (सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर) की बिक्री हेतु वितरकों/एजेंटों को दिये गये कमीशन/छूट के मूल्य को व्यापारिक व्यय के रूप में माना जाना था और प्रीपेड कार्डों का सकल मूल्य यथा ऑपरेटर (आर सी एल) द्वारा प्रदान की गई दूस्ंचार सेवा के मूल्य को बिना किसी समंजन के राजस्व के रूप में विचार किया जाना था।

आर टी एल, रिलायंस ग्रुप की अन्य यू ए एस लाइसेंसधारी कंपनी, के पास आर सी एल से भिन्न स्वयं के फ्रैंचाइजी/वितरक थे जिनका अनुषंगी कंपनी आर सी एल के साथ विक्रय एवं विपणन व्यवस्था थी। यह देखा गया कि प्रीपेड कार्डों और रिचार्ज वाउचरों के विक्रय पर आर टी एल द्वारा अर्जित राजस्व को इसके सकल मूल्य के बजाय वितरकों/डीलरों को दी गयी कुल छूट को घटाने के बाद लेखांखित किया गया। चूंकि ऑपरेटर द्वारा ऑफर की गयी छूट की दर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, फिर भी आर सी एल के प्रीपेड राजस्व एवं इसके द्वारा दी गयी छूट के अनुपात के आधार पर गणना करके लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के लिए आर टी एल प्रीपेड राजस्व को ₹ 680.92 करोड़ कम बताया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने आर सी आई एल को बिलिंग एवं कलेक्शन एजेंट के रूप में नियुक्त किया तथा आर सी आई एल ने वितरकों को किसी कमीशन का भुगतान नहीं किया। यह छूट की राशि होती थी, जो प्रीपेड वाउचरों पर वितरकों को ऑफर की गई थी। आर सी आई एल और वितरक के बीच संबंध **प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल** की प्रकृति का था न की प्रीसिपल टू एजेंट का। इसलिए वितरकों को अनुमत्य राशि कमीशन न होकर छूट थी तथा इस राशि को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के उद्देश्य हेतु ए जी आर में शामिल नहीं किया जा सकता। राजस्व प्रीपेड वाउचरों से छूट को घटाने (नेट ऑफ) के बाद बुक किया गया था।
- आर सी एल द्वारा बिक्री एक बतायी गयी/सहमत मूल्य थी, उस सहमत मूल्य पर बीजांकित थी तथा छूट को घटाए बिना (नेट ऑफ) लाभ व हानि लेखा में राजस्व के अंतर्गत बुक की गई थी, वास्तविक विक्रय मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इस विक्रय मूल्य के बीच अंतर को सकल राजस्व में नहीं जोड़ा जा सकता है। यह कार्यप्रणाली अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के अनुरूप थी जिसमें कहा गया था कि यदि विक्रय बताए गए/सहमत मूल्य पर हो, सहमत मूल्य पर बीजांकित हो तथा छूट को घटाये बिना (नेट ऑफ) लाभ व हानि लेखा में राजस्व के अंतर्गत बुक किया गया हो, तो वास्तविक विक्रय मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इस विक्रय मूल्य के अन्तर को "सकल राजस्व" में जोड़ा नहीं जा सकता है।
- ए एस-9 उस राजस्व को मान्यता देता है जो नकदी/प्राप्य के रूप में आता है। काल्पनिक आय को राजस्व के रूप में नहीं माना जाता है। वितरकों को ऑफर की गयी छूट कंपनी को उपार्जित राजस्व के रूप में नहीं है तथा कंपनी में कोई नकदी अंतर्प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है। अतः इसको कंपनी का राजस्व नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त प्रतिक्रियाएं निम्न वर्णित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं:

- आर सी आई एल, आर सी एल की सेवाओं का पुर्नविक्रेता न होकर आर सी एल का बिलिंग एवं कलेक्शन एजेंट था। आर सी आई एल की भूमिका आर सी एल की तरफ से कार्य करने

वाले वितरक की प्रकृति की थी तथा आर सी आई एल द्वारा एम आर पी पर बेचे गए उत्पादों का कोई आंतरिक मूल्य नहीं था तथा इसके संपूर्ण मूल्य को आर सी एल ने अपने यू ए एस लाइसेंस की क्षमता पर पर उपलब्ध कराया था। दूसरे शब्दों में, आर सी आई एल द्वारा बेचे गए सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर आदि का कोई मूल्य नहीं रह गया होता यदि उन्हें आर सी एल द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं से अलग कर दिया जाता। सेवा का विक्रय नहीं किया जा सकता है बल्कि उसे केवल प्रदान किया जाता है। वितरक अंतिम उपभोक्ता तक सेवाओं को उपलब्ध कराने की ऋंखला में केवल एजेन्ट की भूमिका निभाते हैं। इसलिए लेखा परीक्षा का विचार है कि आर सी एल और आर सी आई एल के बीच संबंध केवल प्रिसिपल टू एजेंट की प्रकृति का था न कि प्रिसिपल टू प्रिसिपल का।

- डी ओ टी ने अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है अतः इस निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।
- लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखाकंन पर प्रश्न नहीं लगा रहा है बल्कि यह तर्क देता है कि छूट/कमीशन का निवलीकरण लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आर सी एल एवं आर टी एल दोनों के जी आर क्रमशः ₹ 1284.27 करोड़ व ₹ 680.92 करोड़ से कम करके बताये गये थे। परिणामस्वरूप आर सी एल का एल एफ ₹ 103.77 करोड़ एवं एस यू सी पर ₹ 45.95 करोड़ से कम भुगतान किया गया, जबकि आर टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 51.32 करोड़ एवं ₹ 31.49 करोड़ था। (अनुलग्नक 5.07)

5.4 राजस्व शेयर हेतु प्रस्तावित नहीं की गई आय

लाइसेंस अनुबंध जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लाइसेंसधारक कम्पनियों को अपने लेखापरीक्षकों से लेखा प्रमाणीकरण करना निर्धारित करते हैं वहीं यह भी विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि राजस्व शेयर विवरणों में शामिल राजस्व तथा उनके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखों में मिलान किया जाना चाहिए।

संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार किये गये तथा आडिटर्स रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणियों तथा नोट्स ऑन एकाउन्ट्स की समीक्षा एवं इनकी आर सी एल के 2010-11 से 2014-15 तक के लिए प्राथमिक लेखा अभिलेखों से तुलना ने दर्शाया कि कम्पनी के लेखा में शामिल कुछ श्रेणियों के अंतर्गत आय/राजस्व जी आर/ए जी आर की गणना एवं राजस्व शेयर के भुगतान हेतु शामिल नहीं किये गये थे, ये राजस्व, जिन्हें ए जी आर का हिस्सा बनना चाहिए को ए जी आर विवरणियों में शामिल नहीं किये गये थे। इसके अलावा मिलान विवरणियों ने भी उपरोक्त आय को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया। इस प्रकार छोड़ी गई गई आय पर नीचे चर्चा की गई है:

5.4.1 राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गई ब्याज आय

लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार देय लाइसेंस फीस की गणना हेतु ब्याज आय को लाइसेंसधारक के जी आर में शामिल किया जाना था।

आर सी एल ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 2093.02 करोड़ की राशि को ब्याज आय के रूप में लेखा में शामिल किया था परन्तु इस राशि को राजस्व शेयर के भुगतान के लिए

कम्पनी के जी आर में शामिल नहीं किया गया था। आर टी एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राजस्व शेयर हेतु ऑफर नहीं की गई ब्याज आय ₹ 27.61 करोड़ थी। इस प्रकार आर सी एल और आर टी एल दोनों कम्पनियों द्वारा ए जी आर से हटाई गई ब्याज आय की राशि ₹ 2120.63 करोड़ बनती थी।

ए जी आर से ब्याज आय को हटाने का अर्थ आर सी एल द्वारा एल एफ पर ₹ 168.61 करोड़ और एस यू सी पर ₹ 74.43 करोड़ की धनराशि का कम भुगतान था। इस लेखा में आर टी एल द्वारा एल एफ और एस यू सी के कम भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 2.04 करोड़ व ₹ 1.29 करोड़ आई (अनुलग्नक 5.08)।

5.4.2 राजस्व शेयर के लिए प्रस्तावित नहीं की गयी अन्य आय

यह देखा गया कि आर सी एल एवं आर टी एल ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 में अन्य आय के रूप में ₹ 941.37 करोड़ लेखांकित किए थे। अन्य आय के रूप में वर्गीकृत आय में 'विविध आय, प्राप्त किया गया किराया, स्क्रैप का विक्रय इत्यादि' शामिल था। तथापि, इस आय को उपरोक्त अवधि हेतु ए जी आर में शामिल किया जाना नहीं पाया गया जिससे राजस्व को कम करके दिखाया गया।

आर सी एल प्रबंधन ने प्रतिक्रिया देते हुए (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने अगस्त 2007 के टीडी सैट के निर्णय के परिदृश्य में वित्तीय वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से आगे ब्याज आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है। जैसा कि टी डी सैट ने निर्णय दिया था कि केवल दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित आय पर ही लाइसेंस शुल्क देय था इसलिए ब्याज आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।
- यू ए एस लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से आय पर नहीं बल्कि राजस्व पर चर्चा करता है। "आय" और "राजस्व" समरूप नहीं हैं। राजस्व मुख्य रूप से उस राशि को सन्दर्भित करता है जो किसी व्यापार के प्रचालन से प्राप्त की जाती है जबकि आय का क्षेत्र राजस्व की अपेक्षा अधिक व्यापक है।
- इसके अलावा, 'समायोजित सकल राजस्व' की गणना में केवल ब्याज और/अथवा लाभांश आय, जिनका दूरसंचार सेवाओं से सीधा संबंध है, ही शामिल किये जाने के योग्य हैं। लेखापरीक्षा इंगित किये गये, मामले में (अ) देनदारों से/पर अर्जित आय तथा (ब) दूरसंचार गतिविधियों में निवेशों से अर्जित ब्याज और/अथवा लाभांश आवश्यक रूप से शामिल होंगे।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं की गई थी:

- लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा राजस्व शेयर की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय को शामिल करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है।
- टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2011 में रद्द कर दिया इसलिए यू ए एस एल अनुबंध में शामिल राजस्व की परिभाषा अपरिवर्तित रही।

राजस्व शेयर के भुगतान हेतु अन्य आय के रूप में वर्गीकृत आय को शामिल नहीं करना आर सी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 67.66 करोड़ एवं ₹ 29.40 करोड़ में फलित

हुआ जबकि यह कम भुगतान आर टी एल द्वारा क्रमशः ₹ 8.23 करोड़ एवं ₹ 4.94 करोड़ था (अनुलग्नक 5.09)।

5.4.3 फोरेक्स लाभ से आय

लाइसेंस अनुबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डी ओ टी को राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व की गणना हेतु सभी राजस्वों पर विचार करना है। चूंकि लाइसेंस अनुबंध, संबंधित व्यय के समायोजन का प्रावधान नहीं करता इसलिए विनिमय अंतरों से प्राप्त सभी लाभों को जी आर में शामिल किया जाना है।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के वार्षिक लेखों में यह पाया गया कि संबंधित राजस्व लेखा के अंतर्गत फोरेक्स लाभ विभिन्न व्यय लेखा के अंतर्गत दर्ज फोरेक्स हानि से समंतिज किए गए। इसके परिणामस्वरूप लाभों को हानियों के विरुद्ध निवला किया गया जिससे जी एल शेष 'शून्य' हुआ। इस प्रकार ए जी आर में शामिल नहीं किये गये फोरेक्स लाभ की गणना ₹ 754.05 करोड़ की गई जिसमें आर सी एल की ₹ 635.44 करोड़ तथा आर टी एल की ₹ 118.61 करोड़ की राशि शामिल थी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- आर सी एल ने वित्तीय वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही तक प्राप्त फोरेक्स लाभ की राशि ₹ 500.96 करोड़ पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से आर सी एल ने अगस्त 2007 के टीडी सैट के निर्णय के अनुरूप लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आरंभ किया तथा इस टीडी सैट के मार्च 2009 के इस निर्णय को आर सी एल पर भी लागू किया गया तथा कम्पनी ने ऐसी गैर-दूरसंचार राजस्व मदों पर चुकायी लाइसेंस शुल्क की वापसी हेतु दावा डी ओ टी से किया है।
- इसके अलावा विनिमय लाभ पूंजीगत वस्तुओं के भुगतान पर दायित्व को केवल कम कर सकता था। चूंकि उपकरण की लागत का लाइसेंस शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं था इसलिए पूंजीगत माल की लागत में कमी से उत्पन्न लाभ को राजस्व के रूप में माना नहीं जा सकता है।
- दूरसंचार कम्पनियां ए एस 9 का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे न्यायालय द्वारा भी मान्यता तथा स्वीकार किया गया है। ए एस 9, फोरेक्स लाभ को राजस्व के रूप में स्वीकार नहीं करता है तथा इस प्रकार कम्पनी, डी ओ टी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।
- दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय टीडी सैट को उन घटकों/शीर्षों को निश्चित करने की अनुमति प्रदान की जो दूरसंचार विभाग द्वारा कम्पनी की ए जी आर में शामिल किए जा सकते हैं। तदनुसार माननीय टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में बताया कि फोरेक्स लाभ पर लाइसेंस शुल्क देय नहीं थे।
- समान प्रकृति वाले लेन-देन के जी एल कोड में शामिल किए गए फोरेक्स में उतार/चढ़ाव होने पर, परिणाम नेट आधार होना चाहिए।

- केवल आर टी एल ने वर्ष 2010-11 में ₹ 13.29 करोड़ के फोरेक्स लाभ को प्राप्त किया तथा अन्य सभी वर्षों में इसे आर टी एल के अतिरिक्त आर सी एल हेतु फोरेक्स हानि ही हुई। अतः राशि को ए जी आर में वापिस जोड़ा नहीं जा सकता है।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं:

- अक्टूबर 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय को रद्द किया था तथा इसलिए जो निर्णय शून्य एवं रद्द हो गया उसको एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान हेतु आधार मानना औचित्यहीन था।
- फोरेक्स लाभ/हानि वैयक्तिक लेन-देन का परिणाम होते हैं। वैयक्तिक लेन-देन को मिलाया नहीं जा सकता है।
- हानि के निवलीकरण के उपरांत फोरेक्स लाभ को मान्य करना लाइसेंस अनुबंध की शर्तों से विपथन होगा, जो प्रावधान करता है कि जी आर को संबंधित व्यय का समंजन किये बिना दर्ज करना चाहिए।

फोरेक्स लाभ को हटाने के कारण उपरोक्त ऑपरेटर्स के जी आर को कम बताने से आर सी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क का ₹ 51.54 करोड़ एवं एस यू सी का ₹ 22.82 करोड़ तथा आर टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 8.83 करोड़ एवं 5.56 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.10)।

5.4.4 पट्टे पर दिये गये बैंडविड्थ से प्राप्त राजस्व एस यू सी के लिए विचार नहीं करना

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान है कि 'राजस्व शेयर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभारों के लगाने के सीमित उद्देश्य हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा'। यू ए एस एल अनुबंध हेतु निर्धारित राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क (ए जी आर विवरण) के विवरणी के प्रारूप उन मदों को दर्शाते हैं जिन्हें वायरलाइन आय के रूप में वर्गीकृत करना है और इस प्रकार यह स्पष्ट था कि डी ओ टी ने माना था कि वायरलाइन आय के रूप में उल्लेखित वर्ग से बाहर राजस्व की सभी मदों को एस यू सी के भुगतान हेतु शामिल करना चाहिए।

आर सी एल के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए ए जी आर विवरणियों में बैंडविड्थ लिंक की बिक्री/पट्टे पर देना, आर एवं जी मामले, टर्नकी परियोजनाएं इत्यादि से प्राप्त राजस्व शुद्ध वायरलाइन राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये थे। उपरोक्त से अर्जित राजस्व राशि ₹ 1053.38 करोड़ को देय एस यू सी की गणना करते समय कम्पनी द्वारा विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37.97 करोड़ से एस यू सी का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक- 5.11)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि :

- लाइसेंस अनुबंध में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल वायरलेस अभिदाताओं से अर्जित ए जी आर पर ही स्पेक्ट्रम शुल्क देय होगा। चूंकि लीज लाइन राजस्व, वायरलेस राजस्व नहीं होता है तथा लीज लाइन सेवाओं को प्रदान करने हेतु किसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए स्पेक्ट्रम फीस के लिए ए जी आर में लीज लाइन राजस्व को शामिल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

- डी ओ टी ने दिनांक 8 जनवरी 2013 के अपने पत्र में लीज लाइन राजस्व पर स्पैक्ट्रम प्रभारों की मांग उठायी है जिसको कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई में चुनौती दी थी और दिनांक 23 जून 2016 के आदेश के जरिये डी ओ टी द्वारा लीज लाइन राजस्व पर स्पैक्ट्रम प्रभारों की ₹ 219 करोड़ की राशि की मांग पर स्टे प्राप्त कर लिया है।

प्रबंधन की उपरोक्त प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ए जी आर विवरण के प्रारूप (यू ए एस एल अनुबंध के अनुलग्नक II के परिशिष्ट-II) के अनुसार लाइन आइटम 1 ए के अंतर्गत आने वाले राजस्व ही केवल वायरलाइन सेवाओं से राजस्व के रूप में माने गये थे। डी ओ टी ने बैंडविड्ध लिंक की/बिक्री/पट्टे पर देना, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि से प्राप्त राजस्व को लैंडलाइन सेवाओं के मद के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया था। इसके अलावा, डी ओ टी द्वारा की गई मांग पर माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई के स्थगन (स्टे) आदेश को इस मामले में अंतिम न्यायिक घोषणा नहीं कहा जा सकता है।

5.5 राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों (ए जी आर विवरणों) में प्रकटीकरण

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान था कि प्रचालक कम्पनी का लेखा इसके वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ-साथ अनुबंध में लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस संबंधी गतिविधि से प्राप्त राजस्व पहचान करने एवं उसको बताने हेतु पृथक एवं विशिष्ट मानदंड/दिशानिर्देश भी प्रदान किये थे। यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में वर्णित इन मानकों में लाइसेंसधारी द्वारा बताई गए जी आर के सुलभ मूल्यांकन हेतु डी ओ टी को सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करने का प्रावधान किया है। लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 20.2 एवं 20.6 के साथ पठित मानदंड/दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि जबकि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों, स्वीकार्य लेखा संबंधी मानकों इत्यादि का अनुपालन करते हुए अपना लेखा तैयार करना लाइसेंसधारी कम्पनी का विशेषाधिकार है, राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से लाइसेंसधारी कम्पनी के ए जी आर की गणना यू ए एस लाइसेंस में वर्णित राजस्व की परिभाषा के अनुसार होगी।

लाइसेंस कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षक को, जो कम्पनी अधिनियम में प्रावधानों/संबंधित लेखा मानकों इत्यादि के अनुसार लेखा तैयार करते हैं, यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि लाइसेंस अनुबंध (अनुलग्नक II के परिशिष्ट-I) में शामिल मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क का विवरण तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में दर्शाये गए राजस्व को कम बताने के उदाहरण पुष्टि करते हैं कि आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क एवं एस यू सी के भुगतान हेतु प्राप्त राजस्व की पहचान न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थी और न ही लेखा को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा है कि छूट को समायोजित करने के बाद राजस्व बुक किया गया, किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार आर सी एल एवं आर टी एल के वार्षिक लेखा में इसका विवरण कभी नहीं दर्शाया गया। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि उस बिल योग्य राजस्व को ए एस-9 के अनुसार सकल राजस्व के रूप में दर्शाया गया तथा बिल योग्य धनराशि पर कोई छूट प्रदान नहीं की गयी। प्रबंधन का पक्ष लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं था क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी की सेवा आय सकल रूप में दर्शानी थी तथा छूट कटौती के विवरणों को अलग से दर्शाना था।

5.6 कम भुगतान किए गए राजस्व शेयर पर ब्याज

उपरोक्त (पैरा 5.2 से 5.4) में उठाए गए मुद्दों पर एल एफ एवं एस यू सी पर कम/गैर भुगतान होने की राशि की गणना क्रमशः ₹ 709.52 करोड़ एवं ₹ 363.16 करोड़ की गयी। एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान होने पर ब्याज ₹ 839.09 करोड़ (अनुलग्नक 5.12) था। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर (वित्तीय वर्ष के आरम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालिक प्राइम लेंडिंग रेट से 2 प्रतिशत उपर) पर आधारित थी तथा गणना में शामिल अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी।

5.7 डी ओ टी की प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सितम्बर 2016 में प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में प्रारंभिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को डी ओ टी को प्रेषित किया गया तथा इसकी एक प्रति रिलायंस प्रबंधन को भी दी गई। डी ओ टी को प्रबंधन की प्रतिक्रिया अक्टूबर 2016 में प्राप्त हुई, जिसकी प्रति लेखापरीक्षा को भी पृष्ठांकित की गई थी। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया सामान्यतः लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा बताए गए उत्तरों की पुनरावृत्ति थी। प्रत्युत्तरों को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। डी ओ टी का उत्तर पैरा 2.4 में वर्णित है।

अध्याय—VI

एयरसेल ग्रुप (डिशनेट वायरलेस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेलुलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व

6.1 एयरसेल ग्रुप की संक्षिप्त रूपरेखा

एयरसेल ग्रुप तीन लाइसेंसी कम्पनियों जिनका नाम मेसर्स एयरसेल लिमिटेड (ए एल), मेसर्स एयरसेल सेलुलर लिमिटेड (ए सी एल) और मेसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड (डी डब्ल्यू एल) को समाविष्ट कर बनी हैं। ए सी एल, पूर्ववर्ती मेसर्स आर पी जी सेलुलर लिमिटेड ने अपनी दूरसंचार सेवायें 1994 में चैन्नई में प्रारम्भ की थीं। बाद में, स्टर्लिंग ग्रुप द्वारा प्रवर्तित मेसर्स एयरसेल लिमिटेड ने 1998 के दौरान तमिलनाडु (चैन्नई को छोड़कर) सेवा क्षेत्र में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया (पूर्ववर्ती मेसर्स श्रीनिवासा सेलुलर लिमिटेड कोयम्बटूर)। यद्यपि ग्रुप ने पैन इण्डिया परिचालन के लिए 2006 में लाइसेंस प्राप्त किया किन्तु वास्तव में यह पैन इण्डिया आपरेटर 2010 में हुआ। एयरसेल ग्रुप जी एस एम प्रौद्योगिकी पर दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है।

6.1.1 एयरसेल ग्रुप को प्रदत्त लाइसेंस

ए सी एल ने 1994 में चैन्नई सेवा क्षेत्र के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। ए एल ने 1998 में तमिलनाडु सेवा क्षेत्र का सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। इसने बाद में, वर्ष 2006 के दौरान सात¹ सेवा क्षेत्रों में यू ए एस लाइसेंस प्राप्त किया। डी डब्ल्यू एल ने वर्ष 2004 एवं 2006 के दौरान चौदह² सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त किया। डी डब्ल्यू एल ने एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी (आईटी) का भी लाइसेंस प्राप्त किया। पूर्व चैन्नई सेवा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस 29 नवम्बर 2014 को समाप्त हो गया।

6.1.2 एयरसेल ग्रुप को आवंटित स्पेक्ट्रम

एयरसेल ग्रुप की कम्पनियों को 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 की स्थिति में एल एस ए के अनुसार आवंटित ग्राहक एक्सेस स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नवत है:

¹ आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुम्बई और राजस्थान।

² असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एण्ड कश्मीर, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पंजाब, ओडिसा, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।

तालिका 6.1

एल एस ए	स्पेक्ट्रम की 31 मार्च 2015 की स्थिति (मेगाहर्ट्ज)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव वैकबोन स्पेक्ट्रम
		(मेगाहर्ट्ज) ³	
बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र	2x4.4	112	56
कोलकाता	2x4.4	112	0
दिल्ली, मुंबई	2x4.4	168	0
पश्चिम बंगाल	2x5.6	112	112
राजस्थान	2x6.0	112	112
जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2x6.2	112	112
पूर्वोत्तर	2x6.2	112	112
असम	2x6.2	112	112
तमिलनाडु	2x9.8	112	56
चैन्नई ⁴		224	0

स्पेक्ट्रम का अतिरिक्त आबंटन 08 सितम्बर 2014 से किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एयरसेल ग्रुप ने डी ओ टी द्वारा अप्रैल-मई 2010 के दौरान किये गये नीलामी के द्वारा 13⁵ एल एस ए में 3जी स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार और मई-जून 2010 के दौरान डी ओ टी द्वारा किये गये नीलामी में आठ⁶ एल एस ए में बी डब्ल्यू ए (4जी) स्पेक्ट्रम प्रयोग के लिए अधिकार प्राप्त किया।

6.1.3 सकल राजस्व (जी आर), समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर स्वनिर्धारण कर ए जी आर के एक निर्धारित प्रतिशत पर एल एफ एवं एस यू सी का भुगतान अपेक्षित है। एयरसेल ग्रुप द्वारा 2010-11 से 2014-15 के पांच वर्षों के दौरान प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौतियां, समायोजित सकल राजस्व एवं भुगतान किया गया राजस्व शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) निम्नवत है:

³ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज।

⁴ चैन्नई और तमिलनाडु एल एस एज का सम्मिलन के लिये स्थानान्तरण प्रक्रिया 31 मार्च 2015 तक प्रगति पर था।

⁵ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, पंजाब, ओडिसा, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश (पूर्व), तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

⁶ आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पूर्वोत्तर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिदाता (करोड़ में)	सकल राजस्व (जी आर)	कटौतियां	समायोजि त सकल राजस्व (ए जी आर)	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व साझेदारी (एल एफ+एस यू सी)
2010-11	5.48	6,671.33	2,083.42	4,587.91	68.77	500.22
2011-12	6.26	8,092.62	3,050.76	5,041.86	62.30	681.33
2012-13	6.01	9,803.26	4,053.17	5,750.09	58.65	718.76
2013-14	7.02	11,299.56	4,159.79	7,139.77	63.19	858.17
2014-15	8.14	13,072.31	4,637.16	8,435.14	64.53	1,007.56
योग		48,939.08	17,984.30	30,954.77		3,766.04

6.2 एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस के पैरा 19.1 के अनुसार सकल राजस्व में स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट (या अन्य कोई टर्मिनल उपकरण) की बिक्री से आय, ब्याज, लाभांश, मूल्य वर्द्धित सेवायें, पूरक सेवायें, एक्सेस और इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार से प्राप्त राजस्व, आधारभूत संरचना के मान्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व आदि का सम्बन्धित व्यय आदि की मद के बगैर घटाये (सेट आफ) शामिल होगा।

आगे, अनुबन्धों का अनुलग्नक III कहता है कि सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे।

एयरसेल ग्रुप के अभिलेखों/लेखों की पुस्तकों (जनरल लेजर, जनरल वाउचर, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, ए जी आर विवरण आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबन्ध की धाराओं का पालन नहीं किया था जिन्हें अनुवर्ती पैराग्राफ में लाया गया है।

6.2.1 वितरकों/विक्रेताओं/फ्रेन्चाइजियों को दिये गये प्राथमिक कमीशन को घटाने (नेटिंग आफ) के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना

एयरसेल ग्रुप द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि ए जी आर विवरण (साथ ही साथ वित्तीय विवरणों) में उक्त वर्षों के लिये वितरकों/विक्रेताओं/फ्रेन्चाइजियों को प्रीपेड उत्पादों (एस यू के/आर सी वी/ई-रिचार्ज आदि) की बिक्री पर भुगतान किये गये कमीशन को कम करने के बाद अर्थात् प्रीपेड राजस्व की निबल (नेट) राशि की रिपोर्टिंग की गयी थी। एयरसेल कम्पनियों और वितरकों के बीच हुए अनुबन्ध कहते हैं कि एयरसेल कम्पनियां वितरकों को अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अनुसार प्रति बिक्री पर कमीशन का आफर देगी। आगे, वितरक अनुबन्ध वितरकों को देय किसी कमीशन या दर का उल्लेख नहीं करते हैं और केवल यह कहता है कि समय-समय पर कम्पनी जैसा निर्णय करेगी मार्जिन निर्धारित किया जायेगा।

प्रबंधन ने प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों को भुगतान की गयी प्राथमिक कमीशन/मार्जिन की राशि या प्रीपेड राजस्व की कमीशन/मार्जिन की कोई दर (प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किया। इस दृष्टि से, लेखापरीक्षा द्वारा, नमूना लेखा के आधार पर एस ए पी (सैप) पद्धति से प्राप्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के आंकड़ों का परीक्षण किया गया और इन वर्षों में भुगतान किये गये कमीशन/मार्जिन की दर प्रीपेड राजस्व का 5.85 प्रतिशत आयी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के ए जी आर के विवरण के अनुसार प्रीपेड राजस्व की राशि एवं उससे घटाये (नेटिंग आफ) गये कमीशन की गणना निम्न अनुसार थी—

तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए जी आर विवरणों में उल्लिखित प्रीपेड राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)				कमीशन की राशि
	ए एल	ए सी एल	डी डब्ल्यू एल	कुल	
2010-11	1,827.62	290.76	1,836.12	3,954.50	231.34
2011-12	2,080.16	239.68	2,034.04	4,353.87	254.70
2012-13	2,457.52	246.55	2,202.63	4,906.71	287.04
2013-14	2,952.23	291.29	2,651.18	5,894.70	344.84
2014-15	3,690.22	207.62	3,168.19	7,066.02	413.36
कुल	13,007.75	1,275.90	11,892.15	26,175.80	1,531.28

वितरकों/फ्रेन्चाइजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्यय की प्रकृति का था तथा राजस्व से इस प्रकार के व्ययों का घटाना (सेट आफ) लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि यद्यपि प्रीपेड वाउचर्स अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) दर्शाते हैं तथापि पार्टियों के मध्य अनुबंध के अनुसार विक्रेताओं को यह वाउचर्स कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्री-पेड वाउचर्स की बिक्री एक प्रिंसीपल टू प्रिंसीपल लेन-देन है। बिक्री लेन-देन, मूल्य की वसूली के साथ पूर्ण था और उसी क्षण से कार्ड का स्वामित्व, उनकी अभिरक्षा साथ ही साथ सभी प्रकार के नुकसान, बर्बादी आदि से उत्पन्न खतरे वितरक के पास चले जाते हैं, इस बात के बिना भी कि वितरक कार्ड को खुदरा अथवा अन्तिम उपभोक्ता को कब बेचते हैं। यह कहा गया था वितरक को इस बिक्री मूल्य पर बिल किये जाते हैं तथा राजस्व बिना घटाये (नेटिंग आफ) लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया था क्योंकि कीमत पर कोई भी छूट नहीं दी गयी थी। यह भी कहा गया कि लेखांकन बिक्री मूल्य पर किया गया क्योंकि सम्बन्ध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल पर था तथा स्थान से स्थान पर परिवर्तित था, इसलिए वितरक अनुबन्ध में इस प्रकार का प्रतिशत नहीं था।

आगे यह भी कहा गया कि टी डी सैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में निर्धारित किया कि "सकल राजस्व" की परिभाषा लाइसेंस धारक को सेवा के लिए एक थोक मूल्य जो कि इसके एम आर पी से निम्नतर है, नियत करने हेतु बाधक नहीं माना जा सकता। कसौटी यह है कि वास्तविक लेन देन कैसे हुआ। यदि बिक्री एवं बीजांकन एम आर पी पर था तथा कोई छूट अलग से दी गई थी तब धारा 19.1 के अनुसार ऐसी छूट घटाने (नेटिंग आफ) योग्य नहीं थी चाहे लाभ हानि लेखा में दर्ज राजस्व छूट को निबल (नेटिंग आफ) करने के उपरान्त ही था। दूसरी तरफ, यदि बिक्री बताये/सम्मत मूल्य पर थी, सम्मत मूल्य पर बीजांकित थी तथा तदनुसार लाभ एवं हानि लेखा में राजस्व के तहत बिना

किसी छूट को निबल किये हुए (नेटिंग आफ) दर्ज थी, तब वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इसके बिक्री मूल्य के मध्य अंतर "सकल राजस्व" में नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आखिरकार एयरसेल कम्पनियों ने ही सेवायें प्रदान कीं और यदि उन्होंने सीधे ग्राहकों को रिचार्ज वाउचर/ई-रिचार्ज/कार्ड की बिक्री की होती तो राजस्व दी गयी सेवा के पूरे मूल्य के साथ लेखांकित किया जाता और बिक्री व्यय खर्च के रूप में दर्ज होते। उसी समानता से, वितरकों को दिया गया छूट/कमीशन विपणन व्यय प्रकृति का होगा और इस प्रकार राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि अंततः अभिदाता को सेवा प्रदान करने का दायित्व लाइसेंसी कम्पनियों का रहता है न कि वितरकों का। टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय को डी ओ टी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

जबकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्ययों की प्रकृति का है अतः इन खर्चों का राजस्व से समायोजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में वितरकों/फ्रेन्चाइजियों/विक्रेताओं को दिये गये कमीशन के निवलीकरण के कारण एयरसेल कम्पनीज (ए एल, ए सी एल, डी डब्ल्यू एल) का जी आर/ए जी आर ₹ 1531.28 करोड़ से कम बताया गया तथा एल एफ और एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 125.31 करोड़ और ₹ 59.02 करोड़ में परिणित हुआ (अनुलग्नक-6.01)।

6.2.2 ग्राहकों को दिये गये ऑफर/छूट/रिबेट के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना

अ. प्रीपेड सेवा:

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि कम्पनी ने ग्राहकों को विभिन्न योजनाएं/छूटें जैसे माफी, छूट, प्रोमोटाक टाइम, फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन पूरक प्रस्ताव, फुल टॉक टाइम आदि प्रदान की थी। यह देखा गया कि ऐसे प्रस्तावों को समायोजित करने के लिये, उनका मूल्य सेवा राजस्व शीर्षों से घटा दिया गया था। जैसे और जब कभी भी ग्राहक द्वारा उसका उपयोग किया जाता था, राजस्व कथित राशि से क्रेडिट किया जाता था। परिणामस्वरूप, ग्राहकों को इन प्रस्तावों के कारण राजस्व को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था। चूंकि ग्राहकों को दिये गये प्रस्ताव व्यवसाय में वृद्धि हेतु समग्र व्यवसायिक रणनीति के भाग थे अतः ऐसे प्रस्तावों/छूटें व्ययों के बराबर हैं। लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सेवा राजस्व खर्च की संबंधित मद को बिना घटाये (सैट आफ), दिखाया जायेगा, इसलिये इन्हें जी आर में से निकालने की अनुमति नहीं है। यह लाइसेंस अनुबंध के उल्लंघन में भी था जो स्पष्टतया बताता है कि सेवा राजस्व (बिल करने की योग्य राशि) सकल दिखाया जायेगा तथा छूट/रिबेट के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे। मदवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

• ग्राहकों को माफी, छूट तथा प्रोमो टाक टाइम

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त किये गये डाटा की समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित मदें प्रीपेड राजस्व लेखा कोड से डेबिट की गई थी।

- i) प्रोसेसिंग फीस (पी एफ) माफी/ग्राहक माफी (₹ 146.82 करोड़)
- ii) छूट (₹ 0.08 करोड़)
- iii) प्रोमो टॉक टाईम (₹ 0.15 करोड़)

प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्रदान किये गये उपरोक्त माफी/छूट/प्रोमो टॉक टाईम, प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिये गये आफर थे और इसलिये ये व्यय की प्रकृति के थे। ऐसे व्ययों का राजस्व से निवलीकरण, एयर सेल कम्पनी द्वारा जी आर/ए जी आर को ₹ 147.05 करोड़ से कम दर्शाये जाने में परिणित हुआ।

- **ग्राहकों को प्रदान किया गया फ्री एयर टाइम**

प्रीपेड सेवा लेखा कोड से राजस्व को निम्नलिखित मदों द्वारा डेबिट किया गया था।

- i. अतिरिक्त टॉक टाईम; आदि
- ii. एफ ए टी- बोनस/फ्री टाक वेल्थू ;
- iii. एस आर सी ग्राहकों को दिया गया एफ टी टी;
- iv. अतिरिक्त टॉक टाईम;

प्रीपेड ग्राहकों को दिये गये अधिक/फ्री/अतिरिक्त टॉक टाईम को समायोजित करने के लिये राजस्व शीर्षों को डेबिट कर, जी आर/ए जी आर को ₹ 44.46 करोड़ से कम दिखाया गया था।

- **डी डब्ल्यू एल द्वारा ग्राहकों को आफर की गई फुल टॉक टाईम योजना**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में पाया गया कि डिशनेट वायरलेस लिमिटेड के लेखाओं प्रीपेड राजस्व (प्रोसेसिंग चार्ज/एक्टीवेशन आदि) को फुल टॉक टाईम ट्रान्सफर प्रोसेसिंग चार्ज/एक्टीवेशन इत्यादि वर्णन के शीर्ष को डेबिट के द्वारा ₹ 45.18 करोड़ से कम कर दिया गया था।

प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिये गये फुल टॉक टाईम को समायोजित करने के लिये राजस्व शीर्षों को डेबिट करना लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं था। यह ₹ 45.18 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दर्शाने में परिणित हुआ।

- **“प्री इन रिचार्ज पर टॉक टाईम” शीर्षक के अन्तर्गत राजस्व शीर्षों में डेबिट**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि “टॉक टाईम आन प्री इन रिचार्ज” शीर्षक के अन्तर्गत की एक मद से राजस्व डेबिट किया गया था। इस लेखे में राजस्व में डेबिट (कम की गयी) की गयी कुल राशि की गणना ₹ 74.00 करोड़ थी और जी आर/ए जी आर इतनी ही राशि से कम करके दिखाया गया।

- **खर्च के रूप दर्ज प्रोमो टी टी/यूसेज को राजस्व से निवलीकरण**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि ट्रायल वैलेंस में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज की गयी प्रोमो टॉक टाईम/यूसेज की कुछ राशि को ए जी आर विवरणों में सेवा राजस्व से निवल किया गया था।

इस लेखे में निवलीकृत की गयी कुल राजस्व की राशि ₹ 3.89 करोड़ थी।

राजस्व से व्ययों के रूप में दर्ज प्रोमो टॉक टाइम/यूसेज का निवलीकरण ₹ 3.89 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाने में परिणित हुआ। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि असम और पूर्वोत्तर एल एस ए के संदर्भ में वर्ष 2010-11 हेतु जी एल कोड 3330011- प्रोमो टी टी/यूसेज शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट अभिशेष राशि ₹ 73.42 लाख, ए जी आर विवरणों में राजस्व से निवलीकृत नहीं की गई थी।

ब. पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दी गई माफी और छूट से राजस्व का निवलीकरण

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि पोस्टपेड राजस्व लेखा कोड को "माफी" और "छूट" की विभिन्न मदों से डेबिट किया गया था। राजस्व शीर्ष में डेबिट की गई "माफी" और "छूट" की कुल राशि की गणना ₹ 16.87 करोड़ है।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दी गई माफी और छूट व्यय की प्रकृति के हैं। राजस्व से ऐसे व्ययों का निवलीकरण ₹ 16.87 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाने में परिणित हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये उक्त प्रेक्षणों पर प्रबंधन ने कहा कि—

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इन्डिया द्वारा जारी लेखा मानक (ए एस) 9 के अनुपालन में कम्पनी राजस्व का लेखांकन करती है। राजस्व पहचान से सम्बन्धित ए एस-9 का क्लोज 4.1 प्रावधानित करता है कि 'राजस्व, नकदी का सकल अन्तर प्रवाह, प्राप्य योग्य राशियां, अथवा अन्य प्रतिफल जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न, सेवायें देने, तथा उद्यमी संसाधनों के अन्य द्वारा उपयोग जो कि ब्याज, रॉयल्टी एवं लाभांश उत्पन्न कर रहे हैं, के रूप में होगा। राजस्व ग्राहक या उपभोक्ता के लिये माल की आपूर्ति और उनको दी गई सेवाओं के लिए दिये गये प्रभार तथा उनके द्वारा प्रयोग किये गये संसाधनों से उत्पन्न प्रभार एवं पुरस्कार से मापा जाता है'।
- टी डी सैट ने भी उपरोक्त परिभाषा को अनुमोदित किया तथा 23 अप्रैल 2015 को इस विषयक आदेश पारित करते हुए कहा कि "सकल राजस्व एवं समायोजित सकल राजस्व को परिभाषित करने वाली "राजस्व" की परिभाषा ए एस-9 में तथा लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 एवं 19.2 में प्रावधानित की गई परिभाषा के मध्य कोई विरोध नहीं है। जैसा कि खण्ड 211 (3ए), (3बी) एवं (3सी) से सुस्पष्ट है कि एक लाइसेंसधारी दूरसंचार कम्पनी, विधिवत अपने लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र लेखा मानकों के अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया, जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है, द्वारा संहिता बद्ध की गई संस्तुतियां हैं"।
- ए एस 9 में राजस्व की परिभाषा से स्पष्ट है कि राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की सीमा तक माना जाना है। चूंकि छूट, माफी, फ्री टॉक टाइम, अतिरिक्त टॉक टाइम, फुल टॉक टाइम, प्रोमो टॉक टाइम से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह लाइसेंस फीस का विषय नहीं होना चाहिये।

- उपरोक्त के आलोक में, ए जी आर की गणना में छूट एवं माफी के काल्पनिक राजस्व को शामिल न करने में कम्पनी न्याय संगत है क्योंकि ए जी आर की गणना में उसका मूल्य वापस जोड़ने से काल्पनिक राजस्व पर एल एफ का भुगतान हो जायेगा जो कि न तो प्राप्त किया गया था और न ही प्राप्त करने योग्य है। पुनः क्योंकि माफी में, ट्राई के दिनांक 10 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार ग्राहकों को प्रदान की गयी वापसी (रिफण्ड) के कारण माफी शामिल है जो लाइसेंस फीस का विषय नहीं हो सकता है। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में भी इस पर पुनः जोर दिया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि “सकल राजस्व” में शामिल करने के लिए अन्तः प्रवाह की मद काल्पनिक न होकर वास्तविक होनी चाहिए”।
- कम्पनी द्वारा दी गई ₹ 17.02 करोड़ राशि की छूट/माफी (पोस्टपेड/प्रीपेड), ट्राई को दाखिल की गयी टैरिफ प्लान के एक भाग के रूप दी गयी छूट की प्रकृति की थी, इसलिए लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए विचारित राजस्व से इसे अधिकारित: समायोजित किया गया है। यह भी कि ग्राहकों को प्रदान की गयी ₹ 146.82 करोड़ (प्रीपेड) की राशि की माफी अन्य मदों के साथ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में गलत प्रभार/गलत बिलिंग के कारण थी तथा ए एस 9 के अनुसार ऐसी माफी/डिस्काउंट के समायोजन के बाद शुद्ध प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है।
- ग्राहकों को दिये गये क्रेडिट विवरणों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि क्रेडिट मुख्य रूप से नीचे दिये गये कारणों से है:
 - (i) ग्राहकों के बीच अभिशेष स्थानांतरण: यह ग्राहकों को प्रदान की गयी सेवा है जिसके द्वारा ग्राहक अपना बैलेंस दूसरे ग्राहक को स्थानान्तरित कर सकता है। यह एक ग्राहक को क्रेडिट तथा दूसरे ग्राहक को डेबिट के रूप में प्रदर्शित होता है। अतः राजस्व पर शुद्ध डेबिट प्रभाव कुछ नहीं है।
 - (ii) कर्मचारी माफी (पोस्टपेड): कर्मचारियों के संयोजन का औसत प्रयोग लगभग ₹ 2.5 करोड़ वार्षिक है। उक्त अवधि के लिये यह ₹ 7.5 करोड़ निकलता है। कर्मचारी द्वारा प्रयोग, उसके कार्यालय के कर्तव्यों की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत है, और इसलिये उसे सकल राजस्व/ए जी आर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस फीस का विषय नहीं है।
 - (iii) ट्राई के निर्देशानुसार ग्राहकों को दी गयी माफी: ग्राहकों को दी गयी माफी मुख्य रूप से गलत बिलिंग/गलत प्रभारों (अर्थात् पहले ग्राहक को डेबिट किया गया तथा उस प्रभार की वापसी) जिसके लिए ग्राहकों को कभी भी सेवा प्रदान नहीं की गयी, यह उपरोक्त अवधि के लिए कुल दी गयी माफी का 88 प्रतिशत ₹ 94 करोड़ बनता है। लगभग ₹ 22 करोड़ (पोस्टपेड+प्रीपेड) के अभिशेष को सद्भावना की प्रकृति की माफी कहा जा सकता है।
- यह भी संज्ञान में लिये जाने योग्य है कि, वित्त अधिनियम (सेवा कर) के सेक्शन 67 के प्रावधानों के अनुसार, जहां कोई सेवा धन के प्रतिफल के बिना दी जाती है, ऐसी सेवाओं पर सेवाकर देय नहीं है। इसी प्रकार, सेवायें जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं की गयी हैं

परन्तु स्वयं के लिए प्रयोग की गयीं वह भी सेवाकर के उदग्रहण किये जाने के अधीन नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त किया गया/प्राप्त करने योग्य है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों के साथ प्रबंधन को जी एल डम्प का विवरण सत्यापन के लिए दिया था परन्तु प्रबंधन ने अपने मत के समर्थन में जी एल प्रविष्टि के मदवार विवरण के साथ प्रति उत्तर नहीं दिया। आगे “इन्टर सबस्क्राइबर बैलेन्स ट्रान्सफर” के मद में राजस्व में डेबिट की राशि वर्तमान अवधि के डाटा को विचार में रखते हुए लगभग अनुमान पर आधारित है। इसी प्रकार, कर्मचारियों द्वारा प्रयोग (पोस्टपेड) के मद में जो कथित माफी दी गयी है वह भी लगभग सही अनुमान तथा बिना किसी समुचित विवरण पर आधारित है। पोस्टपेड के मामले में, जनरल लेजर में प्रकट हो रहे “एडस्टमेंट” के मद में पोस्टपेड राजस्व को किये गये डेबिट पर लेखापरीक्षा ने विरोध नहीं किया था।
- टैरिफ के अनुसार ग्राहकों/एजेन्टों को दी गई छूट या एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि के विवरण का उल्लेख नहीं है।
- प्रणाली में कोई ऐसा उल्लेख नहीं था जो कि यह संकेत देता कि “जी एल कोड प्रीपेड-आर सी प्रोसेसिंग इनकम” को किया गया डेबिट, वी ए एस, टॉक टाईम, किराया इत्यादि के मद में गलत प्रभारित (ग्राहक खातों से गलत कमी) करने के कारण था। लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अन्तर्गत आवश्यक अलग-अलग विवरण के अभाव में “पी एफ माफी” के अन्तर्गत पूरे डेबिट को गलत प्रभारित डेबिट नहीं माना जा सकता है।
- इन माफी से सम्बन्धित जनरल लेजर से निकाले गये डाटा के विश्लेषण ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि यह प्रीपेड प्रोसेसिंग आय, वी ए एस, टॉक टाईम, किराया इत्यादि के मद में थी न कि वी ए एस की मद को गलत प्रभारित करने के कारण।
- प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि फ्री एयर टाइम (एफ ए टी)/गुडविल वेवर्स को राजस्व में डेबिट किया।
- ग्राहकों को प्रदान की गयी डिस्काउंट/माफी/आफर्स/एफ ए टी व्यापार को बढ़ाने में किये गये खर्च की प्रकृति की थी।

इस प्रकार से प्रीपेड ग्राहकों को प्रदान की गयी डिस्काउंट/माफी/आफर्स/एफ ए टी के मूल्य को पहचानने न जाने तथा पोस्टपेड ग्राहकों को प्रदान की गयी माफी/डिस्काउंट के समायोजन से एयरसेल कम्पनियों के जी आर/ए जी आर को ₹ 331.45 करोड़ से कम आंका गया। परिणामस्वरूप, एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 29.99 करोड़ एवं ₹ 14.94 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-6.02)।

6.2.3 अन्य दूरसंचार आपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 के अनुसार, सकल राजस्व में अनुज्ञेय इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से राजस्व तथा कोई अन्य विविध राजस्व संबंधित व्यय इत्यादि मद का कोई समायोजन (सेट आफ) किये बिना सम्मिलित होंगे।

एयरसेल ग्रुप के स्वामित्व वाले दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर (टावर्स नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों से साझा किये गये थे। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर (साइट) साझेदारी के लिए अन्य दूरसंचार कम्पनियों से अनुबंध किये हैं। अन्य ऑपरेटरों से किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार सैल साइट हेतु साझेदारी के लिए अन्य आपरेटरों से शुल्क वसूला गया था जो कि साइटों की केपेक्स (पूँजीगत) लागत के निश्चित प्रतिशत तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा खर्च किये गये ओपेक्स लागत पर आधारित था।

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से लिये गये डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर/साइट साझेदारी प्रभार, जो कि अन्य आपरेटरों से वसूली योग्य/वसूल किया गया था, इन्फ्रास्ट्रक्चर/साइट साझेदारी राजस्व में पूरा नहीं लिया गया बल्कि, इसके कुछ भाग को किराया, ईंधन (डीजल), विद्युत, नेटवर्क खर्च मरम्मत और रखरखाव व सुरक्षा के व्यय मद में क्रेडिट कर दिया गया।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि में अन्य टेलीकाम आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्ति योग्य साइट साझेदारी राजस्व के कारण व्यय शीर्ष (लागत से घटायी गयी) में क्रेडिट कुल राशि ₹ 58.58 करोड़ थी।

चूँकि लाइसेंस अनुबंध में राजस्व के विरुद्ध इससे सम्बन्धित व्यय का समायोजन करना अनुमत्य नहीं है, अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्ति योग्य साइट साझेदारी राजस्व को लागत से समायोजित करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर उतना कम दिखाया गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि—

- इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के लिए दो प्रकार के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं यथा, सुविधा के उपयोग के लिए आरोपित शुल्क तथा मरम्मत एवं रखरखाव, विद्युत, डीजल आदि पर किये गये व्यय इत्यादि की प्रतिपूर्ति। सुविधा के उपयोग के लिए शुल्कों को राजस्व के रूप दर्ज किया गया था जबकि लागतों की प्रतिपूर्ति को संबंधित खर्च में कमी के रूप में दर्ज किया गया था। पुनः, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दोनों घटक यानि सुविधा के उपयोग के लिए शुल्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी अनुबंध के शर्त के अनुसार बिल की गयी/दिखायी गयी व्यय की प्रतिपूर्ति अलग-अलग थी और अलग से लेखा में भी दर्ज की गयी थी।
- खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु कम्पनी के लेखे ए एस 29 के अनुपालन में है।
- टी डी सैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा है कि “जबकि सुविधा के उपयोग के लिये किया गया कोई भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व के रूप में लिया जाना है, एक व्यय के प्रतिपूर्ति की प्रकृति का भुगतान तथा जो बीजक में अलग से स्पष्टतया ऐसा दिखाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जाये बरशते यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया है।”

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना किसी व्यय की सम्बंधित मद का समायोजन किये अवसंरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व को विशिष्टतया सम्मिलित करता है तथा लाइसेंस अनुबंध अवसंरचना की हिस्सेदारी से हुई केपेक्स एवं ओपेक्स आय के मध्य कोई भेद नहीं करता। इसलिये अवसंरचना हिस्सेदारी से आय का व्यय के विरुद्ध समायोजन अनुमत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, रख-रखाव व्यय

और विद्युत शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ/प्राप्ति योग्य राजस्व प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं है क्योंकि ये व्यय तब भी करने पड़ते चाहे टावर शेयर किया गया हो या नहीं। वास्तव में, व्यय की साझेदारी से कम्पनी अतिरिक्त आय से लाभांशित हुई।

इस प्रकार, अन्य दूरसंचार आपरेटर से प्राप्त/प्राप्ति योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी राजस्व को समायोजित करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 58.58 करोड़ से कम दिखाया गया और एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.75 करोड़ और ₹ 1.87 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.03)।

6.2.4 जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को विचारित न करना

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार जी आर अन्य किसी भी प्रकार के विविध राजस्व को शामिल करता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई वर्ष 2010-11 से 2014-15 में ₹ 471.37 करोड़ के फोरेक्स लाभ प्राप्त हुआ है। हालांकि राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को शामिल नहीं किया गया।

जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 2.2.5 में उल्लेखित है, प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव में लेखापरीक्षा प्रत्येक लाभ के अन्तर्गत लेखाबद्ध किये गये मदों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नहीं कर सकी। ऑपरेटर को लेखे के प्राथमिक मूल्य के संदर्भ में प्रत्येक मद पर लाभ की गणना करनी चाहिये एवं जी आर/ए जी आर में कुल फोरेक्स लाभ को शामिल करना चाहिये।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि—

- ए एस-9 के अनुसार "राजस्व की परिभाषा" स्पष्ट कहती है कि राजस्व, नकदी प्राप्तियों का सकल अन्तःप्रवाह है, जो व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न, सेवाओं के प्रदान करने से, उद्यमी के स्रोतों का अन्य के द्वारा प्रयोग करने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश से, प्राप्ति योग्य या अन्य प्रतिफल है। विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, राजस्व की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिये यह ए जी आर के गणना के समय शामिल नहीं करना चाहिए।
- टी डी सैट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को दिये गये निर्णय के अनुसार ".....
विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण किसी लाभ और हानि का लाइसेंस फीस पर कोई असर नहीं होगा।" यह भी कहा गया था कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसलिए फोरेक्स लाभ को लाइसेंस शुल्क की गणना करते समय ए जी आर में पुनः वापिस नहीं जोड़ना चाहिए।
- चूंकि, लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस अनुबंध के अनुसार तिमाही/त्रैमासिक राजस्व पर भुगतान किया गया था, फारेक्स लाभ की भी गणना प्रत्येक तिमाही के लिये अलग से करना चाहिए और इस प्रकार फारेक्स लाभ ₹ 56.10 करोड़ होना चाहिये।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान एयरसेल ग्रुप को शुद्ध नकद हानि ₹ 357.85 करोड़ हुई। इसलिए जहां विदेशी विनिमय दर के अंतर के कारण लाभ होता है उस लेन-देन पर लाइसेंस शुल्क का आरोपण करना सही नहीं होगा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- i) फोरेक्स लाभ/हानि वैयक्तिक लेन देन का परिणाम है
- ii) वैयक्तिक लेन-देन एकत्रित नहीं किया जा सकता है
- iii) पुनः फोरेक्स लाभ/हानि एक वैयक्तिक अनुबंधों की प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हानि को समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- iv) टी डी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

इस प्रकार जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण हुए लाभ को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए। एयरसेल कम्पनियों द्वारा इसे शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 471.37 करोड़ से कम दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 38.12 करोड़ और ₹ 9.82 करोड़ कम किया गया (अनुलग्नक-6.04)।

6.2.5 कारपोरेट लेखा में लेखांकित वी ए एस/विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व को विचारित न करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार वी ए एस एवं अन्य विविध आय से प्राप्त राजस्व, राजस्व शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) की गणना हेतु जी आर/ए जी आर का भाग होना चाहिये। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के डाटा/अभिलेखों की समीक्षा तथा जैसा सैप पद्धति से लिया गया, यह पाया गया कि मूल्य वर्द्धित सेवायें/विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व कारपोरेट लेखे में दर्ज किये गये ₹ 0.66 करोड़ को राजस्व साझेदारी की गणना के समय जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि विज्ञापन राजस्व, दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण न तो उपभोक्ता से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अर्जित होता है और इसलिए ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के आय के लिए दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट आय के लिए अलग संभागीय खाता बही बनायी जाती है जिसका कि किसी भी दूरसंचार परिमंडल के लाइसेंस क्रियाकलाप से सम्बंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार किसी विविध आय जो कि दूरसंचार कम्पनी को अर्जित होती है, को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

इस प्रकार, राजस्व साझेदारी की गणना करते समय इसे शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 0.66 करोड़ कम बताया एवं एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.05)।

6.3 राजस्व व एल एफ (ए जी आर विवरणी) विवरणियों में राजस्व कम दिखाये गये यद्यपि बहीखातों में रिपोर्ट किये गये थे

6.3.1 जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज आय का विचार नहीं किया जाना

यू ए एस एल/सी एम टी एस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 की शर्त के अनुसार और अन्य लाइसेंस के सम्बंध में सम्बन्धित अनुच्छेद जी आर को परिभाषित करता है कि सरकार को देय राजस्व साझेदारी की गणना करते समय ब्याज से प्राप्त आय जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की समयावधि के आंकड़े/अभिलेखों जो कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया और सैप पद्धति से ली गयी डाटा की समीक्षा में पाया कि एयरसेल कम्पनी के लेखों में दर्ज ब्याज से प्राप्त आय को पूर्ण रूप से जी आर में शामिल नहीं किया गया। कुल ब्याज आय वित्तीय विवरण के "अन्य आय" की अनुसूची में तीन शीर्षों के अन्तर्गत अर्थात्-बैंक जमा से ब्याज, अर्न्तकारपोरेट जमा से ब्याज (आई सी डी) और विलंबित राशि पर ग्राहक से प्राप्त ब्याज, दर्शाया गया था। यह पाया गया कि विलंबित राशि (विलम्ब भुगतान अधिशुल्क) पर ग्राहक से प्राप्त ब्याज जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया था किन्तु बैंक जमा और आइ सी डी से ब्याज जी आर/ए जी आर में, राजस्व साझेदारी की गणना करते समय, शामिल नहीं किया गया। ब्याज आय की राशि ₹ 987.95 करोड़ थी जिसे जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि-

- सावधि जमा के माध्यम से किसी अस्थायी अधिव्य निधि का निवेश (बैंक से उधार लेने के कारण उत्पन्न, अंशधारक के द्वारा शेयर निवेश), प्रतिभूति या म्युचुवल फण्ड के साथ कम्पनी के द्वारा दिया गया अर्न्तकारपोरेट ऋण से अर्जित ब्याज को दूरसंचार के क्रिया कलाप से आय नहीं कह सकते हैं और इसलिए लाइसेंस शुल्क की गणना करने के उद्देश्य हेतु ए जी आर में शामिल नहीं किया गया। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि इकाई, सेवा क्षेत्र में अपने लाइसेंसी की क्षमता से स्वतंत्र अलग रूप से कार्य करती है जब एक गुप कम्पनी को अर्न्तकारपोरेट ऋण दिया जाता है जो बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज के समान है (कोष कार्यकलाप)। इस प्रकार, उससे कोई ब्याज, ब्याज की परिभाषा या लाइसेंस के अन्तर्गत निवेश पर ब्याज के अन्तर्गत नहीं आता है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है कि "अग्रिम आदेशों तक याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के सम्बन्ध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु प्रतिवादियों (डी ओ टी) द्वारा कोई उत्पीड़क कदम नहीं उठाये जायेंगे।

लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर की परिभाषा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को, राजस्व साझेदारी की गणना करने के समय जी आर/ए जी आर में शामिल करना है।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ब्याज से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 987.95 करोड़ से कम दिखाया गया और एल एफ और

एस यू सी का क्रमशः ₹ 91.03 करोड़ तथा ₹ 40.37 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-6.06)।

6.3.2 निवेश से आय को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

राजस्व और एल एफ के विवरण के प्रपत्र (ए जी आर विवरण) जैसा कि परिशिष्ट II से अनुलग्नक-II में विहित है और जो यू ए एस एल/सी एम टी एस अनुबंध के अनुच्छेद 20.4 में संदर्भित है, लाइसेंस अनुबंध का एक अनिवार्य भाग है। विवरण में, मद संख्या-4 "निवेश से आय" दर्शाने के लिए विहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 की शर्तों के अनुसार लाभांश आय, भारत सरकार को देय राजस्व साझेदारी की गणना करते समय, जी आर में शामिल करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की समयावधि के आंकड़े/अभिलेखों जैसा कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया और सैप पद्धति से ली गयी आंकड़ों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि म्युचुवल फण्ड में निवेश के विमोचन से प्राप्त पूंजीगत आय और म्युचुवल फण्ड निवेश से प्राप्त लाभांश राशि ₹ 52.60 करोड़ तथा ₹ 21.32 करोड़ क्रमशः जो ए एल और ए सी एल के कारपोरेट लेखे में दर्ज किया गया, को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि—

- आय की प्रकृति, लाभांश होने के कारण, लाइसेंस गतिविधि से सम्बन्धित नहीं था। इसलिए, कोई भी लाभांश, जिस किसी भी प्रकृति के निवेश से अर्जित हुआ हो लाइसेंस क्रियाकलाप से उपार्जित आय का भाग नहीं है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:—

“अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई उत्पीड़क कदम नहीं उठाये जायेंगे।”

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में निवेश/लाभांश से प्राप्त आय को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना स्पष्टतया प्रावधानित करता है।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान निवेश से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 73.92 करोड़ (₹ 52.60 करोड़ और ₹ 21.32 करोड़) से कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 7.30 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक 6.07)।

6.3.3 जी आर/ए जी आर हेतु अन्य विविध आय का विचार न किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का लेखा परीक्षा को प्रस्तुत आंकड़ों/अभिलेखों और सैप पद्धति में ली गयी डाटा की समीक्षा में पाया गया कि अन्य विविध आय को जी एल शीर्ष 4900013 में दर्ज किया गया तथा लाभ हानि खाते के अनुसूची “अन्य आय” के अन्तर्गत “विविध आय” में वर्गीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस विविध आय का कुछ भाग, विभिन्न एल एस ए/लाइसेंसी द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया

गया है और कुछ भाग शामिल नहीं किया गया। लेखों के अनुसार विविध आय और राशि जो जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया है उसका विवरण निम्नवत है—

तालिका 6.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए एल			ए सी एल			डी डब्ल्यू एल		
	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि
2010-11	2.57	0.36	2.21	0.76	0	0.76	6.59	4.55	2.04
2011-12	0.83	0.34	0.49	0.36	0.36	0	9.60	9.59	0.01
2012-13	3.24	0.08	3.16	0.40	0.40	0	8.34	3.21	5.40*
2013-14	1.05	0	1.05	0.54	0	0.54	1.55	0.20	1.39*
2014-15	0.57	0	0.57	0.25	0	0.25	0.24	0	0.25
योग	8.26	0.78	7.48	2.31	0.76	1.55	26.32	17.55	9.09

टिप्पणी— *विविध आय की कुल राशि की गणना के लिये कुछ एल एस ए के विविध आय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष छोड़ दिया गया है तथा उन्हें जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

यू ए एस एल/सी एम टी एस अनुबन्ध के अनुच्छेद 19.1 की शर्तों और अन्य अनुबंधों में सम्बन्धित शर्तों के अनुसार विविध आय को जी आर/ए जी आर में विचार किया जाना चाहिए और एयरसेल कम्पनी ने कुछ मामलों में ऐसा किया भी था। किन्तु विविध आय की ₹ 18.12 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि “विविध आय/अन्य आय” कबाड़/रद्दी की बिक्री, बीमा दावा, लागत की प्रतिपूर्ति आदि से आय को सम्मिलित करती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होता है और इसलिए, इसे ए जी आर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी आय के लिए दूरसंचार लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट रूप से बताता है कि विविध राजस्व/आय को जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु शामिल करना चाहिए।

इस प्रकार सम्पूर्ण विविध आय को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने के फलस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 18.12 करोड़ से कम बताया गया है और एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.46 करोड़ और 0.60 करोड़ से भुगतान कम किया गया (अनुलग्नक 6.08)।

6.3.4 राजस्व साझेदारी की गणना हेतु सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में सम्बंधित मद हेतु किसी प्रकार के खर्च इत्यादि से समायोजन के बिना ब्याज लाभांश व अन्य विविध राजस्व शामिल होगा। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/अभिलेखों और सैप पद्धति से ली गयी आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित ₹ 37.65 करोड़ की सम्पत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिये विचार में नहीं लिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि—

- “स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व पूंजीगत प्रकृति के हैं जो कि लाइसेंस गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसे ए जी आर में शामिल नहीं करना चाहिए।”
- टी डी सैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा कि स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ, राजस्व प्राप्ति से अलग है और जी आर का भाग/अंश नहीं होना चाहिए। यह भी कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उपरोक्त लाभ लाइसेंस शुल्क की गणना हेतु ए जी आर में वापिस नहीं जुड़ना चाहिए।

लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंधों में यह स्पष्ट था कि राजस्व साझेदारी की गणना हेतु विविध आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिये और सम्पत्तियों/स्क्रैप की बिक्री से लाभ विविध आय की प्रकृति के अन्तर्गत आता है और इसको भी लाइसेंस अनुबंध के अनुसार शामिल किया जाना चाहिये।

सम्पत्तियों/स्क्रैप की बिक्री से लाभ को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 37.65 करोड़ से जी आर/ए जी आर कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 3.04 करोड़ तथा ₹ 1.22 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-6.09)।

6.4 अन्य मामले

6.4.1 “बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों” की राशि से जी आर/ए जी आर को कम बताना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.2 के शर्तों के अनुसार “बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋण” सकल राजस्व (जी आर) से घटाने योग्य नहीं है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये सैप पद्धति से एक्सेस की गयी आंकड़ों और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में एयरसेल कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क (एल एफ) और स्पेक्ट्रम युजेज प्रभार (एस यू सी) की गणना करते समय, “बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों” की राशि ₹ 50.34 करोड़ को सकल राजस्व (जी आर) से घटा दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि वर्ष 2014-15 में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण को टी डी सैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के पालन में ए जी आर से घटाये गये थे जिसमें कहा गया था कि “अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता द्वारा वास्तव में खोया पैसा है। इसलिए ऐसी हानियां ए जी आर से हटाई जानी चाहिए। ऐसी हानियों की राशियों को ए जी आर में सम्मिलित करने की अनुमति देने का

अर्थ होगा कि जब पार्टी हानि उठाती है तब भी इसे हानि पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान करना है।" उपरोक्त निर्णय अभी भी लागू हैं क्योंकि दिनांक 23 अप्रैल 2015 के टी डी सेट के नये निर्णय ने अभी तक अंतिम रूप प्राप्त नहीं किया है क्योंकि उसे डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गयी है। यह भी कहा गया कि यदि अशोध्य ऋण को ए जी आर की गणना करते समय घटाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। जो राशि अशोध्य ऋण के कारण डूब गया है राजस्व को कम करता है जिसके कारण प्रचालक को हानि होती है। इस राशि को राजस्व नहीं माना जा सकता है और लाइसेंसी को इस पर लाइसेंस शुल्क भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों" की रकम हानि/व्यय का मद है और लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की कोई भी हानि/व्यय राजस्व से घटायी (सेट आफ) नहीं जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, टी डी सेट का अगस्त 2007 का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2011 के फैसले से अप्रभावी हो गया।

इस प्रकार, "बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण" के ₹ 50.34 करोड़ को जी आर से घटाने के कारण जी आर/ए जी आर को इस राशि तक कम दिखाया गया। परिणामस्वरूप, इस राशि पर एल एफ और एस यू सी की क्रमशः ₹ 4.03 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ राशि का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 6.10)।

6.4.2 एयरसेल कम्पनी के पैसिव अवसंरचना व्यवसाय को मंदी मूल्य पर चेन्नई नेटवर्क अवसंरचना लिमिटेड (सी एन आई एल) को अंतरण

वर्ष 2010-11 के दौरान, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 391 से 394 के अन्तर्गत एयरसेल कम्पनीज (ए एल, ए सी एल, डी डब्ल्यू एल) और चेन्नई नेटवर्क अवसंरचना लिमिटेड (सी एन आई एल) के बीच एक व्यवस्था की योजना (एस ओ ए), मंदी के मूल्य पर अपना पैसिव अवसंरचना व्यवसाय हस्तांतरण के लिये माननीय उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था, मद्रास में दायर की गयी। एस ओ ए 19 जुलाई 2010 से प्रभावी है और इस तिथि से कम्पनियों का पैसिव अवसंरचना का कारोबार अंतरिती कम्पनी (सी एन आई एल) में निहित है।

वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरण के अनुसार उपरोक्त पैसिव अवसंरचना सम्पत्तियां सी एन आई एल को अंतरण कर दिया गया और सम्पत्तियों के अंतरण से प्राप्त लाभ ₹ 1799.97 करोड़ लाभ हानि खाते के अन्य आय में दर्ज किया गया। फिर भी, ₹ 1799.97 करोड़ के लाभ को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि पैसिव अवसंरचना की बिक्री, मंदी बिक्री की प्रकृति का है जिससे सम्पूर्ण पी आई व्यवसाय सी एन आई एल को जारी रखने के लिए, सौंप दिया गया। इसलिए उसको स्थायी सम्पत्ति की बिक्री के सदृश/सामान व्यवहार नहीं किया जा सकता। "मंदी बिक्री" एक "उपक्रम" का अंतरण है अर्थात् एक भाग या एक ईकाई या एक कम्पनी का एक भाग है जो कि व्यवसाय गतिविधि का निर्माण करता है जब सम्पूर्ण रूप से लिया गया हो। सरल भाषा में मंदी मूल्य का अर्थ पूरे व्यवसाय ईकाई की, प्रत्येक सम्पत्ति एवं दायित्व के अलग अलग मूल्य निर्धारित किये बिना, एक मूल्य पर अंतरण को कहते हैं। हमारा मत है कि उपक्रम की बिक्री पर लाभ लाइसेंस अनुबंध के

पैरा 19.1 के अर्न्तगत नहीं आता है और इसलिए इसे जी आर/ए जी आर की गणना हेतु विचार नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त पर लेखापरीक्षा का मत है कि पैसीव अवसंरचना सम्पत्ति के अंतरण पर लाभ, दूरसंचार लाइसेंस गतिविधि के कारण थी जो अन्य आय में दर्ज की गयी तथा इसलिए लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ₹ 1799.97 करोड़ का लाभ जी आर/ए जी आर में शामिल होना चाहिए। इस तरह वर्ष 2010-11 में ₹ 1799.97 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया है और एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 164.89 करोड़ और ₹ 69.60 करोड़ से कम भुगतान किया है (अनुलग्नक 6.11)।

6.5 एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये प्रकरणों पर (पैरा 6.2 से 6.4) एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 469.98 करोड़ और ₹ 200.87 करोड़ की गणना की गयी थी। एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज की गणना ₹ 555.80 करोड़ की गई है (अनुलग्नक 6.12)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विद्यमान प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत ऊपर की दर थी तथा गणना हेतु विचार की गयी समयावधि सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया है।

6.6 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अन्तर्गत आवश्यक विस्तृत विवरण जमा नहीं करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुच्छेद 20.7 प्रावधान करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण और राजस्व तथा लाइसेंस शुल्क का विवरण (ए जी आर विवरण) अनुलग्नक में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तैयार किया जायेगा। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुलग्नक-III वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करने हेतु मापदंडों का प्रावधान करता है। ए जी आर विवरणी वार्षिक वित्तीय विवरणी और सम्बंधित लेखा अभिलेखों जो लेखापरीक्षा को दिये गये थे के परीक्षण से पता चला कि इन सभी मापदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। विशिष्टतया, यह मालूम पड़ता है कि बिक्री कर सेवा कर, छूट/रिबेट माल की बिक्री, इनवेन्टरी, व्यय के विरुद्ध आय का समायोजन और बिल नहीं किये गये संख्याओं के सम्बन्ध में माप दण्डों का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबंधन ने कहा कि यहां यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी का संवैधानिक वित्तीय विवरणी कम्पनी एक्ट के द्वारा शासित किया गया तथा इसलिए यह कम्पनी एक्ट के सम्बंधित प्रावधानों को कड़ाई से पालन करते हुए तैयार किया गया है। तदनुसार कम्पनी अपने वित्तीय विवरणी कम्पनी एक्ट के प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार कर रही थी। जहां तक यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध अनुच्छेद 20.7 के साथ अनुलग्नक-III के आवश्यकताओं का सम्बन्ध है यह कहा गया था कि कम्पनी के वैधानिक वार्षिक लेखों में कम्पनी एक्ट (अनुसूची-VI) और इंस्टीट्यूट आफ-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा जारी लागू लेखा मानकों की आवश्यकतानुसार अन्य प्रकटीकरण को शामिल किया था। यू ए एस/सी एम टी एस के लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में कही गयी कुछ आवश्यकताएँ या तो कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत

आवश्यक नहीं है या लागू लेखा मानक विशेष रूप से ए एस-9 और ए एस-29 में लेखा नियमों के विरुद्ध थी।

आगे कहा गया कि कम्पनी लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में वर्णित आवश्यक जानकारी अपने पास रखती है जिसे लाइसेंस प्रदाता के निर्देश पर कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रतिवेदन में संज्ञान में लाये गये राजस्व को कम दिखाने के मामले इसकी पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए पहचाना गया राजस्व लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था और न ही लेखाओं को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

मानक के अनुसार राजस्व को बिना कुछ घटाये सकल दिखाया जाना था। तथापि जैसा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में वर्णित है यह देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/वेवर्स, फ्री एयर टाइम आदि को राजस्व से घटा (नेटेड आफ) दिया गया और डी ओ टी को प्रकट नहीं किया गया।

डी ओ टी से, पी एस पी के द्वारा इन संविदा की शर्तों का पालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गयी थी। डी ओ टी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

उपरोक्त को ध्यान रखते हुए डी ओ टी सेवा प्रदाताओं को मानकों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जैसा कि अनुलग्नक III के अन्तर्गत लाइसेंस अनुबंध में आवश्यक है कई वर्षों से आदेश जारी करने तथा लागू कराने में असफल रहा जो कि महत्वपूर्ण था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कम्पनी ने जी आर/ए जी आर कम दिखाया और डी ओ टी उसका पता नहीं लगा सका।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में एयरसेल ग्रुप का जी आर ₹ 48939.08 करोड़ था, दावा की गयी कटौतियों ₹ 17984.30 करोड़ था और जी आर की औसत कटौतियों का प्रतिशतता 37 प्रतिशत आगणित की गयी। यद्यपि एयरसेल ग्रुप द्वारा दावा की गयी कटौतियां, कार्यलय नियंत्रक संचार लेखा के द्वारा सत्यापन के अधीन थी केवल सकल राजस्व के 67 प्रतिशत का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा दिये गये स्वयं प्रकटीकरण के आधार पर डी ओ टी स्तर पर किया गया।

इसके साथ ही डी ओ टी का एल एफ विंग जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अनुसार टी एस पी को रखना आवश्यक था सूचना प्राप्त करने में असफल रहा है और इस ऑकड़ों के अभाव/अनुपस्थिति में सत्यापन और निर्धारण कार्य का प्रतिपादन प्रभावहीन होगा।

इस प्रकार सेवा प्रदाता की पूरी राजस्व हिस्सेदारी का मूल्यांकन व सत्यापन उनके जी आर की जगह सेवा प्रदाताओं द्वारा किये गये कटौतियों पर केन्द्रित रहा।

यह भी कि डी ओ टी द्वारा अभी 2012-13 तक कुछ ही लाइसेंस (एल एस ए) के संबंध में सत्यापन और निर्धारण पर लाइसेंस शुल्क का मांग पत्र जारी किया गया है। निर्धारण और मांग पत्र जारी करने में देरी से आगे सेवा प्रदाता से बकाया राशि की वसूली में भी देरी होगी।

6.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/एयरसेल की प्रतिक्रिया

एयरसेल ग्रुप कम्पनियों द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों को डी ओ टी एवं एयरसेल ग्रुप को अगस्त 2016 के दौरान उनकी प्रतिक्रिया के लिये सूचित कर दिये गये थे। एयरसेल ने वही तर्क और प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया था (सितम्बर 2016) जैसा कि परिसर लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षणों के उत्तर में दिया गया था। डी ओ टी का उत्तर पैरा 2.4 में उल्लिखित है।

अध्याय – VII

मेसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड व मेसर्स श्याम इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

7.1 एस एस टी एल व एस आई एस एल की संक्षिप्त रूपरेखा

श्याम टेलीलिंक लिमिटेड (एस टी एल एल) को 20 अप्रैल 1995 को निगमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, एशिया की सिस्टेमा ज्वाइंट स्टॉक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने एस टी एल एल में नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी प्राप्त कर ली और कम्पनी सिस्टेमा की सहायक कम्पनी बन गई। 31 मार्च 2008 को एस टी एल एल में सिस्टेमा की साझेदारी 73.74 प्रतिशत थी। 22 जनवरी 2009 से कम्पनी का नाम श्याम टेलीलिंक लिमिटेड से बदलकर सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड रख दिया गया। 31 मार्च 2015 को सिस्टेमा की शेयर होल्डिंग 56.68 प्रतिशत है व एस एस टी एल की नियंत्रक कम्पनी बनी रही।

श्याम इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड (एस आई एस एल) को 10 मई 2000 को निगमित किया गया था तथा पूरे देश में इंटरनेट की सेवाओं के परिचालन हेतु इसे नवंबर 2000 में श्रेणी 'ए' का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया था। दिसंबर 2003 में कंपनी ने, लाइसेंस को श्रेणी 'बी' में परिवर्तित कर दिया एवं नवंबर 2001 से कम्पनी ने व्यवसायिक रूप से अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दीं। कम्पनी एस एस टी एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है।

7.1.1 एस एस टी एल व एस आई एस एल को प्रदान किये गये लाइसेंस

एस एस टी एल को 4 मार्च 1998 को राजस्थान सर्विस क्षेत्र हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा बेसिक टेलिफोन सेवाओं के लिए लाइसेंस दिया गया तथा 'रेनबो' के ब्रान्ड नाम से जून 2000 से जयपुर में अपना वाणिज्यिक कार्य आरम्भ किया।

दिनांक 11 नवम्बर 2003 को दूरसंचार विभाग के यूनिकाइज्ड एक्सेस सेवाओं (बेसिक और सेल्युलर) के लाइसेन्स (यू ए एस) के दिशानिर्देशों अनुसार 14 नवम्बर 2013 से कम्पनी यू ए एस में हस्तांतरित हो गयी।

25 जनवरी 2008 को एस एस टी एल ने 21¹ टेलीकॉम परिमंडलों हेतु यू ए एस प्राप्त कर लिए जिससे कि कम्पनी देश भर में अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु लाइसेंसी बन गई।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी 2012 के निर्णय से विभिन्न दूरसंचार संचालकों को 10 जनवरी 2008 को या उस के पश्चात लाइसेंस प्रदान किये गये 122 दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द कर दिया। लाइसेंसों में एसएसटीएल के भी 21 परिमंडलों के लाइसेंस सम्मिलित थे। इस आदेश के अंतर्गत राजस्थान परिमंडल के एस एस टी एल (पूर्व में एस टी एल एल) द्वारा धारित लाइसेंस नहीं आए क्योंकि इन्हें दिनांक 10 जनवरी 2008 के पहले जारी कर दिया गया था।

¹ आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, नार्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल

तत्पश्चात्, कम्पनी ने मार्च 2013 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लिया एवं भारत के आठ दूरसंचार परिमंडलों नामतः दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल में “स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार” 20 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त कर लिया। 3 अक्टूबर 2013 को दूरसंचार विभाग ने यूनीफाईड लाईसेंस कम्पनी को उपरोक्त आठ दूरसंचार परिमंडलों के लिए एक्सेस सर्विसेस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी की। 9 अक्टूबर 2013 को नीलामी की शर्तों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम के प्रयोग के अधिकार को 20 वर्षों के लिए उक्त दूरसंचार परिमंडलों में आवंटित कर दिया।

3 सितम्बर 2014 को कम्पनी ने यूनीफाईड लाईसेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) की सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त किया।

श्याम इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड (एस आई एस एल) जो कि शत प्रतिशत एस एस टी एल की सहायक कम्पनी है, उसे 18 दिसम्बर 2003 को दूरसंचार विभाग द्वारा आईएसपी श्रेणी ‘बी’ लाइसेंस दिया गया।

7.1.2 एस एस टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम

एस एस टी एल प्राथमिक रूप से सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) ऑपरेटर है। 31 मार्च 2015 को एल एस ए अनुसार एस एस टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम निम्नानुसार है:

तालिका- 7.1
एल एस ए अनुसार आवंटित स्पेक्ट्रम

एल एस ए	आवंटित सीडीएमए स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	एमडब्ल्यू बैकबोन स्पेक्ट्रम
		(मेगाहर्ट्ज में) ²	
दिल्ली	3.75	112	शून्य
गुजरात	3.75	56	शून्य
कर्नाटक	3.75	112	शून्य
केरल	3.75	112	शून्य
कोलकाता	3.75	56	शून्य
राजस्थान	3.75	56	शून्य
तमिलनाडु	3.75	112	शून्य
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3.75	112	शून्य
पश्चिम बंगाल	3.75	112	शून्य

नोट: (1) कम्पनी के पास राजस्थान एलएसए में 4.4 मेगाहर्ट्ज जीएसएम स्पेक्ट्रम था।

(2) कम्पनी के पास 2008-09 से 2011-12 में 2.5 मेगाहर्ट्ज सी डी एम ए स्पेक्ट्रम 21 एल एस ए (राजस्थान को छोड़कर) में था जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में निरस्त किया गया था।

² एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

7.1.3 प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व एवं एस एस टी एल द्वारा राजस्व के भोयर का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एल एफ व एस यू सी का भुगतान कुल समायोजित सकल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में स्वमूल्यांकन के आधार पर तिमाही करने की आवश्यकता है। इन वर्षों के दौरान एस एस टी एल द्वारा प्रस्तुत की गई जी आर, कटौती, ए जी आर व राजस्व के शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

तालिका – 7.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिदाता आधार* (लाख में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	ए जी आर का जी आर से प्रतिशत	राजस्व भोयर (एल एफ+ एस यू सी)
2006-07	2.74	151.50	45.60	105.90	70	9.82
2007-08	2.67	128.11	48.09	80.01	62	7.45
2008-09	7.29	95.19	45.26	49.93	52	5.25
2009-10	38.50	237.03	84.60	152.43	64	15.94
2010-11	138.44	691.06	244.81	446.25	65	53.43
2011-12	207.00	1,390.02	366.99	1,023.04	74	124.79
2012-13	171.00	1,561.97	386.64	1,175.33	75	139.00
2013-14	90.90	1,192.21	326.53	865.68	73	96.79
2014-15	89.20	1,389.90	292.48	1,097.42	79	122.77
कुल		6,836.99	1,841	4,995.99		575.24

स्रोत: 1. एस एस टी एल के राजस्व और लाइसेंस फीस की विवरणी

* ट्राई का 2007-08 से 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में 21 परिमण्डलो के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये थे। एस एस टी एल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपचारात्मक याचिका दायर की गई और 11 मार्च 2013 को 13 परिमण्डलों में दूरसंचार सेवाएं बन्द कर दी।

7.2 एस एस टी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग करना

जैसा कि पैरा संख्या 1.2 में दर्शाया है जी आर में, संबंधित व्यय इत्यादि की मदों को समायोजित किये बिना उसमें दर्शाये गये सभी तरह के राजस्व, शामिल होंगे और जैसा पैरा 1.3 में कहा गया है सेवा राजस्व, सकल में दर्शाया जायेगा और कटौती/रिबेट का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा एस एस टी एल के अभिलेखों/बही खाते (वाउचर, जनरल लेजर (जीएल), ट्रायल बैलेन्स (टीबी), लाभ-हानि खाते, बैलेंस शीट आदि) की जांच में प्रकट हुआ कि कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया था जैसा कि आगे के पैरा में बताया गया है:

7.2.1 कमीशन/छूट/माफी/फ्री एयरटाईम से संबंधित राजस्व को समायोजित करने के कारण राजस्व कम बताया जाना

एस एस टी एल से संबंधित वर्ष 2006-07 से 2014-15 के ट्रायल बैलेन्स की जाँच दर्शाती है कि कुछ राजस्व खातों के शीर्ष जैसे प्राथमिक राजस्व माफी-राजस्व ए, प्राथमिक राजस्व वेवर-बेतार-ई-रिचार्ज, प्रीपेड राजस्व-एफएटी (फ्री एयर टाईम) बेतार, स्मार्टफोन फ्री एयरटाईम पी आर पी, प्राइमरी राजस्व वेवर-बेतार-पेपर रिचार्ज, राजस्व-फ्री डाटा (राजस्व-बी)-प्रीपेड, राजस्व-फ्री डाटा-पोस्टपेड, छूट वायरलाइन आदि डेबिट शेष था। डेबिट शेष की वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के वर्षों की ₹ 306.24 करोड़ की राशि समायोजित सेवा राजस्व थी। राजस्व से डेबिट शेष को समायोजित करने के परिणामस्वरूप, लेखापुस्तको में राजस्व शुद्ध (निवल) रूप में आ रही थी।

राजस्व शीर्षों में डेबिट शेष की समेकित राशि और इसका एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव नीचे दिया गया है:

तालिका - 7.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व लेखा शीर्ष	राजस्व शीर्षों में डेबिट शेष	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	अनुलग्नक संदर्भ
वितरकों को छूट/माफी ³ (वायरलैस पेपर रिचार्ज पर छूट, वायरलैस ई-रिचार्ज पर छूट, विक्रेताओं को छूट आदि)	172.41	14.75	4.30	7.01
फ्री एयरटाईम ⁴ (प्री-पेड राजस्व-एफ ए टी (फ्री एयरटाईम वायरलैस, स्मार्टफोन फ्री एअर टाइम प्रीपेड इत्यादि)	133.01	11.15	3.32	7.02
फ्री डाटा यूसेज प्रभार ⁵ (राजस्व फ्री डाटा, राजस्व डाटा प्रौसेसिंग फीस, स्मार्टफोन डाटा यूसेज प्रभार इत्यादि)	0.82	0.08	0.02	7.03
कुल	306.24	25.98	7.64	

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- जी एल को दो प्रमुख श्रेणियों में यथा ट्राई के टैरिफ प्लान के अनुसार ग्राहक को दिये गये अतिरिक्त टॉक टाईम की राशि ₹ 133.83 करोड़ (फ्री एयरटाईम व फ्री डाटा यूसेज प्रभार को सम्मिलित करते हुए) व विक्रेताओं को ₹ 172.40 करोड़ की राशि के डिस्काउंट को (माफी/डिस्काउंट/विक्रेताओं को कमीशन को शामिल करते हुए) संक्षिप्तता व उचित स्पष्टीकरण के उद्देश्य के साथ पुनर्वगीकृत किया था।

³ वर्ष 2006-07 से 2007-08 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और प्रदान किये गये ट्रायल बैलेन्स में लेखापरीक्षा द्वारा छूट के समायोजन को नहीं पाया गया।

⁴ वर्ष 2006-07 से 2007-08 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और प्रदान किये गये ट्रायल बैलेन्स में लेखापरीक्षा द्वारा छूट के समायोजन को नहीं पाया गया।

⁵ वर्ष 2006-07 से 2008-09 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और लेखापरीक्षा द्वारा फ्री डाटा यूसेज प्रभार का समायोजन नहीं पाया गया।

- जिन जी एल को लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाया गया, वे केवल ट्राई फाईलिंग के अनुसार अभिदाताओं को दिये गये अतिरिक्त टाक वैल्यू के लेखांकन के मद में केवल डेबिट शेष ही है। कुछ प्रीपेड टैरिफ योजनाओं में, अगर ग्राहकों को विशिष्ट मूल्य वर्ग के रिचार्ज वाउचरों द्वारा अतिरिक्त एयरटाईम उपलब्ध कराया जा रहा था तो अभिदाताओं द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये टैरिफ राशि को अंत में राजस्व के रूप में लेखांकित की गयी। कम्पनी ने ग्राहकों से सकल प्राप्ति के कुल मूल्य की राजस्व के रूप में मान्यता दी और तदनुसार, दूरसंचार विभाग को दायर किये गये ए जी आर में एल एफ की राशि को सही ढंग से घोषित किया। सांकेतिक राजस्व की वह राशि जिसे कि ए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहा गया वह लाइसेंस अनुबंध के अनुसार नहीं थी।
- विक्रेताओं को छूट के संबंध में, एस एस टी एल ने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) आधार पर वितरकों के साथ एक पृथक समझौता किया और इसीलिए वितरकों को रिचार्ज वाउचरों की थोक खरीद पर ट्रेड मार्जिन का किया गया भुगतान एल एफ की गणना के उद्देश्य से वापिस नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं था। राजस्व हिस्सेदारी के लिए कमीशन/छूट/माफी/फ्री एअर टाईम से सम्बन्धित राजस्व को घटाये जाने के तरीके पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.1 (अ और ब) में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार वितरकों को छूट और एफ ए टी की राशि ₹ 306.24 करोड़ के समायोजन का परिणाम जी आर/ए जी आर को कम दिखाने और एल एफ के ₹ 25.98 करोड़ और एस यू सी के ₹ 7.64 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ।

7.2.2 जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार "सकल राजस्व में, सम्बन्धित व्यय इत्यादि के मद को समायोजित किये बिना, स्थापना शुल्क, बिलंब शुल्क और अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा। इसलिए, वसूल की गयी विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को सम्बन्धित व्यय के मद से समायोजित किये बिना राजस्व शेयर के उद्देश्य से विचार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि के लेखांकन की जटिल पद्धति थी। इसके पास दस जी एल कोड थे और यह पाया गया कि अलग की गई वसूली गई विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ जी एल में सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकतर विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ/हानि कम्पनी द्वारा लिये गये विदेशी ऋण के सम्बन्ध में था।

इस सम्बन्ध में प्रबंधन ने यह भी बताया कि:

- परिभाषिक शब्दावली जैसे विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ, अप्राप्त विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ आदि जो जी एल अकाउन्ट कोड में दी गयी है, को लेखा परीक्षा अवलोकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी कम्पनी द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गयी थी।
- "एस ए पी" लेखा पद्धति में कई प्रतिबन्ध और सीमाएं हैं और इस कारण से उनके परिभाषिक शब्दावली के अनुसार कई प्रविष्टियां लेखांकित नहीं की गयी थी।

विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ वैयक्तिक लेन-देनों से होते हैं और इस प्रकार वैयक्तिक लेन-देनों को जोड़ा नहीं जा सकता। वैयक्तिक अनुबन्ध के तंत्र के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि में परिवर्तन हो सकता है इसलिए हानियों को राजस्व शेयर के उद्देश्य के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार लेखा परीक्षा ने प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ के परिमाण के लिए उपर्युक्त बाधाओं पर विचार किया है और जी एल कोड जिसने लाभ एवं हानि खाते को प्रभावित किया, के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान बिना विदेशी मुद्रा विनिमय हानि के समायोजन के सभी क्रेडिट्स को लेते हुए, और पुनर्वर्गीकरण/संशोधन/पुनर्मूल्यांकन/अनुलिपिकरण से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों को हटाते हुए प्राप्त लाभ की गणना की है। दस्तावेज, गणना और प्रबन्धन द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ की ₹ 6.41 करोड़ की राशि आगणित की गयी।

जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.5 में वर्णित है, लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के अभाव में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किये गये लाभ के अन्तर्गत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सका। परिचालक को प्रत्येक मद के लाभ की गणना उसके लेखित आरम्भिक मूल्य पर करनी चाहिये और जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को शामिल करना चाहिये।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि :

- राजस्व पहचान का एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड-9, विशिष्ट रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को राजस्व की परिभाषा से अलग करता है।
- विनिमय अन्तर की लाभ/हानि काल्पनिक प्रकृति की है और ऐसे दायित्वों/ऋणों की कमी को, प्रचालन से राजस्व नहीं माना जा सकता। प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ समग्र व्यापार जोखिम है जिसे कम्पनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों में उठाती है।
- टी डी सैट (अप्रैल 2015) ने कहा था कि प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, ए जी आर में सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षण के मत नीचे दिये गये हैं:

- ए-एस 9 मात्र यह कहता है कि प्राप्त और अप्राप्त लाभ जो विदेशी विनिमय की दर में परिवर्तन और विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरण के रूपान्तरण के कारण समायोजनों को इस मानक (ए एस-9) के उद्देश्य से "राजस्व" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया था। विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि का वर्णन ए एस-11 के अन्तर्गत दिया गया है।
- कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण कर रही है और लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धान्त के अनुसार व्यापारिक परिसम्पत्तियों की दो भिन्न तिथियों के मध्य तुलना और उपार्जित प्राप्ति और व्ययों को लेने के उपरान्त "लाभ/हानि" की गणना की जानी चाहिए। लेखांकन की व्यापारिक पद्धति के अन्तर्गत, विनिमय अन्तरों के परिणामस्वरूप वहन किया गया विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हानि (खर्चा) तर्कसंगत है और आकस्मिक/काल्पनिक प्रकृति का नहीं समझा जा सकता। आगे, लेखा परीक्षा ने केवल प्राप्त लाभ पर ही विचार किया है।
- लेखापरीक्षा ने यह संज्ञान में लिया है कि डी ओ टी ने टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध अपील की है। जबकि मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है,

लेखा परीक्षा का मत है कि विदेशी मुद्रा विनिमय लाभों को राजस्व शेयर के भुगतान के लिए गणना किये गये जी आर का भाग होना चाहिए क्योंकि यह लाइसेंस अनुबन्ध में दिये गये जी आर की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों के अनुसार राजस्व शेयर के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ की गैर-रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए ₹ 6.41 करोड़ कम बताये गये जिससे एल एफ और एस यू सी का ₹ 0.55 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक-7.04)।

7.3 राजस्व एवं एल एफ की विवरणियों (ए जी आर विवरणी) में राजस्व की कम रिपोर्टिंग यद्यपि बहीखातों में प्रतिवेदित किया गया

7.3.1 ए जी आर में अन्य आय पर विचार न किया जाना

लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सभी राजस्व आय को लाइसेंस फीस के उद्देश्य से जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथापि, एस एस टी एल से सम्बन्धित वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लाभ व हानि खाता, ट्रायल बैलेंस और ए जी आर विवरणियों की जांच में पाया गया कि एल एफ और एस यू सी के उद्देश्य से कुछ राजस्व लेखा शीर्ष जैसे ब्याज आय, विविध आय और लाभांश आय जी आर से बाहर रखे गये थे।

फलस्वरूप, वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए डी ओ टी को प्रस्तुत किये गये राजस्व एवं एल एफ की विवरणियों में जी आर ₹ 383.14 करोड़ कम था। विवरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका – 7.4

(₹ करोड़ में)

कम राजस्व शीर्ष	ए जी आर के लिए विचार न की गयी/राशि
ब्याज आय	380.55
विविध आय	2.54
लाभांश आय	0.05
कुल	383.14

एस एस टी एल प्रबन्धन ने कहा कि –

- कम्पनी के पास दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंस है तथा यह सेवाओं का प्रावधान/उपलब्ध करा कर राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व, जो सेवाओं के प्रावधान से संबंधित नहीं है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह कम्पनी की सामान्य गतिविधि में शामिल नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2011-12 के संदर्भ में, गैर-दूरसंचार गतिविधि (ट्रेजरी आय, अन्य आय, परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ इत्यादि) पर लाइसेंस शुल्क एस एस टी एल द्वारा भुगतान योग्य नहीं था, क्योंकि कम्पनी की इस आय का संग्रहण मुख्यतः ट्रेजरी गतिविधियों के कारण था।

- टी डी सैट ने 30 अगस्त 2007 को निर्णय दिया है तथा इसके अनुसार निवेश पर अर्जित ब्याज को लाइसेंस शुल्क हेतु जी आर/ए जी आर से बाहर रखना है। इस मुद्दे का समाधान ट्रेजेरी आय पर एल एफ/एस यू सी को लागू न करने के एक निर्णय द्वारा किया गया। टी डी सैट का निर्णय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 का निर्णय आने तक लागू रहा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत, एस एस टी एल ने ब्याज व जुर्माने से बचने के लिए ट्रेजेरी आय इत्यादि पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से अब तक देय एल एफ एवं एस यू सी का भुगतान विरोध दर्ज करते हुए किया है तथा वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत निम्नलिखित है :

- लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट तौर पर जी आर/ए जी आर में ब्याज, लाभांश और अन्य विविध राजस्व को शामिल करती है।
- टी डी सैट का 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरांत अमान्य हो चुका है।
- लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान एस एस टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान के लिए ₹ 135.09 करोड़ की धनराशि की ब्याज आय, विविध आय, लाभांश आय इत्यादि पर विचार किया तथा एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव की गणना अधिशेष राशि ₹ 248.05 करोड़ (₹ 383.14 - ₹ 135.09 = ₹ 248.05) पर की है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राजस्व शेयर के उद्देश्य हेतु अन्य आय की ₹ 248.05 करोड़ की राशि पर विचार न करने पर जी आर/ए जी आर को कम करके बताया गया तथा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 21.79 करोड़ एवं ₹ 5.59 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक – 7.05, 7.06 एवं 7.07)।

7.3.2 एस यू सी की गणना करने हेतु कुछ राजस्व को शामिल न करना

यू ए एस एल अनुबन्ध के अनुच्छेद 20.4 में सन्दर्भित अनुलग्नक II के परिशिष्ट II में निर्धारित, राजस्व एवं लाइसेंस फीस की विवरणों (ए जी आर विवरणी) का फार्मेट, लाइसेंस अनुबन्ध का एक अभिन्न भाग है। विवरणी में मद 1 क में, “वायरलाइन अभिदाताओं से राजस्व” को प्रदर्शित करने हेतु और मद 7, 8, 9 तथा 11 में “शेयरिंग/अवसंरचना की लीजिंग, बैडविडथ की बिक्री/लीज, लिंक्स, आर एवं जी प्रकरण, र्टनकी परियोजनाएं आदि” से राजस्व को प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित किया गया है।

यू ए एस एल अनुबन्ध का अनुच्छेद 18.3 प्रावधान करता है कि “राजस्व शेयर पर आधारित स्पैक्ट्रम प्रभारों की उगाही करने के सीमित उद्देश्य हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा”।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि एस एस टी एल (राजस्थान एस एल ए⁶) के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक के लिए "वायरलाइन उपभोक्ताओं से राजस्व" के अलावा ₹ 40.22 करोड़ (अनुलग्नक -7.08) की धनराशि का राजस्व, संबंधित वर्षों में स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों (एस यू सी) की गणना करने हेतु शामिल नहीं किए गए जो लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.22 करोड़ तक ए जी आर में कम करके बताए गए तथा फलस्वरूप एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि यू ए एस एल अनुबंध के अनुच्छेद 18.3 के निर्देशानुसार केवल वायरलेस उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को ही एस यू सी की गणना में शामिल किया जाएगा। इसलिए लीज लाइन और अवसंरचना की साझेदारी से प्राप्त राजस्व, आई यू सी तथा ट्रेजरी आय को एस यू सी की गणना करने के लिए शामिल नहीं किया जाना है।

प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध के अनुच्छेद 18.3 की शर्तों के अनुसार केवल वायरलाइन उपभोक्ताओं (विवरणी की मद संख्या 1 अ) से प्राप्त राजस्व को स्पेक्ट्रम प्रभारों से बाहर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अवसंरचना की साझेदारी/पट्टा, बैंडविड्थ की बिक्री/पट्टा, लिंक, आर एंड जी मामले, टर्नकी परियोजनायें इत्यादि से राजस्व, विवरणी के मद 7, 8, 9 एवं 11 में है, इस लिये उपरोक्त राजस्व, स्पेक्ट्रम प्रभारों को भी गणना में शामिल होना चाहिए।

इस प्रकार लीज लाइन, अवसंरचना की साझेदारी से प्राप्त राजस्व तथा ट्रेजरी आय को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.22 करोड़ का जी आर/ए जी आर कम करके बताया गया तथा फलस्वरूप एस यू सी का ₹ 0.91 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.4 एल एफ और एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 7.2 से 7.3) पर एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान की क्रमशः ₹ 48.32 करोड़ और ₹ 14.29 करोड़ की राशि की गणना की गई। एल एफ और एस यू सी की इस कम/गैर-भुगतान पर ₹ 54.10 करोड़ ब्याज होता है (अनुलग्नक-7.09)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में लागू भारतीय स्टेट बैंक के प्राईम लेंडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी और गणना के लिए ली गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित है। ब्याज मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया गया है।

7.5 एस एस टी एल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों के सम्बन्ध में लाइसेंस अनुबंध का पालन न करना

राजस्व शेयर के उद्देश्य से यूनिफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस और यूनिफाईड लाइसेंस अनुबंध अनुलग्नक-III (डी ओ टी और एस एस टी एल के मध्य) सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों का प्रावधान करता है।

⁶ इस प्रकार का प्रेक्षण अन्य एल एस ए में नहीं पाया गया क्योंकि एस एस टी एल द्वारा उन एल एस ए में वायरलाइन सेवाएं प्रदान नहीं किया गया था।

मापदण्डों के अंतर्गत कुछ प्रमुख आवश्यकताएं नीचे दी गयी हैं:

- सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल दिखाया जायेगा और छूट/रिबेट को अलग दर्शाया जायेगा।
- आय का मदवार विवरण सम्बन्धित व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।
- प्रत्येक कैटेगरी के लिए सुरक्षा या अभिदाताओं से लिया गया कोई अन्य जमा अलग से दिखाया जायेगा और राशि जो रिफण्ड के लिए देय हो चुकी है किन्तु अभी भुगतान की जानी बाकी है, को दो कैटेगरी, नामित: (1) 45 दिनों तक (2) 45 दिनों से अधिक, में दिखायी जानी है।
- पूर्व वर्षों के डेबिट वापसी के विवरण यदि कोई हो, को विविध शीर्ष के अंतर्गत (अशोध्य ऋणों की वसूली आदि) घटक वार दिखाये जायेंगे।

प्रबंधन से लाइसेंस अनुबंध के अंतर्गत तैयार किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों को प्रदान करने हेतु कहा गया। प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि चाही गयी जानकारी को जी एल/फाईनेंशियल में दिखाया गया है और लाइसेंस अनुबंध के मापदण्डों के अनुसार तैयार की जाने वाली आवश्यक कोई सूचना अलग से नहीं दी है।

ये वित्तीय विवरणियां/खाते (जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ-हानि खाते, बैलेंस शीट) कम्पनी अधिनियम और भारतीय लेखांकन मानक (इंडियन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) के अनुसार तैयार किये गये हैं किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों के अंतर्गत तैयार की जाने वाली आवश्यक सूचना, सीधे तौर पर प्रदान नहीं करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित, राजस्व के कम बताये गये उदाहरण पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए माने गये राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही खातों की तैयारी, डी ओ टी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- मापदण्डों के अनुसार, राजस्व को बिना किसी कटौतियों के सकल में दिखाया जाना था। तथापि जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/माफी, फ्री एयरटाइम, आदि राजस्व से समायोजित किये गये थे तथा डी ओ टी को नहीं बताये गये थे।
- पैराग्राफ 2 में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व को पुनर्वर्गीकरण प्रविष्टियों द्वारा समायोजित किया गया था। यह, बिना समायोजन के सकल राजस्व के आंकड़े प्रदान करने के निर्धारित मापदण्डों के अनुपालन न करने के कारण था।

पी एस पी के द्वारा अनुबंध की इन शर्तों के अनुपालन न करने पर डी ओ टी से उनकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया था। डी ओ टी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया।

उपर्युक्त परिदृश्य में डी ओ टी वर्षों से सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों, जो कि महत्वपूर्ण थे, के अनुपालन के लिए निर्देश

जारी और लागू कराने में असफल रहा। फलस्वरूप, वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि में कम्पनी ने अपने राजस्व को समायोजित किया और डी ओ टी इसका पता नहीं लगा सका।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक एस एस टी एल का जी आर ₹ 6,837 करोड़ था, दावा की गयी कटौती ₹ 1,841 करोड़ थी और औसत कटौती प्रतिशत जी आर का 27 प्रतिशत निकाला गया। यद्यपि एस एस टी एल द्वारा 2006-07 से 2014-15 के नौ वर्षों में दावा की गयी औसत कटौती 30 प्रतिशत के अंदर थी तथापि सम्बन्धित नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा, कम्पनी द्वारा दावा की गयी कटौतियों का सत्यापन अभी तक तिमाही और एल एस ए अनुसार किया गया था। तथापि, डी ओ टी स्तर पर अधिकांश राजस्व अर्थात् सकल राजस्व का 70 प्रतिशत, कम्पनी द्वारा स्व-घोषित राजस्व के आधार पर ही निर्धारण किया गया है

डी ओ टी की एल एफ विंग भी, एस एस टी एल द्वारा लाइसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक-III के अनुसार तैयार की जानी वाली सूचना को प्राप्त करने में असफल रहा और इन डाटा की अनुपलब्धता, सत्यापन और निर्धारण को अप्रभावी कर देती है।

इस प्रकार सेवा प्रदाता के राजस्व शेयर का सम्पूर्ण सत्यापन और निर्धारण उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गयी कटौतियों के सत्यापन पर ही केन्द्रित है।

एस एस टी एल से सम्बन्धित एल एफ और एस यू सी के लिए सत्यापन, निर्धारण और मांग पत्रों को जारी करने का मामला डी ओ टी द्वारा क्रमशः केवल 2012-13 और 2011-12 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण करने और मांग पत्रों के जारी करने में विलम्ब से, सेवा प्रदाता के देय की वसूली करने में आगे भी देरी होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि:

- लेखापरीक्षकों का यह निष्कर्ष कि एस एस टी एल लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार नहीं कर रहा है, तथ्यात्मक रूप में सही नहीं है। यह कहा गया कि एस एस टी एल लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करता है।
- लेखापरीक्षा के प्रेक्षण कम्पनी के द्वारा रखे जा रहे वित्तीय बही-खातों से निर्धारित किया गया है और यह इस तथ्य को पहचानने में असफल रहा कि ऐसे प्रेक्षण का कारण, पूर्ण रूप में सकल राजस्व के घटक पर व्याख्या पर लम्बी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया है जो अभी तक निर्णय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार नीचे दिये गये हैं:

- प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने ए एस और कम्पनी अधिनियम के अनुसार बही-खाते तैयार किये हैं। अनुलग्नक-III की आवश्यकता भिन्न है जैसे कि तीन अनुमत योग्य कटौतियों के अलावा राजस्व से समायोजन अनुमत नहीं है और इस प्रकार, कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध की शर्तों का अनुलापन नहीं किया।


- इसलिए लेखापरीक्षा को ए जी आर के निर्धारण के लिए बही-खातों की विस्तृत जांच करनी पड़ी और जैसा कि पूर्व के पैराओं में इंगित किया गया है और इस प्रक्रिया में राजस्व की कम रिपोर्टिंग और कटौतियों का अधिक दावा पाया गया। यदि कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध के अनुसार बहीखातों को तैयार किया होता तो कम्पनी का जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से कटौतियों के साथ समस्त राजस्व सरलता से उपलब्ध होता।

7.6 डी ओ टी/एस एस टी एल का लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर उत्तर

मैसर्स एस एस टी एल द्वारा देय राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को डी ओ टी और एस एस टी एल को उनकी अग्रिम टिप्पणियों के लिए सितम्बर 2016 में भेजा गया। डीओटी ने पैरा 2.4 में वर्णित सभी टीएसपी का समेकित उत्तर (फरवरी 2017) प्रस्तुत किया। एस एस टी एल ने पुनः (सितम्बर 2016) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सामान्य टिप्पणियों एवं विशिष्ट टिप्पणियों के साथ अपने उसी उत्तर को दोहराया है जो परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर में कही थी।


लेखापरीक्षा ने एस एस टी एल द्वारा दिये गये सभी उत्तरों पर विचार किया और उसे सम्बन्धित पैरा में सम्बोधित किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक : 22 मार्च 2017


(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक -2.01 [पैरा 2.2.1 अ]
मार्जिन/कमीशन के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	5,695.35	569.54	287.62	7,206.38	720.64	472.02	10,489.29	970.26	687.05	12,078.39	966.27	791.13	13,112.76	1,049.02	832.33
असम	1,260.68	75.64	49.80	1,643.91	98.63	89.59	2,725.54	183.97	148.54	3,407.58	272.61	185.71	3,825.68	306.05	208.50
बिहार	5,058.72	303.52	255.47	5,684.23	341.05	372.32	6,805.94	459.40	445.79	10,676.31	854.10	699.30	12,043.54	963.48	788.85
दिल्ली	3,302.49	330.25	160.17	4,445.04	444.50	282.26	6,396.09	591.64	406.15	7,054.79	564.38	447.98	9,121.59	729.73	521.98
गुजरात	2,981.78	298.18	116.29	3,135.53	313.55	145.80	4,424.09	409.23	205.72	4,748.22	379.86	220.79	4,610.22	368.82	214.38
हरियाणा	1,097.26	87.78	40.60	1,430.39	114.43	63.65	1,676.98	134.16	74.63	1,900.10	152.01	84.55	1,675.21	134.02	74.55
हिमाचल प्रदेश	1,041.43	62.49	38.53	1,282.89	76.97	57.09	1,500.31	101.27	66.76	1,832.58	146.61	81.55	1,949.01	155.92	91.99
जम्मू एवं कश्मीर	1,567.86	94.07	58.01	1,713.21	102.79	76.24	2,076.53	140.17	92.41	2,371.39	189.71	105.53	2,624.06	209.92	119.59
कर्नाटक	8,855.61	885.56	456.06	10,698.44	1,069.84	711.45	12,049.09	1,114.54	801.26	14,151.73	1,132.14	941.09	15,357.75	1,228.62	990.19
केरल	2,090.22	167.22	79.43	2,187.52	175.00	99.53	3,939.97	315.20	179.27	4,743.95	379.52	215.85	5,059.82	404.79	243.12
कोलकाता	1,544.94	154.49	71.07	1,875.45	187.54	100.34	2,249.43	208.07	120.34	2,513.70	201.10	134.48	2,444.74	195.58	130.79
मध्य प्रदेश	3,493.22	279.46	174.66	3,964.31	317.14	227.95	5,094.92	407.59	292.96	6,142.56	491.40	353.20	6,270.71	501.66	302.72
महाराष्ट्र	3,712.99	371.30	141.09	4,430.72	443.07	201.60	6,157.27	569.55	280.16	7,124.38	569.95	324.16	6,780.10	542.41	389.86
मुंबई	1,964.00	196.40	97.22	2,536.24	253.62	163.59	3,957.44	366.06	255.25	5,739.52	459.16	370.20	5,768.48	461.48	358.22
उड़ीसा	1,887.17	113.23	88.70	2,312.52	138.75	126.03	3,615.67	244.06	197.05	4,338.43	347.07	236.44	4,846.37	387.71	264.13
पंजाब	3,114.49	249.16	146.38	4,114.47	329.16	224.24	5,435.14	434.81	296.22	6,047.52	483.80	329.59	6,399.13	511.93	348.75
तमिलनाडु	8,839.85	883.98	472.93	9,875.74	987.57	676.49	10,182.03	941.84	697.47	12,274.63	981.97	840.81	13,362.89	1,069.03	895.98
उत्तर प्रदेश (फू)	2,839.62	227.17	136.30	3,739.13	299.13	207.52	6,411.52	512.92	355.84	7,924.79	633.98	439.83	8,560.42	684.83	475.10
उत्तर प्रदेश (प)	2,225.35	178.03	84.56	2,714.46	217.16	123.51	3,451.71	276.14	157.05	4,385.99	350.88	199.56	5,214.94	417.20	237.28
पश्चिम बंगाल	2,204.88	176.39	81.58	2,544.81	203.58	113.24	4,249.64	339.97	189.11	5,467.13	437.37	243.29	5,762.02	460.96	265.92
कुल बी ए एल	64,777.92	5,703.86	3,036.47	77,535.37	6,834.17	4,534.45	102,888.58	8,720.85	5,949.03	124,923.69	9,993.89	7,245.05	134,789.41	10,783.15	7,754.24
नार्थ ईस्ट	989.86	59.39	35.64	1,341.05	80.46	58.34	2,350.77	158.68	102.26	2,936.46	234.92	127.74	3,182.54	254.60	145.44
राजस्थान	6,202.10	496.17	297.70	7,379.26	590.34	409.55	8,433.79	674.70	468.08	9,667.31	773.38	536.54	10,525.17	842.01	584.15
कुल बी एच एल	7,191.96	555.56	333.34	8,720.31	670.80	467.88	10,784.56	833.38	570.33	12,603.77	1,008.30	664.27	13,707.71	1,096.62	729.59
कुल योग	71,969.88	6,259.42	3,369.80	86,255.68	7,504.97	5,002.33	113,673.14	9,554.23	6,519.36	137,527.46	11,002.20	7,909.32	148,497.12	11,879.77	8,483.83

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	5,049.15	420.36	285.19
बी एच एल	530.08	41.65	27.66
कुल यू ए एस एल	5,579.23	462.01	312.85

अनुलग्नक -2.02 [पैरा 2.2.1 बा]

फ्री एयर टाईम (एफ ए टी), फुल टाक टाईम (एफ टी टी), प्रमोशनल के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1,255.77	125.58	63.42	3,085.59	308.56	202.11	6,587.40	609.33	431.47	6,740.62	539.25	441.51	7,219.04	577.52	458.23
असम	409.85	24.59	16.19	574.55	34.47	31.31	781.99	52.78	42.62	925.48	74.04	50.44	1,454.13	116.33	79.25
बिहार	1,424.92	85.50	71.96	1,623.67	97.42	106.35	5,551.55	374.73	363.63	5,047.21	403.78	330.59	2,962.10	236.97	194.02
दिल्ली	809.73	80.97	39.27	1,386.10	138.61	88.02	1,971.63	182.38	125.20	2,380.11	190.41	151.14	3,956.09	316.49	226.39
गुजरात	949.26	94.93	37.02	965.83	96.58	44.91	2,762.47	255.53	128.45	3,060.73	244.86	142.32	2,189.83	175.19	101.83
हरियाणा	518.42	41.47	19.18	853.33	68.27	37.97	1,481.60	118.53	65.93	953.89	76.31	42.45	749.52	59.96	33.35
हिमाचल प्रदेश	199.71	11.98	7.39	181.07	10.86	8.06	487.80	55.20	36.39	720.16	57.61	32.05	651.64	52.13	30.76
जम्मू एवं कश्मीर	281.09	16.87	10.40	341.59	20.50	15.20	741.15	50.03	32.98	1,216.65	97.33	54.14	425.95	34.08	19.41
कर्नाटक	2,131.90	213.19	109.79	2,595.69	259.57	172.61	4,242.21	392.40	282.11	6,415.50	513.24	426.63	6,017.33	481.39	387.97
केरल	41.29	3.30	1.57	(837.82)	(67.03)	(38.12)	1,450.81	116.06	66.01	1,648.66	131.89	75.01	1,536.33	122.91	73.82
कोलकाता	459.59	45.96	21.14	433.46	43.35	23.19	605.08	55.97	32.37	1,429.76	114.38	76.49	1,320.91	105.67	70.67
मध्य प्रदेश	1,582.80	126.62	79.14	1,337.07	106.97	76.88	1,487.87	119.03	85.55	2,433.78	194.70	139.94	2,603.28	208.26	125.67
महाराष्ट्र	2,217.22	221.72	84.25	1,192.78	119.28	54.27	2,871.02	265.57	130.63	4,776.66	382.13	217.34	4,682.54	374.60	269.25
मुंबई	1,080.36	108.04	53.48	967.35	96.73	62.39	2,143.70	198.29	138.27	2,360.20	188.82	152.23	2,374.89	189.99	147.48
उड़ीसा	748.92	44.94	35.20	695.04	41.70	37.88	1,069.95	72.22	58.31	1,467.74	117.42	79.99	1,215.97	97.28	66.27
पंजाब	586.55	46.92	27.57	813.18	65.05	44.32	2,412.35	192.99	131.47	2,777.53	222.20	151.38	3,065.90	245.27	167.09
तमिलनाडु	4,422.56	442.26	236.61	2,199.18	219.92	150.64	5,810.47	537.47	398.02	4,391.44	351.32	300.81	7,720.81	617.66	517.68
उत्तर प्रदेश (पू)	2,827.16	226.17	135.70	963.23	77.06	53.46	2,234.67	178.77	124.02	4,303.47	344.28	238.84	5,763.72	461.10	319.89
उत्तर प्रदेश (प)	720.32	57.63	27.37	795.86	63.67	36.21	1,667.58	133.41	75.88	2,271.53	181.72	103.35	3,069.98	245.60	139.68
पश्चिम बंगाल	853.65	68.29	31.59	835.92	66.87	37.20	1,348.05	107.84	59.99	2,913.10	233.05	129.63	3,291.92	263.35	151.92
कुल बी ए एल	23,521.08	2,086.92	1,108.24	21,002.68	1,868.42	1,244.87	48,039.35	4,068.54	2,809.31	58,234.23	4,658.74	3,336.30	62,271.88	4,981.75	3,580.63
नार्थ ईस्ट	344.34	20.66	12.40	204.63	12.28	8.90	717.63	48.44	31.22	981.47	78.52	42.69	1,043.54	83.48	47.69
राजस्थान	767.13	61.37	36.82	1,386.32	110.91	76.94	7,102.34	568.19	394.18	5,564.80	445.18	308.85	5,293.07	423.45	293.77
कुल बी एच एल	1,111.48	82.03	49.22	1,590.94	123.18	85.84	7,819.97	616.63	425.40	6,546.27	523.70	351.54	6,336.61	506.93	341.46
कुल योग	24,632.56	2,168.96	1,157.46	22,593.62	1,991.60	1,330.71	55,859.32	4,685.17	3,234.71	64,780.50	5,182.44	3,687.84	68,608.49	5,488.68	3,922.08

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	2,130.69	176.64	120.79
बी एच एल	234.05	18.53	12.54
कुल यू ए एस एल	2,364.74	195.17	133.33

अनुलग्नक -2.03 [पैरा 2.2.2]
पोस्टपेड अभिदाताओं को दिये गये माफी का समायोजन करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवाएँ/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	95.23	9.52	3.48	53.59	5.36	2.19	162.40	15.02	7.25	370.68	29.65	15.93	452.67	36.21	26.10
असम	0.36	0.02	0.01	0.63	0.04	0.03	2.37	0.16	0.13	5.39	0.43	0.29	19.55	1.56	1.07
बिहार	0.44	0.03	0.02	0.97	0.06	0.06	4.37	0.30	0.29	27.87	2.23	1.83	53.75	4.3	3.52
दिल्ली	624.53	62.45	7.68	377.32	37.73	6.99	610.85	56.50	16.99	1,497.03	119.76	51.05	2,848.45	227.88	120.43
गुजरात	24.55	2.45	0.21	28.33	2.83	0.75	76.21	7.05	2.95	202.13	16.17	8.12	246.36	19.71	9.80
हरियाणा	29.51	2.36	0.05	18.59	1.49	0.18	22.32	1.79	0.56	44.01	3.52	1.30	123.89	9.91	4.79
हिमाचल प्रदेश	0.50	0.03	0.02	1.01	0.06	0.04	6.58	0.44	0.29	13.10	1.05	0.58	25.94	2.08	1.22
जम्मू एवं कश्मीर	0.43	0.03	0.02	3.17	0.19	0.14	36.17	2.44	1.61	28.32	2.27	1.26	65.60	5.25	2.99
कर्नाटक	218.60	21.86	5.50	229.14	22.91	9.01	279.30	25.84	7.20	713.71	57.10	27.21	1,191.45	95.32	58.17
केरल	32.84	2.63	0.18	22.69	1.81	0.24	45.61	3.65	1.44	92.20	7.38	3.41	134.72	10.78	5.56
कोलकाता	57.22	5.72	0.68	34.55	3.45	1.03	210.17	19.44	8.82	531.74	42.54	23.02	448.44	35.88	20.87
मध्य प्रदेश	253.45	20.28	0.33	136.56	10.92	0.17	157.92	12.63	0.80	259.68	20.77	5.11	222.94	17.84	4.76
महाराष्ट्र	25.36	2.54	0.36	28.70	2.87	0.93	123.36	11.41	3.98	367.65	29.41	14.87	457.59	36.61	23.44
मुंबई	64.38	6.44	0.43	58.24	5.82	1.64	321.02	29.69	13.34	837.45	67.00	48.82	1,130.96	90.48	65.24
उड़ीसा	1.89	0.11	0.09	1.77	0.11	0.10	6.83	0.46	0.37	27.11	2.17	1.48	40.98	3.28	2.23
पंजाब	98.57	7.89	0.50	76.88	6.15	1.95	92.92	7.43	3.53	157.15	12.57	6.33	342.17	27.37	16.87
तमिलनाडु	91.12	9.11	0.41	139.34	13.93	0.98	439.27	40.63	13.17	988.74	79.10	41.53	1,176.91	94.15	56.68
उत्तर प्रदेश (पू)	43.64	3.49	0.11	32.21	2.58	0.23	47.78	3.82	1.17	37.84	3.03	1.21	86.03	6.88	3.85
उत्तर प्रदेश (प)	23.55	1.88	0.20	18.95	1.52	0.43	32.78	2.62	1.15	32.55	2.60	1.06	72.48	5.80	3.01
पश्चिम बंगाल	2.09	0.17	0.08	0.62	0.05	0.03	6.73	0.54	0.30	28.39	2.27	1.26	46.17	3.69	2.13
यू ए एस एल बी ए एल	1,688.27	159.01	20.35	1,263.27	119.90	27.13	2,684.95	241.87	85.34	6,262.73	501.02	255.66	9,187.03	734.96	432.72
आई एस पी बी ए एल	-	-	-	-	-	-	1,233.11	83.24	-	897.15	71.77	-	657.52	52.60	-
कुल बी ए एल	1,688.27	159.01	20.35	1,263.27	119.90	27.13	3,918.06	325.11	85.34	7,159.88	572.79	255.66	9,844.55	787.56	432.72
नार्थ ईस्ट	0.09	0.01	0.00	0.23	0.01	0.01	0.90	0.06	0.04	2.28	0.18	0.10	6.90	0.55	0.32
राजस्थान	56.68	4.53	0.25	30.00	2.40	0.33	56.46	4.52	1.91	132.41	10.59	6.09	173.96	13.92	8.41
कुल बी एच एल	56.77	4.54	0.25	30.24	2.41	0.34	57.36	4.58	1.95	134.69	10.78	6.19	180.86	14.47	8.73
कुल योग	1,745.04	163.55	20.60	1,293.51	122.31	27.48	3,975.42	329.69	87.29	7,294.57	583.57	261.85	10,025.41	802.03	441.45

(₹ करोड़ में)

सेवाएँ/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	210.86	17.57	8.21
आई एस पी बी ए एल	27.88	2.07	-
कुल बी ए एल	238.74	19.64	8.21
कुल बी एच एल	4.60	0.37	0.18
कुल योग	243.34	20.01	8.39

अनुलग्नक -2.04 [पैरा 2.2.3]
आई ओ टी छूट के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	223.43	22.34	11.28	620.79	62.08	40.66	663.24	61.35	43.44	822.16	65.77	53.85	548.79	43.90	34.83
बिहार	0.86	0.05	0.04	29.19	1.75	1.91	34.14	2.30	2.24	46.93	3.75	3.07	(5.76)	-	-
दिल्ली	1,219.70	121.97	59.16	1,999.16	199.92	126.95	3,731.52	345.17	236.95	2,813.34	225.07	178.65	1,659.59	132.77	94.97
गुजरात	160.82	16.08	6.27	183.71	18.37	8.54	361.44	33.43	16.81	334.85	26.79	15.57	180.28	14.42	8.38
हरियाणा	42.50	3.40	1.57	52.81	4.22	2.35	45.64	3.65	2.03	44.14	3.53	1.96	32.93	2.63	1.47
हिमाचल प्रदेश	32.42	1.95	1.20	60.51	3.63	2.69	73.45	4.96	3.27	142.53	11.40	6.34	60.98	4.88	2.88
कर्नाटक	33.96	3.40	1.75	235.44	23.54	15.66	209.30	19.36	13.92	594.63	47.57	39.54	725.97	58.08	46.81
केरल	560.90	44.87	21.31	1,531.28	122.50	69.67	1,811.83	144.95	82.44	1,695.07	135.61	77.13	1,316.41	105.31	63.25
कोलकाता	78.03	7.80	3.59	83.29	8.33	4.46	137.08	12.68	7.33	187.95	15.04	10.06	138.51	11.08	7.41
मध्य प्रदेश	45.83	3.67	2.29	76.81	6.14	4.42	83.36	6.67	4.79	94.32	7.55	5.42	58.98	4.72	2.85
महाराष्ट्र	364.61	36.46	13.86	551.61	55.16	25.10	809.63	74.89	36.84	1,028.31	82.27	46.79	579.66	46.37	33.33
मुंबई	508.12	50.81	25.15	1,240.15	124.02	79.99	1,760.26	162.82	113.54	2,475.03	198.00	159.64	2,114.27	169.14	131.30
उड़ीसा	0.37	0.02	0.02	32.17	1.93	1.75	22.41	1.51	1.22	30.73	2.46	1.67	(5.22)	-	-
पंजाब	99.72	7.98	4.69	128.05	10.24	6.98	157.76	12.62	8.60	349.76	27.98	19.06	165.43	13.23	9.02
तमिलनाडु	430.29	43.03	23.02	802.84	80.28	54.99	1,704.30	157.65	116.74	1,137.18	90.97	77.90	1,004.81	80.38	67.37
उत्तर प्रदेश (पू)	0.59	0.05	0.03	36.83	2.95	2.04	58.10	4.65	3.22	41.54	3.32	2.31	(9.59)	-	-
उत्तर प्रदेश (प)	69.59	5.57	2.64	219.68	17.57	10.00	247.34	19.79	11.25	334.15	26.73	15.20	182.93	14.63	8.32
पश्चिम बंगाल	0.35	0.03	0.01	15.59	1.25	0.69	34.62	2.77	1.54	47.13	3.77	2.10	(8.48)	-	-
कुल बी ए एल	3,872.11	369.48	177.89	7,899.91	743.89	458.86	11,945.43	1,071.22	706.18	12,219.74	977.58	716.26	8,740.47	701.56	512.19
राजस्थान	207.41	16.59	9.96	425.28	34.02	23.60	559.81	44.78	31.07	595.38	47.63	33.04	311.48	24.92	17.29
कुल बी एच एल	207.41	16.59	9.96	425.28	34.02	23.60	559.81	44.78	31.07	595.38	47.63	33.04	311.48	24.92	17.29
कुल योग	4,079.52	386.07	187.84	8,325.19	777.92	482.46	12,505.23	1,116.00	737.25	12,815.12	1,025.21	749.31	9,051.96	726.48	529.47

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	446.78	38.64	25.71
बी एच एल	20.99	1.68	1.15
कुल यू ए एस एल	467.77	40.32	26.86

अनुलग्नक -2.05 [पैरा 2.2.4]

अन्य दूरसंचार आपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्य/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
दिल्ली	84.66	8.47	4.11	80.88	8.09	5.14	11.21	1.04	0.71	53.01	4.24	3.37	69.00	5.52	3.95
गुजरात	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
कोलकाता	155.47	15.55	7.15	59.58	5.96	3.19	0.62	0.06	0.03	35.72	2.86	1.91	34.60	2.77	1.85
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	0.14	0.08
मुम्बई	47.37	4.74	2.34	-	-	-	66.07	6.11	4.26	203.23	16.26	13.11	165.03	13.20	10.25
कुल बी ए एल	287.51	28.75	13.60	140.45	14.05	8.32	77.93	7.21	5.01	291.96	23.36	18.39	270.38	21.63	16.13
नार्थ ईस्ट	113.20	6.79	4.08	191.07	11.46	8.31	10.32	0.70	0.45	99.58	7.97	4.33	216.99	17.36	9.92
राजस्थान	5,192.41	415.39	249.24	5,951.78	476.14	330.32	3,090.71	247.26	171.53	4,444.21	355.54	246.65	4,265.07	341.21	236.71
कुल बी एच एल	5,305.61	422.18	253.31	6,142.85	487.61	338.64	3,101.03	247.95	171.98	4,543.79	363.50	250.99	4,482.06	358.56	246.63
कुल योग	5,593.12	450.94	266.91	6,283.30	501.65	346.96	3,178.96	255.16	176.99	4,835.75	386.86	269.37	4,752.44	380.20	262.76

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	10.68	0.95	0.61
बी एच एल	235.76	18.80	12.62
कुल यू ए एस एल	246.44	19.75	13.23

अनुलग्नक -2.06 [पैरा 2.2.5]

विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	866.81	86.68	43.77	1,233.61	123.36	80.80	610.47	56.47	39.99	868.10	69.45	56.86	485.07	38.81	30.79
असम	148.41	8.90	5.86	218.34	13.10	11.90	112.61	7.60	6.14	173.05	13.84	9.43	100.88	8.07	5.50
बिहार	584.16	35.05	29.50	838.84	50.33	54.94	433.69	29.27	28.41	679.53	54.36	44.51	383.50	30.68	25.12
दिल्ली	809.18	80.92	39.25	1,183.13	118.31	75.13	601.56	55.64	38.20	852.76	68.22	54.15	473.61	37.89	27.10
गुजरात	299.11	29.91	11.67	394.48	39.45	18.34	208.13	19.25	9.68	292.61	23.41	13.61	148.13	11.85	6.89
हरियाणा	98.66	7.89	3.65	144.66	11.57	6.44	77.21	6.18	3.44	106.91	8.55	4.76	55.84	4.47	2.49
हिमाचल प्रदेश	81.62	4.90	3.02	114.77	6.89	5.11	58.95	3.98	2.62	89.35	7.15	3.98	51.32	4.11	2.42
जम्मू एवं कश्मीर	115.42	6.93	4.27	165.77	9.95	7.38	86.80	5.86	3.86	131.94	10.55	5.87	72.51	5.80	3.30
कर्नाटक	934.12	93.41	48.11	1,271.90	127.19	84.58	664.52	61.47	44.19	965.48	77.24	64.20	560.77	44.86	36.16
केरल	213.10	17.05	8.10	279.10	22.33	12.70	145.98	11.68	6.64	207.48	16.60	9.44	109.60	8.77	5.27
कोलकाता	185.12	18.51	8.52	267.78	26.78	14.33	137.29	12.70	7.35	209.73	16.78	11.22	105.55	8.44	5.65
मध्य प्रदेश	343.93	27.51	17.20	465.41	37.23	26.76	225.05	18.00	12.94	329.92	26.39	18.97	177.46	14.20	8.57
महाराष्ट्र	414.81	41.48	15.76	618.58	61.86	28.15	327.13	30.26	14.88	492.53	39.40	22.41	249.93	19.99	14.37
मुम्बई	358.24	35.82	17.73	507.64	50.76	32.74	264.62	24.48	17.07	402.45	32.20	25.96	230.80	18.46	14.33
उड़ीसा	207.37	12.44	9.75	297.17	17.83	16.20	157.04	10.60	8.56	235.87	18.87	12.86	129.16	10.33	7.04
पंजाब	386.03	30.88	18.14	546.02	43.68	29.76	268.94	21.52	14.66	379.23	30.34	20.67	203.42	16.27	11.09
तमिलनाडु	762.15	76.21	40.77	1,087.08	108.71	74.47	562.67	52.05	38.54	771.92	61.75	52.88	424.24	33.94	28.45
उत्तर प्रदेश (पू)	460.60	36.85	22.11	679.17	54.33	37.69	356.16	28.49	19.77	528.30	42.26	29.32	284.59	22.77	15.79
उत्तर प्रदेश (प)	209.20	16.74	7.95	296.43	23.71	13.49	168.65	13.49	7.67	250.79	20.06	11.41	140.85	11.27	6.41
पश्चिम बंगाल	234.18	18.73	8.66	333.25	26.66	14.83	177.16	14.17	7.88	295.70	23.66	13.16	161.70	12.94	7.46
यू ए एस एल बी ए एल	7,712.22	686.83	363.79	10,943.13	974.04	645.72	5,644.62	483.16	332.48	8,263.66	661.09	485.66	4,548.94	363.91	264.19
एन एल डी	1,661.34	99.68	-	2,379.69	142.78	-	1,237.47	83.53	-	1,762.64	141.01	-	870.10	69.61	-
आई एल डी	514.72	30.88	-	820.93	49.26	-	432.96	29.22	-	746.64	59.73	-	366.89	29.35	-
आई एस पी	374.68	22.48	-	675.85	40.55	-	386.46	26.09	-	429.88	34.39	-	244.77	19.58	-
वी एस ए टी	11.24	0.67	-	72.44	4.35	-	150.15	10.14	-	18.80	1.50	-	5.80	0.46	-
कुल बी ए एल	10,274.20	840.55	363.79	14,892.04	1,210.97	645.72	7,851.66	632.14	332.48	11,221.62	897.73	485.66	6,036.49	482.92	264.19
नार्थ ईस्ट	74.96	4.50	2.70	112.04	6.72	4.87	37.36	2.52	1.63	222.23	17.78	9.67	7.87	0.63	0.36
राजस्थान	407.98	32.64	19.58	567.60	45.41	31.50	165.10	13.21	9.16	925.20	74.02	51.35	34.75	2.78	1.93
कुल बी एच एल	482.94	37.14	22.28	679.64	52.13	36.38	202.46	15.73	10.79	1,147.42	91.79	61.02	42.62	3.41	2.29
कुल योग	10,757.14	877.68	386.07	15,571.67	1,263.10	682.10	8,054.12	647.87	343.27	12,369.04	989.52	546.67	6,079.11	486.33	266.47

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	371.13	31.69	20.92
एन एल डी	79.11	5.37	-
आई एल डी	28.82	1.98	-
आई एस पी	21.12	1.43	-
वी एस ए टी	2.58	0.17	-
कुल बी ए एल	502.76	40.64	20.92
बी एच एल	25.55	2.01	1.33
कुल योग	528.31	42.65	22.25

अनुलग्नक -2.07 [पैरा 2.2.6]

ब्याज आय से राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	86.10	8.61	4.35	28.51	2.85	1.87	151.60	14.02	9.93	133.18	10.65	8.72	675.60	54.05	42.88
असम	14.68	0.88	0.58	5.03	0.30	0.27	27.96	1.89	1.52	26.55	2.12	1.45	140.51	11.24	7.66
बिहार	57.77	3.47	2.92	19.31	1.16	1.26	107.70	7.27	7.05	104.25	8.34	6.83	534.13	42.73	34.99
दिल्ली	90.17	9.02	3.95	41.60	4.16	1.75	158.70	14.68	9.49	137.51	11.00	8.31	669.45	53.56	37.75
गुजरात	29.81	2.98	1.16	9.10	0.91	0.42	51.68	4.78	2.40	44.89	3.59	2.09	206.32	16.51	9.59
हरियाणा	9.76	0.78	0.36	3.33	0.27	0.15	19.17	1.53	0.85	16.40	1.31	0.73	77.78	6.22	3.46
हिमाचल प्रदेश	8.07	0.48	0.30	2.64	0.16	0.12	14.64	0.99	0.65	13.71	1.10	0.61	71.47	5.72	3.37
जम्मू एवं कश्मीर	12.32	0.74	0.46	4.54	0.27	0.20	22.28	1.50	0.99	20.96	1.68	0.93	102.86	8.23	4.69
कर्नाटक	92.38	9.24	4.76	29.28	2.93	1.95	165.02	15.26	10.97	148.12	11.85	9.85	804.37	64.35	51.86
केरल	21.07	1.69	0.80	6.43	0.51	0.29	36.25	2.90	1.65	31.83	2.55	1.45	152.65	12.21	7.34
कोलकाता	24.45	2.44	1.12	12.48	1.25	0.67	40.00	3.70	2.14	33.36	2.67	1.78	162.66	13.01	8.70
मध्य प्रदेश	82.22	6.58	1.77	39.19	3.13	0.74	61.05	4.88	3.51	52.05	4.16	2.98	247.32	19.79	11.93
महाराष्ट्र	41.02	4.10	1.56	14.24	1.42	0.65	81.24	7.51	3.70	75.56	6.04	3.44	348.10	27.85	20.02
मुम्बई	35.43	3.54	1.75	11.69	1.17	0.75	65.71	6.08	4.24	61.74	4.94	3.98	321.45	25.72	19.96
उड़ीसा	20.53	1.23	0.96	6.87	0.41	0.37	39.00	2.63	2.13	36.19	2.89	1.97	179.88	14.39	9.80
पंजाब	38.35	3.07	1.80	12.82	1.03	0.70	66.79	5.34	3.64	58.18	4.65	3.17	283.46	22.68	15.45
तमिलनाडु	75.38	7.54	4.03	25.03	2.50	1.71	142.53	13.18	9.76	119.69	9.58	8.20	595.21	47.62	39.91
उत्तर प्रदेश (पू)	46.41	3.71	2.20	16.10	1.29	0.87	88.56	7.09	4.91	81.65	6.53	4.50	397.12	31.77	22.00
उत्तर प्रदेश (प)	20.69	1.66	0.79	6.82	0.55	0.31	41.88	3.35	1.91	38.48	3.08	1.75	196.18	15.69	8.93
पश्चिम बंगाल	23.24	1.86	0.86	7.88	0.63	0.35	44.12	3.53	1.96	45.47	3.64	2.02	225.33	18.03	10.40
यू ए एस एल बी ए एल	829.85	73.62	36.48	302.89	26.90	15.42	1,425.89	122.13	83.41	1,279.75	102.38	74.76	6,391.83	511.35	370.68
एन एल डी	165.91	9.95	-	55.33	3.32	-	309.34	20.88	-	268.62	21.49	-	1,402.62	112.21	-
आई एल डी	84.32	5.06	-	52.40	3.14	-	118.99	8.03	-	114.54	9.16	-	510.99	40.88	-
आई एस पी-बी ए एल	39.74	2.38	-	15.57	0.93	-	72.27	4.88	-	67.12	5.37	-	343.77	27.50	-
वी एस ए टी	1.11	0.07	-	0.36	0.02	-	2.34	0.16	-	1.78	0.14	-	8.07	0.65	-
कुल	1,120.93	91.08	36.48	426.55	34.32	15.42	1,928.83	156.08	83.41	1,731.82	138.55	74.76	8,657.28	692.58	370.68
नाथे इस्ट	-	-	-	-	-	-	473.33	31.95	20.59	49.92	3.99	2.17	59.45	4.76	2.72
राजस्थान	70.32	5.63	3.38	1,106.67	88.53	61.42	2,166.82	173.35	120.26	376.58	30.13	20.90	760.67	60.85	42.22
कुल	70.32	5.63	3.38	1,106.67	88.53	61.42	2,640.16	205.30	140.85	426.51	34.12	23.07	820.13	65.61	44.93
कुल योग	1,191.25	96.71	39.86	1,533.22	122.85	76.84	4,568.99	361.38	224.25	2,158.33	172.67	97.84	9,477.40	758.19	415.62

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	102.30	8.37	5.81
एन एल डी	22.02	1.68	-
आई एल डी	8.81	0.66	-
आई एस पी	5.38	0.41	-
वी एस ए टी	0.14	0.01	-
कुल बी ए एल	138.65	11.13	5.81
बी एच एल	50.64	3.99	2.73
कुल योग	189.29	15.12	8.54

अनुलग्नक -2.08 [पैरा 2.2.6]
संबंधित पार्टियों से प्राप्त ब्याज के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	370.09	37.01	18.69	1,357.89	135.79	88.94	891.96	82.51	58.42	201.44	16.11	13.19	424.91	33.99	26.97
असम	63.36	3.80	2.50	240.34	14.42	13.10	164.53	11.11	8.97	40.16	3.21	2.19	88.37	7.07	4.82
बिहार	249.41	14.96	12.60	923.35	55.40	60.48	633.67	42.77	41.51	157.68	12.61	10.33	335.93	26.87	22.00
दिल्ली	345.48	34.55	16.76	1,302.33	130.23	82.70	878.95	81.30	55.81	197.88	15.83	12.57	414.87	33.19	23.74
गुजरात	127.71	12.77	4.98	434.22	43.42	20.19	304.09	28.13	14.14	67.90	5.43	3.16	129.76	10.38	6.03
हरियाणा	42.12	3.37	1.56	159.24	12.74	7.09	112.81	9.02	5.02	24.81	1.98	1.10	48.92	3.91	2.18
हिमाचल प्रदेश	34.85	2.09	1.29	126.33	7.58	5.62	86.13	5.81	3.83	20.73	1.66	0.92	44.95	3.60	2.12
जम्मू एवं कश्मीर	49.28	2.96	1.82	182.47	10.95	8.12	126.82	8.56	5.64	30.62	2.45	1.36	63.51	5.08	2.89
कर्नाटक	398.83	39.88	20.54	1,400.04	140.00	93.10	970.93	89.81	64.57	224.03	17.92	14.90	491.22	39.30	31.67
केरल	90.98	7.28	3.46	307.22	24.58	13.98	213.29	17.06	9.70	48.14	3.85	2.19	96.01	7.68	4.61
कोलकाता	79.04	7.90	3.64	294.76	29.48	15.77	200.60	18.56	10.73	48.67	3.89	2.60	92.46	7.40	4.95
मध्य प्रदेश	146.85	11.75	7.34	512.30	40.98	29.46	328.82	26.31	18.91	76.56	6.12	4.40	155.45	12.44	7.50
महाराष्ट्र	177.11	17.71	6.73	680.91	68.09	30.98	477.97	44.21	21.75	114.29	9.14	5.20	218.93	17.51	12.59
मुम्बई	152.95	15.30	7.57	558.78	55.88	36.04	386.63	35.76	24.94	93.39	7.47	6.02	202.17	16.17	12.55
उड़ीसा	88.54	5.31	4.16	327.11	19.63	17.83	229.45	15.49	12.50	54.73	4.38	2.98	113.14	9.05	6.17
पंजाब	164.82	13.19	7.75	601.03	48.08	32.76	392.95	31.44	21.42	88.00	7.04	4.80	178.19	14.25	9.71
तमिलनाडु	325.40	32.54	17.41	1,196.61	119.66	81.97	822.12	76.05	56.31	179.12	14.33	12.27	371.62	29.73	24.92
उत्तर प्रदेश (पू)	196.66	15.73	9.44	747.60	59.81	41.49	520.39	41.63	28.88	122.59	9.81	6.80	249.29	19.94	13.84
उत्तर प्रदेश (प)	89.32	7.15	3.39	326.30	26.10	14.85	246.41	19.71	11.21	58.20	4.66	2.65	123.38	9.87	5.61
पश्चिम बंगाल	99.98	8.00	3.70	366.82	29.35	16.32	258.85	20.71	11.52	68.61	5.49	3.05	141.64	11.33	6.54
यू ए एस एल बी ए एल	3,292.79	293.25	155.32	12,045.64	1,072.17	710.78	8,247.36	705.95	485.79	1,917.52	153.40	112.69	3,984.74	318.78	231.42
एन एल डी	709.32	42.56	-	2,594.50	155.67	-	1,808.07	122.04	-	403.69	32.30	-	762.18	60.97	-
आई एल डी	219.76	13.19	-	760.80	45.65	-	632.59	42.70	-	173.25	13.86	-	321.38	25.71	-
आई एस पी	159.92	9.60	-	620.14	37.21	-	408.58	27.58	-	99.75	7.98	-	214.41	17.15	-
वी एस ए टी	4.80	0.29	-	17.27	1.04	-	13.77	0.93	-	2.69	0.21	-	5.08	0.41	-
कुल बी ए एल	4,386.60	358.88	155.32	16,038.35	1,311.73	710.78	11,110.36	899.20	485.79	2,596.90	207.75	112.69	5,287.79	423.02	231.42

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	294.88	25.43	16.96
एन एल डी	62.78	4.14	-
आई एल डी	21.07	1.41	-
आई एस पी	15.03	1.00	-
वी एस ए टी	0.44	0.03	-
कुल बी ए एल	394.20	32.01	16.96

(₹ करोड़ में)

मद	जी आर/ए जी आर की कुल	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर
ब्याज आय (अनुलग्नक-2.07)	189.29	15.12	8.54
संबंधित पार्टियों से प्राप्त ब्याज आय (अनुलग्नक-2.08)	394.20	32.01	16.96
कुल ब्याज आय	583.49	47.13	25.50

अनुलग्नक -2.09 [पैरा 2.2.7]

बी आई एल जी ओ से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

वर्ष	कुल सेवा राजस्व	कुल एक्सेस प्रभार	एक्सेस प्रभार (मार्जिन) के ऊपर अधिक राजस्व	एल एफ पर प्रभाव
2010-11	46,488.75	44,199.88	2,288.87	137.33
2011-12	67,933.02	64,584.27	3,348.75	200.93
2012-13	84,105.68	79,957.20	4,148.48	280.02
2013-14	108,954.99	103,590.05	5,364.94	429.20
2014-15	89,004.19	84,631.84	4,372.35	349.79
कुल	396,486.63	376,963.24	19,523.39	1,397.26

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव
बी ए एल	195.23	13.97

अनुलग्नक -2.10 [पैरा 2.2.8]
लाभांश आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष (₹ लाख में)											
	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	222.42	22.24	14.57	3,291.72	304.48	215.61	3,558.59	284.69	233.09	11,009.08	880.73	698.80
असम	39.37	2.36	2.15	607.19	40.99	33.09	709.39	56.75	38.66	2,289.62	183.17	124.78
बिहार	151.24	9.07	9.91	2,338.50	157.85	153.17	2,785.59	222.85	182.46	8,703.75	696.30	570.10
दिल्ली	213.31	21.33	13.55	3,243.69	300.04	205.97	3,495.68	279.65	221.98	10,748.91	859.91	615.11
गुजरात	71.12	7.11	3.31	1,122.24	103.81	52.18	1,199.51	95.96	55.78	3,361.97	268.96	156.33
हरियाणा	26.08	2.09	1.16	416.31	33.30	18.53	438.24	35.06	19.50	1,267.40	101.39	56.40
हिमाचल प्रदेश	20.69	1.24	0.92	317.87	21.46	14.15	366.25	29.30	16.30	1,164.64	93.17	54.97
जम्मू एवं कश्मीर	29.89	1.79	1.33	468.02	31.59	20.83	540.85	43.27	24.07	1,645.59	131.65	75.00
कर्नाटक	229.32	22.93	15.25	3,583.14	331.44	238.28	3,957.78	316.62	263.19	12,727.12	1,018.17	820.58
केरल	50.32	4.03	2.29	787.14	62.97	35.81	850.50	68.04	38.70	2,487.55	199.00	119.53
कोलकाता	48.28	4.83	2.58	740.29	68.48	39.61	859.73	68.78	46.00	2,395.61	191.65	128.17
मध्य प्रदेश	83.91	6.71	4.82	1,213.47	97.08	69.77	1,352.45	108.20	77.77	4,027.54	322.20	194.43
महाराष्ट्र	111.53	11.15	5.07	1,763.92	163.16	80.26	2,019.01	161.52	91.87	5,672.38	453.79	326.16
मुंबई	91.53	9.15	5.90	1,426.84	131.98	92.03	1,649.76	131.98	106.41	5,238.11	419.05	325.29
उड़ीसा	53.58	3.21	2.92	846.76	57.16	46.15	966.91	77.35	52.70	2,931.26	234.50	159.75
पंजाब	98.45	7.88	5.37	1,450.14	116.01	79.03	1,554.59	124.37	84.72	4,616.67	369.33	251.61
तमिलनाडु	196.00	19.60	13.43	3,033.96	280.64	207.83	3,164.31	253.14	216.75	9,628.41	770.27	645.58
उत्तर प्रदेश (पू)	122.45	9.80	6.80	1,920.45	153.64	106.58	2,165.65	173.25	120.19	6,458.89	516.71	358.47
उत्तर प्रदेश (प)	53.45	4.28	2.43	909.38	72.75	41.38	1,028.08	82.25	46.78	3,196.74	255.74	145.45
पश्चिम बंगाल	60.08	4.81	2.67	955.28	76.42	42.51	1,212.14	96.97	53.94	3,669.79	293.58	169.36
यू ए एस एल बी ए एल	1,973.01	175.62	116.42	30,436.30	2,605.25	1,792.77	33,875.00	2,710.00	1,990.84	103,241.01	8,259.28	5,995.87
एन एल डी	424.97	25.50	-	6,672.54	450.40	-	7,131.67	570.53	-	19,747.44	1,579.79	-
आई एल डी	124.62	7.48	-	2,334.53	157.58	-	3,060.66	244.85	-	8,326.80	666.14	-
आई एस पी	101.58	6.09	-	1,507.82	101.78	-	1,762.20	140.98	-	5,555.20	444.42	-
वी एस ए टी	2.83	0.17	-	50.80	3.43	-	47.47	3.80	-	131.55	10.52	-
कुल	2,627.00	214.86	116.42	41,002.00	3,318.43	1,792.77	45,877.00	3,670.16	1,990.84	137,002.00	10,960.16	5,995.87
नार्थ ईस्ट	7.01	0.42	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	35.51	2.84	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल बी एच एल	42.52	3.26	2.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	2,669.52	218.12	118.70	41,002.00	3,318.43	1,792.77	45,877.00	3,670.16	1,990.84	137,002.00	10,960.16	5,995.87

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि (₹ करोड़ में)	एल एफ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	एस यू सी पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
यू ए एस एल बी ए एल	1,695.25	137.50	98.96
एन एल डी	339.76	26.26	-
आई एल डी	138.47	10.76	-
आई एस पी	89.27	6.94	-
वी एस ए टी	2.33	0.18	-
कुल बी ए एल	2,265.08	181.64	98.96
कुल बी एच एल	0.43	0.03	0.02
कुल योग	2,265.51	181.67	98.98

अनुलग्नक -2.11 [पैरा 2.2.9]
निवेश की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1,307.67	130.77	66.04	859.08	85.91	56.27	969.60	89.69	63.51	1,625.49	130.04	106.47	27,882.48	2,230.60	1,769.84
असम	223.89	13.43	8.84	152.05	9.12	8.29	178.85	12.07	9.75	324.04	25.92	17.66	5,798.87	463.91	316.04
बिहार	881.27	52.88	44.50	584.16	35.05	38.26	688.82	46.50	45.12	1,272.40	101.79	83.34	22,043.80	1,763.50	1,443.87
दिल्ली	1,220.73	122.07	59.21	823.93	82.39	52.32	955.45	88.38	60.67	1,596.76	127.74	101.39	27,223.55	2,177.88	1,557.87
गुजरात	451.24	45.12	17.60	274.71	27.47	12.77	330.56	30.58	15.37	547.91	43.83	25.48	8,514.80	681.18	395.94
हरियाणा	148.84	11.91	5.51	100.74	8.06	4.48	122.63	9.81	5.46	200.18	16.01	8.91	3,209.91	256.79	142.84
हिमाचल प्रदेश	123.13	7.39	4.56	79.92	4.80	3.56	93.63	6.32	4.17	167.30	13.38	7.44	2,949.66	235.97	139.22
जम्मू एवं कश्मीर	174.13	10.45	6.44	115.44	6.93	5.14	137.86	9.31	6.13	247.05	19.76	10.99	4,167.74	333.42	189.94
कर्नाटक	1,409.23	140.92	72.58	885.75	88.57	58.90	1,055.44	97.63	70.19	1,807.84	144.63	120.22	32,233.72	2,578.70	2,078.27
केरल	321.48	25.72	12.22	194.36	15.55	8.84	231.86	18.55	10.55	388.49	31.08	17.68	6,300.18	504.01	302.72
कोलकाता	279.28	27.93	12.85	186.48	18.65	9.98	218.06	20.17	11.67	392.71	31.42	21.01	6,067.31	485.39	324.60
मध्य प्रदेश	518.86	41.51	25.94	324.11	25.93	18.64	357.44	28.59	20.55	617.77	49.42	35.52	10,200.46	816.04	492.43
महाराष्ट्र	625.79	62.58	23.78	430.78	43.08	19.60	519.57	48.06	23.64	922.25	73.78	41.96	14,366.32	1,149.31	826.06
मुम्बई	540.45	54.04	26.75	353.52	35.35	22.80	420.28	38.88	27.11	753.58	60.29	48.61	13,266.46	1,061.32	823.85
उड़ीसा	312.83	18.77	14.70	206.95	12.42	11.28	249.42	16.84	13.59	441.67	35.33	24.07	7,423.94	593.92	404.60
पंजाब	582.36	46.59	27.37	380.25	30.42	20.72	427.15	34.17	23.28	710.11	56.81	38.70	11,692.55	935.40	637.24
तमिलनाडु	1,149.78	114.98	61.51	757.04	75.70	51.86	893.67	82.66	61.22	1,445.39	115.63	99.01	24,385.67	1,950.85	1,635.06
उत्तर प्रदेश (पु)	694.87	55.59	33.35	472.97	37.84	26.25	565.68	45.25	31.40	989.23	79.14	54.90	16,358.30	1,308.66	907.89
उत्तर प्रदेश (प)	315.60	25.25	11.99	206.44	16.51	9.39	267.86	21.43	12.19	469.61	37.57	21.37	8,096.33	647.71	368.38
पश्चिम बंगाल	353.28	28.26	13.07	232.07	18.57	10.33	281.38	22.51	12.52	553.68	44.29	24.64	9,294.40	743.55	428.94
यू ए एस एल बी ए एल	11,634.71	1,036.15	548.81	7,620.76	678.32	449.68	8,965.20	767.39	528.07	15,473.45	1,237.88	909.38	261,476.47	20,918.12	15,185.61
एन एल डी	2,506.31	150.38	-	1,641.43	98.49	-	1,965.44	132.67	-	3,257.61	260.61	-	50,013.94	4,001.12	-
आई एल डी	776.51	46.59	-	481.33	28.88	-	687.65	46.42	-	1,398.05	111.84	-	21,089.12	1,687.13	-
आई एस पी	565.08	33.90	-	392.33	23.54	-	444.14	29.98	-	804.94	64.40	-	14,069.55	1,125.56	-
वी एस ए टी	16.95	1.02	-	10.93	0.66	-	14.96	1.01	-	21.68	1.73	-	333.16	26.65	-
कुल	15,499.56	1,268.05	548.81	10,146.78	829.88	449.68	12,077.40	977.46	528.07	20,955.73	1,676.46	909.38	346,982.26	27,758.58	15,185.61
नार्थ ईस्ट	63.53	3.81	2.29	649.21	38.95	28.24	1,646.70	111.15	71.63	1,128.26	90.26	49.08	6,780.16	542.41	309.85
राजस्थान	345.77	27.66	16.60	2,702.86	216.23	150.01	7,277.62	582.21	403.91	4,697.28	375.78	260.70	29,953.95	2,396.32	1,662.44
कुल	409.30	31.47	18.88	3,352.07	255.18	178.25	8,924.32	693.36	475.54	5,825.54	466.04	309.78	36,734.10	2,938.73	1,972.30
कुल योग	15,908.86	1,299.52	567.70	13,498.84	1,085.06	627.93	21,001.72	1,670.83	1,003.61	26,781.27	2,142.50	1,219.16	383,716.36	30,697.31	17,157.91

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	3,051.71	246.38	176.22
एन एल डी	593.85	46.43	-
आई एल डी	244.33	19.21	-
आई एस पी	162.76	12.77	-
वी एस ए टी	3.98	0.31	-
कुल बी ए एल	4,056.62	325.10	176.22
बी एच एल	552.45	43.85	29.54
कुल योग	4,609.07	368.95	205.76

अनुलग्नक -2.12 [पैरा 2.2.10]
विविध आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्य/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	88.32	8.83	1.82	145.99	14.60	5.56	184.49	17.07	8.81	810.13	64.81	47.90	746.55	59.72	44.31
असम	5.34	0.32	0.21	15.98	0.96	0.87	26.43	1.78	1.44	101.45	8.12	5.53	153.98	12.32	8.39
बिहार	56.11	3.37	2.83	53.17	3.19	3.48	43.24	2.92	2.83	477.63	38.21	31.28	551.90	44.15	36.15
दिल्ली	553.97	55.40	1.67	514.31	51.43	4.90	394.80	36.52	8.08	852.69	68.22	34.17	1,450.04	116.00	43.28
गुजरात	25.75	2.57	0.47	40.99	4.10	1.25	71.87	6.65	2.53	250.00	20.00	10.51	340.85	27.27	14.20
हरियाणा	28.45	2.28	0.14	65.62	5.25	0.48	36.64	2.93	1.14	109.76	8.78	4.88	96.49	7.72	4.29
हिमाचल प्रदेश	3.29	0.20	0.12	7.77	0.47	0.35	16.85	1.14	0.75	68.40	5.47	3.04	75.64	6.05	3.57
जम्मू एवं कश्मीर	4.39	0.26	0.16	11.60	0.70	0.52	17.07	1.15	1.23	101.96	8.16	4.54	103.82	8.31	4.73
कर्नाटक	274.94	27.49	2.08	357.94	35.79	7.28	337.37	31.21	10.92	883.57	70.69	45.26	1,146.57	91.73	62.30
केरल	115.90	9.27	0.49	20.22	1.62	0.92	32.20	2.58	1.39	173.55	13.88	7.90	172.75	13.82	8.22
कोलकाता	54.73	5.47	0.31	61.62	6.16	0.91	116.58	10.78	6.24	228.03	18.24	12.11	211.81	16.94	10.52
मध्य प्रदेश	163.19	13.05	2.74	86.85	6.95	1.98	169.78	13.58	4.74	390.15	31.21	17.87	454.36	36.35	18.42
महाराष्ट्र	47.24	4.72	0.68	90.84	9.08	3.47	94.04	8.70	2.81	298.69	23.89	12.68	360.76	28.86	19.84
मुम्बई	364.00	36.40	7.48	125.27	12.53	2.10	258.05	23.87	10.01	574.61	45.97	29.10	774.67	61.97	42.06
उड़ीसा	11.81	0.71	0.56	18.84	1.13	1.03	30.88	2.08	1.68	160.21	12.82	8.73	276.69	22.14	15.08
पंजाब	35.09	2.81	0.81	40.63	3.25	2.21	124.07	9.93	5.43	347.65	27.81	16.85	401.83	32.15	19.66
तमिलनाडु	166.31	16.63	2.25	340.51	34.05	6.13	346.71	32.07	13.14	835.53	66.84	43.92	863.82	69.11	47.32
उत्तर प्रदेश (पू)	74.15	5.93	2.10	93.13	7.45	3.38	217.09	17.37	11.36	377.87	30.23	20.89	594.32	47.55	32.74
उत्तर प्रदेश (प)	12.59	1.01	0.29	18.79	1.50	0.85	46.93	3.75	1.51	145.06	11.60	6.46	194.41	15.55	8.85
पश्चिम बंगाल	8.42	0.67	0.31	21.12	1.69	0.94	30.53	2.44	1.36	160.13	12.81	7.13	245.30	19.62	11.32
यू ए एस एल बी ए एल	2,094.00	197.41	27.50	2,131.20	201.90	48.62	2,595.62	228.52	97.39	7,347.05	587.76	370.75	9,216.55	737.32	455.24
एन एल डी	59.90	3.59	-	149.40	8.96	-	241.01	16.27	-	979.84	78.39	-	1,487.83	119.03	-
आई एल डी	2,196.38	131.78	-	1,258.27	75.50	-	873.74	58.98	-	1,480.96	118.48	-	3,519.96	281.60	-
आई एस पी	23.06	1.38	-	35.78	2.15	-	164.99	11.14	-	245.78	19.66	-	1,223.06	97.84	-
वी एस ए टी	0.40	0.02	-	0.99	0.06	-	1.85	0.13	-	6.55	0.52	-	8.00	0.64	-
कुल	4,373.74	334.19	27.50	3,575.65	288.57	48.62	3,877.20	315.02	97.39	10,060.18	804.81	370.75	15,455.40	1,236.43	455.24
नार्थ ईस्ट	-	-	-	0.89	0.05	0.04	6.85	0.46	0.30	1.62	0.13	0.07	15.71	1.26	0.72
राजस्थान	16.77	1.34	0.46	27.36	2.19	0.88	(19.38)	-	-	440.05	35.20	23.72	369.93	29.59	19.85
कुल	16.77	1.34	0.46	28.25	2.24	0.92	(12.53)	0.46	0.30	441.68	35.33	23.79	385.64	30.85	20.57
कुल योग	4,390.52	335.53	27.97	3,603.90	290.81	49.54	3,864.67	315.49	97.69	10,501.86	840.15	394.54	15,841.03	1,267.28	475.81

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	233.84	19.53	10.00
एन एल डी	29.18	2.26	-
आई एल डी	93.29	6.66	-
आई एस पी	16.93	1.32	-
वी एस ए टी	0.18	0.01	-
कुल बी ए एल	373.42	29.78	10.00
बी एच एल	8.60	0.70	0.46
कुल योग	382.02	30.48	10.46

अनुलग्नक -2.13 [पैरा 2.2.11]
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1.74	0.17	0.09	0.07	0.01	0.00	1.80	0.17	0.12	38.53	3.08	2.52	2.43	0.19	0.15
असम	0.30	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.34	0.02	0.02	7.56	0.61	0.41	0.66	0.05	0.04
बिहार	1.18	0.07	0.06	2.98	0.18	0.20	1.38	0.09	0.09	29.85	2.39	1.95	1.83	0.15	0.12
दिल्ली	8.56	0.86	0.42	21.02	2.10	1.33	14.38	1.33	0.91	38.19	3.06	2.43	2.84	0.23	0.16
गुजरात	0.74	0.07	0.03	0.09	0.01	0.00	0.57	0.05	0.03	12.87	1.03	0.60	1.06	0.08	0.05
हरियाणा	0.20	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.21	0.02	0.01	4.67	0.37	0.21	0.25	0.02	0.01
हिमाचल प्रदेश	0.16	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.16	0.01	0.01	3.90	0.31	0.17	0.23	0.02	0.01
जम्मू एवं कश्मीर	0.23	0.01	0.01	0.12	0.01	0.01	0.24	0.02	0.01	5.76	0.46	0.26	0.33	0.03	0.01
कर्नाटक	1.19	0.19	0.10	3.47	0.35	0.23	2.09	0.19	0.14	42.65	3.41	2.84	2.82	0.23	0.18
केरल	0.43	0.03	0.02	0.18	0.01	0.01	0.40	0.03	0.02	9.17	0.73	0.42	0.58	0.05	0.03
कोलकाता	98.54	9.85	4.53	2.70	0.27	0.14	0.38	0.03	0.02	9.16	0.73	0.49	0.48	0.04	0.03
मध्य प्रदेश	0.70	0.06	0.03	0.42	0.03	0.02	0.89	0.07	0.05	14.68	1.17	0.84	5.75	0.46	0.28
महाराष्ट्र	0.83	0.08	0.03	0.07	0.01	0.00	0.97	0.09	0.04	1,148.23	91.86	52.24	1.13	0.09	0.06
मुम्बई	0.93	0.09	0.05	0.11	0.01	0.01	0.73	0.07	0.05	2,138.10	171.05	137.91	1.48	0.12	0.09
उड़ीसा	10.08	0.61	0.47	4.82	0.29	0.26	0.43	0.03	0.02	10.32	0.83	0.56	0.61	0.05	0.03
पंजाब	0.78	0.06	0.04	0.03	0.00	0.00	0.74	0.06	0.04	16.56	1.32	0.90	1.10	0.09	0.06
तमिलनाडु	1.53	0.15	0.08	2.50	0.25	0.17	1.59	0.15	0.11	539.35	43.15	36.95	2.13	0.17	0.14
उत्तर प्रदेश (घ)	0.94	0.08	0.05	0.12	0.01	0.01	6.09	0.49	0.34	23.36	1.87	1.30	1.58	0.13	0.09
उत्तर प्रदेश (च)	0.42	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.46	0.04	0.02	10.95	0.88	0.50	2.52	0.20	0.11
पश्चिम बंगाल	0.47	0.04	0.02	4.04	0.32	0.18	0.49	0.04	0.02	12.91	1.03	0.57	2.87	0.23	0.13
यू ए एस एल बी ए एल	129.97	12.51	6.06	42.81	3.87	2.59	34.33	3.00	2.07	4116.78	329.34	244.07	32.66	2.61	1.80
एन एल डी	3.34	0.20	-	8.71	0.52	-	12.52	0.84	-	109.77	8.78	-	119.94	9.60	-
आई एल डी	7.62	0.46	-	0.04	0.00	-	2.42	0.16	-	613.75	49.10	-	34.58	2.77	-
आई एस पी	0.75	0.05	-	2.52	0.15	-	7.34	0.50	-	106.20	8.50	-	7.28	0.58	-
वी एस ए टी	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.03	0.00	-	0.51	0.04	-	2.02	0.16	-
कुल	141.70	13.21	6.06	54.08	4.54	2.59	56.64	4.50	2.07	4947.00	395.76	244.07	196.48	15.72	1.80
कोर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नार्थ ईस्ट	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.16	0.01	0.01	-	-	-	263.29	21.06	14.61	-	-	-	74.22	5.94	4.12
कुल बी एच एल	0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	263.30	21.06	14.61	-	-	-	74.23	5.94	4.12
कुल योग	141.87	13.23	6.06	54.08	4.54	2.59	319.94	25.57	16.68	4947.00	395.76	244.07	270.70	21.66	5.92

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल बी ए एल	43.57	3.51	2.57
एन एल डी	2.54	0.20	-
आई एल डी	6.58	0.52	-
आई एस पी	1.24	0.10	-
वी एस ए टी	0.03	0.00	-
कुल बी ए एल	53.96	4.34	2.56
कुल बी एच एल	3.38	0.27	0.19
कुल योग	57.34	4.61	2.75

अनुलग्नक -2.14 [पैरा 2.2.12]
 बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों के घटाने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	516.42	51.64	26.08	8799.80	879.98	576.39	1917.57	177.37	125.60	1777.13	142.17	116.40	2064.79	165.18	131.06
असम	40.78	2.45	1.61	0.00	0.00	0.00	206.09	13.91	11.23	115.77	9.26	6.31	6.77	0.54	0.37
बिहार	43.82	2.63	2.21	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	8.23	0.66	0.54	32.26	2.58	2.11
दिल्ली	13712.28	1371.23	665.05	1516.96	151.70	96.33	4193.25	387.88	266.27	3884.70	310.78	246.68	4008.67	320.69	229.40
गुजरात	721.57	72.16	28.14	324.84	32.48	15.11	840.05	77.70	39.06	618.47	49.48	28.76	807.92	64.63	37.57
हरियाणा	239.69	19.18	8.87	27.93	2.23	1.24	72.95	5.84	3.25	536.58	42.93	23.88	147.54	11.80	6.57
हिमाचल प्रदेश	385.47	23.13	14.26	44.85	2.69	2.00	97.19	6.56	4.33	145.01	11.60	6.45	62.69	5.02	2.96
जम्मू एवं कश्मीर	502.76	30.17	18.60	73.02	4.38	3.25	29.08	1.96	1.29	0.63	0.05	0.03	0.35	0.03	0.02
कर्नाटक	61.84	6.18	3.18	11054.53	1105.45	735.13	4046.46	374.30	269.09	2264.53	181.16	150.59	3278.58	262.29	211.39
केरल	465.46	37.24	17.69	17.38	1.39	0.79	109.17	8.73	4.97	58.87	4.71	2.68	130.28	10.42	6.26
कोलकाता	3756.93	375.69	172.82	298.94	29.89	15.99	234.61	21.70	12.55	1346.16	107.69	72.02	1643.41	131.47	87.92
मध्य प्रदेश	788.85	63.11	39.44	534.19	42.73	30.72	629.21	50.34	36.18	824.96	66.00	47.44	549.44	43.96	26.52
महाराष्ट्र	3505.54	350.55	133.21	1100.35	110.03	50.07	104.06	9.63	4.73	1807.01	144.56	82.22	983.85	78.71	56.57
मुम्बई	760.22	76.02	37.63	233.01	23.30	15.03	284.41	26.31	18.34	4658.52	372.68	300.47	6231.35	498.51	386.97
उड़ीसा	7.66	0.46	0.36	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.44	0.12	0.08	45.50	3.64	2.48
पंजाब	345.18	27.61	16.22	8.00	0.64	0.44	9.39	0.75	0.51	353.13	28.25	19.25	112.97	9.04	6.16
तमिलनाडु	8662.17	866.22	463.43	668.27	66.83	45.78	2799.33	258.94	191.75	2085.38	166.83	142.85	2632.37	210.59	176.50
उत्तर प्रदेश (पू)	158.13	12.65	7.59	50.12	4.01	2.78	84.23	6.74	4.68	96.37	7.71	5.35	113.51	9.08	6.30
उत्तर प्रदेश (प)	541.94	43.36	20.59	306.26	24.50	13.93	273.07	21.85	12.42	249.61	19.97	11.36	171.96	13.76	7.82
पश्चिम बंगाल	68.92	5.51	2.55	0.00	0.00	0.00	210.05	16.80	9.35	108.79	8.70	4.84	11.38	0.91	0.53
यू ए एस एल बी ए एल	35285.63	3437.18	1679.54	25058.45	2482.25	1604.96	16140.28	1467.31	1015.62	20941.29	1675.30	1268.18	23035.58	1842.85	1385.47
आई एस पी	11.66	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2757.78	220.62	0.00	3260.50	260.84	0.00
वी एस ए टी	32.01	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल बी ए एल	35329.29	3439.80	1679.54	25058.45	2482.25	1604.96	16140.28	1467.31	1015.62	23699.07	1895.93	1268.18	26296.08	2103.69	1385.47
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	7.88	0.63	0.36
राजस्थान	92.84	7.43	4.46	430.92	34.47	23.92	3195.07	255.61	177.33	756.09	60.49	41.96	331.17	26.49	18.38
कुल बी एच एल	92.84	7.43	4.46	430.92	34.47	23.92	3196.34	255.69	177.38	756.09	60.49	41.96	339.05	27.12	18.74
कुल योग	35422.13	3447.23	1684.00	25489.37	2516.73	1628.87	19336.62	1723.00	1193.00	24455.16	1956.41	1310.15	26635.12	2130.81	1404.21

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	1265.23	113.89	69.54
बी एच एल	48.15	3.85	2.66
कुल यू ए एस एल	1,313.38	117.74	72.20

अनुलग्नक -2.15 [पैरा 2.2.13]
बैंडविड्थ और लिंक की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष									
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	623.72	31.50	1565.93	102.57	1807.42	118.39	2096.15	137.30	3051.56	193.70
असम	37.00	1.46	39.31	2.14	39.31	2.14	33.54	1.83	26.59	1.45
बिहार	190.03	9.60	197.08	12.91	193.04	12.64	243.01	15.92	282.73	18.52
दिल्ली	2183.71	105.91	6757.44	429.10	7792.14	494.80	8713.07	553.28	11243.42	643.40
गुजरात	463.79	18.09	786.93	36.59	800.56	37.23	929.45	43.22	1047.65	48.72
हरियाणा	122.42	4.53	258.08	11.48	274.33	12.21	311.15	13.85	328.92	14.64
हिमाचल प्रदेश	73.07	2.70	88.50	3.94	91.56	4.07	102.86	4.58	82.20	3.88
जम्मू एवं कश्मीर	45.84	1.70	54.02	2.40	63.94	2.85	79.69	3.55	103.68	4.73
कर्नाटक	1561.15	80.40	4049.95	269.32	515.43	34.28	564.54	37.54	6794.09	438.05
केरल	251.32	9.55	504.06	22.93	4698.93	213.80	5738.02	261.08	658.73	31.65
कोलकाता	164.77	7.58	615.33	32.92	788.25	42.17	1187.43	63.53	958.55	51.28
मध्य प्रदेश	552.35	27.62	2062.91	118.62	2159.78	124.19	2296.43	132.04	2548.94	123.05
महाराष्ट्र	862.86	32.79	1328.89	60.46	1601.66	72.88	2013.57	91.62	2066.22	118.81
मुंबई	1630.52	80.71	2915.60	188.06	3610.25	232.86	4244.71	273.78	6921.26	429.81
उड़ीसा	81.58	3.83	102.96	5.61	102.03	5.56	127.05	6.92	129.64	7.07
पंजाब	179.40	8.43	764.62	41.67	834.99	45.51	992.92	54.11	1019.87	55.58
तमिलनाडु	2019.91	108.07	4641.47	317.94	5178.56	354.73	5682.94	389.28	7777.59	521.49
उत्तर प्रदेश (पू)	223.67	10.74	506.57	28.11	574.47	31.88	827.08	45.90	1037.73	57.59
उत्तर प्रदेश (प)	221.69	8.42	418.40	19.04	433.41	19.72	649.10	29.53	673.13	30.63
पश्चिम बंगाल	102.88	3.81	93.11	4.14	83.40	3.71	140.88	6.27	137.68	6.35
कुल बी ए एल	11591.69	557.43	27751.16	1709.97	31643.47	1865.61	36973.59	2165.13	46890.18	2800.39
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	348.64	16.73	479.84	26.63	529.93	29.41	757.39	42.04	776.35	43.09
कुल बी एच एल	348.64	16.73	479.84	26.63	529.93	29.41	757.39	42.04	776.35	43.09
कुल योग	11940.32	574.16	28231.00	1736.60	32173.40	1895.02	37730.98	2207.17	47666.53	2843.48

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	1,548.50	90.98
बी एच एल	28.92	1.58
कुल यू ए एस एल	1,577.42	92.56

अनुलग्नक -2.16 [पैरा 2.2.14]

सैटकॉम (पूर्व एस बी ई एल) से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष											
	2010-11			2011-12			2012-13			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी सैट	3,697.20	221.83	-	2,198.23	131.89	-	43.46	2.93	-	0.67	0.05	-

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी सैट बी ए एल	59.40	3.57	-

अनुलग्नक -2.17 [पैरा 2.2.15]

आई पी-1 के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आई पी-1	5,284.57	317.07	-	5,828.39	349.70	-	7,476.70	504.68	-	10,422.69	833.82	-	11,301.43	904.11	-
कुल योग	5,284.57	317.07	-	5,828.39	349.70	-	7,476.70	504.68	-	10,422.69	833.82	-	11,301.43	904.11	-

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आई पी-1	403.14	29.09	-
कुल योग	403.14	29.09	-

अनुलग्नक -2.18 [पैरा 2.2.16]
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	60		48		36		24		12		कुल		
				15		16.75		16.45		16.75		16.75				
				दर @ (पी एल आर+2)%		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			2014-15	
				मामले		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
1	2.2.1 अ	2.01	कमीशन/ मार्जिन	6,930.31	3,730.98	7,093.73	4,728.23	6,043.60	4,123.88	4,342.63	3,121.85	2,149.96	1,535.37	43,800.55		
2	2.2.1 ब	2.02	एफ ए टी /एफ टी टी /प्रमोशनल	2,401.43	1,281.52	1,882.47	1,257.80	2,963.64	2,046.14	2,045.54	1,455.61	993.32	709.81	17,037.27		
3	2.2.2	2.03	वेवर	181.08	22.81	115.61	25.97	208.55	55.22	230.34	103.35	145.15	79.89	1,167.96		
4	2.2.3	2.04	आई ओ टी छूट	427.45	207.98	735.29	456.02	705.94	466.35	404.66	295.76	131.48	95.82	3,926.74		
5	2.2.4	2.05	अवसंरचना राजस्व हिस्सेदारी	499.27	295.52	474.16	327.95	161.40	111.96	152.70	106.32	68.81	47.55	2,245.64		
6	2.2.5	2.06	फोरेक्स	971.75	427.45	1193.89	644.72	409.81	217.14	390.57	215.77	88.01	48.23	4607.35		
7	2.2.6	2.07	ब्याज आय	107.07	44.13	116.12	72.63	228.59	141.85	68.15	38.62	137.22	75.22	1,029.60		
8		2.08	सहायक कम्पनियों/ एसोसिएट्स से प्राप्त ब्याज की आय	152.05	-	189.92	-	177.13	-	169.41	-	63.30	-	751.81		
9	2.2.7	2.09	बी आई एल जी ओ राजस्व	-	-	206.16	112.19	2,099.10	1,134.03	1,448.63	785.80	1,983.53	1,085.11	8,854.56		
10	2.2.8	2.10	लाभांश आय	1,438.80	628.54	1,025.60	593.52	1,056.89	634.84	845.66	481.21	5,555.50	3,105.18	15,365.75		
11	2.2.9	2.11	निवेश की बिक्री	397.34	171.97	1,239.86	671.83	568.80	307.29	82.00	44.48	76.56	41.88	3,602.00		
12	2.2.10	2.12	विविध आय	371.50	30.96	274.87	46.82	199.56	61.80	331.61	155.73	229.35	86.11	1,788.31		
13	2.2.11	2.13	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	14.64	6.71	4.29	2.45	16.17	10.55	156.21	96.34	3.92	1.07	312.35		
14	2.2.12	2.14	बट्टे खाते में डाली गई अशोध्य ऋण की कटौती	3,816.71	1,864.49	2,378.82	1,539.62	1,089.90	754.64	772.21	517.12	385.63	254.13	13,373.26		
15	2.2.13	2.15	ब्राडबैंड की बिक्री/लीज	-	635.70	-	1,641.44	-	1,198.71	-	871.18	-	514.60	4,861.64		
16	2.2.14	2.16	सैटकॉम ब्राडबैंड	245.61	-	124.67	-	1.86	-	-	-	0.01	-	372.14		
17	2.2.15	2.17	आई पी-1 राजस्व	351.06	-	330.54	-	319.24	-	329.11	-	163.62	-	1,493.57		
			कुल	18306.06	9348.77	17386	12120.59	16250.18	11264.39	11769.42	8289.14	12175.36	7679.99	124,590.50		

अर्थात ₹ 1,245.91 करोड़

अनुलग्नक - 3.01 (पैरा 3.2.1 अ)

वितरकों/डीलरों को भुगतान किये गये छूट/मार्जिन के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	4,089.32	408.93	227.37	4,353.12	435.31	242.03	4,664.39	431.46	259.34	6,897.16	551.77	383.48	7,318.41	585.47	383.18
महाराष्ट्र	4,093.26	409.33	204.66	6,835.23	683.52	341.76	9,861.77	912.21	493.09	9,139.29	731.14	456.96	9,126.25	730.10	456.31
तमिलनाडु	5,493.37	549.34	274.67	6,799.80	679.98	339.99	7,273.67	672.81	363.68	7,787.91	623.03	389.40	8,429.27	674.34	421.46
केरल	3,339.33	267.15	166.97	4,305.82	344.47	215.29	5,885.64	470.85	294.28	6,791.53	543.32	339.58	7,536.11	602.89	376.81
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,733.67	138.69	104.02	2,841.59	227.33	170.50	5,547.13	443.77	332.83	7,562.22	604.98	453.73	8,220.49	657.64	483.16
राजस्थान	1,932.67	154.61	57.98	2,715.50	217.24	81.47	4,440.16	355.21	133.20	5,436.72	434.94	163.10	5,915.81	473.26	183.81
हरियाणा	3,830.24	306.42	229.81	2,737.36	218.99	164.24	3,165.62	253.25	189.94	3,519.90	281.59	211.19	3,767.28	301.38	222.29
कोलकाता	2,208.16	220.82	122.55	2,084.49	208.45	115.69	2,533.87	234.38	140.63	2,535.39	202.83	140.71	3,006.28	240.50	156.30
दिल्ली	2,819.22	281.92	159.85	3,363.70	336.37	190.72	5,793.87	535.93	328.51	5,914.41	473.15	335.35	5,788.13	463.05	305.55
पश्चिम बंगाल	5,090.22	407.22	305.41	5,527.25	442.18	331.63	5,871.67	469.73	352.30	7,686.10	614.89	461.17	7,263.88	581.11	435.83
आन्ध्र प्रदेश	2,704.58	270.46	81.14	2,848.51	284.85	85.46	6,368.62	589.10	191.06	4,128.59	330.29	123.86	3,420.59	273.65	104.68
कर्नाटक	-	-	-	4,212.13	421.21	168.49	4,552.82	421.14	182.11	5,077.52	406.20	203.10	4,694.08	375.53	196.07
चेन्नई	1,499.93	149.99	75.00	1,771.98	177.20	88.60	1,770.17	163.74	88.51	1,846.79	147.74	92.34	1,926.36	154.11	96.32
पंजाब	2,399.45	191.96	119.97	1,165.99	93.28	58.30	3,458.29	276.66	172.91	3,814.12	305.13	190.71	3,987.42	318.99	199.37
उत्तर प्रदेश (प)	-	-	-	1,014.19	81.14	60.85	4,848.42	387.87	290.91	4,439.31	355.15	266.36	4,013.45	321.08	240.81
उड़ीसा	878.70	52.72	43.93	1,348.84	80.93	67.44	1,678.48	113.30	83.92	1,934.88	154.79	96.74	2,104.33	168.35	105.22
असम	834.44	50.07	41.72	1,486.39	89.18	74.32	1,869.22	126.17	93.46	2,320.44	185.63	116.02	2,621.34	209.71	131.07
नार्थ ईस्ट	593.36	35.60	29.67	473.98	28.44	23.70	894.89	60.40	44.74	1,040.53	83.24	52.03	1,155.03	92.40	57.75
बिहार	1,753.41	105.20	70.14	870.57	52.23	34.82	3,232.56	218.20	129.30	3,699.55	295.96	147.98	3,848.19	307.86	153.93
जम्मू एवं कश्मीर	176.78	10.61	8.84	166.14	9.97	8.31	499.58	33.72	24.98	531.07	42.49	26.55	607.14	48.57	30.36
मध्य प्रदेश	2,626.61	210.13	131.33	2,109.12	168.73	105.46	287.76	23.02	14.39	4,622.80	369.82	231.14	5,003.42	400.27	250.17
हिमाचल प्रदेश	21.67	1.30	0.87	-	-	-	583.01	39.35	23.32	562.10	44.97	22.48	463.46	37.08	18.54
गुजरात	3,827.40	382.74	229.64	4,161.51	416.15	249.69	7,215.22	667.41	432.91	9,211.46	736.92	552.69	5,468.17	437.45	321.27
कुल	51,945.78	4,605.20	2,685.54	63,193.21	5,697.15	3,218.75	92,296.84	7,899.71	4,660.34	106,499.80	8,519.98	5,456.68	105,684.88	8,454.79	5,330.25

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	4196.21	351.77	213.52

अनुलग्नक - 3.02 (पैरा 3.2.1 ब)
बोनस/एफ ए टी/एफ ओ सी के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	2577.39	257.74	143.30	876.34	87.63	48.72	5287.68	489.11	294.00	0.00	0.00	0.00	7241.71	579.34	379.16
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64	0.00	2.03	5892.46	471.40	294.62
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	207.32	16.59	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3242.00	259.36	162.10	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	191.95	15.36	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3809.47	304.76	223.90
राजस्थान	76.98	6.16	2.31	0.00	0.00	0.00	277.52	22.20	8.33	1058.69	84.70	31.76	4214.83	337.19	130.96
हरियाणा	97.81	7.83	5.87	178.33	14.27	10.70	171.25	13.70	10.28	0.00	0.00	0.00	720.39	57.63	42.51
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	17.63	1.76	0.98	839.78	77.68	46.61	1124.17	89.93	62.39	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8162.79	653.02	430.91
पश्चिम बंगाल	210.26	16.82	12.62	210.75	16.86	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चैन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.73	68.78	42.99	0.00	0.00	0.00
पंजाब	1083.09	86.65	54.15	797.22	63.78	39.86	16.50	1.32	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	228.90	13.73	11.44	318.29	21.48	15.91	1923.02	153.84	96.15	2136.72	170.94	106.84
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.77	61.34	38.34
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.38	37.95	23.72
बिहार	0.00	0.00	0.00	1360.33	81.62	54.41	0.00	0.00	0.00	51.69	4.14	2.07	3273.74	261.90	130.95
जम्मू एवं कश्मीर	73.07	4.38	3.65	223.88	13.43	11.19	180.99	12.22	9.05	13.73	1.10	0.69	50.75	4.06	2.54
मध्य प्रदेश	11.22	0.90	0.56	7.49	0.60	0.37	6.66	0.53	0.33	775.36	62.03	38.77	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	7.78	0.47	0.31	6.45	0.39	0.26	13.57	0.92	0.54	3.97	0.32	0.16	0.00	0.00	0.00
गुजरात	2821.77	282.18	169.31	4815.94	481.59	288.96	0.00	0.00	0.00	3792.31	303.38	227.54	0.00	0.00	0.00
कुल	7166.68	679.70	402.45	8915.19	791.02	491.07	7112.24	639.16	385.87	12885.32	1027.57	666.64	36744.01	2939.52	1804.44

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	728.23	60.77	37.50

अनुलग्नक - 3.03 (पैरा 3.2.1 ब)

एफ टी टी/एफ पी एफ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.34	35.83	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.37	430.11	268.82	1444.44	115.55	72.22
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.02	256.00	160.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	1688.47	135.08	101.31	2020.89	161.67	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	881.95	70.56	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	785.46	62.84	47.13	1298.86	103.91	77.93	1067.51	85.40	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1124.17	89.93	62.39	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	139.87	13.99	7.93	0.00	0.00	0.00	2.73	0.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	539.28	43.14	32.36	0.00	0.00	0.00	1544.88	123.59	92.69	3161.03	252.88	189.66	889.53	71.16	53.37
आन्ध्र प्रदेश	359.10	35.91	10.77	1518.30	151.83	45.55	1665.83	154.09	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1660.91	166.09	66.44	325.48	32.55	13.02	380.53	35.20	15.22	486.91	38.95	19.48	0.00	0.00	0.00
चैन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	722.18	43.33	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.97	11.20	7.00	0.00	0.00	0.00
असम	219.13	13.15	10.96	381.29	22.88	19.06	2196.91	148.29	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	103.12	6.19	5.16	0.00	0.00	0.00	1494.61	119.57	74.73	0.00	0.00	0.00
बिहार	2973.55	178.41	118.94	2868.21	172.09	114.73	1606.99	108.47	64.28	6095.53	487.64	243.82	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.76	4.46	2.79	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	34.83	2.79	1.74	2641.85	211.35	132.09	2538.27	203.06	126.91	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	7399.47	556.86	330.63	9100.52	697.86	404.96	13515.47	1064.14	671.10	23672.66	1893.81	1155.60	2333.96	186.72	125.59

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	560.22	43.99	26.88

अनुलग्नक - 3.04 (पैरा 3.2.1 ब)
प्रमोशनल टाक टाइम के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष											
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन सेलुलर लिमिटेड (वी सी एल)												
महाराष्ट्र	1353.46	135.35	67.67	2475.15	247.52	123.76	5001.20	462.61	250.06	3324.90	265.99	166.24
वोडाफोन स्पेसटेल लिमिटेड (वी एस पी एल)												
हिमाचल प्रदेश	306.31	18.38	12.25	0.00	0.00	0.00	254.24	17.16	10.17	0.00	0.00	0.00
कुल	1659.78	153.73	79.93	2475.15	247.52	123.76	5255.44	479.77	260.23	3324.90	265.99	166.24

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	127.15	11.47	6.30

अनुलग्नक - 3.05 (पैरा 3.2.1 ब)
बोनस टाक टाइम के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष					
	2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन साउथ लिमिटेड (वी एस एल)						
पंजाब	487.30	38.98	24.36	0.00	0.00	0.00
वोडाफोन स्पेसटेल लिमिटेड (वी एस पी एल)						
मध्य प्रदेश	21.72	1.74	1.09	24.18	1.45	1.21
हिमाचल प्रदेश	0	0		0	0	
वोडाफोन वेस्ट लिमिटेड (वी डब्ल्यू एल)						
कुल	509.02	40.72	25.45	24.18	1.45	1.21

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	5.33	0.42	0.27

अनुलग्नक - 3.06 (पैरा 3.2.2)
आई ओ टी रोमिंग छूट के राजस्व के घटाये जाने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	398.41	39.84	22.15	649.25	64.93	36.10	145.74	13.48	8.10	1083.08	86.65	60.22	1148.03	91.84	60.11
महाराष्ट्र	212.85	21.29	10.64	776.53	77.65	38.83	193.57	17.91	9.68	3180.88	254.47	159.04	3357.77	268.62	167.89
तमिलनाडु	40.29	4.03	2.01	111.89	11.19	5.59	80.30	7.43	4.01	560.28	44.82	28.01	743.59	59.49	37.18
केरल	0.00	0.00	0.00	102.89	8.23	5.14	0.00	0.00	0.00	388.63	31.09	19.43	511.11	40.89	25.56
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	8.83	0.71	0.53	26.05	2.08	1.56	109.78	8.78	6.59	228.63	18.29	13.72	318.64	25.49	18.73
राजस्थान	55.96	4.48	1.68	56.21	4.50	1.69	95.20	7.62	2.86	435.29	34.82	13.06	402.50	32.20	12.51
हरियाणा	13.62	1.09	0.82	20.83	1.67	1.25	18.23	1.46	1.09	69.61	5.57	4.18	83.49	6.68	4.93
कोलकाता	27.27	2.73	1.51	57.52	5.75	3.19	19.26	1.78	1.07	194.73	15.58	10.81	304.17	24.33	15.81
दिल्ली	567.10	56.71	32.15	1146.09	114.61	64.98	310.83	28.75	17.62	1617.80	129.42	91.73	1250.47	100.04	66.01
पश्चिम बंगाल	15.70	1.26	0.94	26.19	2.09	1.57	16.92	1.35	1.02	61.26	4.90	3.68	75.86	6.07	4.55
आन्ध्र प्रदेश	156.35	15.63	4.69	435.09	43.51	13.05	42.86	3.96	1.29	182.90	14.63	5.49	211.35	16.91	6.47
कर्नाटक	214.76	21.48	8.59	233.48	23.35	9.34	68.97	6.38	2.76	288.86	23.11	11.55	386.65	30.93	16.15
चैन्नई	171.85	17.19	8.59	163.63	16.36	8.18	53.80	4.98	2.69	964.87	77.19	48.24	908.26	72.66	45.41
पंजाब	25.80	2.06	1.29	105.46	8.44	5.27	34.70	2.78	1.74	121.05	9.68	6.05	130.06	10.40	6.50
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	286.17	22.89	17.17	75.14	6.01	4.51	56.25	4.50	3.37	167.46	13.40	10.05	213.98	17.12	12.84
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32	2.51	1.57	30.83	2.47	1.54
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.22	0.14	3.04	0.24	0.15
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.05	0.03	0.84	0.07	0.04
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49	6.36	3.18	132.55	10.60	5.30
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	4.63	2.90	75.21	6.02	3.76
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	1.12	0.66	33.32	2.67	1.33	38.64	3.09	1.55
गुजरात	423.09	42.31	25.39	270.77	27.08	16.25	263.00	24.33	15.78	604.16	48.33	36.25	369.34	29.55	21.70
कुल	2618.06	253.68	138.16	4257.03	417.45	216.51	1525.97	136.60	80.33	10355.05	828.40	530.66	10696.44	855.72	534.69

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	294.53	24.92	15.00

अनुलग्नक -3.07 (पैरा 3.2.3)
 अवसंरचना शेरिंग प्रभार के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	अवसंरचना राजस्व शेरिंग प्रभार														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुंबई	588.85	58.89	32.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.37	9.07	5.67	207.86	16.63	10.39
तमिलनाडु	99.63	9.96	4.98	173.10	17.31	8.66	81.96	7.79	4.10	45.59	3.65	2.28	60.33	4.83	3.02
केरल	76.96	6.16	3.85	66.85	5.35	3.34	48.58	3.89	2.43	52.41	4.19	2.62	32.98	2.64	1.65
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	68.25	5.46	4.10	60.20	4.82	3.61	39.55	3.16	2.37	-	-	-	-	-	-
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.76	5.02	3.48	59.22	4.74	3.08
दिल्ली	20.85	2.09	1.18	33.34	3.33	1.89	34.36	3.26	1.95	21.44	1.71	1.22	44.26	3.54	2.34
पश्चिम बंगाल	234.62	18.77	14.08	-	-	-	54.42	4.35	3.27	-	-	-	-	-	-
आन्ध्र प्रदेश	296.55	29.66	8.90	92.38	9.24	2.77	43.33	4.12	1.30	352.98	28.24	10.59	138.22	11.06	4.23
कर्नाटक	201.05	20.11	8.04	261.09	26.11	10.44	584.09	55.49	23.36	387.71	31.02	15.51	170.78	13.66	7.13
चैन्नई	513.53	51.35	25.68	41.34	4.13	2.07	131.93	12.53	6.60	41.74	3.34	2.09	53.16	4.25	2.66
पंजाब	477.92	38.23	23.90	333.08	26.65	16.65	330.08	26.41	16.50	274.70	21.98	13.73	130.56	10.45	6.53
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	57.38	4.59	3.44	20.99	1.68	1.26	-	-	-	23.00	1.84	1.38	45.85	3.67	2.75
उड़ीसा	294.02	17.64	14.70	521.39	31.28	26.07	504.92	32.82	25.25	528.23	42.26	26.41	475.12	38.01	23.76
असम	349.24	20.95	17.46	505.63	30.34	25.28	559.33	36.36	27.97	719.18	57.53	35.96	779.93	62.39	39.00
नार्थ ईस्ट	200.00	12.00	10.00	333.82	20.03	16.69	462.47	30.06	23.12	506.73	40.54	25.34	566.51	45.32	28.33
बिहार	3,905.41	234.32	156.22	4,834.42	290.07	193.38	6,037.02	392.41	241.48	1,606.16	128.49	64.25	3,822.96	305.84	152.92
जम्मू एवं कश्मीर	38.91	2.33	1.95	-	-	-	-	-	-	943.12	75.45	-	411.27	32.90	20.56
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.41	25.07	-	418.47	33.48	20.92
हिमाचल प्रदेश	36.82	2.21	1.47	125.35	7.52	5.01	144.00	9.36	5.76	234.98	18.80	9.40	496.10	39.69	19.84
गुजरात	64.09	3.85	3.85	31.94	3.19	1.92	15.63	1.02	0.94	13.09	1.05	0.79	5.94	0.48	0.35
कुल	7,524.09	538.57	336.52	7,434.92	481.05	319.04	9,071.68	623.02	386.39	6,240.60	499.25	220.70	7,919.53	633.56	349.45

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	381.91	27.75	16.12

अनुलग्नक - 3.08 (पैरा 3.2.4)

विदेशी मुद्रा विनिमय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	13.50	1.35	0.75	180.67	18.07	10.05	44.83	4.15	2.49	441.46	35.32	24.55	829.20	66.34	43.42
महाराष्ट्र	29.14	2.91	1.46	252.70	25.27	12.63	595.43	55.08	29.77	181.46	14.52	9.07	11.17	0.89	0.56
तमिलनाडु	36.82	3.68	1.84	686.03	68.60	34.30	29.33	2.71	1.47	90.65	7.25	4.53	311.95	24.96	15.60
केरल	18.29	1.46	0.91	240.65	19.25	12.03	152.22	12.18	7.61	55.45	4.44	2.77	560.87	44.87	28.04
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	65.30	5.22	3.92	503.57	40.29	30.21	17.99	1.44	1.08	51.35	4.11	3.08	123.18	9.85	7.24
राजस्थान	9.91	0.79	0.30	92.85	7.43	2.79	42.73	3.42	1.28	6.11	0.49	0.18	212.64	17.01	6.61
हरियाणा	0.55	0.04	0.03	34.33	2.75	2.06	0.14	0.01	0.01	16.54	1.32	0.99	222.56	17.81	13.13
कोलकाता	39.78	3.98	2.21	433.26	43.33	24.05	26.26	2.43	1.46	117.53	9.40	6.52	367.99	29.44	19.13
दिल्ली	129.49	12.95	7.34	319.22	31.92	18.10	220.74	20.42	12.52	119.29	9.54	6.76	37.05	2.96	1.96
पश्चिम बंगाल	29.20	2.34	1.75	461.92	36.95	27.71	84.73	6.78	5.08	60.16	4.81	3.61	178.14	14.25	10.69
आन्ध्र प्रदेश	14.35	1.43	0.43	98.21	9.82	2.95	0.17	0.02	0.01	3.08	0.25	0.09	182.67	14.61	5.59
कर्नाटक	65.01	6.50	2.60	159.08	15.91	6.36	39.15	3.62	1.57	88.20	7.06	3.53	346.27	27.70	14.46
चेन्नई	14.35	1.43	0.72	88.51	8.85	4.43	41.57	3.85	2.08	50.27	4.02	2.51	115.83	9.27	5.79
पंजाब	8.06	0.64	0.40	14.84	1.19	0.74	7.69	0.62	0.38	24.20	1.94	1.21	174.42	13.95	8.72
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	63.71	5.10	3.82	278.17	22.25	16.69	55.65	4.45	3.34	26.47	2.12	1.59	249.55	19.96	14.97
एन एल डी	423.40	25.40	0.00	105.03	6.30	0.00	123.13	8.31	0.00	224.17	17.93	0.00	125.19	10.02	0.00
आई एल डी	306.54	18.39	0.00	1710.90	102.65	0.00	275.97	18.63	0.00	407.89	32.63	0.00	496.31	39.71	0.00
उड़ीसा	15.78	0.95	0.79	48.98	2.94	2.45	10.06	0.68	0.50	10.00	0.80	0.50	108.32	8.67	5.42
असम	8.50	0.51	0.43	129.51	7.77	6.48	24.61	1.66	1.23	16.06	1.28	0.80	133.52	10.68	6.68
नार्थ ईस्ट	2.28	0.14	0.11	10.30	0.62	0.52	7.79	0.53	0.39	4.76	0.38	0.24	83.39	6.67	4.17
बिहार	24.42	1.47	0.98	45.61	2.74	1.82	30.74	2.07	1.23	66.24	5.30	2.65	50.58	4.05	2.02
जम्मू एवं कश्मीर	6.24	0.37	0.31	46.09	2.77	2.30	15.29	1.03	0.76	13.10	1.05	0.66	50.06	4.01	2.50
मध्य प्रदेश	39.10	3.13	1.95	38.57	3.09	1.93	24.82	1.99	1.24	23.97	1.92	1.20	144.43	11.55	7.22
हिमाचल प्रदेश	2.26	0.14	0.09	10.23	0.61	0.41	4.08	0.28	0.16	2.33	0.19	0.09	16.50	1.32	0.66
गुजरात	40.57	4.06	2.43	77.47	7.75	4.65	52.53	4.86	3.15	45.79	3.66	2.75	227.78	18.22	13.38
कुल	1406.55	104.40	35.58	6066.71	489.11	225.66	1927.66	161.19	78.81	2146.54	171.72	79.89	5359.59	428.77	237.96

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	169.07	13.55	6.58

अनुलग्नक - 3.09 (पैरा 3.2.5)
ब्याज आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	45649.59	4564.96	2538.12	66965.03	6696.50	3723.26	78561.14	7266.91	4368.00	70865.84	5669.27	3940.14	81862.70	6549.02	4286.15
महाराष्ट्र	34.92	3.49	1.75	0.00	0.00	0.00	822.99	76.13	41.15	1855.84	148.47	92.79	1185.58	94.85	59.28
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	4.11	0.33	0.21	0.27	0.02	0.01	0.77	0.06	0.04	0.40	0.03	0.02	5.88	0.47	0.29
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	50.08	4.01	3.00	1221.81	97.74	73.31	1201.90	96.15	72.11	366.30	29.30	21.98	43.31	0.00	2.55
राजस्थान	3.65	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	1.11	0.09	0.07	408.51	32.68	24.51	0.00	0.00	0.00	493.17	39.45	29.59	425.25	34.02	25.09
कोलकाता	7347.63	734.76	407.79	8545.28	854.53	474.26	7212.32	667.14	400.28	558.78	44.70	31.01	5190.86	415.27	269.87
दिल्ली	25207.74	2520.77	1429.28	18867.50	1886.75	1069.79	11546.74	1068.07	654.70	4175.86	334.07	236.77	7865.26	629.22	415.20
पश्चिम बंगाल	6.09	0.49	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1140.30	114.03	45.61	7811.05	781.11	312.44	19464.21	1800.44	778.57	24240.75	1939.26	969.63	29674.41	2373.95	1239.50
चैन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.13	0.08	4.77	0.38	0.24
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3.07	0.25	0.18	1.04	0.08	0.06	1.53	0.12	0.09	1.89	0.15	0.11	2.04	0.16	0.12
एन एल डी	0.53	0.03	0.00	17737.06	1064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	2174.31	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	2.97	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	16.88	10.55
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.93	0.06	0.05	0.90	0.05	0.05	0.44	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.71	0.06	0.04
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	69.53	4.17	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1483.54	148.35	89.01	1724.34	172.43	103.46	1273.17	117.77	76.39	3375.85	270.07	202.55	38168.08	3053.45	2242.51
कुल	81005.79	8096.26	4518.47	125457.09	11716.59	5781.15	120085.21	11092.82	6391.36	105936.33	8474.91	5524.68	164639.85	13167.72	8551.39

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	5971.24	525.48	307.67

अनुलग्नक - 3.10 (पैरा 3.2.6)
लाभांश आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष								
	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वी आई एल)									
मुम्बई	40498.38	3746.10	2251.71	21999.12	1759.93	1223.15	164058.66	13124.69	8589.75

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	2265.56	186.31	120.65

अनुलग्नक - 3.11 (पैरा 3.2.7)
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	101.90	10.19	5.67	21.28	2.13	1.18	57.42	5.31	3.19	58.77	4.70	3.27	1388.49	111.08	72.70
वीआईएल कोरपोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.83	3.03	0.00	26.52	2.12	0.00
महाराष्ट्र	1677.18	167.72	83.86	2090.62	209.06	104.53	311.59	28.82	15.58	750.69	60.06	37.53	987.50	79.00	49.37
तमिलनाडु	929.92	92.99	46.50	19.56	1.96	0.98	309.26	28.61	15.46	260.63	20.85	13.03	782.54	62.60	39.13
केरल	46.83	3.75	2.34	726.82	58.15	36.34	538.07	43.05	26.90	146.63	11.73	7.33	252.67	20.21	12.63
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	222.60	17.81	13.36	2562.31	204.99	153.74	201.27	16.10	12.08	1343.71	107.50	80.62	1587.61	127.01	93.31
राजस्थान	12.93	1.03	0.39	2069.47	165.56	62.08	363.17	29.05	10.90	652.38	52.19	19.57	2697.59	215.81	83.82
हरियाणा	89.49	7.16	5.37	1159.13	92.73	69.55	109.04	8.72	6.54	116.82	9.35	7.01	324.12	25.93	19.13
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	29.91	2.99	1.66	12.91	1.19	0.72	19.86	1.59	1.10	56.20	4.50	2.92
दिल्ली	24.35	2.43	1.38	34.66	3.47	1.97	1616.59	149.53	91.66	35.19	2.82	2.00	538.04	43.04	28.40
पश्चिम बंगाल	561.80	44.94	33.71	195.82	15.67	11.75	1099.08	87.93	65.94	742.57	59.41	44.55	1050.86	84.07	63.05
आन्ध्र प्रदेश	776.49	77.65	23.29	1288.43	128.84	38.65	22.00	2.03	0.66	625.79	50.06	18.77	1973.80	157.90	60.40
कर्नाटक	59.57	5.96	2.38	666.57	66.66	26.66	317.94	29.41	12.72	755.50	60.44	30.22	3227.70	258.22	134.82
चैन्नई	65.53	6.55	3.28	29.29	2.93	1.46	2.11	0.20	0.11	6.42	0.51	0.32	10.58	0.85	0.53
पंजाब	13.94	1.11	0.70	8.90	0.71	0.44	22.23	1.78	1.11	42.51	3.40	2.13	554.86	44.39	27.74
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	110.91	8.87	6.65	1489.60	119.17	89.38	24.67	1.97	1.48	56.56	4.53	3.39	1853.32	148.27	111.20
एन एल डी	1393.47	83.61	0.00	156.54	9.39	0.00	2323.07	156.81	0.00	140.57	11.25	0.00	486.32	38.91	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	1.41	0.00
उड़ीसा	5.75	0.35	0.29	128.62	7.72	6.43	1796.52	121.27	89.83	533.45	42.68	26.67	1326.44	106.12	66.32
असम	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53	14.95	11.08	122.52	9.80	6.13	1088.80	87.10	54.44
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.66	7.33	4.58	323.55	25.88	16.18
बिहार	2.20	0.13	0.09	38.74	2.32	1.55	737.55	49.78	29.50	92.85	7.43	3.71	750.95	60.08	30.04
जम्मू एवं कश्मीर	176.66	10.60	8.83	0.00	0.00	0.00	3.65	0.25	0.18	21.64	1.73	1.08	333.88	26.71	16.69
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	194.28	15.54	9.71	2.49	0.20	0.12	357.31	28.59	17.87	143.31	11.46	7.17
हिमाचल प्रदेश	0.17	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	35.04	2.37	1.40	9.22	0.74	0.37	217.41	17.39	8.70
गुजरात	263.50	26.35	15.81	2018.66	201.87	121.12	420.59	38.90	25.24	201.17	16.09	12.07	3725.31	298.02	218.87
कुल	6535.20	569.22	253.90	14929.19	1311.84	739.19	10547.78	818.24	422.40	7222.23	577.78	343.34	25726.04	2058.08	1217.57

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	649.60	53.35	29.76

अनुलग्नक - 3.12 (पैरा 3.2.8)
विविध आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.26	17.60	10.58	14.83	1.19	0.82	2.45	0.20	0.13
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.49	21.72	13.57
केरल	45.45	3.64	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.53	0.00	3.56
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	4.59	2.75	0.00	0.00	0.00	0.60	0.05	0.03
दिल्ली	95.67	9.57	5.42	78.90	7.89	4.47	26.92	2.49	1.53	5.83	0.47	0.33	4.40	0.35	0.23
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.05	0.02
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.03	0.01
चैन्नई	4.54	0.45	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85	3.51	2.19
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	37.09	2.97	1.85
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.09	0.07
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	16.61	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	7.44	0.45	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.57	13.09	8.18
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2.72	1.36	0.05	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	0.58	0.43	3.37	0.27	0.17	0.06	0.01	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	49.13	4.91	2.95	94.11	9.41	5.65	0.16	0.01	0.01	45.22	3.62	2.71	14.45	1.16	0.85
कुल	211.40	19.57	10.87	180.46	17.75	10.49	276.38	25.34	15.34	103.25	8.26	5.40	600.81	43.22	30.71

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	13.72	1.14	0.73

अनुलग्नक - 3.13 (पैरा 3.2.9)
 बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों के घटाने (नेट-ऑफ) के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
मुम्बई	3034.28	303.43	168.71	1566.13	156.61	87.08	1818.45	168.21	101.11	1639.86	131.19	91.18	3927.30	314.18	205.62
महाराष्ट्र	905.76	90.58	45.29	252.70	25.27	12.64	612.43	56.65	30.62	645.96	51.68	32.30	800.49	64.04	40.02
तमिलनाडु	251.38	25.14	12.57	149.85	14.99	7.49	234.61	21.70	11.73	270.11	21.61	13.51	362.45	29.00	18.12
केरल	333.77	26.70	16.69	231.73	18.54	11.59	232.23	18.58	11.61	102.03	8.16	5.10	178.89	14.31	8.94
उत्तरप्रदेश(पूर्व)	286.00	22.88	17.16	258.18	20.65	15.49	296.35	23.71	17.78	567.06	45.37	34.02	488.09	39.05	28.69
राजस्थान	371.28	29.70	11.14	112.42	8.99	3.37	248.99	19.92	7.47	107.11	8.57	3.21	410.99	32.88	12.77
हरियाणा	61.67	4.93	3.70	82.61	6.61	4.96	175.93	14.07	10.56	228.75	18.30	13.73	335.47	26.84	19.79
कोलकाता	458.22	45.82	25.43	430.30	43.03	23.88	377.88	34.95	20.97	526.55	42.12	29.22	605.08	48.41	31.46
दिल्ली	3640.39	364.04	206.41	830.39	83.04	47.08	1732.05	160.21	98.21	1954.59	156.37	110.83	2679.87	214.39	141.47
पश्चिम बंगाल	171.35	13.71	10.28	147.92	11.83	8.88	188.84	15.11	11.33	140.69	11.26	8.44	208.96	16.72	12.54
आन्ध्र प्रदेश	819.96	82.00	24.60	158.88	15.89	4.77	334.87	30.98	10.05	291.28	23.30	8.74	382.10	30.57	11.69
कर्नाटक	942.76	94.28	37.71	196.03	19.60	7.84	370.89	34.31	14.84	370.27	29.62	14.81	480.11	38.41	20.05
चैन्नई	222.56	22.26	11.13	254.90	25.49	12.75	319.57	29.56	15.98	374.01	29.92	18.70	382.03	30.56	19.10
पंजाब	192.25	15.38	9.61	178.17	14.25	8.91	213.33	17.07	10.67	231.91	18.55	11.60	482.93	38.63	24.15
उत्तर प्रदेश (प)	285.12	22.81	17.11	168.94	13.51	10.14	182.42	14.59	10.94	171.96	13.76	10.32	236.70	18.94	14.20
उड़ीसा	22.76	1.37	1.14	7.27	0.44	0.36	20.30	1.37	1.01	531.20	42.50	26.56	119.27	9.54	5.96
असम	6.99	0.42	0.35	2.92	0.18	0.15	24.36	1.64	1.22	297.32	23.79	14.87	96.67	7.73	4.83
नार्थ ईस्ट	1.92	0.12	0.10	5.19	0.31	0.26	11.19	0.76	0.56	264.45	21.16	13.22	64.48	5.16	3.22
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	0.99	0.59	362.44	28.99	14.50	76.98	6.16	3.08
जम्मू एवं कश्मीर	50.73	3.04	2.54	17.75	1.07	0.89	5.90	0.40	0.29	46.35	3.71	2.32	45.34	3.63	2.27
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.99	0.16	0.10	8.79	0.70	0.44	96.88	7.75	4.84	181.14	14.49	9.06
हिमाचल प्रदेश	1.64	0.10	0.07	3.30	0.20	0.13	10.37	0.70	0.41	243.94	19.52	9.76	16.40	1.31	0.66
गुजरात	859.75	85.98	51.59	651.89	65.19	39.11	712.69	65.92	42.76	849.27	67.94	50.96	1071.69	85.74	62.97
कुल	12920.52	1254.66	673.30	5709.46	545.85	307.85	8147.17	732.11	431.15	10314.02	825.12	542.72	13633.42	1090.67	700.68

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वोडाफोन ग्रुप	507.25	44.48	26.56

अनुलग्नक - 3.14 [पैरा 3.2.11]
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	60		48		36		24		12		कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%	15		16.75		16.45		16.75		16.75		
			मामले	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1.	3.2.1 अ	3.01	मार्जिन / कमीशन	5098.79	2973.38	5384.97	3042.38	4997.02	2947.93	3362.89	2153.78	1530.12	964.65	32455.92
2.	3.2.1 ब	3.02 से 3.05	एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो/बोनस टाक टाइम	1539.30	900.14	1679.75	987.96	1381.84	833.97	1258.08	784.87	565.78	349.29	10280.97
3.	3.2.2	3.06	आई ओ टी छूट	280.87	152.97	394.57	204.65	86.41	50.81	326.98	209.45	154.86	96.77	1958.35
4.	3.2.3	3.07	अवसंरचना शेयरिंग राजस्व	596.29	372.59	454.69	301.56	394.10	244.42	197.06	87.11	114.66	63.24	2825.71
5.	3.2.4	3.08	विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स)	115.58	39.40	462.31	213.29	101.96	49.85	67.78	31.53	77.60	43.07	1202.37
6.	3.2.5	3.09	ब्याज आय	8964.03	5002.77	11074.57	5464.37	7016.85	4042.90	3345.09	2180.62	2383.05	1547.60	51021.85
7.	3.2.6	3.10	लाभांश आय	0.00	0.00	0.00	0.00	2369.63	1424.34	694.65	482.78	2375.26	1554.54	8901.21
8.	3.2.7	3.11	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	630.23	281.11	1239.95	698.69	517.58	267.19	228.05	135.52	372.46	220.35	4591.14
9.	3.2.8	3.12	विविध आय	21.66	12.04	16.78	9.92	16.03	9.70	3.26	2.13	7.82	5.56	104.90
10	3.2.9	3.13	बट्टे खाते में डाली गई अशोध्य ऋणों की कटौती	1389.14	745.46	515.94	290.98	463.10	272.73	325.68	214.21	197.39	126.81	4541.44
			कुल	18635.89	10479.86	21223.53	11213.8	17344.52	10143.84	9809.52	6282	7779	4971.88	117883.86

अर्थात् ₹ 1178.84 करोड़

अनुलग्नक -4.01 [पैरा 4.2.1(अ)]
डीलरों/वितरकों को भुगतान किये गये मार्जिन/कमीशन/छूट के राजस्व को घटाये (नेट-आफ) जाने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	4,960.93	496.09	259.58	5,819.20	581.92	328.78	6,467.80	598.27	365.43	7,820.73	625.66	441.87	9,218.38	737.47	520.84
असम	107.08	6.42	2.52	160.70	9.64	5.38	200.11	13.51	6.70	54.25	4.34	2.04	393.84	31.51	17.72
बिहार	1,533.38	92.00	36.03	1,867.35	112.04	48.55	2,207.25	148.99	73.94	2,726.96	218.16	111.81	3,239.32	259.15	140.91
दिल्ली	2,506.91	250.69	111.56	3,303.31	330.33	180.03	3,699.43	342.20	201.62	4,185.44	334.84	228.11	4,664.47	373.16	254.21
गुजरात	3,418.66	341.87	141.36	3,891.26	389.13	177.05	4,294.86	397.27	195.42	5,292.49	423.40	240.81	6,850.35	548.03	318.20
हरियाणा	1,469.99	117.60	57.81	1,913.10	153.05	83.22	2,135.77	170.86	92.91	2,552.27	204.18	111.02	3,031.35	242.51	138.61
हिमाचल प्रदेश	194.27	11.66	5.78	225.06	13.50	7.54	289.65	19.55	9.70	364.49	29.16	12.21	481.07	38.49	16.12
जम्मू एवं कश्मीर	47.57	2.85	1.42	105.59	6.34	3.54	152.94	10.32	5.12	166.41	13.31	5.57	341.11	27.29	13.64
कर्नाटक	1,866.75	186.67	67.20	2,612.25	261.22	113.63	3,077.75	284.69	133.88	3,851.65	308.13	167.55	4,732.17	378.57	216.50
केरल	5,037.06	402.96	258.78	5,743.87	459.51	318.78	6,226.13	498.09	345.55	7,591.06	607.28	421.30	9,123.27	729.86	506.34
कोलकाता	198.02	19.80	4.46	375.68	37.57	12.21	503.86	46.61	16.38	509.92	40.79	18.64	631.98	50.56	27.49
मध्य प्रदेश	5,470.59	437.65	275.31	6,490.00	519.20	353.71	6,972.99	557.84	380.03	8,767.23	701.38	477.81	10,899.62	871.97	594.03
महाराष्ट्र	7,674.42	767.44	445.12	9,313.12	931.31	610.01	9,267.19	857.22	607.00	11,450.87	916.07	750.03	14,374.92	1,149.99	916.22
मुम्बई	1,379.70	137.97	31.04	1,954.59	195.46	63.52	2,193.31	202.88	71.28	2,598.43	207.87	84.45	2,945.22	235.62	100.36
नार्थ ईस्ट	60.40	3.62	1.42	134.25	8.06	4.50	175.80	11.87	5.89	200.02	16.00	7.53	301.11	24.09	14.22
उड़ीसा	251.28	15.08	5.91	311.78	18.71	10.44	391.04	26.40	13.10	391.37	31.31	14.74	532.42	42.59	23.96
पंजाब	2,289.87	183.19	101.90	2,826.30	226.10	154.03	3,300.87	264.07	179.90	3,663.19	293.06	199.64	3,945.36	315.63	215.02
राजस्थान	1,380.40	110.43	49.00	1,903.28	152.26	86.60	2,362.53	189.00	107.50	3,266.75	261.34	148.64	3,855.37	308.43	175.42
तमिलनाडु	380.20	38.02	8.93	886.79	88.68	29.71	1,200.56	111.05	40.22	1,271.43	101.71	48.95	2,096.57	167.73	91.20
उत्तर प्रदेश (पु)	2,396.60	191.73	94.67	2,975.96	238.08	132.43	3,159.85	252.79	140.61	3,710.03	296.80	165.10	4,243.50	339.48	188.84
उत्तर प्रदेश (प)	4,208.59	336.69	213.59	5,024.31	401.94	273.83	5,070.42	405.63	276.34	6,342.60	507.41	345.67	7,318.73	585.50	398.87
पश्चिम बंगाल	301.59	24.13	7.09	499.45	39.96	16.73	712.48	57.00	23.87	906.16	72.49	37.88	1,351.65	108.13	74.34
कुल	47,134.26	4,174.57	2,180.46	58,337.20	5,174.01	3,014.23	64,062.60	5,466.11	3,292.38	77,683.77	6,214.70	4,041.38	94,571.77	7,565.74	4,963.06

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	3,417.90	285.95	174.92

अनुलग्नक -4.02 [पैरा 4.2.1(ब)]
पी ए टी/एफ ए टी/प्रोमो इत्यादि से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	13.34	1.23	0.75	109.97	8.80	6.21	-	-	-
असम	-	-	-	45.10	2.71	1.51	33.61	2.27	1.13	16.25	1.30	0.61	75.45	6.04	3.40
बिहार	211.17	12.67	4.96	1,876.05	112.56	48.78	1,265.92	85.45	42.41	53.92	4.31	2.21	31.69	2.54	1.38
दिल्ली	96.39	9.64	4.29	94.55	9.46	5.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	853.54	85.35	35.29	1,079.14	107.91	49.10	1,017.34	94.10	46.29	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	23.75	1.90	0.93	715.72	57.26	31.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	3,153.75	315.38	113.54	737.52	73.75	32.08	79.90	7.39	3.48	29.75	2.38	1.29	307.12	24.57	14.05
केरल	11,216.37	897.31	576.24	4,509.62	360.77	250.28	953.52	76.28	52.92	5,590.81	447.26	310.29	13,827.11	1,106.17	767.40
कोलकाता	-	-	-	274.35	27.44	8.92	180.29	16.68	5.86	-	-	-	26.56	2.13	1.16
मध्य प्रदेश	390.80	31.26	19.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	11,109.91	1,110.99	644.37	13,150.55	1,315.05	861.36	26,160.18	2,419.82	1,713.49	24,447.47	1,955.80	1,601.31	39,258.51	3,140.68	2,502.24
मुम्बई	528.05	52.80	11.88	3,463.93	346.39	112.58	4,425.10	409.32	143.82	3,829.89	306.39	124.47	4,151.90	332.15	141.48
नार्थ ईस्ट	-	-	-	38.94	2.34	1.30	40.28	2.72	1.35	-	-	-	58.58	4.69	2.77
उड़ीसा	-	-	-	69.47	4.17	2.33	61.76	4.17	2.07	1.72	0.14	0.06	33.29	2.66	1.50
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.92	19.51	13.29	-	-	-
राजस्थान	14,185.17	1,134.81	503.57	16,620.77	1,329.66	756.24	17,152.62	1,372.21	780.44	20,010.75	1,600.86	910.49	21,447.61	1,715.81	975.87
तमिलनाडु	99.07	9.91	2.33	1,448.75	144.88	48.53	1,423.88	131.71	47.70	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पू)	-	-	-	-	-	-	52.42	4.19	2.33	27.93	2.23	1.24	-	-	-
उत्तर प्रदेश (प)	249.68	19.97	12.67	6,590.63	527.25	359.19	-	-	-	9.56	0.76	0.52	-	-	-
पश्चिम बंगाल	69.33	5.55	1.63	284.76	22.78	9.54	228.20	18.26	7.64	-	-	-	-	-	-
कुल	42,186.99	3,687.55	1,931.38	50,999.83	4,444.37	2,578.03	53,088.36	4,645.80	2,851.68	54,371.95	4,349.76	2,972.01	79,217.83	6,337.43	4,411.23

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	2,798.65	234.65	147.44

अनुलग्नक -4.03 [पैरा 4.2.2]

पोस्टपेड राजस्व से व्यापार प्रचार व्ययों के समायोजन के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	12.44	1.24	0.70	39.88	3.69	2.25	50.47	4.04	2.85	44.80	3.58	2.53
असम	0.60	0.04	0.01	0.33	0.02	0.01	3.04	0.21	0.10	26.29	2.10	0.99	34.41	2.75	1.55
बिहार	36.80	2.21	0.86	44.19	2.65	1.15	24.34	1.64	0.82	17.06	1.37	0.70	39.86	3.19	1.73
दिल्ली	-	-	-	13.03	1.30	0.71	271.24	25.09	14.78	1,710.09	136.81	93.20	1,870.15	149.61	101.92
गुजरात	201.31	20.13	8.32	84.47	8.45	3.84	80.29	7.43	3.65	48.55	3.88	2.21	19.62	1.57	0.91
हरियाणा	99.94	8.00	3.93	350.57	28.05	15.25	220.63	17.65	9.60	603.28	48.26	26.24	364.46	29.16	16.66
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	176.20	17.62	6.34	244.71	24.47	10.64	313.22	28.97	13.63	372.74	29.82	16.21	436.04	34.88	19.95
केरल	558.49	44.68	28.69	585.27	46.82	32.48	428.08	34.25	23.76	518.92	41.51	28.80	668.84	53.51	37.12
कोलकाता	13.44	1.34	0.30	15.28	1.53	0.50	30.57	2.83	0.99	22.30	1.78	0.82	59.34	4.75	2.58
मध्य प्रदेश	74.25	5.94	3.74	166.67	13.33	9.08	345.26	27.62	18.82	705.59	56.45	38.45	442.17	35.37	24.10
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुंबई	35.85	3.58	0.81	49.17	4.92	1.60	43.26	4.00	1.41	7.68	0.61	0.25	-	-	-
नार्थ ईस्ट	0.67	0.04	0.02	0.04	0.00	0.00	0.47	0.03	0.02	3.32	0.27	0.12	3.34	0.27	0.16
उड़ीसा	0.11	0.01	0.00	0.59	0.04	0.02	1.86	0.13	0.06	3.71	0.30	0.14	-	-	-
पंजाब	407.45	32.60	18.13	402.14	32.17	21.92	319.54	25.56	17.41	259.91	20.79	14.17	17.04	1.36	0.93
राजस्थान	73.45	5.88	2.61	85.61	6.85	3.90	195.37	15.63	8.89	231.38	18.51	10.53	154.73	12.38	7.04
तमिलनाडु	36.45	3.65	0.86	5.46	0.55	0.18	20.46	1.89	0.69	25.32	2.03	0.97	86.38	6.91	3.76
उत्तर प्रदेश (पू)	19.87	1.59	0.79	12.25	0.98	0.55	8.76	0.70	0.39	8.46	0.68	0.38	72.34	5.79	3.22
उत्तर प्रदेश (प)	632.50	50.60	32.10	340.56	27.24	18.56	464.65	37.17	25.32	497.34	39.79	27.11	392.85	31.43	21.41
पश्चिम बंगाल	4.11	0.33	0.10	2.91	0.23	0.10	2.62	0.21	0.09	2.43	0.19	0.10	3.58	0.29	0.20
कुल	2,371.50	198.22	107.61	2,415.69	200.84	121.19	2,813.56	234.70	142.67	5,114.83	409.19	264.24	4,709.94	376.80	245.77

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	174.26	14.20	8.81

अनुलग्नक -4.04 [पैरा 4.2.3]
रोमिंग छूट के घटाने (नेट-आफ) के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्य/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	209.14	20.91	10.94	98.07	9.81	5.54	322.11	29.79	18.20	-	-	-	-	-	-
असम	0.04	0.00	0.00	9.29	0.56	0.31	25.98	1.75	0.87	-	-	-	1.27	0.10	0.06
बिहार	-	-	-	61.38	3.68	1.60	187.70	12.67	6.29	12.61	1.01	0.52	0.09	0.01	0.00
दिल्ली	195.51	19.55	8.70	408.53	40.85	22.27	389.85	36.06	21.25	1,035.82	82.87	56.45	263.92	21.11	14.38
गुजरात	5.98	0.60	0.25	172.14	17.21	7.83	146.37	13.54	6.66	306.29	24.50	13.94	87.29	6.98	4.05
हरियाणा	2.02	0.16	0.08	30.38	2.43	1.32	67.99	5.44	2.96	79.39	6.35	3.45	6.34	0.51	0.29
हिमाचल प्रदेश	0.88	0.05	0.03	15.94	0.96	0.53	58.59	3.96	1.96	6.20	0.50	0.21	6.79	0.54	0.23
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	0.40	0.02	0.01	1.66	0.11	0.06	0.30	0.02	0.01	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	330.73	33.07	14.39	124.80	11.54	5.43	380.12	30.41	16.54	84.64	6.77	3.87
केरल	136.97	10.96	7.04	86.53	6.92	4.80	32.04	2.56	1.78	5.67	0.45	0.31	0.38	0.03	0.02
कोलकाता	-	-	-	24.13	2.41	0.78	0.31	0.03	0.01	27.23	2.18	1.00	1.57	0.13	0.07
मध्य प्रदेश	-	-	-	111.99	8.96	6.10	190.93	15.27	10.41	14.31	1.14	0.78	59.13	4.73	3.22
महाराष्ट्र	-	-	-	589.53	58.95	38.61	162.84	15.06	10.67	1,432.26	114.58	93.81	400.81	32.06	25.55
मुंबई	-	-	-	665.20	66.52	21.62	1,043.97	96.57	33.93	266.83	21.35	8.67	-	-	-
नार्थ ईस्ट	-	-	-	2.78	0.17	0.09	5.51	0.37	0.18	-	-	-	0.35	0.03	0.02
उड़ीसा	-	-	-	12.94	0.78	0.43	47.20	3.19	1.58	1.37	0.11	0.05	3.21	0.26	0.14
पंजाब	13.53	1.08	0.60	43.78	3.50	2.39	76.78	6.14	4.18	129.41	10.35	7.05	40.08	3.21	2.18
राजस्थान	20.13	1.61	0.71	134.32	10.75	6.11	199.68	15.97	9.09	94.01	7.52	4.28	12.43	0.99	0.57
तमिलनाडु	-	-	-	20.89	2.09	0.70	19.27	1.78	0.65	64.69	5.18	2.49	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पू)	75.05	6.00	2.96	94.71	7.58	4.21	252.77	20.22	11.25	14.98	1.20	0.67	24.02	1.92	1.07
उत्तर प्रदेश (प)	15.51	1.24	0.79	296.21	23.70	16.14	145.60	11.65	7.93	153.45	12.28	8.36	169.68	13.57	9.25
पश्चिम बंगाल	-	-	-	83.01	6.64	2.78	92.26	7.38	3.09	2.90	0.23	0.12	2.85	0.23	0.16
कुल	674.74	62.17	32.10	3,292.88	307.56	158.59	3,594.23	311.07	158.41	4,027.84	322.23	218.71	1,164.86	93.19	65.13

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	127.55	10.96	6.33

अनुलग्नक -4.05 [पैसा 4.2.4]

अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ अवसंरचना सांझेदारी से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	155.27	15.53	8.12	176.15	17.62	9.95	53.38	4.94	3.02	185.69	14.85	10.49	149.88	11.99	8.47
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	44.63	4.46	2.43	12.35	1.14	0.67	43.31	3.47	2.36	48.66	3.89	2.65
गुजरात	22.94	2.29	0.95	23.12	2.31	1.05	-	-	-	26.41	2.11	1.20	15.59	1.25	0.72
हरियाणा	144.82	11.59	5.69	92.86	7.43	4.04	46.08	3.69	2.00	49.80	3.98	2.17	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	343.48	20.61	10.22	376.20	22.57	12.60	66.75	4.51	2.24	405.81	32.46	13.59	386.55	30.92	12.95
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल	120.83	9.67	6.21	78.07	6.25	4.33	62.77	5.02	3.48	133.34	10.67	7.40	93.19	7.46	5.17
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,233.24	98.66	62.06	1,086.99	86.96	59.24	1,541.10	123.29	83.99	3,215.90	257.27	175.27	2,639.00	211.12	143.83
महाराष्ट्र	3,972.33	397.23	230.40	5,684.04	568.40	372.30	6,314.69	584.11	413.61	6,259.13	500.73	409.97	4,267.93	341.43	272.03
मुंबई	-	-	-	40.33	4.03	1.31	-	-	-	42.34	3.39	1.38	-	-	-
नार्थ ईस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	21.19	1.70	0.75	11.23	0.90	0.51	9.53	0.76	0.43	81.70	6.54	3.72	110.79	8.86	5.04
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पू)	5.30	0.42	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (प)	67.36	5.39	3.42	60.40	4.83	3.29	59.22	4.74	3.23	109.71	8.78	5.98	123.06	9.84	6.71
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	6,086.77	563.08	328.03	7,674.03	725.76	471.07	8,165.87	732.19	512.68	10,553.14	844.25	633.53	7,834.65	626.77	457.57

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	403.14	34.92	24.03

अनुलग्नक -4.06 [पैरा 4.2.5]
स्विच शेयरिंग राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव
(₹ लाख में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष					
	2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	506.07	50.61	26.48	64.02	6.40	3.62
असम	31.02	1.86	0.73	13.90	0.83	0.47
बिहार	238.42	14.31	5.60	71.76	4.31	1.87
दिल्ली	3,131.41	313.14	139.35	2,003.48	200.35	109.19
गुजरात	1,113.39	111.34	46.04	95.66	9.57	4.35
हरियाणा	714.88	57.19	28.11	154.29	12.34	6.71
हिमाचल प्रदेश	205.33	12.32	6.11	28.18	1.69	0.94
जम्मू एवं कश्मीर	35.78	2.15	1.06	17.02	1.02	0.57
कर्नाटक	196.20	19.62	7.06	99.04	9.90	4.31
केरल	209.14	16.73	10.74	113.30	9.06	6.29
कोलकाता	63.00	6.30	1.42	76.29	7.63	2.48
मध्य प्रदेश	866.57	69.33	43.61	123.12	9.85	6.71
महाराष्ट्र	764.55	76.45	44.34	184.16	18.42	12.06
मुम्बई	995.42	99.54	22.40	162.02	16.20	5.27
नार्थ ईस्ट	22.92	1.38	0.54	9.64	0.58	0.32
उड़ीसा	73.99	4.44	1.74	32.03	1.92	1.07
पंजाब	391.99	31.36	17.44	116.45	9.32	6.35
राजस्थान	697.40	55.79	24.76	118.48	9.48	5.39
तमिलनाडु	120.94	12.09	2.84	98.70	9.87	3.31
उत्तर प्रदेश (पू)	582.32	46.59	23.00	164.16	13.13	7.31
उत्तर प्रदेश (प)	1,008.18	80.65	51.17	309.17	24.73	16.85
पश्चिम बंगाल	48.86	3.91	1.15	46.67	3.73	1.56
कुल	12,017.79	1,087.09	505.70	4,101.56	380.34	206.99

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	161.19	14.67	7.13

अनुलग्नक -4.07 [पैरा 4.2.6]
 अविभाजित राइट टू यूज (आई आर यू) के मद के राजस्व को शामिल न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	621.26	37.28	-	1,271.81	76.31	-	2,279.78	153.89	-	3,274.15	261.93	-	3,476.71	278.14	-

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	109.24	8.08	-

अनुलग्नक -4.08 [पैरा 4.2.7]
फोरेक्स लाभ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	176.65	17.67	9.24	6,540.45	654.05	369.54	526.55	48.71	29.75	290.75	23.26	16.43	110.51	8.84	6.24
असम	0.59	0.04	0.01	3.75	0.23	0.13	9.87	0.67	0.33	12.37	0.99	0.47	5.93	0.47	0.27
बिहार	193.99	11.64	4.56	284.50	17.07	7.40	282.71	19.08	9.47	1,204.46	96.36	49.38	357.93	28.63	15.57
दिल्ली	139.06	13.91	6.19	255.29	25.53	13.91	430.70	39.84	23.47	175.96	14.08	9.59	59.24	4.74	3.23
गुजरात	59.53	5.95	2.46	87.01	8.70	3.96	291.36	26.95	13.26	81.86	6.55	3.72	54.75	4.38	2.54
हरियाणा	26.43	2.11	1.04	103.12	8.25	4.49	182.85	14.63	7.95	130.73	10.46	5.69	30.83	2.47	1.41
हिमाचल प्रदेश	0.95	0.06	0.03	3.85	0.23	0.13	16.56	1.12	0.55	5.04	0.40	0.17	2.93	0.23	0.10
जम्मू एवं कश्मीर	10.13	0.61	0.30	2.21	0.13	0.07	9.64	0.65	0.32	8.52	0.68	0.29	2.60	0.21	0.10
कर्नाटक	768.15	76.82	27.65	98.79	9.88	4.30	263.70	24.39	11.47	80.79	6.46	3.51	44.73	3.58	2.05
केरल	148.34	11.87	7.62	337.36	26.99	18.72	520.41	41.63	28.88	324.58	25.97	18.01	79.66	6.37	4.42
कोलकाता	53.14	5.31	1.20	24.26	2.43	0.79	33.65	3.11	1.09	25.58	2.05	0.93	8.99	0.72	0.39
मध्य प्रदेश	16.23	1.30	0.82	86.47	6.92	4.71	392.97	31.44	21.42	103.78	8.30	5.66	36.20	2.90	1.97
महाराष्ट्र	76.14	7.61	4.42	357.44	35.74	23.41	694.10	64.20	45.46	220.69	17.65	14.45	225.64	18.05	14.38
मुम्बई	10.10	1.01	0.23	58.94	5.89	1.92	181.54	16.79	5.90	99.78	7.98	3.24	36.55	2.92	1.25
नार्थ ईस्ट	3.89	0.23	0.09	2.18	0.13	0.07	7.99	0.54	0.27	5.20	0.42	0.20	11.72	0.94	0.55
उड़ीसा	50.45	3.03	1.19	27.16	1.63	0.91	19.85	1.34	0.66	23.50	1.88	0.89	19.94	1.60	0.90
पंजाब	87.23	6.98	3.88	93.58	7.49	5.10	201.57	16.13	10.99	68.04	5.44	3.71	45.87	3.67	2.50
राजस्थान	5.31	0.43	0.19	31.91	2.55	1.45	147.48	11.80	6.71	57.61	4.61	2.62	14.85	1.19	0.68
तमिलनाडु	101.42	10.14	2.38	90.34	9.03	3.03	74.50	6.89	2.50	87.99	7.04	3.39	24.98	2.00	1.09
उत्तर प्रदेश (पू)	139.74	11.18	5.52	411.13	32.89	18.30	300.54	24.04	13.37	96.54	7.72	4.30	48.84	3.91	2.17
उत्तर प्रदेश (प)	140.18	11.21	7.11	511.74	40.94	27.89	568.55	45.48	30.99	235.31	18.82	12.82	104.27	8.34	5.68
पश्चिम बंगाल	16.46	1.32	0.39	37.75	3.02	1.26	45.64	3.65	1.53	73.87	5.91	3.09	55.04	4.40	3.03
एन एल डी- आइडिया	13.70	0.82	-	93.17	5.59	-	518.44	34.99	-	116.46	9.32	-	36.44	2.91	-
एन एल डी -18 स्पाईस	0.07	0.00	-	0.05	0.00	-	1.15	0.08	-	0.57	0.05	-	0.16	0.01	-
आई एल डी	102.14	6.13	-	308.10	18.49	-	393.64	26.57	-	804.85	64.39	-	407.13	32.57	-
आई एस पी	-	-	-	0.16	-	-	24.94	0.75	-	2.07	0.17	-	3.93	0.31	-
कुल	2,340.01	207.37	86.52	9,850.72	923.80	511.48	6,140.89	505.48	266.35	4,336.90	346.95	162.56	1,829.67	146.37	70.52

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	244.98	21.30	10.97

अनुलग्नक -4.09 [पैरा 4.3.1]
ब्याज आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	572.88	57.29	29.98	87.11	8.71	4.92	104.44	9.66	5.90	846.70	67.74	47.84	895.49	71.64	50.60
असम	10.75	0.64	0.25	2.10	0.13	0.07	2.88	0.19	0.10	29.21	2.34	1.10	35.67	2.85	1.61
बिहार	302.12	18.13	7.10	29.61	1.78	0.77	36.71	2.48	1.23	308.94	24.72	12.67	331.93	26.55	14.44
दिल्ली	355.71	35.57	15.83	55.99	5.60	3.05	65.92	6.10	3.59	533.66	42.69	29.08	549.03	43.92	29.92
गुजरात	432.96	43.30	17.90	65.74	6.57	2.99	77.49	7.17	3.53	591.99	47.36	26.94	658.92	52.71	30.61
हरियाणा	175.34	14.03	6.90	29.07	2.33	1.26	35.57	2.85	1.55	288.65	23.09	12.56	310.79	24.86	14.21
हिमाचल प्रदेश	23.57	1.41	0.70	3.62	0.22	0.12	4.82	0.33	0.16	40.18	3.21	1.35	46.48	3.72	1.56
जम्मू एवं कश्मीर	6.65	0.40	0.20	2.17	0.13	0.07	3.01	0.20	0.10	24.64	1.97	0.83	31.70	2.54	1.27
कर्नाटक	230.00	23.00	8.28	40.96	4.10	1.78	50.47	4.67	2.20	408.43	32.67	17.77	447.97	35.84	20.49
केरल	560.54	44.84	28.80	89.38	7.15	4.96	109.10	8.73	6.05	843.43	67.47	46.81	913.99	73.12	50.73
कोलकाता	24.42	2.44	0.55	6.49	0.65	0.21	9.06	0.84	0.29	71.95	5.76	2.63	78.11	6.25	3.40
मध्य प्रदेश	570.12	45.61	28.69	94.26	7.54	5.14	112.12	8.97	6.11	905.65	72.45	49.36	1,000.19	80.01	54.51
महाराष्ट्र	964.73	96.47	55.95	145.10	14.51	9.50	160.05	14.81	10.48	1,304.15	104.33	85.42	1,428.44	114.28	91.05
मुम्बई	194.64	19.46	4.38	33.61	3.36	1.09	40.61	3.76	1.32	330.05	26.40	10.73	346.17	27.69	11.80
नार्थ ईस्ट	5.99	0.36	0.14	1.68	0.10	0.06	2.32	0.16	0.08	22.38	1.79	0.84	23.86	1.91	1.13
उड़ीसा	26.64	1.60	0.63	4.50	0.27	0.15	5.86	0.40	0.20	47.43	3.79	1.79	51.71	4.14	2.33
पंजाब	324.37	25.95	14.43	48.56	3.88	2.65	58.10	4.65	3.17	440.82	35.27	24.02	466.75	37.34	25.44
राजस्थान	169.29	13.54	6.01	32.51	2.60	1.48	40.50	3.24	1.84	342.93	27.43	15.60	357.51	28.60	16.27
तमिलनाडु	46.77	4.68	1.10	13.16	1.32	0.44	18.39	1.70	0.62	151.44	12.11	5.83	189.06	15.13	8.22
उत्तर प्रदेश (पु)	275.69	22.06	10.89	47.19	3.77	2.10	56.61	4.53	2.52	428.17	34.25	19.05	438.71	35.10	19.52
उत्तर प्रदेश (प)	495.22	39.62	25.13	75.54	6.04	4.12	83.16	6.65	4.53	698.20	55.86	38.05	729.13	58.33	39.74
पश्चिम बंगाल	32.81	2.62	0.77	7.28	0.58	0.24	11.41	0.91	0.38	112.17	8.97	4.69	136.01	10.88	7.48
एन एल डी-आइडिया	664.01	39.84	-	116.57	6.99	-	150.37	10.15	-	1,188.25	95.06	-	1,173.18	93.85	-
एन एल डी -18 स्पाईस	3.35	0.20	-	0.06	0.00	-	0.33	0.02	-	5.86	0.47	-	5.30	0.42	-
आई एल डी	63.01	3.78	-	11.78	0.71	-	18.19	1.23	-	154.41	12.35	-	170.85	13.67	-
आई एस पी	-	-	-	0.20	-	-	1.19	0.04	-	21.14	1.69	-	39.27	3.14	-
कुल	6,531.59	556.85	264.61	1,044.22	89.04	47.18	1,258.69	104.41	55.95	10,140.85	811.27	454.95	10,856.22	868.50	496.30

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	298.32	24.30	13.19

अनुलग्नक -4.10 [पैसा 4.3.2]
निवेश की बिक्री पर लाभ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	401.27	40.13	21.00	208.59	20.86	11.79	479.29	44.33	27.08	1,025.05	82.00	57.92	2,841.93	227.35	160.57
असम	7.45	0.45	0.18	5.02	0.30	0.17	13.25	0.89	0.44	35.30	2.82	1.33	112.41	8.99	5.06
बिहार	124.38	7.46	2.92	68.18	4.09	1.77	166.58	11.24	5.58	373.68	29.89	15.32	1,051.84	84.15	45.75
दिल्ली	249.08	24.91	11.08	133.96	13.40	7.30	304.69	28.18	16.61	646.43	51.71	35.23	1,742.89	139.43	94.99
गुजरात	301.36	30.14	12.46	152.97	15.30	6.96	350.72	32.44	15.96	710.12	56.81	32.31	2,073.35	165.87	96.31
हरियाणा	122.81	9.83	4.83	69.64	5.57	3.03	164.05	13.12	7.14	349.61	27.97	15.21	986.55	78.92	45.11
हिमाचल प्रदेश	16.48	0.99	0.49	8.50	0.51	0.28	22.09	1.49	0.74	48.60	3.89	1.63	147.38	11.79	4.94
जम्मू एवं कश्मीर	4.28	0.26	0.13	3.75	0.23	0.13	11.44	0.77	0.38	29.23	2.34	0.98	98.84	7.91	3.95
कर्नाटक	160.84	16.08	5.79	96.22	9.62	4.19	227.74	21.07	9.91	491.79	39.34	21.39	1,413.16	113.05	64.65
केरल	392.14	31.37	20.15	206.51	16.52	11.46	483.30	38.66	26.82	1,014.33	81.15	56.30	2,880.30	230.42	159.86
कोलकाता	17.02	1.70	0.38	13.73	1.37	0.45	39.24	3.63	1.28	86.10	6.89	3.15	245.20	19.62	10.67
मध्य प्रदेश	397.95	31.84	20.03	219.20	17.54	11.95	511.62	40.93	27.88	1,094.91	87.59	59.67	3,165.52	253.24	172.52
महाराष्ट्र	674.76	67.48	39.14	343.88	34.39	22.52	733.22	67.82	48.03	1,577.75	126.22	103.34	4,528.20	362.26	288.62
मुम्बई	135.75	13.57	3.05	78.19	7.82	2.54	185.53	17.16	6.03	397.90	31.83	12.93	1,094.65	87.57	37.30
नार्थ ईस्ट	4.12	0.25	0.10	4.03	0.24	0.13	10.72	0.72	0.36	27.12	2.17	1.02	75.81	6.06	3.58
उड़ीसा	18.46	1.11	0.43	10.29	0.62	0.34	26.22	1.77	0.88	57.25	4.58	2.16	163.22	13.06	7.34
पंजाब	227.13	18.17	10.11	115.14	9.21	6.28	266.82	21.35	14.54	533.62	42.69	29.08	1,480.77	118.46	80.70
राजस्थान	118.18	9.45	4.20	77.22	6.18	3.51	185.39	14.83	8.44	415.20	33.22	18.89	1,134.61	90.77	51.62
तमिलनाडु	32.62	3.26	0.77	30.58	3.06	1.02	81.34	7.52	2.72	182.17	14.57	7.01	592.95	47.44	25.79
उत्तर प्रदेश (पू)	192.76	15.42	7.61	111.69	8.94	4.97	259.36	20.75	11.54	518.10	41.45	23.06	1,391.90	111.35	61.94
उत्तर प्रदेश (प)	346.88	27.75	17.60	181.00	14.48	9.86	384.59	30.77	20.96	845.27	67.62	46.07	2,312.69	185.02	126.04
पश्चिम बंगाल	22.98	1.84	0.54	17.45	1.40	0.58	52.81	4.22	1.77	135.92	10.87	5.68	432.13	34.57	23.77
एन एल डी-आइडिया	465.11	27.91	-	279.30	16.76	-	695.91	46.97	-	1,439.90	115.19	-	3,727.44	298.20	-
एन एल डी -18 स्पाईस	2.35	0.14	-	0.14	0.01	-	1.54	0.10	-	7.11	0.57	-	16.85	1.35	-
आई एल डी	44.13	2.65	-	28.23	1.69	-	84.18	5.68	-	187.12	14.97	-	542.83	43.43	-
आई एस पी	-	-	-	0.48	-	-	5.50	0.17	-	25.62	2.05	-	124.76	9.98	-
कुल	4,480.30	384.14	182.98	2,463.90	210.09	111.24	5,747.15	476.62	255.08	12,255.21	980.42	549.67	34,378.18	2,750.25	1,571.08

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	593.25	48.02	26.70

अनुलग्नक -4.11 [पैरा 4.3.3]

विविध आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2.96	0.30	0.15	1.22	0.12	0.07	88.48	8.18	5.00	14.46	1.16	0.82	0.27	0.02	0.02
असम	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
बिहार	9.55	0.57	0.22	2.57	0.15	0.07	5.05	0.34	0.17	0.26	0.02	0.01	7.55	0.60	0.33
दिल्ली	70.85	7.09	3.15	62.91	6.29	3.43	43.04	3.98	2.35	19.69	1.57	1.07	5.83	0.47	0.32
गुजरात	90.19	9.02	3.73	30.30	3.03	1.38	38.13	3.53	1.73	11.98	0.96	0.55	14.98	1.20	0.70
हरियाणा	14.91	1.19	0.59	8.18	0.65	0.36	9.49	0.76	0.41	4.24	0.34	0.18	4.83	0.39	0.22
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	2.91	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.50	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
कर्नाटक	0.92	0.09	0.03	62.10	6.21	2.70	19.88	1.84	0.86	14.54	1.16	0.63	0.13	0.01	0.01
केरल	32.55	2.60	1.67	27.38	2.19	1.52	10.41	0.83	0.58	2.51	0.20	0.14	3.34	0.27	0.19
कोलकाता	2.42	0.24	0.05	5.36	0.54	0.17	0.59	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	45.84	3.67	2.31	44.20	3.54	2.41	55.53	4.44	3.03	24.94	2.00	1.36	11.27	0.90	0.61
महाराष्ट्र	16.68	1.67	0.97	145.90	14.59	9.56	137.59	12.73	9.01	50.25	4.02	3.29	0.43	0.03	0.03
मुम्बई	17.96	1.80	0.40	25.80	2.58	0.84	15.32	1.42	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00
नार्थ ईस्ट	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
उड़ीसा	4.02	0.24	0.09	1.18	0.07	0.04	0.18	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
पंजाब	163.24	13.06	7.26	60.60	4.85	3.30	123.08	9.85	6.71	8.09	0.65	0.44	1.45	0.12	0.08
राजस्थान	13.51	1.08	0.48	30.39	2.43	1.38	7.47	0.60	0.34	4.53	0.36	0.21	3.74	0.30	0.17
तमिलनाडु	11.95	1.20	0.28	3.80	0.38	0.13	2.60	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.51	0.04	0.02
उत्तर प्रदेश (पू)	14.52	1.16	0.57	29.06	2.33	1.29	4.90	0.39	0.22	3.15	0.25	0.14	1.23	0.10	0.05
उत्तर प्रदेश (प)	30.05	2.40	1.53	16.11	1.29	0.88	9.84	0.79	0.54	26.62	2.13	1.45	10.86	0.87	0.59
पश्चिम बंगाल	0.29	0.02	0.01	0.16	0.01	0.01	0.51	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
एन एल डी- आइडिया	1.44	0.09	0.00	0.48	0.03	0.00	4.89	0.33	0.00	1.72	0.14	0.00	0.35	0.03	0.00
एन एल डी -18 स्पाईस	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.14	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.84	0.06	0.00	1.85	0.15	0.00	0.05	0.00	0.00
आई एस पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
कुल	544.65	47.53	23.53	557.78	51.28	29.53	581.01	50.62	31.68	188.82	15.11	10.29	67.07	5.37	3.34

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	19.39	1.70	0.98

अनुलग्नक -4.12 [पैरा 4.3.4]
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	21.55	2.16	1.13	31.72	3.17	1.79	5.24	0.48	0.30	35.59	2.85	2.01	16.17	1.29	0.91
असम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.28	0.14	0.06	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00
बिहार	15.38	0.92	0.36	2.51	0.15	0.07	4.91	0.33	0.16	24.88	1.99	1.02	15.05	1.20	0.65
दिल्ली	3.29	0.33	0.15	14.49	1.45	0.79	12.81	1.19	0.70	41.02	3.28	2.24	20.71	1.66	1.13
गुजरात	(94.08)	-	-	0.05	0.01	0.00	2.37	0.22	0.11	1.27	0.10	0.06	0.77	0.06	0.04
हरियाणा	0.84	0.07	0.03	4.37	0.35	0.19	8.24	0.66	0.36	34.81	2.78	1.51	33.13	2.65	1.51
हिमाचल प्रदेश	2.54	0.15	0.08	0.54	0.03	0.02	0.90	0.06	0.03	10.02	0.80	0.34	0.05	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	2.14	0.13	0.06	0.79	0.05	0.03	0.08	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	3.92	0.31	0.16
कर्नाटक	5.27	0.53	0.19	8.18	0.82	0.36	7.06	0.65	0.31	12.03	0.96	0.52	2.14	0.17	0.10
केरल	23.73	1.90	1.22	10.72	0.86	0.59	18.12	1.45	1.01	9.94	0.80	0.55	6.48	0.52	0.36
कोलकाता	0.01	0.00	0.00	1.75	0.17	0.06	1.35	0.13	0.04	0.43	0.03	0.02	0.37	0.03	0.02
मध्य प्रदेश	14.05	1.12	0.71	17.17	1.37	0.94	59.82	4.79	3.26	159.47	12.76	8.69	15.82	1.27	0.86
महाराष्ट्र	75.13	7.51	4.36	102.21	10.22	6.69	12.17	1.13	0.80	21.09	1.69	1.38	37.54	3.00	2.39
मुम्बई	5.20	0.52	0.12	0.32	0.03	0.01	3.09	0.29	0.10	6.11	0.49	0.20	5.28	0.42	0.18
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.03	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
उड़ीसा	2.24	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.18	0.01	0.01	0.10	0.01	0.00	0.06	0.00	0.00
पंजाब	6.92	0.55	0.31	22.73	1.82	1.24	3.08	0.25	0.17	30.32	2.43	1.65	43.28	3.46	2.36
राजस्थान	12.91	1.03	0.46	0.96	0.08	0.04	6.23	0.50	0.28	10.12	0.81	0.46	7.20	0.58	0.33
तमिलनाडु	0.39	0.04	0.01	1.61	0.16	0.05	2.26	0.21	0.08	14.90	1.19	0.57	0.50	0.04	0.02
उत्तर प्रदेश (पू)	1.63	0.13	0.06	0.81	0.06	0.04	2.01	0.16	0.09	14.02	1.12	0.62	20.38	1.63	0.91
उत्तर प्रदेश (प)	3.48	0.28	0.18	20.83	1.67	1.14	18.43	1.47	1.00	(131.60)	-	-	(30.32)	-	-
पश्चिम बंगाल	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.36	0.03	0.01	0.24	0.02	0.01	0.16	0.01	0.01
एन एल डी-आइडिया	0.35	0.02	-	0.10	0.01	-	4.70	0.32	-	2.57	0.21	-	1.38	0.11	-
एन एल डी -18 स्पाईस	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-	0.01	0.00	-
आई एल डी	0.03	0.00	-	0.01	0.00	-	0.57	0.04	-	0.33	0.03	-	0.20	0.02	-
आई एस पी	-	-	-	0.00	0.00	-	0.04	0.00	-	0.05	0.00	-	0.05	0.00	-
कुल	103.02	17.53	9.47	241.88	22.48	14.04	179.24	14.71	8.99	297.88	34.36	21.87	200.40	18.46	11.94

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	10.22	1.08	0.66

अनुलग्नक -4.13 [पैरा 4.4.1]

बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को सकल राजस्व से घटाने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव
(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष		
	2013-14		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	907.22	72.58	51.26
असम	-	-	-
बिहार	0.02	0.00	0.00
दिल्ली	2,138.94	171.12	116.57
गुजरात	667.99	53.44	30.39
हरियाणा	286.78	22.94	12.48
हिमाचल प्रदेश	5.46	0.44	0.18
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-
कर्नाटक	1,011.18	80.89	43.99
केरल	785.84	62.87	43.61
कोलकाता	-	-	-
मध्य प्रदेश	598.50	47.88	32.62
महाराष्ट्र	2,428.68	194.29	159.08
मुम्बई	209.17	16.73	6.80
नार्थ ईस्ट	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-
पंजाब	1,473.70	117.90	80.32
राजस्थान	285.32	22.83	12.98
तमिलनाडु	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पू)	40.24	3.22	1.79
उत्तर प्रदेश (प)	529.19	42.34	28.84
पश्चिम बंगाल	-	-	-
कुल	11,368.23	909.46	620.91

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आइडिया	113.68	9.09	6.21

अनुलग्नक -4.14 (पैरा 4.4.2)
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	60		48		36		24		12		कुल		
				दर @ (पी एल आर+2)%		15		16.75		16.45		16.75			16.75	
				मामले		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			2014-15	
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
1	4.2.1(अ)	4.01	प्रीपेड मार्जिन	4622.01	2414.16	4890.49	2849.07	3457.63	2082.62	2452.98	1595.16	1369.22	898.20	26631.54		
2	4.2.1(ब)	4.02	प्रीपेड नेटिंग	4082.79	2138.39	4200.84	2436.77	2938.74	1803.85	1716.87	1173.07	1146.93	798.33	22436.58		
3	4.2.2	4.03	पोस्टपेड	219.47	119.14	189.84	114.55	148.46	90.25	161.51	104.30	68.19	44.48	1260.19		
4	4.2.3	4.04	रोमिंग	68.84	35.54	290.71	149.90	196.77	100.21	127.19	86.33	16.86	11.79	1084.13		
5	4.2.4	4.05	अवसंरचना शेयरिंग	623.43	363.19	685.99	445.26	463.15	324.30	333.23	250.06	113.43	82.81	3684.86		
6	4.2.5	4.06	स्विच शेयरिंग	1203.61	559.90	359.50	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2318.66		
7	4.2.6	4.07	आई आर यू	41.27	0.00	72.13	0.00	97.34	0.00	103.39	0.00	50.34	0.00	364.46		
8	4.2.7	4.08	विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स)	229.59	95.79	873.18	483.45	319.74	168.48	136.94	64.16	26.49	12.76	2410.60		
9	4.3.1	4.09	ब्याज आय	616.53	292.97	84.16	44.60	66.05	35.39	320.21	179.57	157.18	89.82	1886.48		
10	4.3.2	4.10	निवेश की बिक्री पर आय	425.32	202.59	198.58	105.15	301.49	161.35	386.98	216.96	497.73	284.33	2780.48		
11	4.3.3	4.11	विविध आय	52.63	26.05	48.47	27.91	32.02	20.04	5.96	4.06	0.97	0.60	218.72		
12	4.3.4	4.12	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	19.41	10.48	21.25	13.27	9.30	5.68	13.56	8.63	3.34	2.16	107.09		
13	4.4.1	4.13	बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.97	245.08	0.00	0.00	604.04		
कुल				12204.9	6258.2	11915.14	6865.58	8030.69	4792.17	6117.79	3927.38	3450.68	2225.28	65787.83		

अर्थात् ₹ 657.88 करोड़

अनुलग्नक 5.01 (पैरा 5.2.1 अ)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु वैस (आर वर्ल्ड एवं एस एम एस कंटेन्ट) के मद में राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1990.35	199.03	2351.31	87.00	725.75	25.40	1828.57	182.86	2162.29	75.68	718.96	25.16
बिहार	921.77	55.31	1457.69	48.10	0.00	0.00	827.90	49.67	1335.37	44.07	0.00	0.00
दिल्ली	3163.23	316.32	2770.29	92.80	1554.52	55.19	3047.92	304.79	2533.89	84.89	1639.04	58.19
गुजरात	1527.26	152.73	1417.36	52.44	911.53	31.90	1377.09	137.71	1318.09	48.77	837.35	29.31
हरियाणा	494.06	39.52	451.87	16.72	357.96	12.53	390.00	31.20	393.23	13.76	266.39	9.32
हिमाचल प्रदेश	79.46	4.77	113.72	4.21	0.00	0.00	76.84	4.61	106.30	3.72	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	141.32	8.48	2.99	0.09	231.29	8.10	189.76	11.39	2.12	0.06	324.97	11.37
कर्नाटक	1815.03	181.50	1535.44	56.81	873.72	30.58	1807.40	180.74	1457.53	53.93	777.88	27.23
केरल	750.40	60.03	1013.90	39.54	151.36	5.60	604.45	48.36	814.29	30.13	141.50	5.24
कोलकाता	679.94	67.99	977.73	32.75	0.00	0.00	601.02	60.10	906.69	30.37	0.00	0.00
महाराष्ट्र	2083.06	208.31	1884.43	73.49	1328.42	46.49	1880.52	188.05	1804.76	66.78	1192.58	41.74
मध्य प्रदेश	1010.21	80.82	1554.30	57.51	0.00	0.00	983.16	78.65	1508.26	52.79	0.00	0.00
मुम्बई	3058.66	305.87	2912.87	103.41	1076.90	40.92	2959.32	295.93	2725.02	96.74	1075.81	40.88
उड़ीसा	234.32	14.06	332.81	12.31	0.00	0.00	208.13	12.49	274.22	9.60	0.00	0.00
पंजाब	682.76	54.62	548.70	20.30	528.66	18.50	595.17	47.61	482.64	16.89	483.46	16.92
राजस्थान	980.27	78.42	948.23	35.08	650.87	24.08	825.56	66.04	790.35	27.66	596.31	22.06
तमिलनाडु	1741.30	174.13	1894.78	70.11	586.60	21.70	1689.39	168.94	1865.58	65.30	562.65	20.82
उत्तर प्रदेश (पू)	1688.73	135.10	1772.60	65.59	983.09	36.37	1588.41	127.07	1626.20	56.92	1056.94	39.11
उत्तर प्रदेश (प)	1320.93	105.67	1256.68	49.01	923.64	34.17	1168.93	93.51	1103.85	40.84	896.87	33.18
पश्चिम बंगाल	398.47	31.88	590.24	21.84	0.00	0.00	368.77	29.50	505.69	17.70	0.00	0.00
एन एल डी	9272.03	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8450.74	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	2638.70	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2818.02	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	36672.26	2989.21	25787.94	939.12	10884.33	391.55	34287.05	2795.36	23716.36	836.59	10570.70	380.53

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि		एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	709.59	57.85	25.48

अनुलग्नक 5.02 (पैरा 5.2.1 ब)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु कालर रिंग बैंक टोन के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	982.91	98.29	1161.17	42.96	358.40	12.54	640.26	64.03	757.11	26.50	251.74	8.81	115.88	10.72	129.15	4.52	57.97	2.03
बिहार	455.21	27.31	719.87	23.76	0.00	0.00	289.88	17.39	467.57	15.43	0.00	0.00	54.55	3.68	93.11	3.07	0.00	0.00
दिल्ली	1562.13	156.21	1368.08	45.83	767.68	27.25	1067.21	106.72	887.22	29.72	573.90	20.37	182.86	16.91	150.91	5.06	127.14	4.51
गुजरात	754.22	75.42	699.95	25.90	450.15	15.76	482.18	48.22	461.52	17.08	293.19	10.26	94.64	8.75	80.87	2.99	71.06	2.49
हरियाणा	243.99	19.52	223.15	8.26	176.78	6.19	136.56	10.92	137.69	4.82	93.27	3.26	25.52	2.04	24.07	0.84	19.04	0.67
हिमाचल प्रदेश	39.24	2.35	56.16	2.08	0.00	0.00	26.90	1.61	37.22	1.30	0.00	0.00	4.14	0.28	6.53	0.23	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	69.79	4.19	1.48	0.04	114.22	4.00	66.44	3.99	0.74	0.02	113.78	3.98	15.22	1.03	0.45	0.01	25.66	0.90
कर्नाटक	896.34	89.63	758.26	28.06	431.48	15.10	632.85	63.28	510.34	18.88	272.37	9.53	115.26	10.66	92.87	3.44	51.70	1.81
केरल	370.58	29.65	500.71	19.53	74.75	2.77	211.64	16.93	285.12	10.55	49.54	1.83	37.50	3.00	48.59	1.80	11.54	0.43
कोलकाता	335.78	33.58	482.84	16.18	0.00	0.00	210.44	21.04	317.47	10.64	0.00	0.00	35.84	3.31	54.24	1.82	0.00	0.00
महाराष्ट्र	1028.70	102.87	930.61	36.29	656.03	22.96	658.45	65.85	631.92	23.38	417.57	14.62	123.33	11.41	116.09	4.30	82.87	2.90
मध्य प्रदेश	498.88	39.91	767.58	28.40	0.00	0.00	344.25	27.54	528.11	18.48	0.00	0.00	55.62	4.45	93.59	3.28	0.00	0.00
मुम्बई	1510.49	151.05	1438.49	51.07	531.82	20.21	1036.19	103.62	954.14	33.87	376.69	14.31	176.84	16.36	172.22	6.11	76.53	2.91
उड़ीसा	115.72	6.94	164.36	6.08	0.00	0.00	72.88	4.37	96.02	3.36	0.00	0.00	9.10	0.61	15.25	0.53	0.00	0.00
पंजाब	337.17	26.97	270.97	10.03	261.07	9.14	208.39	16.67	168.99	5.91	169.28	5.92	38.13	3.05	26.23	0.92	36.24	1.27
राजस्थान	484.10	38.73	468.28	17.33	321.43	11.89	289.06	23.13	276.74	9.69	208.79	7.73	55.69	4.45	42.81	1.50	50.79	1.88
तमिलनाडु	859.93	85.99	935.72	34.62	289.69	10.72	591.53	59.15	653.22	22.86	197.01	7.29	123.45	11.42	125.15	4.38	63.37	2.34
उत्तर प्रदेश (पू)	833.96	66.72	875.38	32.39	485.49	17.96	556.17	44.49	569.40	19.93	370.08	13.69	102.38	8.19	96.30	3.37	76.30	2.82
उत्तर प्रदेश (प)	652.33	52.19	620.60	24.20	456.13	16.88	409.29	32.74	386.50	14.30	314.03	11.62	69.46	5.56	62.08	2.30	56.45	2.09
पश्चिम बंगाल	196.78	15.74	291.49	10.78	0.00	0.00	129.12	10.33	177.06	6.20	0.00	0.00	18.31	1.47	31.24	1.09	0.00	0.00
एन एल डी	4578.90	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.97	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	591.43	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	1303.10	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	986.71	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	223.24	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	18110.25	1476.19	12735.13	463.78	5375.12	193.36	12005.37	978.78	8304.11	292.93	3701.26	133.24	2268.38	182.35	1461.75	51.55	806.64	29.04

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	323.84	11.64

अनुलग्नक 5.03 (पैरा 5.2.1 स)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु ब्लैकबेरी सेवाओं के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	130.44	13.04	154.10	5.70	47.56	1.66	154.79	15.48	183.04	6.41	60.86	2.13
बिहार	60.41	3.62	95.53	3.15	0.00	0.00	70.08	4.20	113.04	3.73	0.00	0.00
दिल्ली	207.31	20.73	181.55	6.08	101.88	3.62	258.01	25.80	214.50	7.19	138.75	4.93
गुजरात	100.09	10.01	92.89	3.44	59.74	2.09	116.57	11.66	111.58	4.13	70.88	2.48
हरियाणा	32.38	2.59	29.61	1.10	23.46	0.82	33.01	2.64	33.29	1.17	22.55	0.79
हिमाचल प्रदेश	5.21	0.31	7.45	0.28	0.00	0.00	6.50	0.39	9.00	0.31	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	9.26	0.56	0.20	0.01	15.16	0.53	16.06	0.96	0.18	0.01	27.51	0.96
कर्नाटक	118.95	11.90	100.63	3.72	57.26	2.00	153.00	15.30	123.38	4.57	65.85	2.30
केरल	49.18	3.93	66.45	2.59	9.92	0.37	51.17	4.09	68.93	2.55	11.98	0.44
कोलकाता	44.56	4.46	64.08	2.15	0.00	0.00	50.88	5.09	76.75	2.57	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	66.21	5.30	101.86	3.77	0.00	0.00	83.23	6.66	127.68	4.47	0.00	0.00
महाराष्ट्र	136.52	13.65	123.50	4.82	87.06	3.05	159.19	15.92	152.77	5.65	100.95	3.53
मुंबई	200.45	20.05	190.90	6.78	70.58	2.68	250.51	25.05	230.67	8.19	91.07	3.46
उड़ीसा	15.36	0.92	21.81	0.81	0.00	0.00	17.62	1.06	23.21	0.81	0.00	0.00
पंजाब	44.75	3.58	35.96	1.33	34.65	1.21	50.38	4.03	40.86	1.43	40.93	1.43
राजस्थान	64.24	5.14	62.14	2.30	42.66	1.58	69.88	5.59	66.90	2.34	50.48	1.87
तमिलनाडु	114.12	11.41	124.18	4.59	38.44	1.42	143.01	14.30	157.92	5.53	47.63	1.76
उत्तर प्रदेश (पू)	110.67	8.85	116.17	4.30	64.43	2.38	134.46	10.76	137.66	4.82	89.47	3.31
उत्तर प्रदेश (प)	86.57	6.93	82.36	3.21	60.53	2.24	98.95	7.92	93.44	3.46	75.92	2.81
पश्चिम बंगाल	26.11	2.09	38.68	1.43	0.00	0.00	31.22	2.50	42.81	1.50	0.00	0.00
एन एल डी	607.66	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	715.36	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	172.93	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	238.55	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2403.37	195.90	1690.05	61.55	713.32	25.66	2902.43	236.63	2007.61	70.82	894.82	32.21

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2012-13						2013-14					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	157.01	14.52	174.98	6.12	78.54	2.75	34.48	2.76	32.37	1.13	22.61	0.79
बिहार	73.91	4.99	126.15	4.16	0.00	0.00	16.08	1.29	27.09	0.89	0.00	0.00
दिल्ली	247.75	22.92	204.46	6.85	172.25	6.12	57.77	4.62	37.85	1.27	47.90	1.70
गुजरात	128.23	11.86	109.57	4.05	96.28	3.37	27.73	2.22	19.08	0.71	25.00	0.87
हरियाणा	34.57	2.77	32.62	1.14	25.79	0.90	7.57	0.61	5.77	0.20	6.85	0.24
हिमाचल प्रदेश	5.60	0.38	8.84	0.31	0.00	0.00	0.93	0.07	1.45	0.05	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	20.63	1.39	0.61	0.02	34.76	1.22	5.49	0.44	0.08	0.00	9.21	0.32
कर्नाटक	156.16	14.45	125.83	4.66	70.05	2.45	34.67	2.77	23.19	0.86	19.06	0.67
केरल	50.81	4.06	65.83	2.44	15.63	0.58	10.42	0.83	11.99	0.44	4.54	0.17
कोलकाता	48.56	4.49	73.49	2.46	0.00	0.00	8.90	0.71	13.14	0.44	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	75.36	6.03	126.80	4.44	0.00	0.00	14.11	1.13	23.43	0.82	0.00	0.00
महाराष्ट्र	167.10	15.46	157.28	5.82	112.28	3.93	33.07	2.65	29.81	1.10	22.78	0.80
मुंबई	239.59	22.16	233.33	8.28	103.69	3.94	54.55	4.36	45.81	1.63	31.19	1.19
उड़ीसा	12.33	0.83	20.66	0.72	0.00	0.00	2.13	0.17	3.49	0.12	0.00	0.00
पंजाब	51.66	4.13	35.54	1.24	49.10	1.72	13.68	1.09	5.94	0.21	16.35	0.57
राजस्थान	75.45	6.04	58.00	2.03	68.81	2.55	20.08	1.61	10.06	0.35	23.38	0.86
तमिलनाडु	167.26	15.47	169.57	5.93	85.85	3.18	39.98	3.20	32.76	1.15	28.20	1.04
उत्तर प्रदेश (पू)	138.71	11.10	130.48	4.57	103.37	3.82	25.96	2.08	22.97	0.80	20.28	0.75
उत्तर प्रदेश (प)	94.10	7.53	84.11	3.11	76.48	2.83	15.89	1.27	13.24	0.49	13.45	0.50
पश्चिम बंगाल	24.81	1.99	42.32	1.48	0.00	0.00	4.58	0.37	7.71	0.27	0.00	0.00
एन एल डी	801.32	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	167.75	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	302.46	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	3073.37	247.06	1980.48	69.85	1092.89	39.35	658.01	52.64	367.24	12.94	290.78	10.47

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	90.37	3.23

अनुलग्नक 5.04 (पैरा 5.2.1 द)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु आर कनेक्ट सेवाओं के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	3443.01	344.30	4067.41	150.49	1255.44	43.94	2267.92	226.79	2681.83	93.86	891.71	31.21
बिहार	1594.52	95.67	2521.59	83.21	0.00	0.00	1026.82	61.61	1656.22	54.66	0.00	0.00
दिल्ली	5471.93	547.19	4792.19	160.54	2689.09	95.46	3780.25	378.02	3142.71	105.28	2032.85	72.17
गुजरात	2641.94	264.19	2451.82	90.72	1576.82	55.19	1707.97	170.80	1634.79	60.49	1038.54	36.35
हरियाणा	854.65	68.37	781.66	28.92	619.22	21.67	483.71	38.70	487.71	17.07	330.39	11.56
हिमाचल प्रदेश	137.45	8.25	196.72	7.28	0.00	0.00	95.30	5.72	131.84	4.61	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	244.47	14.67	5.17	0.16	400.11	14.00	235.35	14.12	2.63	0.08	403.05	14.11
कर्नाटक	3139.74	313.97	2656.09	98.28	1511.41	52.90	2241.66	224.17	1807.73	66.89	964.78	33.77
केरल	1298.09	103.85	1753.90	68.40	261.84	9.69	749.68	59.97	1009.94	37.37	175.50	6.49
कोलकाता	1176.19	117.62	1691.33	56.66	0.00	0.00	745.43	74.54	1124.55	37.67	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1747.52	139.80	2688.72	99.48	2297.97	80.43	1219.39	97.55	1870.65	65.47	1479.12	51.77
महाराष्ट्र	3603.38	360.34	3259.78	127.13	0.00	0.00	2332.35	233.24	2238.40	82.82	0.00	0.00
मुंबई	5291.03	529.10	5038.83	178.88	1862.88	70.79	3670.36	367.04	3379.76	119.98	1334.30	50.70
उड़ीसा	405.34	24.32	575.72	21.30	0.00	0.00	258.14	15.49	340.11	11.90	0.00	0.00
पंजाब	1181.07	94.49	949.17	35.12	914.51	32.01	738.17	59.05	598.60	20.95	599.62	20.99
राजस्थान	1695.72	135.66	1640.30	60.69	1125.91	41.66	1023.92	81.91	980.25	34.31	739.59	27.36
तमिलनाडु	3012.20	301.22	3277.68	121.27	1014.74	37.55	2095.30	209.53	2313.83	80.98	697.84	25.82
उत्तर प्रदेश (पू)	2921.25	233.70	3066.33	113.45	1700.61	62.92	1970.06	157.60	2016.93	70.59	1310.89	48.50
उत्तर प्रदेश (प)	2285.01	182.80	2173.86	84.78	1597.76	59.12	1449.79	115.98	1369.07	50.66	1112.36	41.16
पश्चिम बंगाल	689.30	55.14	1021.04	37.78	0.00	0.00	457.38	36.59	627.19	21.95	0.00	0.00
एन एल डी	16039.25	962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10481.22	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	4564.56	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3495.11	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	63437.62	5170.89	44609.34	1624.55	18828.29	677.32	42525.29	3467.01	29414.74	1037.60	13110.55	471.96

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2012-13						2013-14					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2205.67	204.02	2458.19	86.04	1103.36	38.62	1963.96	157.12	1843.72	64.53	1287.81	45.07
बिहार	1038.37	70.09	1772.23	58.48	0.00	0.00	916.10	73.29	1543.30	50.93	0.00	0.00
दिल्ली	3480.42	321.94	2872.30	96.22	2419.87	85.91	3290.74	263.26	2156.18	72.23	2728.36	96.86
गुजरात	1801.43	166.63	1539.21	56.95	1352.56	47.34	1579.61	126.37	1086.59	40.20	1423.80	49.83
हरियाणा	485.68	38.85	458.19	16.04	362.36	12.68	431.46	34.52	328.43	11.50	390.30	13.66
हिमाचल प्रदेश	78.71	5.31	124.25	4.35	0.00	0.00	53.14	4.25	82.68	2.89	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	289.77	19.56	8.63	0.26	488.31	17.09	312.65	25.01	4.79	0.14	524.40	18.35
कर्नाटक	2193.82	202.93	1767.62	65.40	984.04	34.44	1974.99	158.00	1321.05	48.88	1085.48	37.99
केरल	713.73	57.10	924.83	34.22	219.64	8.13	593.65	47.49	682.71	25.26	258.66	9.57
कोलकाता	682.12	63.10	1032.35	34.58	0.00	0.00	507.18	40.57	748.72	25.08	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1058.61	84.69	1781.33	62.35	1577.30	55.21	803.87	64.31	1334.65	46.71	1297.50	45.41
महाराष्ट्र	2347.43	217.14	2209.57	81.75	0.00	0.00	1883.72	150.70	1698.25	62.84	0.00	0.00
मुंबई	3365.84	311.34	3277.92	116.37	1456.64	55.35	3107.38	248.59	2609.58	92.64	1776.47	67.51
उड़ीसा	173.25	11.69	290.28	10.16	0.00	0.00	121.47	9.72	198.67	6.95	0.00	0.00
पंजाब	725.67	58.05	499.29	17.48	689.78	24.14	779.23	62.34	338.09	11.83	931.35	32.60
राजस्थान	1059.89	84.79	814.78	28.52	966.66	35.77	1143.80	91.50	572.97	20.05	1331.67	49.27
तमिलनाडु	2349.74	217.35	2382.13	83.37	1206.07	44.62	2277.42	182.19	1866.28	65.32	1606.09	59.43
उत्तर प्रदेश (पू)	1948.62	155.89	1833.02	64.16	1452.20	53.73	1478.71	118.30	1308.49	45.80	1155.30	42.75
उत्तर प्रदेश (प)	1321.99	105.76	1181.62	43.72	1074.45	39.75	904.99	72.40	754.22	27.91	765.89	28.34
पश्चिम बंगाल	348.58	27.89	594.58	20.81	0.00	0.00	260.86	20.87	439.08	15.37	0.00	0.00
एन एल डी	11257.10	759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9555.09	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	4249.10	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.53	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	43175.53	3470.79	27822.31	981.22	15353.22	552.78	37481.55	2998.52	20918.46	737.07	16563.10	596.64

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	1866.20	66.79

अनुलग्नक 5.05 (पैरा 5.2.1 य)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु एफ डब्ल्यू पी/टी के स्थापना के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव
(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	90.32	9.03	106.70	3.95	32.93	1.15	30.79	3.08	36.41	1.27	12.11	0.42	3.40	0.31	3.79	0.13	1.70	0.06
बिहार	41.83	2.51	66.15	2.18	0.00	0.00	13.94	0.84	22.48	0.74	0.00	0.00	1.60	0.11	2.74	0.09	0.00	0.00
दिल्ली	143.54	14.35	125.71	4.21	70.54	2.50	51.32	5.13	42.66	1.43	27.60	0.98	5.37	0.50	4.43	0.15	3.74	0.13
गुजरात	69.30	6.93	64.32	2.38	41.36	1.45	23.19	2.32	22.19	0.82	14.10	0.49	2.78	0.26	2.38	0.09	2.09	0.07
हरियाणा	22.42	1.79	20.50	0.76	16.24	0.57	6.57	0.53	6.62	0.23	4.49	0.16	0.75	0.06	0.71	0.02	0.56	0.02
हिमाचल प्रदेश	3.61	0.22	5.16	0.19	0.00	0.00	1.29	0.08	1.79	0.06	0.00	0.00	0.12	0.01	0.19	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	6.41	0.38	0.14	0.00	10.50	0.37	3.19	0.19	0.04	0.00	5.47	0.19	0.45	0.03	0.01	0.00	0.75	0.03
कर्नाटक	82.36	8.24	69.67	2.58	39.65	1.39	30.43	3.04	24.54	0.91	13.10	0.46	3.39	0.31	2.73	0.10	1.52	0.05
केरल	34.05	2.72	46.01	1.79	6.87	0.25	10.18	0.81	13.71	0.51	2.38	0.09	1.10	0.09	1.43	0.05	0.34	0.01
कोलकाता	30.85	3.09	44.37	1.49	0.00	0.00	10.12	1.01	15.27	0.51	0.00	0.00	1.05	0.10	1.59	0.05	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	45.84	3.67	70.53	2.61	0.00	0.00	16.55	1.32	25.39	0.94	0.00	0.00	1.63	0.13	2.75	0.10	0.00	0.00
महाराष्ट्र	94.52	9.45	85.51	3.33	60.28	2.11	31.66	3.17	30.39	1.06	20.08	0.70	3.62	0.34	3.41	0.13	2.43	0.09
मुम्बई	138.79	13.88	132.18	4.69	48.87	1.86	49.83	4.98	45.88	1.63	18.11	0.69	5.20	0.48	5.06	0.18	2.25	0.09
उड़ीसा	10.63	0.64	15.10	0.56	0.00	0.00	3.50	0.21	4.62	0.16	0.00	0.00	0.27	0.02	0.45	0.02	0.00	0.00
पंजाब	30.98	2.48	24.90	0.92	23.99	0.84	10.02	0.80	8.13	0.28	8.14	0.28	1.12	0.09	0.77	0.03	1.06	0.04
राजस्थान	44.48	3.56	43.03	1.59	29.53	1.09	13.90	1.11	13.31	0.47	10.04	0.37	1.64	0.13	1.26	0.04	1.49	0.06
तमिलनाडु	79.02	7.90	85.98	3.18	26.62	0.98	28.44	2.84	31.41	1.10	9.47	0.35	3.63	0.34	3.68	0.13	1.86	0.07
उत्तर प्रदेश (पू)	76.63	6.13	80.44	2.98	44.61	1.65	26.74	2.14	27.38	0.96	17.80	0.66	3.01	0.24	2.83	0.10	2.24	0.08
उत्तर प्रदेश (प)	59.94	4.80	57.02	2.22	41.91	1.55	19.68	1.57	18.59	0.69	15.10	0.56	2.04	0.16	1.82	0.07	1.66	0.06
पश्चिम बंगाल	18.08	1.45	26.78	0.99	0.00	0.00	6.21	0.50	8.51	0.30	0.00	0.00	0.54	0.04	0.92	0.03	0.00	0.00
एन एल डी	420.74	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	119.74	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1664.10	135.64	1170.19	42.62	493.90	17.77	577.29	47.07	399.31	14.08	177.98	6.41	66.65	5.36	42.95	1.51	23.70	0.85

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2013-14						2014-15					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.26	0.02	0.24	0.01	0.17	0.01	0.13	0.01	0.11	0.00	0.10	0.00
बिहार	0.12	0.01	0.20	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.43	0.03	0.28	0.01	0.36	0.01	0.25	0.02	0.14	0.00	0.25	0.01
गुजरात	0.21	0.02	0.14	0.01	0.19	0.01	0.11	0.01	0.06	0.00	0.12	0.00
हरियाणा	0.06	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
कर्नाटक	0.26	0.02	0.17	0.01	0.14	0.00	0.15	0.01	0.08	0.00	0.10	0.00
केरल	0.08	0.01	0.09	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
कोलकाता	0.07	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.11	0.01	0.17	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.25	0.02	0.22	0.01	0.17	0.01	0.13	0.01	0.11	0.00	0.09	0.00
मुंबई	0.41	0.03	0.34	0.01	0.23	0.01	0.25	0.02	0.18	0.01	0.20	0.01
उड़ीसा	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.10	0.01	0.04	0.00	0.12	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00	0.08	0.00
राजस्थान	0.15	0.01	0.07	0.00	0.17	0.01	0.09	0.01	0.04	0.00	0.13	0.00
तमिलनाडु	0.30	0.02	0.24	0.01	0.21	0.01	0.16	0.01	0.12	0.00	0.13	0.00
उत्तर प्रदेश (पू)	0.19	0.02	0.17	0.01	0.15	0.01	0.09	0.01	0.07	0.00	0.09	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.12	0.01	0.10	0.00	0.10	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
पश्चिम बंगाल	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	1.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	4.90	0.39	2.74	0.10	2.17	0.08	2.76	0.22	1.31	0.05	1.46	0.05

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	23.16	0.84

अनुलग्नक 5.06 (पैरा 5.2.1 र)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु सिम कार्डों की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	153.06	15.31	180.82	6.69	55.81	1.95	46.61	4.66	55.12	1.93	18.33	0.64
बिहार	70.89	4.25	112.10	3.70	0.00	0.00	21.11	1.27	34.04	1.12	0.00	0.00
दिल्ली	243.26	24.33	213.04	7.14	119.55	4.24	77.70	7.77	64.60	2.16	41.78	1.48
गुजरात	117.45	11.74	109.00	4.03	70.10	2.45	35.11	3.51	33.60	1.24	21.35	0.75
हरियाणा	37.99	3.04	34.75	1.29	27.53	0.96	9.94	0.80	10.02	0.35	6.79	0.24
हिमाचल प्रदेश	6.11	0.37	8.75	0.32	0.00	0.00	1.96	0.12	2.71	0.09	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	10.87	0.65	0.23	0.01	17.79	0.62	4.84	0.29	0.05	0.00	8.28	0.29
कर्नाटक	139.58	13.96	118.08	4.37	67.19	2.35	46.08	4.61	37.16	1.37	19.83	0.69
केरल	57.71	4.62	77.97	3.04	11.64	0.43	15.41	1.23	20.76	0.77	3.61	0.13
कोलकाता	52.29	5.23	75.19	2.52	0.00	0.00	15.32	1.53	23.11	0.77	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	77.69	6.21	119.53	4.42	0.00	0.00	25.06	2.01	38.45	1.42	0.00	0.00
महाराष्ट्र	160.19	16.02	144.92	5.65	102.16	3.58	47.94	4.79	46.01	1.61	30.40	1.06
मुम्बई	235.22	23.52	224.00	7.95	82.82	3.15	75.44	7.54	69.47	2.47	27.43	1.04
उड़ीसा	18.02	1.08	25.59	0.95	0.00	0.00	5.31	0.32	6.99	0.24	0.00	0.00
पंजाब	52.51	4.20	42.20	1.56	40.65	1.42	15.17	1.21	12.30	0.43	12.32	0.43
राजस्थान	75.38	6.03	72.92	2.70	50.05	1.85	21.05	1.68	20.15	0.71	15.20	0.56
तमिलनाडु	133.91	13.39	145.71	5.39	45.11	1.67	43.07	4.31	47.56	1.66	14.34	0.53
उत्तर प्रदेश (पू)	129.87	10.39	136.32	5.04	75.60	2.80	40.49	3.24	41.46	1.45	26.94	1.00
उत्तर प्रदेश (प)	101.58	8.13	96.64	3.77	71.03	2.63	29.80	2.38	28.14	1.04	22.86	0.85
पश्चिम बंगाल	30.64	2.45	45.39	1.68	0.00	0.00	9.40	0.75	12.89	0.45	0.00	0.00
एन एल डी	713.04	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	215.43	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	202.92	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2820.16	229.88	1983.14	72.22	837.02	30.11	874.07	71.26	604.59	21.31	269.47	9.70

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	36.94	1.33

अनुलग्नक 5.07 (पैरा 5.3.2)

आर सी एल/ आर टी एल द्वारा कमीशन/बट्टे के समंजन (सेटिंग ऑफ) के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1939.26	193.93	2290.96	84.77	707.12	24.75	1405.92	140.59	1662.50	58.19	552.78	19.35	1156.44	106.97	1288.83	45.11	578.49	20.25
बिहार	898.11	53.89	1420.28	46.87	0.00	0.00	636.54	38.19	1026.72	33.88	0.00	0.00	544.42	36.75	929.18	30.66	0.00	0.00
दिल्ली	3082.04	308.20	2699.18	90.42	1514.62	53.77	2343.43	234.34	1948.21	65.27	1260.19	44.74	1824.79	168.79	1505.95	50.45	1268.74	45.04
गुजरात	1488.06	148.81	1380.98	51.10	888.14	31.08	1058.79	105.88	1013.43	37.50	643.80	22.53	944.49	87.37	807.01	29.86	709.15	24.82
हरियाणा	481.38	38.51	440.27	16.29	348.78	12.21	299.86	23.99	302.34	10.58	204.82	7.17	254.64	20.37	240.23	8.41	189.98	6.65
हिमाचल प्रदेश	77.42	4.65	110.80	4.10	0.00	0.00	59.08	3.54	81.73	2.86	0.00	0.00	41.27	2.79	65.15	2.28	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	137.69	8.26	2.91	0.09	225.36	7.89	145.90	8.75	1.63	0.05	249.85	8.74	151.93	10.26	4.53	0.14	256.02	8.96
कर्नाटक	1768.45	176.84	1496.03	55.35	851.30	29.80	1389.64	138.96	1120.64	41.46	598.08	20.93	1150.22	106.40	926.77	34.29	515.93	18.06
केरल	731.14	58.49	987.88	38.53	147.48	5.46	464.73	37.18	626.07	23.16	108.79	4.03	374.21	29.94	484.89	17.94	115.16	4.26
कोलकाता	662.49	66.25	952.63	31.91	0.00	0.00	462.10	46.21	697.12	23.35	0.00	0.00	357.63	33.08	541.26	18.13	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	984.28	78.74	1514.41	56.03	0.00	0.00	755.91	60.47	1159.64	40.59	0.00	0.00	555.03	44.40	933.95	32.69	0.00	0.00
महाराष्ट्र	2029.59	202.96	1836.06	71.61	1294.32	45.30	1445.86	144.59	1387.61	51.34	916.93	32.09	1230.76	113.85	1158.48	42.86	826.98	28.94
मुम्बई	2980.15	298.02	2838.10	100.75	1049.26	39.87	2275.31	227.53	2095.16	74.38	827.15	31.43	1764.72	163.24	1718.62	61.01	763.72	29.02
उड़ीसा	228.31	13.70	324.27	12.00	0.00	0.00	160.02	9.60	210.84	7.38	0.00	0.00	90.84	6.13	152.20	5.33	0.00	0.00
पंजाब	665.23	53.22	534.61	19.78	515.09	18.03	457.60	36.61	371.08	12.99	371.71	13.01	380.47	30.44	261.78	9.16	361.65	12.66
राजस्थान	955.11	76.41	923.90	34.18	634.16	23.46	634.74	50.78	607.67	21.27	458.48	16.96	555.70	44.46	427.19	14.95	506.82	18.75
तमिलनाडु	1696.61	169.66	1846.14	68.31	571.55	21.15	1298.90	129.89	1434.38	50.20	432.60	16.01	1231.97	113.96	1248.95	43.71	632.34	23.40
उत्तर प्रदेश (पू)	1645.39	131.63	1727.10	63.90	957.86	35.44	1221.27	97.70	1250.32	43.76	812.64	30.07	1021.67	81.73	961.06	33.64	761.39	28.17
उत्तर प्रदेश (प)	1287.02	102.96	1224.42	47.75	899.93	33.30	898.74	71.90	848.71	31.40	689.57	25.51	693.12	55.45	619.52	22.92	563.33	20.84
पश्चिम बंगाल	388.25	31.06	575.09	21.28	0.00	0.00	283.54	22.68	388.80	13.61	0.00	0.00	182.76	14.62	311.74	10.91	0.00	0.00
एन एल डी	9034.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6497.45	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5902.12	398.39	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	2570.97	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2166.66	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2227.81	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	35731.00	2912.48	25126.04	915.02	10604.96	381.50	26362.00	2149.25	18234.60	643.22	8127.40	292.57	22637.00	1819.74	14587.28	514.46	8049.72	289.82

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2013-14						2014-15					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	सी डी एम ए एस यू सी जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	जी एस एम एस यू सी जी आर की राशि	जी एस एम-एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1197.61	95.81	1124.29	39.35	785.30	27.49	982.29	78.58	804.21	28.15	759.91	26.60
बिहार	558.63	44.69	941.09	31.06	0.00	0.00	458.87	36.71	804.23	26.54	0.00	0.00
दिल्ली	2006.67	160.53	1314.82	44.05	1663.74	59.06	1872.85	149.83	1029.73	34.50	1901.32	67.50
गुजरात	963.24	77.06	662.60	24.52	868.23	30.39	821.22	65.70	488.57	18.08	904.25	31.65
हरियाणा	263.10	21.05	200.27	7.01	238.00	8.33	206.92	16.55	129.03	4.52	218.90	7.66
हिमाचल प्रदेश	32.40	2.59	50.42	1.76	0.00	0.00	27.06	2.16	40.13	1.40	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	190.65	15.25	2.92	0.09	319.78	11.19	172.22	13.78	2.02	0.06	294.12	10.29
कर्नाटक	1204.34	96.35	805.57	29.81	661.92	23.17	1114.11	89.13	632.71	23.41	738.31	25.84
केरल	362.00	28.96	416.31	15.40	157.73	5.84	321.16	25.69	299.80	11.09	210.88	7.80
कोलकाता	309.28	24.74	456.56	15.29	0.00	0.00	259.84	20.79	336.36	11.27	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	490.20	39.22	813.86	28.49	0.00	0.00	383.07	30.65	629.72	22.04	0.00	0.00
महाराष्ट्र	1148.68	91.89	1035.58	38.32	791.21	27.69	958.92	76.71	799.98	29.60	696.13	24.36
मुम्बई	1894.86	151.59	1591.30	56.49	1083.28	41.16	1907.65	152.61	1389.03	49.31	1531.84	60.05
उड़ीसा	74.07	5.93	121.15	4.24	0.00	0.00	59.31	4.75	90.16	3.16	0.00	0.00
पंजाब	475.17	38.01	206.17	7.22	567.93	19.88	468.42	37.47	155.36	5.44	640.25	22.41
राजस्थान	697.48	55.80	349.40	12.23	812.04	30.05	684.14	54.73	282.08	9.87	956.50	35.39
तमिलनाडु	1388.76	111.10	1138.04	39.83	979.38	36.24	1239.32	99.15	913.15	31.96	1010.54	37.39
उत्तर प्रदेश (पू)	901.71	72.14	797.91	27.93	704.49	26.07	715.81	57.26	537.04	18.80	667.95	24.71
उत्तर प्रदेश (प)	551.86	44.15	459.92	17.02	467.04	17.28	424.02	33.92	285.38	10.56	448.14	16.58
पश्चिम बंगाल	159.07	12.73	267.75	9.37	0.00	0.00	121.18	9.69	213.24	7.46	0.00	0.00
एन एल डी	5826.63	466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.13	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	2159.60	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2321.50	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	22856.00	1828.48	12755.93	449.46	10100.07	363.83	20841.00	1667.28	9861.96	347.21	10979.04	398.24

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव
असम	2336.45	140.19	109.81	1883.82	113.03	88.54	1751.71	118.24	82.33	1569.25	125.54	73.75	1421.86	113.75	66.83
बिहार	2920.12	175.21	160.61	2183.03	130.98	120.07	2439.72	164.68	134.18	2473.85	197.91	111.32	2495.26	199.62	112.29
हिमाचल प्रदेश	706.89	42.41	31.81	523.40	31.40	23.55	583.65	39.40	26.26	644.32	51.55	28.99	619.21	49.54	27.86
वोलकाता	1381.40	138.14	60.09	882.20	88.22	38.38	1095.49	101.33	47.65	1159.65	92.77	50.44	1229.07	98.33	53.46
मध्य प्रदेश	4004.81	320.38	180.22	3495.94	279.67	157.32	4037.27	322.98	181.68	4177.05	334.16	187.97	3663.23	293.06	164.85
नार्थ ईस्ट	564.49	33.87	25.40	507.29	30.44	22.83	533.54	36.01	24.01	472.94	37.84	21.28	376.61	30.13	16.95
उड़ीसा	1794.58	107.68	80.76	1217.44	73.05	54.78	1193.02	80.53	53.69	1284.76	102.78	57.81	1191.67	95.33	53.62
पश्चिम बंगाल	1566.26	125.30	70.48	1627.89	130.23	73.25	1997.58	159.81	89.89	2185.18	174.81	98.33	1900.09	152.01	85.50
	15275.00	1083.18	719.18	12321.00	877.02	578.72	13632.00	1022.98	639.70	13967.00	1117.36	629.91	12897.00	1031.76	581.37

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	1284.27	103.77
आर टी एल	680.92	51.32
कुल	1965.19	155.10

अनुलग्नक 5.08 (पैरा 5.4.1)

आर सी एल/ आर टी एल द्वारा जी आर हेतु ब्याज आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	3263.60	326.36	3859.22	135.07	1283.19	44.91	3159.17	292.22	3520.85	123.23	1580.33	55.31
बिहार	1477.63	88.66	2383.35	78.65	0.00	0.00	1487.25	100.39	2538.35	83.77	0.00	0.00
दिल्ली	5439.88	543.99	4522.45	151.50	2925.33	103.85	4984.97	461.11	4113.97	137.82	3465.96	123.04
गुजरात	2457.82	245.78	2352.50	87.04	1494.49	52.31	2580.18	238.67	2204.60	81.57	1937.26	67.80
हरियाणा	696.07	55.69	701.83	24.56	475.45	16.64	695.64	55.65	656.26	22.97	519.00	18.16
हिमाचल प्रदेश	137.14	8.23	189.71	6.64	0.00	0.00	112.73	7.61	177.97	6.23	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	338.68	20.32	3.79	0.11	580.00	20.30	415.03	28.01	12.36	0.37	699.41	24.48
कर्नाटक	3225.81	322.58	2601.38	96.25	1388.35	48.59	3142.19	290.65	2531.75	93.67	1409.43	49.33
केरल	1078.81	86.30	1453.33	53.77	252.54	9.34	1022.27	81.78	1324.63	49.01	314.59	11.64
कोलकाता	1072.70	107.27	1618.26	54.21	0.00	0.00	976.99	90.37	1478.63	49.53	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1754.73	140.38	2691.92	94.22	0.00	0.00	1516.24	121.30	2551.39	89.30	0.00	0.00
महाराष्ट्र	3356.32	335.63	3221.11	119.18	2128.50	74.50	3362.21	311.00	3164.75	117.10	2259.16	79.07
मुम्बई	5281.76	528.18	4863.57	172.66	1920.10	72.96	4820.87	445.93	4694.94	166.67	2086.33	79.28
उड़ीसा	371.47	22.29	489.42	17.13	0.00	0.00	248.15	16.75	415.77	14.55	0.00	0.00
पंजाब	1062.25	84.98	861.41	30.15	862.87	30.20	1039.37	83.15	715.14	25.03	987.97	34.58
राजस्थान	1473.45	117.88	1410.61	49.37	1064.29	39.38	1518.08	121.45	1167.00	40.85	1384.54	51.23
तमिलनाडु	3015.19	301.52	3329.67	116.54	1004.21	37.16	3365.52	311.31	3411.91	119.42	1727.44	63.92
उत्तर प्रदेश (पू)	2834.97	226.80	2902.42	101.58	1886.41	69.80	2791.00	223.28	2625.43	91.89	2079.97	76.96
उत्तर प्रदेश (प)	2086.29	166.90	1970.13	72.89	1600.72	59.23	1893.48	151.48	1692.42	62.62	1538.92	56.94
पश्चिम बंगाल	658.18	52.65	902.54	31.59	0.00	0.00	499.27	39.94	851.62	29.81	0.00	0.00
एन एल डी	15082.78	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16123.47	1088.33	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	5029.56	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6085.95	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल आर सी एल	61195.08	4989.12	42328.63	1493.13	18866.44	679.16	61840.01	4971.19	39849.71	1405.40	21990.31	791.74

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2013-14						2014-15					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	3189.58	255.17	2994.31	104.80	2091.48	73.20	1196.95	95.76	979.95	34.30	925.97	32.41
बिहार	1487.80	119.02	2506.41	82.71	0.00	0.00	559.14	44.73	979.98	32.34	0.00	0.00
दिल्ली	5344.35	427.55	3501.75	117.31	4431.02	157.30	2282.11	182.57	1254.75	42.03	2316.81	82.25
गुजरात	2565.38	205.23	1764.69	65.29	2312.34	80.93	1000.67	80.05	595.34	22.03	1101.85	38.56
हरियाणा	700.71	56.06	533.39	18.67	633.88	22.19	252.14	20.17	157.23	5.50	266.73	9.34
हिमाचल प्रदेश	86.30	6.90	134.28	4.70	0.00	0.00	32.97	2.64	48.90	1.71	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	507.76	40.62	7.78	0.23	851.66	29.81	209.85	16.79	2.47	0.07	358.39	12.54
कर्नाटक	3207.50	256.60	2145.46	79.38	1762.89	61.70	1357.57	108.61	770.97	28.53	899.65	31.49
केरल	964.12	77.13	1108.76	41.02	420.08	15.54	391.34	31.31	365.31	13.52	256.97	9.51
कोलकाता	823.70	65.90	1215.96	40.73	0.00	0.00	316.62	25.33	409.86	13.73	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1305.54	104.44	2167.55	75.86	0.00	0.00	466.78	37.34	767.33	26.86	0.00	0.00
महाराष्ट्र	3059.27	244.74	2758.05	102.05	2107.21	73.75	1168.47	93.48	974.80	36.07	848.25	29.69
मुंबई	5046.56	403.73	4238.11	150.45	2885.09	109.63	2324.52	185.96	1692.57	60.09	1866.59	73.17
उड़ीसा	197.28	15.78	322.66	11.29	0.00	0.00	72.27	5.78	109.87	3.85	0.00	0.00
पंजाब	1265.51	101.24	549.08	19.22	1512.57	52.94	570.78	45.66	189.32	6.63	780.16	27.31
राजस्थान	1857.60	148.61	930.54	32.57	2162.71	80.02	833.64	66.69	343.73	12.03	1165.52	43.12
तमिलनाडु	3698.67	295.89	3030.94	106.08	2608.38	96.51	1510.14	120.81	1112.70	38.94	1231.37	45.56
उत्तर प्रदेश (पू)	2401.51	192.12	2125.07	74.38	1876.27	69.42	872.23	69.78	654.39	22.90	813.91	30.11
उत्तर प्रदेश (प)	1469.76	117.58	1224.89	45.32	1243.86	46.02	516.68	41.33	347.74	12.87	546.06	20.20
पश्चिम बंगाल	423.65	33.89	713.10	24.96	0.00	0.00	147.65	11.81	259.84	9.09	0.00	0.00
एन एल डी	15518.02	1241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6483.92	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	5751.65	460.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2828.80	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	60872.21	4869.78	33972.78	1197.04	26899.43	968.97	25395.26	2031.62	12017.04	423.08	13378.22	485.26

(₹ लाख में)

आर टी एल एल एस ए	2013-14			2014-15		
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव
असम	24.73	1.98	1.16	42.87	3.43	2.01
बिहार	38.99	3.12	1.75	75.23	6.02	3.39
हिमाचल प्रदेश	10.15	0.81	0.46	18.67	1.49	0.84
कोलकाता	18.28	1.46	0.79	37.05	2.96	1.61
मध्य प्रदेश	65.83	5.27	2.96	110.44	8.84	4.97
नार्थ ईस्ट	7.45	0.60	0.34	11.35	0.91	0.51
उड़ीसा	20.25	1.62	0.91	35.93	2.87	1.62
पश्चिम बंगाल	34.44	2.75	1.55	57.28	4.58	2.58
	220.11	17.61	9.93	388.82	31.11	17.53

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि		एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	2093.02	168.61	74.43
आर टी एल	27.61	2.04	1.29
कुल	2120.63	170.65	75.72

अनुलग्नक 5.09 (पैरा 5.4.2)
आर सी एल/ आर टी एल द्वारा जी आर हेतु अन्य आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2497.70	249.77	2950.67	109.17	910.74	31.88	744.19	74.42	880.01	30.80	292.60	10.24	631.55	58.42	703.85	24.63	315.92	11.06
बिहार	1156.73	69.40	1829.27	60.37	0.00	0.00	336.94	20.22	543.47	17.93	0.00	0.00	297.32	20.07	507.44	16.75	0.00	0.00
दिल्ली	3969.56	396.96	3476.45	116.46	1950.77	69.25	1240.44	124.04	1031.24	34.55	667.06	23.68	996.55	92.18	822.42	27.55	692.88	24.60
गुजरात	1916.57	191.66	1778.65	65.81	1143.89	40.04	560.45	56.04	536.44	19.85	340.78	11.93	515.80	47.71	440.72	16.31	387.28	13.55
हरियाणा	620.00	49.60	567.05	20.98	449.21	15.72	158.72	12.70	160.04	5.60	108.41	3.79	139.06	11.13	131.19	4.59	103.75	3.63
हिमाचल प्रदेश	99.71	5.98	142.71	5.28	0.00	0.00	31.27	1.88	43.26	1.51	0.00	0.00	22.54	1.52	35.58	1.25	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	177.35	10.64	3.75	0.11	290.25	10.16	77.23	4.63	0.86	0.03	132.26	4.63	82.97	5.60	2.47	0.07	139.82	4.89
कर्नाटक	2277.70	227.77	1926.84	71.29	1096.44	38.38	735.57	73.56	593.18	21.95	316.58	11.08	628.15	58.10	506.12	18.73	281.76	9.86
केरल	941.68	75.33	1272.35	49.62	189.95	7.03	246.00	19.68	331.40	12.26	57.59	2.13	204.36	16.35	264.81	9.80	62.89	2.33
कोलकाता	853.26	85.33	1226.96	41.10	0.00	0.00	244.60	24.46	369.01	12.36	0.00	0.00	195.31	18.07	295.59	9.90	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1267.72	101.42	1950.50	72.17	0.00	0.00	400.13	32.01	613.83	21.48	0.00	0.00	303.11	24.25	510.05	17.85	0.00	0.00
महाराष्ट्र	2614.04	261.40	2364.78	92.23	1667.04	0.00	765.33	76.53	734.50	27.18	485.36	16.99	672.14	62.17	632.66	23.41	451.63	15.81
मुंबई	3838.33	383.83	3655.37	129.77	1351.41	51.35	1204.38	120.44	1109.03	39.37	437.83	16.64	963.74	89.15	938.56	33.32	417.08	15.85
उड़ीसा	294.05	17.64	417.65	15.45	0.00	0.00	84.71	5.08	111.60	3.91	0.00	0.00	49.61	3.35	83.12	2.91	0.00	0.00
पंजाब	856.80	68.54	688.56	25.48	663.42	23.22	242.22	19.38	196.42	6.87	196.76	6.89	207.78	16.62	142.96	5.00	197.51	6.91
राजस्थान	1230.14	98.41	1189.94	44.03	816.78	30.22	335.99	26.88	321.66	11.26	242.69	8.98	303.48	24.28	233.30	8.17	276.78	10.24
तमिलनाडु	2185.17	218.52	2377.76	87.98	736.13	27.24	687.55	68.75	759.26	26.57	228.99	8.47	672.80	62.23	682.07	23.87	345.33	12.78
उत्तर प्रदेश (पू)	2119.20	169.54	2224.44	82.30	1233.69	45.65	646.45	51.72	661.83	23.16	430.15	15.92	557.95	44.64	524.85	18.37	415.81	15.38
उत्तर प्रदेश (प)	1657.64	132.61	1577.01	61.50	1159.08	42.89	475.73	38.06	449.24	16.62	365.01	13.51	378.53	30.28	338.33	12.52	307.65	11.38
पश्चिम बंगाल	500.05	40.00	740.70	27.41	0.00	0.00	150.08	12.01	205.80	7.20	0.00	0.00	99.81	7.98	170.25	5.96	0.00	0.00
एन एल डी	11635.52	698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3439.29	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3223.24	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	3311.32	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.88	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1216.64	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	46020.21	3751.17	32361.41	1178.51	13658.80	433.01	13954.15	1137.66	9652.09	340.48	4302.06	154.87	12362.43	993.79	7966.35	280.95	4396.08	158.28

आर सी एल एल एस ए	2013-14						2014-15					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी- सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	152.96	12.24	143.59	5.03	100.30	3.51	382.44	30.60	313.11	10.96	295.86	10.36
बिहार	71.35	5.71	120.19	3.97	0.00	0.00	178.65	14.29	313.12	10.33	0.00	0.00
दिल्ली	256.29	20.50	167.93	5.63	212.49	7.54	729.17	58.33	400.91	13.43	740.26	26.28
गुजरात	123.02	9.84	84.63	3.13	110.89	3.88	319.73	25.58	190.22	7.04	352.06	12.32
हरियाणा	33.60	2.69	25.58	0.90	30.40	1.06	80.56	6.45	50.24	1.76	85.22	2.98
हिमाचल प्रदेश	4.14	0.33	6.44	0.23	0.00	0.00	10.53	0.84	15.63	0.55	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	24.35	1.95	0.37	0.01	40.84	1.43	67.05	5.36	0.79	0.02	114.51	4.01
कर्नाटक	153.82	12.31	102.89	3.81	84.54	2.96	433.77	34.70	246.34	9.11	287.45	10.06
केरल	46.23	3.70	53.17	1.97	20.14	0.75	125.04	10.00	116.72	4.32	82.10	3.04
कोलकाता	39.50	3.16	58.31	1.95	0.00	0.00	101.16	8.09	130.96	4.39	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	62.61	5.01	103.94	3.64	0.00	0.00	149.14	11.93	245.17	8.58	0.00	0.00
महाराष्ट्र	146.71	11.74	132.26	4.89	101.05	3.54	373.34	29.87	311.46	11.52	271.03	9.49
मुम्बई	242.01	19.36	203.24	7.21	138.35	5.26	742.72	59.42	540.80	19.20	596.40	23.38
उड़ीसा	9.46	0.76	15.47	0.54	0.00	0.00	23.09	1.85	35.10	1.23	0.00	0.00
पंजाब	60.69	4.85	26.33	0.92	72.54	2.54	182.37	14.59	60.49	2.12	249.27	8.72
राजस्थान	89.08	7.13	44.62	1.56	103.71	3.84	266.36	21.31	109.83	3.84	372.40	13.78
तमिलनाडु	177.37	14.19	145.35	5.09	125.08	4.63	482.51	38.60	355.52	12.44	393.44	14.56
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	115.16	9.21	101.91	3.57	89.98	3.33	278.69	22.30	209.09	7.32	260.06	9.62
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	70.48	5.64	58.74	2.17	59.65	2.21	165.09	13.21	111.11	4.11	174.48	6.46
पश्चिम बंगाल	20.32	1.63	34.20	1.20	0.00	0.00	47.18	3.77	83.02	2.91	0.00	0.00
एन एल डी	744.16	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2071.71	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	275.82	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	903.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2919.11	233.53	1629.16	57.40	1289.96	46.47	8114.18	649.13	3839.63	135.18	4274.55	155.05

(₹ लाख में)

आर टी एल एल एस ए	2013-14			2014-15		
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव
असम	609.29	48.74	28.64	127.76	10.22	6.00
बिहार	960.52	76.84	43.22	224.22	17.94	10.09
हिमाचल प्रदेश	250.17	20.01	11.26	55.64	4.45	2.50
कोलकाता	450.26	36.02	19.59	110.44	8.84	4.80
मध्य प्रदेश	1621.82	129.75	72.98	329.17	26.33	14.81
नार्थ ईस्ट	183.63	14.69	8.26	33.84	2.71	1.52
उड़ीसा	498.83	39.91	22.45	107.08	8.57	4.82
पश्चिम बंगाल	848.44	67.87	38.18	170.74	13.66	7.68
	5422.95	433.84	244.58	1158.89	92.71	52.24

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	833.70	67.65
आर टी एल	107.67	8.23
कुल	941.37	75.89

अनुलग्नक 5.10 (पैरा 5.4.3)

आर सी एल/ आर टी एल द्वारा जी आर हेतु फोरेक्स लाभ पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11						2011-12						2012-13					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1667.41	166.74	1969.80	72.88	607.99	21.28	727.10	72.71	859.80	30.09	285.88	10.01	419.35	38.79	467.36	16.36	209.78	7.34
बिहार	772.21	46.33	1221.18	40.30	0.00	0.00	329.20	19.75	530.99	17.52	0.00	0.00	197.42	13.33	336.95	11.12	0.00	0.00
दिल्ली	2649.99	265.00	2320.80	77.75	1302.29	46.23	1211.96	121.20	1007.56	33.75	651.74	23.14	661.72	61.21	546.10	18.29	460.08	16.33
गुजरात	1279.46	127.95	1187.39	43.93	763.63	26.73	547.58	54.76	524.12	19.39	332.96	11.65	342.50	31.68	292.64	10.83	257.16	9.00
हरियाणा	413.90	33.11	378.55	14.01	299.88	10.50	155.08	12.41	156.36	5.47	105.92	3.71	92.34	7.39	87.11	3.05	68.89	2.41
हिमाचल प्रदेश	66.57	3.99	95.27	3.52	0.00	0.00	30.55	1.83	42.27	1.48	0.00	0.00	14.96	1.01	23.62	0.83	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	118.39	7.10	2.50	0.08	193.77	6.78	75.45	4.53	0.84	0.03	129.22	4.52	55.09	3.72	1.64	0.05	92.84	3.25
कर्नाटक	1520.54	152.05	1286.32	47.59	731.96	25.62	718.68	71.87	579.56	21.44	309.31	10.83	417.10	38.58	336.07	12.43	187.09	6.55
केरल	628.65	50.29	849.39	33.13	126.80	4.69	240.35	19.23	323.79	11.98	56.26	2.08	135.70	10.86	175.83	6.51	41.76	1.55
कोलकाता	569.62	56.96	819.09	27.44	0.00	0.00	238.99	23.90	360.53	12.08	0.00	0.00	129.69	12.00	196.28	6.58	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	846.30	67.70	1302.12	48.18	0.00	0.00	390.94	31.28	599.74	20.99	0.00	0.00	201.27	16.10	338.68	11.85	0.00	0.00
महाराष्ट्र	1745.08	174.51	1578.68	61.57	1112.88	38.95	747.76	74.78	717.63	26.55	474.21	16.60	446.31	41.28	420.09	15.54	299.88	10.50
मुम्बई	2562.38	256.24	2440.25	86.63	902.17	34.28	1176.73	117.67	1083.56	38.47	427.78	16.26	639.93	59.19	623.22	22.12	276.94	10.52
उड़ीसा	196.30	11.78	278.81	10.32	0.00	0.00	82.76	4.97	109.04	3.82	0.00	0.00	32.94	2.22	55.19	1.93	0.00	0.00
पंजाब	571.98	45.76	459.67	17.01	442.88	15.50	236.66	18.93	191.91	6.72	192.24	6.73	137.97	11.04	94.93	3.32	131.15	4.59
राजस्थान	821.22	65.70	794.38	29.39	545.27	20.17	328.27	26.26	314.27	11.00	237.11	8.77	201.51	16.12	154.91	5.42	183.79	6.80
तमिलनाडु	1458.77	145.88	1587.34	58.73	491.42	18.18	671.76	67.18	741.82	25.96	223.73	8.28	446.75	41.32	452.90	15.85	229.30	8.48
उत्तर प्रदेश (पू)	1414.73	113.18	1484.99	54.94	823.58	30.47	631.61	50.53	646.63	22.63	420.27	15.55	370.48	29.64	348.50	12.20	276.10	10.22
उत्तर प्रदेश (प)	1106.60	88.53	1052.78	41.06	773.78	28.63	464.81	37.18	438.93	16.24	356.63	13.20	251.34	20.11	224.65	8.31	204.28	7.56
पश्चिम बंगाल	333.82	26.71	494.48	18.30	0.00	0.00	146.64	11.73	201.08	7.04	0.00	0.00	66.27	5.30	113.05	3.96	0.00	0.00
एन एल डी	7767.62	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.30	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.26	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	2210.56	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.54	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807.86	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	30722.11	2504.20	21603.79	786.75	9118.32	328.02	13633.70	1111.53	9430.43	332.66	4203.27	151.31	8208.76	659.89	5289.73	186.56	2919.04	105.10

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2013-14						2014-15					
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी-सी डी एम ए जी आर की राशि	एस यू सी-सी डी एम ए पर प्रभाव	एस यू सी जी एस एम जी आर की राशि	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	408.84	32.71	383.81	13.43	268.08	9.38	149.75	11.98	122.60	4.29	115.85	4.05
बिहार	190.71	15.26	321.27	10.60	0.00	0.00	69.96	5.60	122.61	4.05	0.00	0.00
दिल्ली	685.03	54.80	448.85	15.04	567.97	20.16	285.52	22.84	156.99	5.26	289.86	10.29
गुजरात	328.83	26.31	226.20	8.37	296.39	10.37	125.20	10.02	74.48	2.76	137.85	4.82
हरियाणा	89.82	7.19	68.37	2.39	81.25	2.84	31.55	2.52	19.67	0.69	33.37	1.17
हिमाचल प्रदेश	11.06	0.88	17.21	0.60	0.00	0.00	4.13	0.33	6.12	0.21	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	65.08	5.21	1.00	0.03	109.17	3.82	26.25	2.10	0.31	0.01	44.84	1.57
कर्नाटक	411.14	32.89	275.00	10.18	225.97	7.91	169.85	13.59	96.46	3.57	112.56	3.94
केरल	123.58	9.89	142.12	5.26	53.85	1.99	48.96	3.92	45.71	1.69	32.15	1.19
कोलकाता	105.58	8.45	155.86	5.22	0.00	0.00	39.61	3.17	51.28	1.72	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	167.34	13.39	277.84	9.72	0.00	0.00	58.40	4.67	96.00	3.36	0.00	0.00
महाराष्ट्र	392.13	31.37	353.52	13.08	270.10	9.45	146.19	11.70	121.96	4.51	106.13	3.71
मुम्बई	646.87	51.75	543.24	19.28	369.81	14.05	290.83	23.27	211.76	7.52	233.53	9.15
उड़ीसा	25.29	2.02	41.36	1.45	0.00	0.00	9.04	0.72	13.75	0.48	0.00	0.00
पंजाब	162.21	12.98	70.38	2.46	193.88	6.79	71.41	5.71	23.69	0.83	97.61	3.42
राजस्थान	238.11	19.05	119.28	4.17	277.21	10.26	104.30	8.34	43.00	1.51	145.82	5.40
तमिलनाडु	474.09	37.93	388.50	13.60	334.34	12.37	188.94	15.12	139.21	4.87	154.06	5.70
उत्तर प्रदेश (पू)	307.82	24.63	272.39	9.53	240.50	8.90	109.13	8.73	81.87	2.87	101.83	3.77
उत्तर प्रदेश (प)	188.39	15.07	157.01	5.81	159.44	5.90	64.64	5.17	43.51	1.61	68.32	2.53
पश्चिम बंगाल	54.30	4.34	91.40	3.20	0.00	0.00	18.47	1.48	32.51	1.14	0.00	0.00
एन एल डी	1989.09	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	811.22	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	737.24	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	7802.56	624.20	4354.61	153.44	3447.95	124.20	3177.27	254.18	1503.48	52.93	1673.78	60.71

(₹ लाख में)

आर टी एल एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी - जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव	एल एफ जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी -जी एस एम पर प्रभाव
असम	284.67	17.08	13.38	112.85	6.77	5.30	1102.81	74.44	51.83	67.97	5.44	3.19	8.18	0.65	0.38
बिहार	355.78	21.35	19.57	130.77	7.85	7.19	1535.96	103.68	84.48	107.15	8.57	4.82	14.36	1.15	0.65
हिमाचल प्रदेश	86.13	5.17	3.88	31.35	1.88	1.41	367.45	24.80	16.54	27.91	2.23	1.26	3.56	0.29	0.16
कोलकाता	168.31	16.83	7.32	52.85	5.28	2.30	689.68	63.80	30.00	50.23	4.02	2.18	7.07	0.57	0.31
मध्य प्रदेश	487.94	39.04	21.96	209.42	16.75	9.42	2541.72	203.34	114.38	180.92	14.47	8.14	21.08	1.69	0.95
नार्थ ईस्ट	68.78	4.13	3.09	30.39	1.82	1.37	335.90	22.67	15.12	20.48	1.64	0.92	2.17	0.17	0.10
उड़ीसा	218.65	13.12	9.84	72.93	4.38	3.28	751.08	50.70	33.80	55.65	4.45	2.50	6.86	0.55	0.31
पश्चिम बंगाल	190.83	15.27	8.59	97.52	7.80	4.39	1257.61	100.61	56.59	94.65	7.57	4.26	10.93	0.87	0.49
	1861.08	131.97	87.62	738.08	52.54	34.67	8582.21	644.03	402.73	604.95	48.40	27.28	74.21	5.94	3.35

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	635.44	51.54
आर टी एल	118.61	8.83
कुल	754.05	60.37

अनुलग्नक 5.11 (पैरा 5.4.4)

आर सी एल द्वारा जी आर हेतु बैंडविड्थ की बिक्री से राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

आर सी एल एल एस ए	2010-11			2011-12		
	राशि जैसाकि ए जी आर में है	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	सी डी एम ए - एस यू सी पर प्रभाव	राशि जैसाकि ए जी आर में है	जी एस एम- एस यू सी पर प्रभाव	सी डी एम ए -एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2911.57	101.90	0.00	2859.97	100.10	0.00
बिहार	1893.68	0.00	62.49	2088.74	0.00	68.93
दिल्ली	12450.33	441.99	0.00	12953.85	459.86	0.00
गुजरात	1548.46	54.20	0.00	1572.74	55.05	0.00
हरियाणा	169.15	5.92	0.00	130.79	4.58	0.00
हिमाचल प्रदेश	51.68	0.00	1.91	45.85	0.00	1.60
जम्मू एवं कश्मीर	40.03	1.40	0.00	26.66	0.93	0.00
कर्नाटक	5134.89	179.72	0.00	5027.48	175.96	0.00
केरल	688.29	25.47	0.00	709.91	26.27	0.00
कोलकाता	1383.28	0.00	46.34	715.40	0.00	23.97
महाराष्ट्र	1846.20	64.62	0.00	1549.54	54.23	0.00
मध्य प्रदेश	2486.64	0.00	92.01	3758.74	0.00	131.56
मुम्बई	12718.29	483.30	0.00	12511.58	475.44	0.00
उड़ीसा	1300.96	0.00	48.14	1854.59	0.00	64.91
पंजाब	447.47	15.66	0.00	410.10	14.35	0.00
राजस्थान	299.34	11.08	0.00	330.06	12.21	0.00
तमिलनाडु	3546.07	131.20	0.00	3542.49	131.07	0.00
उत्तर प्रदेश (पू)	419.16	15.51	0.00	449.17	16.62	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	357.16	13.21	0.00	275.53	10.19	0.00
पश्चिम बंगाल	1790.26	0.00	66.24	3041.44	0.00	106.45
कुल यू ए एस एल	51482.89	1545.17	317.12	53854.65	1536.87	397.42

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि		एस यू सी पर प्रभाव
आर सी एल	1053.38	37.97

अनुलग्नक 5.12 (पैरा 5.6)
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	60		48		36		24		12		कुल		
				दर @ (पी एल आर+2)%		15		16.75		16.45		16.75			16.75	
				मामले		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			2014-15	
एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज			
1	5.2.1अ	5.01	मूल्य संग्रहित सेवाएँ (आर वर्ल्ड, एस एम एस कंटेंट)	3309.59	1473.30	2642.19	1150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8575.51		
2	5.2.1ब	5.02	कालर रिंग बैंक टोन	1634.41	727.57	925.14	402.81	115.35	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.27		
3	5.2.1स	5.03	ब्लैकबेरी सेवाएँ	216.90	96.55	223.66	97.38	156.28	69.07	20.78	9.24	0.00	0.00	889.87		
4	5.2.1द	5.04	आरकनेक्ट सेवाएँ	5725.11	2548.59	3277.03	1426.84	2195.48	970.34	1183.53	526.42	0.00	0.00	17853.35		
5	5.2.1च	5.05	एफ डब्ल्यू पी/टी स्थापना	150.18	66.85	44.49	19.36	3.39	1.50	0.15	0.07	0.04	0.02	286.05		
6	5.2.1छ	5.06	सिम कार्डों की बिक्री	254.51	113.30	67.36	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.48		
7	5.3.2	5.07	कमीशन/बट्टे का सेटिंग ऑफ	4423.92	2231.74	2860.44	1431.53	1798.19	913.40	1162.74	569.64	488.46	240.12	16120.19		
8	5.4.1	5.08	ब्याज आय	126.57	84.04	4715.74	2053.27	3170.19	1405.84	1929.08	858.86	373.31	167.56	14884.44		
9	5.4.2	5.09	अन्य आय	4479.15	2000.65	1075.32	468.20	630.22	278.83	263.41	137.53	134.26	61.98	9529.55		
10	5.4.3	5.10	फोरेक्स लाभ	2918.72	1331.26	1100.28	490.22	824.80	439.24	265.48	120.35	47.08	21.17	7558.61		
11	5.4.4	5.11	बैंडविड्थ की बिक्री	0.00	2061.90	0.00	1828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.20		
कुल				23239.06	12735.75	16931.65	9397.65	8893.9	4129.2	4825.17	2222.11	1043.15	490.85	83908.52		

अर्थात् ₹ 839.09 करोड़

अनुलग्नक -6.01 [पैरा 6.2.1]
वितरकों के कमीशन पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	वित्तीय वर्ष														
		2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	2,231.66	133.90	78.11	2,613.59	156.82	104.54	2,568.76	173.39	102.75	2,824.80	225.98	112.99	2,963.14	237.05	118.53
	बिहार	1,118.95	67.14	27.97	967.30	58.04	29.02	1,151.50	77.73	34.54	1,710.37	136.83	51.31	2,224.45	177.96	66.73
	हरियाणा	54.36	4.35	1.09	113.06	9.04	2.26	123.13	9.85	2.46	0.07	0.01	0.00	2.00	0.16	0.04
	हिमाचल प्रदेश	229.42	13.77	4.59	220.07	13.20	4.40	270.02	18.23	5.40	326.78	26.14	6.54	424.09	33.93	8.48
	जम्मू एव कश्मीर	1,593.85	95.63	39.85	1,809.94	108.60	54.30	1,901.24	128.33	57.04	2,174.61	173.97	65.24	2,363.28	189.06	78.74
	केरल	407.71	32.62	10.19	381.75	30.54	11.45	261.61	20.93	7.85	0.52	0.04	0.02	5.12	0.41	0.15
	कोलकाता	588.72	58.87	14.72	612.48	61.25	18.37	757.24	70.04	22.72	1,401.94	112.15	42.06	1,976.16	158.09	59.28
	मध्य प्रदेश	135.05	10.80	2.70	237.95	19.04	4.76	149.04	11.92	2.98	0.66	0.05	0.01	3.41	0.27	0.07
	नार्थ ईस्ट	1,733.74	104.02	43.34	1,878.65	112.72	56.36	1,831.41	123.62	54.94	1,979.32	158.35	59.38	2,024.68	161.97	67.46
	उड़ीसा	882.87	52.97	22.07	885.41	53.12	26.56	904.66	61.06	27.14	1,388.97	111.12	41.67	1,686.57	134.93	50.60
	पंजाब	116.22	9.30	2.91	306.93	24.55	9.21	415.88	33.27	12.48	298.69	23.90	8.96	357.62	28.61	10.73
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	414.30	33.14	10.36	771.62	61.73	23.15	1,354.77	108.38	40.64	1,958.46	156.68	58.75	2,484.95	198.80	82.80
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	361.89	28.95	7.24	470.82	37.67	9.42	479.87	38.39	9.60	0.80	0.06	0.02	35.58	2.85	1.03
पश्चिम बंगाल	872.55	69.80	21.81	629.54	50.36	18.89	716.28	57.30	21.49	1,443.39	115.47	43.30	1,982.84	158.63	64.28	
कुल डी डब्ल्यू एल	10,741.30	715.27	286.95	11,899.12	796.68	372.69	12,885.41	932.45	402.03	15,509.38	1,240.75	490.25	18,533.89	1,482.71	608.92	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	600.79	60.08	15.02	770.45	77.04	23.11	936.70	86.64	28.10	982.64	78.61	29.48	1,304.40	104.35	39.13
	दिल्ली	927.85	92.78	37.11	1,071.11	107.11	42.84	1,721.28	159.22	68.85	2,248.32	179.87	89.93	3,078.32	246.27	123.13
	गुजरात	61.68	6.17	1.23	223.16	22.32	4.46	203.49	18.82	4.07	0.88	0.07	0.02	0.82	0.07	0.02
	कर्नाटक	471.03	47.10	11.78	573.27	57.33	17.20	750.53	69.42	22.52	1,280.54	102.44	38.42	1,811.85	144.95	54.36
	महाराष्ट्र	348.22	34.82	6.96	398.81	39.88	7.98	468.46	43.33	9.37	509.79	40.78	10.20	743.73	59.50	14.87
	मुम्बई	603.12	60.31	12.06	643.25	64.32	12.86	777.56	71.92	15.55	1,094.11	87.53	21.88	1,531.89	122.55	30.64
	राजस्थान	99.46	7.96	1.99	816.39	65.31	16.33	1,589.96	127.20	31.80	2,197.51	175.80	43.95	2,679.81	214.39	76.81
	तमिलनाडु	7,579.41	757.94	378.97	7,672.48	767.25	460.35	7,928.52	733.39	475.71	8,956.74	716.54	537.40	10,436.93	834.95	626.22
कुल ए एल	10,691.57	1,067.17	465.13	12,168.91	1,200.56	585.14	14,376.51	1,309.95	655.97	17,270.54	1,381.64	771.28	21,587.76	1,727.02	965.18	
ए सी एल	चैन्नई	1,700.93	170.09	68.04	1,402.11	140.21	56.08	1,442.35	133.42	57.69	1,704.05	136.32	68.16	1,214.56	97.16	48.58
कुल यू ए एस एल	23,133.80	1,952.53	820.11	25,470.14	2,137.45	1,013.91	28,704.26	2,375.82	1,115.69	34,483.97	2,758.72	1,329.69	41,336.20	3,306.90	1,622.68	

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	695.69	51.68	21.61
ए एल	760.95	66.86	34.43
ए सी एल	74.64	6.77	2.98
कुल यू ए एस एल	1,531.28	125.31	59.02

अनुलग्नक -6.02 [पैरा 6.2.2]
अभिदाताओं को दिये गये एफ ए टी, वेवर और छूट को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी	एल एस ए का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	1,684.52	101.07	58.96	1,148.30	68.90	45.93	196.48	13.26	7.86	161.11	12.89	6.44	223.80	17.90	8.95
	बिहार	3.73	0.22	0.09	11.18	0.67	0.34	0.17	0.01	0.01	2.26	0.18	0.07	24.40	1.95	0.73
	हरियाणा	2.48	0.20	0.05	2.10	0.17	0.04	31.70	2.54	0.63	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	26.10	1.57	0.52	0.17	0.01	0.00	1.04	0.08	0.02	44.24	3.54	0.88
	जम्मू एवं कश्मीर	141.45	8.49	3.54	127.43	7.65	3.82	1.00	0.07	0.03	33.29	2.66	1.00	32.78	2.62	1.09
	केरल	27.82	2.23	0.70	89.93	7.19	2.70	20.31	1.63	0.61	-	-	-	-	-	-
	कोलकाता	225.72	22.57	5.64	96.96	9.70	2.91	9.33	0.86	0.28	1.89	0.15	0.06	2.23	0.18	0.07
	मध्य प्रदेश	12.60	1.01	0.25	130.02	1.04	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	नार्थ ईस्ट	244.85	14.69	6.12	300.41	18.02	9.01	51.29	3.46	1.54	73.42	5.87	2.20	122.44	9.79	4.08
	उड़ीसा	53.67	3.22	1.34	49.35	2.96	1.48	186.46	12.59	5.59	40.45	3.24	1.21	11.87	0.95	0.36
	पंजाब	-	-	-	38.67	3.09	1.16	0.01	0.00	0.00	8.11	0.65	0.24	68.51	5.48	2.06
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34.96	2.80	0.87	3.76	0.30	0.11	18.30	1.46	0.55	141.01	11.28	4.23	575.59	46.05	19.18
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5.15	0.41	0.10	110.74	8.86	2.21	6.80	0.54	0.14	-	-	-	117.46	9.40	3.40	
पश्चिम बंगाल	305.68	24.45	7.64	418.05	33.44	12.54	90.24	7.22	2.71	3.95	0.32	0.12	4.84	0.39	0.16	
कुल डी डब्ल्यू एल	2,742.63	181.36	85.31	2,435.99	163.56	83.04	612.28	43.65	19.95	466.54	37.32	15.60	1,228.15	98.25	40.95	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	53.54	5.35	1.34	1,489.10	148.91	44.67	450.90	41.71	13.53	321.00	25.68	9.63	530.97	42.48	15.93
	दिल्ली	10.17	1.02	0.41	38.44	3.84	1.54	53.12	4.91	2.12	5.44	0.44	0.22	32.35	2.59	1.29
	गुजरात	0.12	0.01	0.00	1.94	0.19	0.04	0.90	0.08	0.02	-	-	-	-	-	-
	कर्नाटक	39.08	3.91	0.98	91.90	9.19	2.76	172.44	15.95	5.17	441.44	35.32	13.24	511.01	40.88	15.33
	महाराष्ट्र	9.28	0.93	0.19	103.16	10.32	2.06	11.57	1.07	0.23	38.79	3.10	0.78	121.29	9.70	2.43
	मुम्बई	40.00	4.00	0.80	72.46	7.25	1.45	350.60	32.43	7.01	260.44	20.84	5.21	10.88	0.87	0.22
	राजस्थान	-	-	-	35.87	2.87	0.72	72.43	5.79	1.45	3.38	0.27	0.07	8.07	0.65	0.23
तमिलनाडु	5,538.13	553.81	276.91	7,361.24	736.12	441.67	4,175.07	386.19	250.50	1.85	0.15	0.11	27.57	2.21	1.65	
कुल ए एल	5,690.32	569.03	280.62	9,194.11	918.69	494.91	5,287.02	488.14	280.04	1,072.34	85.79	29.25	1,242.14	99.37	37.08	
ए सी एल	चैन्नई	1,068.17	106.82	42.73	1,655.93	165.59	66.24	448.81	41.51	17.95	0.30	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00
कुल ए सी एल	1,068.17	106.82	42.73	1,655.93	165.59	66.24	448.81	41.51	17.95	0.30	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00	
कुल योग	9,501.13	857.21	408.65	13,286.03	1,247.85	644.19	6,348.11	573.31	317.94	1,539.18	123.13	44.86	2,470.35	197.63	78.04	

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	74.86	5.24	2.45
ए एल	224.86	21.61	11.22
ए सी एल	31.73	3.14	1.27
कुल यू ए एस एल	331.45	29.99	14.94

अनुलग्नक 6.03 [पैरा 6.2.3]
साइट शेयरिंग आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	206.06	12.36	7.21	14.49	0.87	0.58	11.99	0.81	0.48	10.92	0.87	0.44	15.05	1.20	0.60
	बिहार	637.29	38.24	15.93	17.22	1.03	0.52	19.33	1.30	0.58	35.70	2.86	1.07	11.48	0.92	0.34
	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	हिमाचल प्रदेश	121.34	7.28	2.43	12.33	0.74	0.25	14.11	0.95	0.28	20.50	1.64	0.41	19.91	1.59	0.40
	जम्मू एवं कश्मीर	99.19	5.95	2.48	8.04	0.48	0.24	10.40	0.70	0.31	23.06	1.84	0.69	109.26	8.74	3.64
	केरल	115.40	9.23	2.88	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	कोलकाता	398.95	39.90	9.97	21.01	2.10	0.63	30.96	2.86	0.93	35.73	2.86	1.07	36.37	2.91	1.09
	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	नार्थ ईस्ट	88.11	5.29	2.20	2.71	0.16	0.08	2.49	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	10.58	0.85	0.35
	उड़ीसा	601.16	36.07	15.03	28.91	1.73	0.87	47.29	3.19	1.42	35.30	2.82	1.06	44.42	3.55	1.33
	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	उत्तर प्रदेश (पू)	74.62	5.97	1.87	16.53	1.32	0.50	9.09	0.73	0.27	9.65	0.77	0.29	6.80	0.54	0.23
उत्तर प्रदेश (प)	23.90	1.91	0.48	1.26	0.10	0.03	4.84	0.39	0.10	7.54	0.60	0.15	20.92	1.67	0.61	
पश्चिम बंगाल	314.44	25.16	7.86	18.51	1.48	0.56	19.95	1.60	0.60	23.30	1.86	0.70	21.60	1.73	0.70	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	2,680.46	187.35	68.35	141.00	10.03	4.24	170.46	12.70	5.04	201.70	16.14	5.88	296.38	23.71	9.29	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	23.95	2.39	0.60	-	-	-	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	दिल्ली	35.38	3.54	1.42	12.23	1.22	0.49	81.93	7.58	3.28	133.22	10.66	5.33	19.69	1.58	0.79
	गुजरात	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	कर्नाटक	14.96	1.50	0.37	-	-	-	7.48	0.69	0.22	14.15	1.13	0.42	28.01	2.24	0.84
	महाराष्ट्र	208.21	20.82	4.16	21.61	2.16	0.43	21.41	1.98	0.43	26.28	2.10	0.53	26.61	2.13	0.53
	मुम्बई	77.02	7.70	1.54	81.38	8.14	1.63	60.66	5.61	1.21	20.95	1.68	0.42	11.30	0.90	0.23
	राजस्थान	-	-	-	0.62	0.05	0.01	11.52	0.92	0.23	12.59	1.01	0.25	12.43	0.99	0.36
तमिलनाडु	793.85	79.39	39.69	65.73	6.57	3.94	59.76	5.53	3.59	58.46	4.68	3.51	58.30	4.66	3.50	
ए एल यू ए एस एल	1,153.37	115.34	47.79	181.56	18.14	6.50	242.80	22.32	8.96	265.64	21.25	10.46	156.34	12.51	6.24	
ए सी एल	चेन्नई	299.21	29.92	11.97	1.60	0.16	0.06	9.30	0.86	0.37	9.96	0.80	0.40	48.44	3.87	1.94
ए सी एल यू ए एस एल	299.21	29.92	11.97	1.60	0.16	0.06	9.30	0.86	0.37	9.96	0.80	0.40	48.44	3.87	1.94	
कुल यू ए एस एल	4,133.04	332.61	128.10	324.16	28.33	10.81	422.56	35.88	14.38	477.30	38.18	16.74	501.15	40.09	17.47	
एन एल डी										0.05	0.00	-	-	-	-	
आई एल डी										0.04	0.00	-	-	-	-	
आई एस पी										0.00	0.00	-	-	-	-	
कुल गैर यू ए एस एल										0.09	0.01	-	-	-	-	
कुल योग		4,133.04	332.61	128.10	324.16	28.33	10.81	422.56	35.88	14.38	477.39	38.19	16.74	501.15	40.09	17.47

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	34.90	2.50	0.93
ए एल	20.00	1.89	0.80
ए सी एल	3.68	0.36	0.15
कुल यू ए एस एल	58.58	4.75	1.87
कुल	58.58	4.75	1.87

अनुलग्नक 6.04 [पैरा 6.2.4]
विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स) लाभ आय के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	0.24	0.01	0.01	62.61	3.76	2.50	9.97	0.67	0.40	6.45	0.52	0.26	14.64	1.17	0.59
	बिहार	0.16	0.01	0.00	31.86	1.91	0.96	6.64	0.45	0.20	1.79	0.14	0.05	12.92	1.03	0.39
	हरियाणा	78.86	6.31	1.58	11.35	0.91	0.23	2.06	0.16	0.04	181.04	14.48	3.62	0.09	0.01	0.00
	हिमाचल प्रदेश	0.48	0.03	0.01	7.10	0.43	0.14	1.32	0.09	0.03	0.74	0.06	0.01	1.89	0.15	0.04
	जम्मू एवं कश्मीर	0.62	0.04	0.02	41.16	2.47	1.23	7.09	0.48	0.21	0.40	0.03	0.01	9.81	0.78	0.33
	केरल	1.11	0.09	0.03	12.68	1.01	0.38	29.32	2.35	0.88	3,387.40	270.99	101.62	0.06	0.01	0.00
	कोलकाता	12.59	1.26	0.31	154.69	15.47	4.64	807.39	74.68	24.22	1,429.62	114.37	42.89	153.60	12.29	4.61
	मध्य प्रदेश	0.01	0.00	0.00	16.51	1.32	0.33	10.88	0.87	0.22	760.48	60.84	15.21	2.19	0.18	0.04
	नार्थ ईस्ट	0.17	0.01	0.00	42.86	2.57	1.29	8.29	0.56	0.25	5.22	0.42	0.16	9.58	0.77	0.32
	उड़ीसा	0.10	0.01	0.00	23.07	1.38	0.69	4.07	0.27	0.12	1.11	0.09	0.03	7.14	0.57	0.21
	पंजाब	18.74	1.50	0.47	43.29	3.46	1.30	43.43	3.47	1.30	794.42	63.55	23.83	15.59	1.25	0.47
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	72.18	5.77	1.80	805.93	64.47	24.18	3,453.11	276.25	103.59	1.51	0.12	0.05	22.67	1.81	0.76
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	149.90	11.99	3.00	182.33	14.59	3.65	2,214.77	177.18	44.30	4,253.79	340.30	85.08	2.66	0.21	0.08	
पश्चिम बंगाल	15.48	1.24	0.39	20.09	1.61	0.60	1,087.74	87.02	32.63	477.47	38.20	14.32	220.97	17.68	7.16	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	350.61	8.27	7.62	1,455.53	115.36	42.12	7,686.07	624.51	208.39	1,301.44	904.12	287.15	473.82	37.91	14.99	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	7.50	0.75	0.19	90.35	9.03	2.71	30.94	2.86	0.93	24.13	1.93	0.72	15.55	1.24	0.47
	दिल्ली	343.08	34.31	13.72	111.96	11.20	4.48	37.27	3.45	1.49	231.60	18.53	9.26	298.79	23.90	11.95
	गुजरात	7.56	0.76	0.15	47.37	4.74	0.95	6.25	0.58	0.13	3.72	0.30	0.07	2.25	0.18	0.04
	कर्नाटक	13.27	1.33	0.33	53.52	5.35	1.61	5,086.46	470.50	152.59	32.03	2.56	0.96	30.06	2.40	0.90
	महाराष्ट्र	14.97	1.50	0.30	41.81	4.18	0.84	10.06	0.93	0.20	999.77	79.98	20.00	9.97	0.80	0.20
	मुंबई	756.52	75.65	15.13	84.51	8.45	1.69	24.92	2.31	0.50	168.10	13.45	3.36	125.13	10.01	2.50
	राजस्थान	79.62	6.37	1.59	146.56	11.72	2.93	46.08	3.69	0.92	2,084.27	166.74	41.69	555.23	44.42	15.91
तमिलनाडु	100.17	10.02	5.01	661.17	66.12	39.67	156.15	14.44	9.37	438.92	35.11	26.33	283.53	22.68	17.01	
ए एल यू ए एस एल	1,322.68	30.68	36.42	1,237.25	120.79	54.87	5,398.14	498.75	166.13	982.53	318.60	102.40	1,320.50	105.64	48.99	
ए सी एल	चैन्नई	29.21	2.92	1.17	42.85	4.28	1.71	28.33	2.62	1.13	88.83	7.11	3.55	121.16	9.69	4.85
ए सी एल यू ए एस एल	29.21	.92	1.17	42.85	4.28	1.71	28.33	2.62	1.13	8.83	7.11	3.55	121.16	9.69	4.85	
कुल यू ए एस एल	1,702.50	61.86	45.21	2,735.63	240.44	98.70	13,112.54	1,125.88	375.65	5,372.80	1,229.82	393.10	1,915.49	153.24	68.83	
एन एल डी		8.49	0.51	-	89.59	5.38	-	72.86	4.92	-	1,168.49	93.48	-	1,682.57	134.61	-
आई एल डी		176.72	10.60	-	1,631.36	97.88	-	3,475.51	234.60	-	3,020.93	241.67	-	930.07	74.41	-
आई एस पी		12.02	0.72	-	9.30	0.56	-	3.88	0.26	-	10.28	0.82	-	6.37	0.51	-
कुल गैर यू ए एस एल	197.23	11.83	-	1,730.26	103.82	-	3,552.25	239.78	-	4,199.70	335.98	-	2,619.01	209.52	-	
कुल योग	1,899.73	73.70	45.21	4,465.88	344.26	98.70	16,664.78	1,365.66	375.65	19,572.50	1,565.80	393.10	4,534.50	362.76	68.83	

(₹ करोड़ में)

सेवायें/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	348.39	29.11	9.82
एन एल डी	30.22	2.39	-
आई एल डी	92.35	6.59	-
आई एस पी	0.42	0.03	-
कुल	471.37	38.12	9.82

अनुलग्नक 6.05 [पैरा 6.2.5]

एयरसेल लिमिटेड में जी आर/ए जी आर के लिये वी ए एस/विज्ञापन आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवा क्षेत्र / एल एस ए	वित्तीय वर्ष											
	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2.176	0.218	0.065	1.487	0.138	0.045	0.077	0.006	0.002	0.037	0.003	0.001
दिल्ली	3.418	0.342	0.137	2.883	0.267	0.115	0.180	0.014	0.007	0.088	0.007	0.004
गुजरात	1.087	0.109	0.022	0.675	0.062	0.013	0.016	0.001	0.000	0.006	0.001	0.000
कर्नाटक	1.782	0.178	0.053	1.310	0.121	0.039	0.101	0.008	0.003	0.052	0.004	0.002
महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	1.229	0.123	0.025	0.847	0.078	0.017	0.044	0.003	0.001	0.023	0.002	0.000
मुम्बई	2.260	0.226	0.045	1.476	0.137	0.030	0.107	0.009	0.002	0.067	0.005	0.001
राजस्थान	2.115	0.169	0.042	2.491	0.199	0.050	0.166	0.013	0.003	0.074	0.006	0.002
तमिलनाडु (चैन्नई को छोड़कर)	23.712	2.371	1.423	14.543	1.345	0.873	0.809	0.065	0.049	0.352	0.028	0.021
कुल ए एल	37.779	3.736	1.812	25.712	2.347	1.182	1.500	0.120	0.068	0.700	0.056	0.031

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
ए एल	0.66	0.06	0.03

अनुलग्नक 6.06 [पैरा 6.3.1]
पूर्ण ब्याज को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	152.79	9.17	5.35	30.04	1.80	1.20	1.82	0.12	0.07	39.50	3.16	1.58	133.78	10.70	5.35
	बिहार	89.87	5.39	2.25	15.48	0.93	0.46	1.10	0.07	0.03	27.28	2.18	0.82	105.86	8.47	3.18
	हरियाणा	3.59	0.29	0.07	1.47	0.12	0.03	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1.02	0.08	0.02
	हिमाचल प्रदेश	18.65	1.12	0.37	3.49	0.21	0.07	0.23	0.02	0.00	4.69	0.37	0.09	17.90	1.43	0.36
	जम्मू एंव कश्मीर	117.82	7.07	2.95	21.70	1.30	0.65	1.87	0.13	0.06	29.40	2.35	0.88	102.78	8.22	3.42
	केरल	30.53	2.44	0.76	6.21	0.50	0.19	0.27	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.51	0.04	0.02
	कोलकाता	43.64	4.36	1.09	7.59	0.76	0.23	0.67	0.06	0.02	20.13	1.61	0.60	87.73	7.02	2.63
	मध्य प्रदेश	8.32	0.67	0.17	2.72	0.22	0.05	0.11	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	1.92	0.15	0.04
	नार्थ ईस्ट	108.39	6.50	2.71	19.91	1.19	0.60	1.20	0.08	0.04	25.31	2.03	0.76	83.02	6.64	2.77
	उड़ीसा	63.16	3.79	1.58	11.24	0.67	0.34	0.71	0.05	0.02	19.39	1.55	0.58	73.91	5.91	2.22
	पंजाब	8.16	0.65	0.20	4.62	0.37	0.14	0.41	0.03	0.01	5.95	0.48	0.18	24.38	1.95	0.73
	उत्तर प्रदेश (पू)	29.31	2.34	0.73	9.80	0.78	0.29	1.03	0.08	0.03	27.89	2.23	0.84	112.27	8.98	3.74
उत्तर प्रदेश (प)	28.88	2.31	0.58	8.27	0.66	0.17	0.52	0.04	0.01	2.59	0.21	0.05	9.52	0.76	0.28	
पश्चिम बंगाल	67.78	5.42	1.69	9.85	0.79	0.30	0.75	0.06	0.02	22.03	1.76	0.66	91.71	7.34	2.97	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	770.89	51.53	20.50	152.40	10.31	4.71	10.77	0.78	0.33	224.21	17.94	7.05	846.32	67.71	27.72	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	1,264.60	126.46	31.62	403.39	40.34	12.10	0.40	0.04	0.01	23.66	1.89	0.71	45.65	3.65	1.37
	दिल्ली	2,056.71	205.67	82.27	633.51	63.35	25.34	0.78	0.07	0.03	55.16	4.41	2.21	108.84	8.71	4.35
	गुजरात	111.76	11.18	2.24	201.46	20.15	4.03	0.18	0.02	0.00	4.90	0.39	0.10	7.75	0.62	0.15
	कर्नाटक	1,029.52	102.95	25.74	330.24	33.02	9.91	0.36	0.03	0.01	31.06	2.49	0.93	63.53	5.08	1.91
	महाराष्ट्र	720.93	72.09	14.42	227.72	22.77	4.55	0.23	0.02	0.00	13.35	1.07	0.27	28.88	2.31	0.58
	मुम्बई	1,397.05	139.70	27.94	418.95	41.89	8.38	0.40	0.04	0.01	32.80	2.62	0.66	82.70	6.62	1.65
	राजस्थान	187.08	14.97	3.74	392.03	31.36	7.84	0.68	0.05	0.01	50.88	4.07	1.02	91.74	7.34	2.63
	तमिलनाडु	16,941.40	1,694.14	847.07	4,395.24	439.52	263.71	3.96	0.37	0.24	248.20	19.86	14.89	433.65	34.69	26.02
ए एल यू ए एस एल	23,709.04	2,367.16	1,035.03	7,002.53	692.41	335.87	6.99	0.64	0.32	460.02	36.80	20.78	862.74	69.02	38.66	
ए सी एल	वेन्नई	8,644.64	864.46	345.79	13,722.87	1,372.29	548.91	13,579.13	1,256.07	543.17	13,966.01	1,117.28	558.64	13,747.52	1,099.80	549.90
ए सी एल यू ए एस एल	8,644.64	864.46	345.79	13,722.87	1,372.29	548.91	13,579.13	1,256.07	543.17	13,966.01	1,117.28	558.64	13,747.52	1,099.80	549.90	
कुल यू ए एस एल	33,124.57	3,283.16	1,401.32	20,877.81	2,075.01	889.49	13,596.90	1,257.49	543.82	14,650.24	1,172.02	586.47	15,456.59	1,236.53	616.29	
एन एल डी	169.21	10.15	-	43.60	2.62	-	3.56	0.24	-	83.18	6.65	-	321.85	25.75	-	
आई एल डी	139.29	8.36	-	33.48	2.01	-	2.87	0.19	-	64.91	5.19	-	175.15	14.01	-	
आई एस पी	17.34	1.04	-	4.52	0.27	-	0.29	0.02	-	6.57	0.53	-	22.89	1.83	-	
कुल गैर यू ए एस एल	325.83	19.55	-	81.60	4.90	-	6.72	0.45	-	154.66	12.37	-	519.88	41.59	-	
कुल योग	33,450.41	3,302.71	1,401.32	20,959.41	2,079.90	889.49	13,603.61	1,257.95	543.82	14,804.90	1,184.39	586.47	15,976.47	1,278.12	616.29	

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	977.06	90.24	40.37
एन एल डी	6.21	0.45	-
आई एल डी	4.16	0.30	-
आई एस पी	0.52	0.04	-
कुल	987.95	91.03	40.37

अनुलग्नक -6.07 [पैरा 6.3.2]

ए एल और ए सी एल द्वारा निवेश से आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम		वित्तीय वर्ष											
		2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	251.27	25.13	6.28	68.49	6.85	2.05	18.45	1.71	0.55	11.49	0.92	0.34
	दिल्ली	408.66	40.87	16.35	107.56	10.76	4.30	35.80	3.31	1.43	26.79	2.14	1.07
	गुजरात	22.21	2.22	0.44	34.20	3.42	0.68	8.38	0.78	0.17	2.38	0.19	0.05
	कर्नाटक	204.56	20.46	5.11	56.07	5.61	1.68	16.26	1.50	0.49	15.09	1.21	0.45
	महाराष्ट्र	143.25	14.32	2.86	38.66	3.87	0.77	10.52	0.97	0.21	6.49	0.52	0.13
	मुम्बई	277.59	27.76	5.55	71.13	7.11	1.42	18.33	1.70	0.37	15.93	1.27	0.32
	राजस्थान	37.17	2.97	0.74	66.56	5.32	1.33	30.93	2.47	0.62	24.71	1.98	0.49
	तमिलनाडु	3,366.21	336.62	168.31	746.21	74.62	44.77	180.54	16.70	10.83	120.54	9.64	7.23
कुल ए एल		4,710.91	470.35	205.66	1,188.86	117.56	57.02	319.21	29.14	14.67	223.42	17.87	10.09
ए सी एल	चैन्नई	927.43	92.74	37.10	17.34	1.73	0.69	2.34	0.22	0.09	2.61	0.21	0.10
कुल यू ए एस एल		5,638.34	563.09	242.75	1,206.21	119.29	57.72	321.55	29.36	14.76	226.03	18.08	10.20

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
ए एल	64.42	6.35	2.87
ए सी एल	9.50	0.95	0.38
कुल	73.92	7.30	3.25

अनुलग्नक -6.08 [पैरा 6.3.3]
विविध आय को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	13.02	0.78	0.46	0.16	0.01	0.01	58.54	3.95	2.34	16.74	1.34	0.67	0.00	0.00	0.00
	बिहार	9.47	0.57	0.24	0.08	0.00	0.00	35.26	2.38	1.06	10.74	0.86	0.32	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा	0.30	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	3.17	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	हिमाचल प्रदेश	1.56	0.09	0.03	0.02	0.00	0.00	7.27	0.49	0.15	0.56	0.04	0.01	-	-	-
	जम्मू एवं कश्मीर	74.39	4.46	1.86	0.10	0.01	0.00	41.69	2.81	1.25	22.25	1.78	0.67	0.00	0.00	0.00
	केरल	2.58	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	8.83	0.71	0.26	1.03	0.08	0.03	0.04	0.00	0.00
	कोलकाता	3.68	0.37	0.09	0.04	0.00	0.00	18.37	1.70	0.55	11.20	0.90	0.34	-	-	-
	मध्य प्रदेश	0.70	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	3.40	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	नाथ ईस्ट	25.24	1.51	0.63	0.10	0.01	0.00	38.56	2.60	1.16	7.06	0.57	0.21	0.00	0.00	0.00
	उड़ीसा	8.50	0.51	0.21	0.06	0.00	0.00	22.73	1.53	0.68	48.22	3.86	1.45	-	-	-
	पंजाब	0.69	0.06	0.02	0.14	0.01	0.00	13.11	1.05	0.39	2.58	0.21	0.08	-	-	-
	उत्तर प्रदेश (पू)	4.81	0.38	0.12	0.05	0.00	0.00	33.30	2.66	1.00	4.44	0.36	0.13	23.65	1.89	0.79
उत्तर प्रदेश (प)	2.44	0.20	0.05	0.04	0.00	0.00	16.76	1.34	0.34	0.15	0.01	0.00	-	-	-	
पश्चिम बंगाल	21.26	1.70	0.53	0.05	0.00	0.00	22.55	1.80	0.68	2.21	0.18	0.07	-	-	-	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	168.65	10.92	4.32	0.90	0.06	0.03	323.54	23.56	9.99	127.19	10.18	3.98	23.70	1.90	0.79	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	6.03	0.60	0.15	2.86	0.29	0.09	15.86	1.47	0.48	8.58	0.69	0.26	7.60	0.61	0.23
	दिल्ली	9.81	0.98	0.39	1.90	0.19	0.08	31.36	2.90	1.25	3.43	0.27	0.14	2.45	0.20	0.10
	गुजरात	0.53	0.05	0.01	0.75	0.07	0.01	7.20	0.67	0.14	0.97	0.08	0.02	0.17	0.01	0.00
	कर्नाटक	4.91	0.49	0.12	0.99	0.10	0.03	13.98	1.29	0.42	5.74	0.46	0.17	1.75	0.14	0.05
	महाराष्ट्र	3.44	0.34	0.07	0.68	0.07	0.01	9.04	0.84	0.18	12.00	0.96	0.24	1.12	0.09	0.02
	मुंबई	6.67	0.67	0.13	1.26	0.13	0.03	15.75	1.46	0.32	4.08	0.33	0.08	28.73	2.30	0.57
	राजस्थान	0.89	0.07	0.02	1.90	0.15	0.04	26.58	2.13	0.53	2.34	0.19	0.05	2.09	0.17	0.06
तमिलनाडु	188.82	18.88	9.44	39.00	3.90	2.34	196.38	18.16	11.78	68.24	5.46	4.09	13.60	1.09	0.82	
ए एल यू ए एस एल	221.11	22.09	10.34	49.34	4.90	2.62	316.14	28.91	15.10	105.39	8.43	5.05	57.49	4.60	1.85	
ए सी एल	चैनाई	76.24	7.62	3.05	-	-	-	-	-	-	54.25	4.34	2.17	24.85	1.99	0.99
ए सी एल यू ए एस एल	76.24	7.62	3.05	-	-	-	-	-	-	54.25	4.34	2.17	24.85	1.99	0.99	
कुल यू ए एस एल	465.99	40.64	17.71	50.23	4.96	2.65	639.68	52.47	25.09	286.82	22.95	11.19	106.04	8.48	3.64	
एन एल डी	14.31	0.86	-	0.23	0.01	-	114.46	7.73	-	4.67	0.37	-	-	-	-	
आई एल डी	11.78	0.71	-	0.17	0.01	-	92.26	6.23	-	3.64	0.29	-	-	-	-	
आई एस पी	9.01	-	-	0.02	-	-	9.45	-	-	3.18	-	-	-	-	-	
कुल गैर यू ए एस एल	35.09	1.56	-	0.42	0.02	-	216.17	13.95	-	11.49	0.66	-	-	-	-	
कुल योग	501.09	42.20	17.71	50.66	4.98	2.65	855.85	66.43	25.09	298.31	23.61	11.19	106.04	8.48	3.64	

(₹ करोड़ में)

सेवाये/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	15.49	1.30	0.60
एन एल डी	1.34	0.09	-
आई एल डी	1.08	0.07	-
आई एस पी	0.22	-	-
कुल	18.12	1.46	0.60

अनुलग्नक -6.09 [पैरा 6.3.4]
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	-	-	-	43.37	2.60	1.73	0.96	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	22.05	1.76	0.88
	बिहार	-	-	-	35.02	2.10	1.05	286.09	19.31	8.58	0.38	0.03	0.01	107.60	8.61	3.23
	हरियाणा	-	-	-	1.16	0.09	0.02	80.79	6.46	1.62	10.22	0.82	0.20	1.51	0.12	0.03
	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	2.75	0.16	0.05	0.12	0.01	0.00	0.75	0.06	0.02	3.75	0.30	0.07
	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	15.92	0.96	0.48	1.23	0.08	0.04	1.49	0.12	0.04	5.51	0.44	0.18
	केरल	-	-	-	66.23	5.30	1.99	0.61	0.05	0.02	9.92	0.79	0.30	23.41	1.87	0.70
	कोलकाता	-	-	-	6.26	0.63	0.19	160.32	14.83	4.81	1.79	0.14	0.05	14.50	1.16	0.43
	मध्य प्रदेश	-	-	-	2.44	0.19	0.05	0.06	0.00	0.00	42.21	3.38	0.84	-	-	-
	नार्थ ईस्ट	-	-	-	15.72	0.94	0.47	0.63	0.04	0.02	-	-	-	1.50	0.12	0.05
	उड़ीसा	-	-	-	8.87	0.53	0.27	23.06	1.56	0.69	4.28	0.34	0.13	513.32	41.07	15.40
	पंजाब	-	-	-	3.65	0.29	0.11	47.38	3.79	1.42	4.96	0.40	0.15	4.16	0.33	0.12
	उत्तर प्रदेश (पु)	-	-	-	159.69	12.78	4.79	43.75	3.50	1.31	14.47	1.16	0.43	2.67	0.21	0.09
उत्तर प्रदेश (प)	-	-	-	6.90	0.55	0.14	23.73	1.90	0.47	103.31	8.27	2.07	40.30	3.22	1.17	
पश्चिम बंगाल	-	-	-	24.68	1.97	0.74	320.05	25.60	9.60	394.58	31.57	11.84	2.90	0.23	0.09	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	-	-	-	392.67	29.11	12.08	988.79	77.21	28.63	588.37	47.07	16.09	743.18	59.45	22.46	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1.07	0.10	0.03	0.05	0.00	91.40	7.31	2.74	
	दिल्ली	-	-	-	54.21	5.42	2.17	0.16	0.01	0.01	0.90	0.07	9.08	0.73	0.36	
	गुजरात	-	-	-	0.14	0.01	0.00	1.41	0.13	0.03	12.57	1.01	1.71	0.14	0.03	
	कर्नाटक	0.88	0.09	0.02	-	-	-	10.02	0.93	0.30	1.41	0.11	0.04	0.00	0.00	
	महाराष्ट्र	9.68	0.97	0.19	0.96	0.10	0.02	0.05	0.00	0.00	6.38	0.51	11.69	0.94	0.23	
	मुंबई	-	-	-	9.80	0.98	0.20	0.31	0.03	0.01	5.65	0.45	7.20	0.58	0.14	
	राजस्थान	-	-	-	1.65	0.13	0.03	0.14	0.01	0.00	2.32	0.19	0.05	0.71	0.06	
तमिलनाडु	147.93	14.79	7.40	74.69	7.47	4.48	28.97	2.68	1.74	177.45	14.20	10.65	13.05	1.04		
ए एल यू ए एस एल	158.48	15.85	7.61	141.44	14.11	6.90	42.13	3.90	2.12	206.74	16.54	11.27	134.84	10.79	4.32	
ए सी एल	चैन्नई	43.94	4.39	1.76	-	-	-	116.04	10.73	4.64	36.19	2.90	1.45	65.54	5.24	2.62
ए सी एल यू ए एस एल	43.94	4.39	1.76	-	-	-	116.04	10.73	4.64	36.19	2.90	1.45	65.54	5.24	2.62	
कुल यू ए एस एल	202.43	20.24	9.37	534.12	43.22	18.98	1,146.96	91.83	35.38	831.30	66.50	28.80	943.56	75.49	29.40	
एन एल डी	एन एल डी	-	-	-	34.43	2.07	-	12.06	0.81	-	-	-	-	-	-	
	आई एल डी	-	-	-	26.43	1.59	-	1.51	0.10	-	-	-	-	-	-	
	आई एस पी	-	-	-	3.57	0.21	-	0.68	0.05	-	24.86	1.99	-	3.46	0.28	
कुल गैर यू ए एस एल	-	-	-	64.43	3.87	-	14.25	0.96	-	24.86	1.99	-	3.46	0.28	-	
कुल योग	202.43	20.24	9.37	598.55	47.08	18.98	1,161.20	92.80	35.38	856.16	68.49	28.80	947.03	75.76	29.40	

(₹ करोड़ में)

सेवायें/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	36.58	2.97	1.22
एन एल डी	0.46	0.03	-
आई एल डी	0.28	0.02	-
आई एस पी	0.33	0.02	-
कुल	37.65	3.04	1.22

अनुलग्नक -6.10 [पैरा 6.4.1]
वर्ष 2014-15 में बढ़ते खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को घटाने (नेट-ऑफ) के कारण
एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	54.21	4.34	0.17
	बिहार	92.04	7.36	0.22
	हरियाणा	-	-	-
	हिमाचल प्रदेश	27.75	2.22	0.04
	जम्मू एव कश्मीर	227.13	18.17	0.61
	केरल	21.78	1.74	0.05
	कोलकाता	131.16	10.49	0.31
	मध्य प्रदेश	-	-	-
	नार्थ ईस्ट	20.22	1.62	0.05
	उड़ीसा	104.94	8.40	0.25
	पंजाब	17.78	1.42	0.04
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13.25	1.06	0.04
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	20.17	1.61	0.05
पश्चिम बंगाल	19.25	1.54	0.05	
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	749.69	59.97	1.89	
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	92.34	7.39	0.22
	दिल्ली	385.14	30.81	1.23
	गुजरात	14.82	1.19	0.02
	कर्नाटक	128.83	10.31	0.31
	महाराष्ट्र	72.37	5.79	0.12
	मुम्बई	259.33	20.75	0.41
	राजस्थान	11.94	0.96	0.03
	तमिलनाडु	326.04	26.08	1.56
ए एल यू ए एस एल	1,290.79	103.26	3.91	
ए सी एल	चैन्नई	2,959.32	236.75	9.47
ए सी एल यू ए एस एल	2,959.32	236.75	9.47	
कुल यू ए एस एल	4,999.80	399.98	15.27	
एन एल डी	0.52	0.04	-	
आई एल डी	33.41	2.67	-	
आई एस पी	-	-	-	
कुल गैर यू ए एस एल	33.94	2.71	0.00	
कुल योग	5,033.73	402.70	15.27	

(₹ करोड़ में)

सेवायें/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	50.00	4.00	0.15
एन एल डी	0.01	0.00	-
आई एल डी	0.33	0.03	-
आई एस पी	-	-	-
कुल	50.34	4.03	0.15

अनुलग्नक -6.11 [पैरा 6.4.2]
पैसिव अवसंरचना परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण से लाभ पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

कम्पनी का नाम	एल एस ए	वित्तीय वर्ष		
		2010-11		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	असम	9,076.63	544.60	317.68
	बिहार	5,338.84	320.33	133.47
	हरियाणा	213.50	17.08	4.27
	हिमाचल प्रदेश	1,092.95	65.58	21.86
	जम्मू एव कश्मीर	6,433.52	386.01	160.84
	केरल	1,813.61	145.09	45.34
	कोलकाता	2,586.33	258.63	64.66
	मध्य प्रदेश	494.40	39.55	9.89
	नार्थ ईस्ट	6,438.61	386.32	160.97
	उड़ीसा	3,748.39	224.90	93.71
	पंजाब	485.04	38.80	12.13
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,741.03	139.28	43.53
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,715.56	137.24	34.31
	पश्चिम बंगाल	4,010.09	320.81	100.25
ए एल	आन्ध्र प्रदेश	5,321.06	532.11	133.03
	दिल्ली	8,654.03	865.40	346.16
	गुजरात	470.26	47.03	9.41
	कर्नाटक	4,331.90	433.19	108.30
	महाराष्ट्र	3,033.44	303.34	60.67
	मुम्बई	5,878.33	587.83	117.57
	राजस्थान	787.16	62.97	15.74
	तमिलनाडु	71,284.32	7,128.43	3,564.22
ए सी एल	चैन्नई	35,048.56	3,504.86	1,401.94
कुल यू ए एस एल		1,79,997.56	16,489.39	6,959.92

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	451.88	30.24	12.03
ए एल	997.60	99.60	43.55
ए सी एल	350.49	35.05	14.02
कुल	1,799.97	164.89	69.60

अनुलग्नक-6.12 [पैरा 6.5]
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	60		48		36		24		12		कुल
				15		16.75		16.45		16.75		16.75		
				2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
मामले		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	6.2.1	6.01	प्रीपेड/कमीशन	2161.80	908.01	2020.33	958.35	1502.85	705.74	1088.88	524.84	598.47	293.67	10762.94
2	6.2.2	6.02	एफ ए टी-छूट-डिस्काउंट	949.09	452.45	1179.47	608.89	362.65	201.11	48.60	17.71	35.77	14.12	3869.87
3	6.2.3	6.03	साइट शेयरिंग आय	368.26	141.83	26.78	10.22	22.70	9.09	15.07	6.61	7.26	3.16	610.97
4	6.2.4	6.04	विदेशी मुद्रा विनिमय (फॉरेक्स) लाभ	192.31	50.06	325.40	93.29	863.86	237.62	618.03	155.15	65.65	12.46	2613.84
5	6.2.5	6.05	वी ए एस/विज्ञापन आय	0.00	0.00	3.53	1.71	1.48	0.75	0.05	0.03	0.01	0.01	7.57
6	6.3.1	6.06	ब्याज आय	3656.70	1551.51	1965.93	840.75	795.72	344.00	467.49	231.48	231.31	111.53	10196.43
7	6.3.2	6.07	निवेश पर आय	623.44	268.77	112.75	54.55	18.57	9.34	7.14	4.02	0.00	0.00	1098.59
8	6.3.3	6.08	विविध आय	46.73	19.61	4.71	2.51	42.02	15.87	9.32	4.42	1.54	0.66	147.37
09	6.3.5	6.10	परिसम्पत्तियों की बिक्री	22.41	10.37	44.50	17.94	58.70	22.38	27.03	11.37	13.71	5.32	233.75
10	6.4.1	6.11	अशोध्‍य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.88	2.76	75.64
11	6.4.2	6.12	पी आई बिक्री	18256.75	7705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25962.64
कुल				26277.49	11108.51	5390.39	2588.21	3668.55	1545.9	2281.61	955.63	1026.6	443.69	55579.61

अर्थात ₹ 555.80 करोड़

अनुलग्नक 7.01 [पैरा 7.2.1]

जी आर से छूट/कमीशन/वेवर्स को घटाने (नेट-ऑफ) के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्ये/एल एस ए	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02	7.20	1.62	146.78	14.68	3.30
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.03	0.01
बिहार	0.00	0.00	0.00	33.40	2.00	0.78	63.02	3.78	1.48	97.86	5.87	2.30
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	41.78	4.18	0.94	100.55	10.05	2.26	105.95	10.59	2.38
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	0.51	0.11	22.05	2.21	0.50
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	1.38	0.11	0.03	8.98	0.72	0.20	10.68	0.85	0.24
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	62.91	6.29	1.42	504.17	50.42	11.34	969.17	96.92	21.81
केरल	0.01	0.00	0.00	59.64	4.77	1.34	97.76	7.82	2.20	92.23	7.38	2.08
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	97.63	9.76	2.20	119.49	11.95	2.69	136.94	13.69	3.08
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.49	0.05	0.01	122.74	12.27	2.76	142.75	14.28	3.21
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.57	0.05	0.01
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	7.03	0.70	0.16	136.49	13.65	3.07	93.49	9.35	2.10
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	0.00
राजस्थान	172.15	13.77	3.87	442.84	35.43	9.96	394.80	31.58	8.88	525.16	42.01	11.82
तमिलनाडु	0.63	0.06	0.01	172.34	17.23	3.88	267.91	26.79	6.03	384.75	38.48	8.66
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	0.71	0.20	33.59	2.69	0.76
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.72	0.20	44.78	3.58	1.01
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	145.62	11.65	3.28	260.19	20.82	5.85	403.05	32.24	9.07
कुल	172.79	13.84	3.89	1065.06	92.18	24.00	2171.14	199.00	48.91	3210.52	294.91	72.33

सेवार्यो/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	118.52	10.96	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.37	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	175.15	11.82	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	233.24	21.58	5.25	342.40	27.39	9.35	594.00	47.52	19.31
गुजरात	81.55	7.54	1.83	18.03	1.44	0.49	121.03	9.68	3.93
हरियाणा	10.94	0.88	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	906.26	83.83	20.39	752.83	60.23	20.55	762.08	60.97	24.77
केरल	93.63	7.49	2.11	74.10	5.93	2.02	199.01	15.92	6.47
कोलकाता	164.64	15.23	3.70	171.26	13.70	4.68	225.05	18.00	7.31
महाराष्ट्र	158.45	14.66	3.57	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.75	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	115.59	10.69	2.60	-1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	550.04	44.00	12.38	751.42	60.11	16.91	1097.94	87.83	24.70
तमिलनाडु	371.48	34.36	8.36	275.94	22.08	7.53	510.99	40.88	16.61
उत्तर प्रदेश (पू)	48.32	3.87	1.09	-3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	78.11	6.25	1.76	53.32	4.27	1.46	81.29	6.50	2.64
पश्चिम बंगाल	434.01	34.72	9.77	483.86	38.71	13.21	572.49	45.80	18.61
कुल	3541.22	307.98	79.85	2916.35	233.85	76.20	4163.89	333.11	124.35

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
172.41	14.75	4.30

अनुलग्नक 7.02 [पैरा 7.2.1]

फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) के मद के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38	1.24	0.28	24.58	2.46	0.55
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.01	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	15.34	0.92	0.36	43.48	2.61	1.02	31.89	1.91	0.75
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	37.82	3.78	0.85	13.22	1.32	0.30	68.29	6.83	1.54
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.49	0.11	-5.07	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.56	0.04	0.01	2.20	0.18	0.05	5.25	0.42	0.12
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	46.19	4.62	1.04	89.62	8.96	2.02	92.34	9.23	2.08
केरल	0.00	0.00	0.00	111.08	8.89	2.50	407.81	32.62	9.18	125.29	10.02	2.82
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	22.53	2.25	0.51	52.58	5.26	1.18	27.37	2.74	0.62
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.10	8.41	1.89	60.09	6.01	1.35
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00	-0.18	0.00	0.00
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	7.19	0.72	0.16	92.37	9.24	2.08	68.23	6.82	1.54
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.01	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.22	0.02	0.00
राजस्थान	868.15	69.45	19.53	365.63	29.25	8.23	89.62	7.17	2.02	107.18	8.57	2.41
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	101.95	10.19	2.29	134.05	13.40	3.02	105.31	10.53	2.37
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.12	0.03	25.17	2.01	0.57
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.07	0.02	22.69	1.82	0.51
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	29.63	2.37	0.67	108.18	8.65	2.43	33.63	2.69	0.76
कुल	868.15	69.45	19.53	737.91	63.04	16.62	1136.95	99.75	25.62	793.01	72.13	17.99

सेवार्यें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	90.09	8.33	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	229.63	15.50	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	947.41	87.64	21.32	862.05	68.96	23.53	658.34	52.67	21.40
गुजरात	-0.45	0.00	0.00	26.81	2.14	0.73	17.37	1.39	0.56
हरियाणा	37.49	3.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	478.91	44.30	10.78	603.48	48.28	16.47	694.22	55.54	22.56
केरल	144.04	11.52	3.24	58.87	4.71	1.61	78.80	6.30	2.56
कोलकाता	159.67	14.77	3.59	56.57	4.53	1.54	91.57	7.33	2.98
महाराष्ट्र	302.46	27.98	6.81	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	243.65	22.54	5.48	0.25	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.56	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	360.79	28.86	8.12	663.18	53.05	14.92	779.57	62.37	17.54
तमिलनाडु	337.80	31.25	7.60	317.38	25.39	8.66	293.50	23.48	9.54
उत्तर प्रदेश (पू)	122.34	9.79	2.75	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	148.45	11.88	3.34	123.72	9.90	3.38	76.45	6.12	2.48
पश्चिम बंगाल	413.55	33.08	9.30	105.76	8.46	2.89	240.25	19.22	7.81
कुल	4016.76	350.50	90.62	2818.01	225.45	73.75	2930.07	234.41	87.43

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
133.01	11.15	3.32

अनुलग्नक 7.03 [पैरा 7.2.1]

फ्री डाटा प्रयोग प्रभार के राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव
(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.30	0.02	0.01	1.19	0.07	0.03	0.54	0.03	0.01
दिल्ली	1.08	0.11	0.02	2.09	0.21	0.05	1.06	0.11	0.02
गुजरात	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
हरियाणा	0.03	0.00	0.00	0.21	0.02	0.00	0.07	0.01	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.18	0.02	0.00	0.91	0.09	0.02	0.64	0.06	0.01
केरल	0.23	0.02	0.01	0.79	0.06	0.02	0.57	0.05	0.01
कोलकाता	0.22	0.02	0.00	-3.66	0.00	0.00	0.52	0.05	0.01
महाराष्ट्र	0.04	0.00	0.00	2.00	0.20	0.05	2.92	0.29	0.07
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
मुम्बई	0.09	0.01	0.00	3.00	0.30	0.07	7.02	0.70	0.16
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	1.01	0.08	0.02	3.45	0.28	0.08	0.99	0.08	0.02
तमिलनाडु	0.74	0.07	0.02	2.04	0.20	0.05	2.45	0.24	0.06
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.07	0.01	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.03	0.00	0.00	-1.65	0.00	0.00	0.34	0.03	0.01
कुल	3.96	0.36	0.09	10.38	1.44	0.36	17.27	1.67	0.39

(₹ लाख में)

सेवार्यें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1.23	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.75	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	11.20	1.04	0.25	4.54	0.36	0.12	1.83	0.15	0.06
गुजरात	1.13	0.10	0.03	0.39	0.03	0.01	0.37	0.03	0.01
हरियाणा	1.02	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.35	0.03	0.01	0.48	0.04	0.01	0.72	0.06	0.02
केरल	0.17	0.01	0.00	0.56	0.05	0.02	-0.30	0.00	0.00
कोलकाता	0.49	0.05	0.01	0.58	0.05	0.02	0.11	0.01	0.00
महाराष्ट्र	4.79	0.44	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	6.84	0.63	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	4.25	0.34	0.10	0.57	0.05	0.01	-0.49	0.00	0.00
तमिलनाडु	2.11	0.20	0.05	2.05	0.16	0.06	0.32	0.03	0.01
उत्तर प्रदेश (पू)	2.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.97	0.08	0.02	0.54	0.04	0.01	0.19	0.02	0.01
पश्चिम बंगाल	0.37	0.03	0.01	0.37	0.03	0.01	0.10	0.01	0.00
कुल	37.67	3.36	0.85	10.09	0.81	0.27	2.84	0.29	0.12

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
0.82	0.08	0.02

अनुलग्नक 7.04 [पैरा 7.2.2]

विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स) लाभ पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.93	0.69	0.16	5.42	0.54	0.12	6.29	0.58	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.02	0.00	0.00	6.18	0.37	0.15	7.83	0.47	0.18	10.17	0.69	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.02	0.00	0.00	11.58	1.16	0.26	8.00	0.80	0.18	16.26	1.50	0.37	12.45	1.00	0.34	2.39	0.19	0.08
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.44	0.04	0.01	3.12	0.31	0.07	3.13	0.29	0.07	2.52	0.20	0.07	1.00	0.08	0.03
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	1.60	0.13	0.04	1.39	0.11	0.03	1.53	0.12	0.03	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.02	0.00	0.00	23.30	2.33	0.52	19.47	1.95	0.44	26.49	2.45	0.60	17.95	1.44	0.49	3.18	0.25	0.10
केरल	0.03	0.00	0.00	7.80	0.62	0.18	5.37	0.43	0.12	6.11	0.49	0.14	20.95	1.68	0.57	1.11	0.09	0.04
कोलकाता	0.06	0.01	0.00	11.04	1.10	0.25	6.96	0.70	0.16	9.12	0.84	0.21	7.10	0.57	0.19	2.25	0.18	0.07
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	4.53	0.45	0.10	6.20	0.62	0.14	7.77	0.72	0.17	0.60	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2.18	0.17	0.05	2.40	0.19	0.05	1.08	0.09	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुंबई	0.00	0.00	0.00	5.58	0.56	0.13	5.20	0.52	0.12	7.19	0.66	0.16	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	3.71	0.30	0.08	7.74	0.62	0.17	0.49	0.04	0.01	1.79	0.14	0.05	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.32	0.03	0.01	68.84	5.51	1.55	36.63	2.93	0.82	25.49	2.04	0.57	25.60	2.05	0.58	3.73	0.30	0.08
तमिलनाडु	4.67	0.47	0.10	15.83	1.58	0.36	11.33	1.13	0.25	14.81	1.37	0.33	9.79	0.78	0.27	2.33	0.19	0.08
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	0.00	2.29	0.18	0.05	4.53	0.36	0.10	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.64	0.13	0.04	2.37	0.19	0.05	4.29	0.34	0.10	3.15	0.25	0.09	0.81	0.06	0.03
पश्चिम	0.08	0.01	0.00	19.32	1.55	0.43	12.43	0.99	0.28	19.20	1.54	0.43	14.21	1.14	0.39	2.60	0.21	0.08
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
कुल	5.22	0.51	0.12	190.69	16.72	4.30	144.76	12.73	3.26	163.93	14.13	3.70	116.72	9.34	3.06	19.42	1.55	0.59

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
6.41	0.55	0.15

अनुलग्नक 7.05 [पैरा 7.3.1]
ब्याज आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्ये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
राजस्थान	50.44	4.04	1.13	59.83	4.79	1.35	3214.42	257.15	72.32
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.26	0.05
कुल	50.44	4.04	1.13	59.83	4.79	1.35	3217.03	257.41	72.38

(₹ लाख में)

सेवार्ये/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	164.41	16.44	3.70	532.18	53.22	11.97
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.04	0.02
बिहार	33.35	2.00	0.78	330.89	19.85	7.78	778.52	46.71	18.30
दिल्ली	16.60	1.66	0.37	434.05	43.41	9.77	866.15	86.61	19.49
गुजरात	0.00	0.00	0.00	3.68	0.37	0.08	97.14	9.71	2.19
हरियाणा	0.19	0.02	0.00	55.33	4.43	1.24	113.35	9.07	2.55
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	11.85	1.18	0.27	1141.35	114.13	25.68	2175.61	217.56	48.95
केरल	91.24	7.30	2.05	415.92	33.27	9.36	506.53	40.52	11.40
कोलकाता	146.45	14.64	3.30	567.44	56.74	12.77	706.78	70.68	15.90
महाराष्ट्र	0.19	0.02	0.00	231.77	23.18	5.21	502.45	50.25	11.31
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.06	0.02
मुम्बई	1.06	0.11	0.02	300.79	30.08	6.77	543.71	54.37	12.23
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.03	0.01

एस एस टी एल

2017 की प्रतिवेदन संख्या 11

राजस्थान	1520.55	121.64	34.21	1604.17	128.33	36.09	1848.79	147.90	41.60
तमिलनाडु	255.87	25.59	5.76	874.73	87.47	19.68	1245.36	124.54	28.02
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	6.35	0.51	0.14	234.23	18.74	5.27
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	6.53	0.52	0.15	225.07	18.01	5.06
पश्चिम बंगाल	185.71	14.86	4.18	1076.12	86.09	24.21	1401.50	112.12	31.53
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2263.07	189.02	50.95	7213.55	644.83	162.64	11779.36	1060.15	265.81

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
245.83	21.60	5.54

अनुलग्नक 7.06 [पैरा 7.3.1]

विविध आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्य/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	10.62	0.85	0.24	23.14	1.85	0.52

(₹ लाख में)

सेवार्य/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.36	0.04	0.01	2.00	0.20	0.04
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.02	0.01
बिहार	0.80	0.05	0.02	0.73	0.04	0.02	2.92	0.18	0.07
दिल्ली	3.93	0.39	0.09	0.96	0.10	0.02	3.25	0.33	0.07
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.36	0.04	0.01
हरियाणा	0.01	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00	0.43	0.03	0.01
कर्नाटक	1.03	0.10	0.02	2.53	0.25	0.06	9.91	0.99	0.22
केरल	1.48	0.12	0.03	0.92	0.07	0.02	1.90	0.15	0.04
कोलकाता	2.60	0.26	0.06	15.15	1.52	0.34	2.78	0.28	0.06
महाराष्ट्र	0.01	0.00	0.00	0.56	0.06	0.01	1.89	0.19	0.04
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	0.12	0.01	0.00	0.74	0.07	0.02	2.04	0.20	0.05
राजस्थान	29.76	2.38	0.67	33.23	2.66	0.75	32.48	2.60	0.73
तमिलनाडु	6.66	0.67	0.15	2.23	0.22	0.05	5.20	0.52	0.12
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	0.00	0.96	0.08	0.02
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.84	0.07	0.02
पश्चिम बंगाल	3.91	0.31	0.09	2.39	0.19	0.05	5.26	0.42	0.12
कुल	50.32	4.30	1.13	60.11	5.25	1.35	72.49	6.28	1.63

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
2.17	0.19	0.05

अनुलग्नक 7.07 [पैरा 7.3.1]
लाभांश आय पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवार्ये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
राजस्थान	2.75	0.22	0.06	2.73	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00
कुल	2.75	0.22	0.06	2.73	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
0.05	0.004	0.001

अनुलग्नकों का समेकन 7.05, 7.06 एवं 7.07

(₹ करोड़ में)

अनुलग्नक संख्या	कुल जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
7.05	245.83	21.60	5.54
7.06	2.17	0.19	0.05
7.07	0.05	0.004	0.001
कुल	248.05	21.794	5.591

अनुलग्नक 7.08 [पैरा 7.3.2]

'वायर लाइन के राजस्व' से भिन्न राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	319.28	7.18	305.07	6.86	420.77	9.47	447.00	10.06	486.03	10.94	495.41	11.15
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	319.28	7.18	305.07	6.86	420.77	9.47	447.00	10.06	486.03	10.94	495.41	11.15

(₹ लाख में)

सेवार्ये/एल एस ए	2012-13		2013-14		2014-15	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नार्थ ईस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	498.00	11.21	502.26	11.30	548.43	12.34
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पू)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (प)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	498.00	11.21	502.26	11.30	548.43	12.34

(₹ करोड़ में)

कुल जी आर/ए जी आर	एस यू सी पर प्रभाव
40.22	0.91

अनुलग्नक 7.09 [पैरा 7.4]
मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

पैरा संख्या	अनुलग्नक	मामले	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)		108		96		84		72		60	
			दर @ (पी एल आर+2)%		14.25		14.25		14.25		13.75		15	
					2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
7.2.1	7.01	डीलर्स को वेवर्स/छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	23.46	6.59	117.18	30.51	220.33	54.16		
	7.02	फ्री एयर टाइम	0.00	0.00	0.00	0.00	117.76	33.12	80.14	21.13	110.44	28.37		
	7.03	फ्री डाटा प्रयोग प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.11	1.59	0.39		
7.2.2	7.04	जी आर/ए जी आर के लिये विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स) लाभ से राजस्व को कम बताना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.15	18.51	4.76		
7.3.1	7.05	ब्याज आय	10.40	2.93	10.08	2.84	436.48	122.73	240.28	64.76	713.94	180.06		
	7.06	विविध आय	0.00	0.00	1.79	0.50	3.14	0.88	5.46	1.44	5.81	1.50		
	7.07	लाभांश आय	0.57	0.16	0.46	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.2	7.08	एस यू सी की गणना के लिये कुछ राजस्व पर विचार न करना	0.00	18.52	0.00	14.45	0.00	16.05	0.00	12.79	0.00	12.11		
कुल			10.97	21.61	12.33	17.92	580.84	179.37	444.16	130.89	1070.62	281.35		

(₹ लाख में)

पैरा संख्या	अनुलग्नक	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	48		36		24		12		कुल ब्याज
		दर @ (पी एल आर+2)%	16.75		16.45		16.75		16.75		
		मामले	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
7.2.1	7.01	डीलर्स को वेवर्स/छूट/कमीशन	278.75	68.38	194.81	50.51	92.30	30.07	60.29	22.50	1249.83
	7.02	फ्री एयर टाइम	68.18	17.02	221.72	57.32	88.98	29.11	42.42	15.83	931.52
	7.03	फ्री डाटा प्रयोग प्रभार	1.57	0.37	2.12	0.54	0.32	0.11	0.05	0.02	7.65
7.2.2	7.04	जी आर/ए जी आर के लिये विदेशी मुद्रा विनिमय (फोरेक्स) लाभ से राजस्व को कम बताना	12.03	3.08	8.93	2.34	3.69	1.21	0.28	0.11	55.74
7.3.1	7.05	ब्याज आय	1002.06	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.82
	7.06	विविध आय	5.94	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01
	7.07	लाभांश आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
7.3.2	7.08	एस यू सी की गणना के लिये कुछ राजस्व पर विचार न करना	0.00	10.55	0.00	7.09	0.00	4.46	0.00	2.23	98.24
कुल			1368.53	352.21	427.58	117.8	185.29	64.96	103.04	40.69	5410.13

अर्थात् ₹ 54.10 करोड

शब्दावली

1	एक्सेस सेवा	सर्किट और/अथवा पैकेट स्विच उपकरण के द्वारा लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि और/अथवा गैर-ध्वनि के संदेशों का संग्रहण, परिवहन, प्रेषण तथा वितरण एक्सेस सेवा है।
2	ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व-ए जी आर अनुमति योग्य कटौतियों (यथा, लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार, कॉल के परिवहन (आई यू सी)/रोमिंग हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए पी एस टी एन प्रभार तथा सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए सेवा/बिक्री कर) से घटाया गया सकल राजस्व है।
3	मूल सेवाएँ	एक सेवा प्रदाता को उपभोक्ताओं को पब्लिक स्विच नेटवर्क अथवा अनुगामी नेटवर्क का उपयोग करते हुए ध्वनि श्रेणी की कॉलों को समस्त दूरियों पर भेजने तथा ग्रहण करने की क्षमता अवश्य देनी चाहिए।
4	बी एस ओ	मूल सेवा ऑपरेटर-इनको अपने कवरेज क्षेत्रों में सी डी एम ए तकनीक का उपयोग करते हुए वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर सीमित मोबिलिटी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति थी।
5	बी डब्ल्यू ए	ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस
6	कॉल प्रभार	काल प्रभार परिवर्तनशील है तथा कॉलर के एक्सचेन्ज से प्राप्तकर्ता के एक्सचेन्ज तक कॉल को रूट करने के लिए उपकरण की लागत वसूलने हेतु दिए जाते हैं।
7	केपेक्स	पूँजीगत व्यय
8	कैरियर सेवायें	तार सहित या बेतार सुविधाओं का कॉलों के प्रारम्भ, समापन अथवा पारगमन हेतु, इंटरकनेक्शन प्रभार लगाने हेतु, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का समाधान या समापन हेतु, खम्भों से संपर्क को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से उपयोग की गई सुविधाओं के प्रभारों हेतु, सर्किटों के विशिष्ट उपयोग हेतु प्रभारों के लिए डेटा सर्किट या टेलीग्राफ सर्किट स्पीच सर्किट को शामिल करते हुए समर्पित या लीज्ड सर्किट का प्रावधान।
9	सी डी एम ए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) बेतार सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक तकनीक है।
10	सी एम टी एस	सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा-यह एक प्रकार की शार्ट-वेव एनालाग या डिजिटल दूरसंचार सेवा है जिसमें उपभोक्ता के मोबाइल फोन द्वारा एक निकट के ट्रांसमीटर से बेतार संपर्क होता है। ट्रांसमीटर के कवरेज का फैलाव एक सेल कहलाता है। जैसे ही सेलुलर मोबाइल उपभोक्ता एक सेल से या कवरेज क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या सेल में जाता है, टेलीफोन प्रभावी रूप से स्थानीय सेल ट्रांसमीटर को हस्तांतरित हो जाता है।
11	डेटा सेवायें	डेटा के प्रभावी संप्रेषण हेतु बेतार या तारसहित सेवाओं तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से बनाई गई सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान।
12	डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
13	प्रवेश शुल्क	डी ओ टी द्वारा निर्धारित एक मुश्त गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षर करने से पूर्व करना होता है।
14	एफ ए टी	मुफ्त एयर टाइम

15	निश्चित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 की व्यवस्था के दौरान लाइसेंसधारी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते थे तथा बोली प्रक्रिया के दौरान स्वीकार की गई वार्षिक लाइसेंस फीस की निश्चित राशि का भुगतान सरकार को करते थे।
16	एफ ओ सी	मुफ्त (फ्री ऑफ कॉस्ट)
17	एफ टी टी	फुल टॉक टाइम
18	जी आर	जी आर— स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट्स (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री से हुई आय, ब्याज, लाभांश, मूल्यवर्धित सेवाएं, अनुपरक सेवाएं, एक्सेस तथा इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अधोसंरचना के स्वीकार्य साझेदारी से या अन्य विविध राजस्व को किसी भी प्रकार से संबंधित व्यय हेतु समायोजन के बगैर, शामिल कर सकल राजस्व होगा।
19	जी एस एम	मोबाईल दूरसंचार हेतु वैश्विक तंत्र, बेतार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तकनीक है।
20	आई एल डी	अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी—आई एल डी मूलतः एक नेटवर्क परिवहन सेवा (बियरर भी कहा जाता है) है जो कि विदेशी कैरियरों द्वारा संचालित नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
21	स्थापना प्रभार	उपभोक्ता टर्मिनल उपकरणों की स्थापना हेतु प्रभार
22	इंटरकनेक्शन प्रभार	अन्य सेवा प्रदाताओं पर नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा इंटरकनेक्शन सुविधा की लागत की वसूली हेतु, (रूटिंग, सिग्नलिंग तथा अन्य मूल सेवा क्रियाकलापों हेतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए) जो कि नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया गया है, लगाया गया एक प्रभार
23	इंटरनेट सेवाएँ	इंटरनेट में एक्सेस, उपयोग करने अथवा भाग लेने हेतु प्रदत्त इंटरनेट सेवाएँ।
24	इंटरनेट टेलीफोनी	इंटरनेट टेलीफोनी वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी ओ आई पी) पर आधारित डिजिटल दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करती है जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रावधानित हैं।
25	आई ओ टी	अंतर-ऑपरेटर ट्रैफिक
26	आई पी-I	अधोसंरचना प्रदानकर्ता श्रेणी-I-आई पी-I हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। आई पी-I के तहत पंजीकृत कंपनी डार्क फाईबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस तथा टावर जैसे संसाधन प्रदान कर सकती है।
27	आई पी-II	अधोसंचरना प्रदानकर्ता श्रेणी-II एक आई पी-II लाइसेंस एक सिरे से अन्तिम सिरे तक तक बैंडविड्थ यथा, संदेश का परिवहन करने में सक्षम एक डिजिटल संप्रेषण क्षमता, लीज पर/किराए पर दे सकता है/बेच सकता है। आई पी-2 लाइसेंस 14.12.05 की तिथि से जारी होना बंद हो गया है।
28	आई एस पी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
29	आई एस पी (आई टी)	इंटरनेट सेवा प्रदाता (इंटरनेट टेलीफोनी शामिल करते हुए)
30	आई यू सी	इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार जैसा क्रमांक 16 में बताया गया है।
31	लाइसेंस शुल्क	लाइसेंसधारी समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में, डी ओ टी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों के आधार पर दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।

32	एल एस ए	लाइसेंस सेवा क्षेत्र (परिमंडल)
33	माइक्रोवेव एक्सेस	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) एक्सेस सामान्यतः 10 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड तथा इसके अधिक में होता है।
34	माइक्रोवेव बैकबोन	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) बैकबोन नेटवर्क सामान्यतः 10 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड से नीचे होते हैं।
35	एम ओ सी एण्ड आई टी	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
36	एन एल डी	राष्ट्रीय लम्बी दूरी – राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) सेवा स्विच-बियरर दूरसंचार सेवाओं के लम्बी दूरी नेटवर्क, यथा – विभिन्न छोटी दूरी आवेशीय क्षेत्रों (एस डी सी ए) को आपस में जोड़ने हेतु एक नेटवर्क, परिवहन को कहते हैं।
37	एन टी पी -94	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -1994
38	एन टी पी -99	नवीन दूरसंचार नीति -1999
39	ओपेक्स	संचालनगत व्यय
40	पी एस पी	निजी सेवा प्रदाता
41	पी एस टी एन प्रभार	पब्लिक स्विच दूरसंचार नेटवर्क प्रभार
42	राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था	नवीन दूरसंचार नीति-99 ने 'राजस्व हिस्सेदारी' व्यवस्था का प्रारंभ किया जिसमें एक निश्चित लाइसेंस फीस के स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस फीस का भुगतान करना होता था।
43	रोमिंग प्रभार	सेलुलर उपभोक्ता हेतु रोमिंग, विजिटेड नेटवर्क के माध्यम से, स्वचालित रूप से ध्वनि कॉलों को करने तथा प्राप्त करने, डेटा को भेजने तथा प्राप्त करने, अथवा अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता है, जब वह घरेलू नेटवर्क के भूगोलीय कवरेज क्षेत्र से बाहर गमन कर रहा हो। इस सुविधा हेतु प्रभार रोमिंग प्रभार कहलाते हैं।
44	बिक्री कर	बिक्री कर एक उपभोग कर है जो कि सरकार द्वारा सामानों एवं सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है।
45	सेवा कर	सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली चुनिंदा सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर सेवा कर है, परंतु यह वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है और वित्तीय एक्ट 1994 के द्वारा अस्तित्व में आया।
46	एस यू सी	स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार – लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, बेतार सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का भुगतान करना होता है।
47	अनुपूरक सेवाएँ	जी एस एम तीन प्रकार की मूलभूत सेवा प्रदान करता है: टेलीफोनी सेवाएँ या टेलीसर्विसेज, डेटा सेवाएँ या बियरर सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाएँ। अनुपूरक सेवाये वह अतिरिक्त सेवाएँ है जो टेलीसर्विसेज व बियरर सेवाओं के अलावा प्रदान की जाती है। इन अनुपूरक सेवाओं में कॉलर आईडेन्टिफिकेशन कॉल अग्रेषण, कॉल होल्ड, कॉल प्रतीक्षा, कानफ्रेसिंग, नम्बर आईडेन्टिफिकेशन, क्लोज्ड यूजर ग्रुप तथा बाहर जाने वाली (अंतर्राष्ट्रीय) कालों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
48	टी बी	ट्रायल बैलन्स

49	टी डी सैट	दूरसंचार विवाद निवारण तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एण्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल)
50	टर्मिनल उपकरण	संचार सर्किट या चैनल के समापन बिन्दु को बनाने वाला एक उपकरण। टर्मिनल उपकरण में वॉयस् टर्मिनल उपकरण तथा डेटा टर्मिनल उपकरण को शामिल करते हुए उपभोक्ता के परिसर में लगे सभी उपकरण शामिल हैं।
51	टी आर ए आई (ट्राई)	भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
52	यू ए एस एल	समेकित एक्सेस सेवा लाइसेंस – यू ए एस एल सेवा एक विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि तथा/अथवा गैर-ध्वनि संदेशों का संग्रहण, परिवहन, संप्रेषण तथा वितरण को आवृत्त करती है तथा समस्त प्रकार की एक्सेस सेवाओं के प्रावधान को शामिल करती है। एक्सेससेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं तथा ब्राडबैंड सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। अगर आवश्यकता हो, तो एक्सेस सेवा प्रदाता एन एल डी/आई एल डी सेवा के लाइसेंसधारी का नेटवर्क उपयोग कर सकता है। एक्सेस सेवा तारसहित तथा/अथवा बेतार एवं फिक्स्ड बेतार सेवा को, शामिल करती है, परन्तु यही तक सीमित नहीं है।
53	यू एल	समेकित (यूनीफाईड) लाइसेंस – लाइसेंसधारी किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सेवा क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार इस लाइसेंस के तहत प्राधिकृत सेवाओं के दायरे में, दूरसंचार नेटवर्कों तथा दूरसंचार सेवाओं को स्थापित, संचालित तथा रखरखाव कर सकता है। यदि लाइसेंसधारी एक्सेस स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर लेता है तो तकनीक के इस्तेमाल में स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित नियम व शर्तें लागू होंगी।
54	यू एस ओ	वैश्विक सेवा कर्तव्य (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन) – एन टी पी -99 ने प्रावधान किया गया था कि यू एस ओ को पूरा करने के लिए संसाधन “यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल)” के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जो ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित किए गए राजस्व का प्रतिशत होगा।
55	मूल्यवर्धित सेवाएं (वैल्यू ऐडेड सर्विस)	मूल्यवर्धित सेवाएं (वी ए एस) गैर-मूल (नॉन कोर) सेवाओं के लिए या संक्षेप में, मानक ध्वनि कॉलों एवं फैक्स संप्रेषण के अलावा समस्त सेवाओं के लिए दूरसंचार उद्योग में एक प्रचलित शब्द है। दूरसंचार उद्योग में सैद्धांतिक स्तर पर मूल्यवर्धित सेवा, मानक सेवा में मूल्यवर्धन करती है।
56	वी सैट	(वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) – वी सैट लाइसेंस को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर गैर-अनन्य आधार पर इनसैट उपग्रह तंत्र के माध्यम से वी सैट क्लोज्ड यूजर ग्रुप घरेलु डेटा नेटवर्क सेवा को स्थापित, लगाना, संचालन तथा रखरखाव करना है।
57	डब्ल्यू एफ डी	डी ओ टी की बेतार वित्तीय शाखा
58	डब्ल्यू एल एल (एम)	वायरलैस इन लोकल लूप (मोबाईल)
59	डब्ल्यू पी सी प्रभार	डी ओ टी के बेतार प्लानिंग तथा को-ऑर्डिनेशन शाखा द्वारा लगाया गया प्रभार

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in